दशम माला, खंड 40 अंक 21

बुधवार 17 मई, 1995
27 वैशाख, 1917

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 40 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय–सूची

दशम माला, खंड 40, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 29, बुधवार, 17 मई, 1995/27 वैशाख, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	581-584	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		20-203
* तारांकित प्रश्न संख्या :	585-600	20-32
अतारांकित प्रश्न संख्या	5959-6103 और 6105-6107	33-203
सभा पटल पद रखे गये पत्र		203-204
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
इकतालीसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		204
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति		
सोलहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश – प्रस्तुत		204-205
नियं 377 के अधीन मामले		205-208
(एक)	प्राकृतिक रबड़ का शुल्क मुक्त आयात रोकने की आवश्यकता	
	श्री पी०सी० चाको	205
(दो)	शिमला में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को अधिक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
	श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	205
(तीन)	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा चंडीगढ़–दिल्ली उड़ानों को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पवन कुमारी बंसल	206
(चार)	चंदन की लकड़ी के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाने की आवश्यकता	
	श्री सी०पी० मुडला गिरियप्पा	206
(पांच)	राजस्थान के लाडनू नगर में रसोई गैस का बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री राम सिंह कस्वां	207
(छः)	उत्तर प्रदेश के कैराना, मुजफ्फरनगर में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए केन्द्रीय योजनाओं को कार्यान्वित करने की आवश्यकता	
	श्री नरेश कुमार बालियान	207

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय		कालम
(सात)	सोन-बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सोन नहर के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति-देने और इसको कार्यान्वित करने हेतु समुचित धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
	श्री राम प्रसाद सिंह	207
(आठ)	बिहार के जहानाबाद जिले में बेहतर टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
	श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	208
सामान्य बजट 1995-96 अनुदानों की मांगें—जारी		209-319
संचार मंत्रालय		209
	प्रो० प्रेम धूमल	209-212
	श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण	213-222
	श्रीमती सुशीला गोपालन	222-227
	डा० मुमताज अंसारी	227-231
	प्रो० सावित्री लक्ष्मणन	231-236
	श्री दत्तात्रेय बंडारू	236-240
	श्री विजय कुमार यादव	240-241
	श्री याइमा सिंह युमनाम	241-242
	श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	242-245
	श्री हरि केवल प्रसाद	245-247
	डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्दरम	247-248
	श्री मोहन रावले	248-249
	श्री सुख राम	249-319
विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक		319-332
पुरः स्थापित करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	319
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	319
	श्री राम नाईक	320
	श्री रंगराजन कुमारमंगलम	322
	डा० रामकृष्ण कुसमरिया	327
	श्री एस०बी० चव्हाण	327
	श्री एच०आर० भारद्वाज	328
खंड 2 से 4 और 1		331
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	332

लोक सभा

बुधवार, 17 मई, 1995/27 वैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर एक मिनट म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

*581. **श्री के. प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में मुकदमों का निर्णय होने में बहुत अधिक समय इस कारण से लगता है कि वहां सुनवाई बार-बार स्थगित हो जाती है और लम्बी अवधि के बाद की तारीखें दी जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सेवा संबंधी मामलों में मुकदमों की संख्या कम करने तथा निर्णयाधीन मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री के. प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अर्थात 'कैट' का गठन होने के बाद केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में सेवा संबंधी मामले 'कैट' को सौंप दिए गए हैं और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों का भार पर्याप्त रूप से कम हुआ है। लेकिन इन न्यायालयों में मामलों की संख्या किसी न किसी कारण से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दायर किए गए मामलों और इन तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या जानना चाहूंगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या कोई मामले तीन वर्ष से अधिक समय से भी 'कैट' के समक्ष लम्बित पड़े हैं और यदि हां, तो इन मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, यह सच है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि नियमित रूप से कार्य कर रहे न्यायालयों पर भार को कम किया जा सके और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तेजी से न्याय उपलब्ध हो सके। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मामलों को दायर करने की संख्या कुछ वर्षों से बढ़ती रही है, इसका एक कारण यह है कि 'कैट' की खण्डपीठों तक जाना काफी सस्ता है और दूसरे सामान्यतः इनमें मामलों का निपटान अधिक तेजी से होता है।

जहां तक आंकड़ों का संबंध है, 1985 में इन न्यायाधिकरणों की स्थापना से लेकर आज तक दायर किए गए कुल मामलों की संख्या 2,10,090 है जिनमें से निपटाए गए मामलों की संख्या 1,69,698 है। अतः 1985 से 1995 तक अर्थात दस वर्षों में लम्बित मामलों की संख्या 40,000 है। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि पिछले दो वर्षों में, नए मामलों के निपटान किए जाने की संख्या लगभग बराबर रही है, इसका अभिप्राय है कि अब वहां कोई बकाया मामले और नहीं जुड़े होंगे क्योंकि मामलों के निपटान किए जाने और दायर किए जाने की संख्या बराबर रही है।

जहां तक तीन वर्षों से भी अधिक समय तक मामलों के लम्बित पड़े रहने का संबंध है, इनकी संख्या 6,483 है।

श्री के. प्रधानी : इन लम्बित मामलों को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, सभी राज्यों में जहां उच्च न्यायालय हैं, वहां इसकी खण्डपीठ है, अर्थात् उनका क्षेत्राधिकार वही है जो उच्च न्यायालयों का है। जहां राज्यों में उच्च न्यायालयों के लिए सर्किट खण्डपीठों की व्यवस्था है, वहां सर्किट खण्डपीठें भी हैं। इसके अतिरिक्त, हमने दो अथवा तीन अन्य कदम भी उठाए हैं। इनमें से एक यह है कि 'कैट' का चेयरमैन, विशेष शक्तियों के अन्तर्गत जो उसे प्राप्त हैं, यह निर्णय ले सकता है कि कुछ मामलों में एक सदस्य वाला खण्डपीठ मामलों को निपटा सकता है और वहां दो-सदस्यों वाले खण्डपीठ की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नियमित मामलों के संबंध में है जिनमें नीति अथवा अन्य मामलें शामिल नहीं हैं। अतः, अब हम एक सदस्य वाले कार्य कर रहे खण्डपीठों जिनमें सदस्य अलग-अलग बैठते हैं इनमें से बहुत से मामलों को निपटा सकते हैं, इससे मामलों का निपटान तेजी से होगा।

श्री के. प्रधानी : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या नवम्बर, 1994 के दौरान विधि मंत्री अर्थात 'कैट' के कार्यदल तीन की बैठक हुई थी जिसको उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने संबोधित किया था और विभिन्न खण्डपीठों में 'कैट' में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आधुनिक उपकरणों के उपभोग और नए तरीकों के प्रयोग का सुझाव दिया था और यदि हो तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, 'कैट' खण्डपीठों के कार्यकरण की पुनरीक्षा पिछले कुछ महीनों से की जा रही हैं। उदाहरण के लिए, यहां तक कि विधि आयोग ने वकीलों, उच्च न्यायालयों और 'कैट' की खण्डपीठों को यह देखने के लिए प्रश्नावली जारी की है कि 'कैट' की खण्डपीठ किस प्रकार कार्य कर रही हैं और उनकी कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश ने भी हाल ही में मेरे से बातचीत की है। उनका भी यह कहना है कि सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण से मामलों की शिनाख्त और उन्हें निपटाने में मदद मिल सकती है जिन्हें वास्तव में बहुत लम्बे समय तक लम्बित लटकाए रखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास नवम्बर, 1994 में किए गए विचार-विमर्श के ब्यौरे नहीं हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मामलों को तेजी से निपटाने के लिए 'कैट' की खण्डपीठों के समक्ष जो सुझाव हमारे पास आए हैं, उनका स्वागत किया जाएगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हमें दिए गए सुझावों पर हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री चतुर्देव आचार्य : महोदय, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन का उद्देश्य ही विफल हो गया है क्योंकि सभी मामलों विशेषतः उन मामलों

में जहां 'कैट' ने अपना निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में दिया है, केन्द्रीय सरकार ने विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की है। मैं विशेषरूप से रेल मंत्रालय के बारे में जानता हूं। सभी रेल मंत्रालय ने सभी मामलों में जैसे बरखास्त कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में 'कैट' सक्षम खण्डपीठ के निर्णय के कार्यान्वयन के बारे में, सहकारी समितियों के कर्मचारियों के बारे में, कोयला और राख के उतारने-चढ़ाने के मामलों के बारे में और ऐसे सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की है। मैं प्रधानमंत्री से इसका उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में कदम उठाएगी ताकि विभिन्न मंत्रालयों, जो अब विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कर रहे हैं और 'कैट' के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में जा रहे हैं और इस प्रकार 'कैट' के गठन के उद्देश्य को विफल कर रहे हैं, वे विशेष अनुमति याचिकाएं दायर न करें जहां निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में दिया गया है। ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, यह बिल्कुल स्पष्ट है। एक अच्छे प्रश्न के बारे में आपको अनावश्यक भ्रम क्यों है ?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसका माननीय प्रधानमंत्री को उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, माननीय, प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर सकते हैं। मैं केवल आंकड़े दे रही हूं। माननीय सदस्य द्वारा दिया गया विवरण बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि मैं कहना चाहूंगी कि 1986 से 1993 तक जिसके लिए हमने आंकड़े संकलित किए हैं, 28,074 निपटाए गए मामलों में, सरकार द्वारा सभी में नहीं, केवल 1,513 विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई हैं। कर्मचारी भी कभी-कभी विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करते हैं। कुल दायर 1,513 विशेष अनुमति याचिकाओं में से केवल 642 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई हैं और उनमें से 2.28 प्रतिशत का निपटान किया गया है। दायर किए गए कुल मामलों में से कुल 2. 28 प्रतिशत मामले जो 'कैट' द्वारा निपटाए गए थे, उनमें अंततः उच्चतम न्यायालय ने 'कैट' निर्णय के विरुद्ध निर्णय लिया है ···**(व्यवधान)** मैं यह कहना चाहता हूं कि 'कैट' द्वारा निपटाए गए 28,074 मामलों में से केवल 1513 में अपील की गई है और विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बीच-बीच में जो प्रश्न किये जाएं उनका उत्तर न दीजिए। मुख्य प्रश्न जो श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पूछा गया है, उसका उत्तर दीजिए।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, मैं इसे स्पष्ट कर रही हूं। माननीय सदस्य ने कहा कि प्रत्येक मामले में सरकार विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कर रही है जबकि ऐसी बात वास्तव में आंकड़ों से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मैं कह रही हूं कि केवल 1513 मामलों में उन्होंने विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की और केवल 642 मामलों में स्वीकार की गई।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप विभिन्न मंत्रालयों के अलग-अलग आंकड़े दे सकते हैं ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं सदस्यों को आश्वासन दे सकती हूं कि हम सूचना भेजेंगे। वह हमसे कह रहे हैं कि विशेष अनुमति याचिकाएं दायर न की जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसका उत्तर नहीं देना है। मुख्य प्रश्न 'कैट' के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदया ने बताया है कि विभिन्न राज्यों में 'कैट' के बेंचिस बैठे हैं लेकिन ये बेंचिस विभिन्न-विभिन्न वरडिक्ट दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेम्बर एपायेंट करते हैं। जो आई ए एस ऑफिसर रिटायर्ड हो जाते हैं, जिन्हें कानून का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है उन्हें (रिटायर्ड करते) रखते हैं। इससे सीनियोरिटी और प्रमोशन में भी उनको बहुत भय पैदा होता है। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं :

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण खण्डपीठों के प्रशासनिक सदस्यों का चयन करने का क्या तरीका तथा मानदण्ड है ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, ऐसे मामले सामने आए हैं जिनसे विभिन्न अधिकरणों द्वारा भिन्न-भिन्न निर्णय दिए गए हैं और इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी अधिकरणों के निर्णय प्रकाशित किए जाएं जैसे कि विधि रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं। ये निर्णय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अन्य खण्डपीठों को भी उपलबध कराए जाते हैं।

जहां तक प्रशासनिक सदस्यों की अहर्ता का सम्बन्ध है, इस पद हेतु उम्मीदवार ने कम से कम दो वर्ष तक भारत सरकार के अपरसचिव का पद धारण किया हो या भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष पद धारण किया हो तथा सरकार के संयुक्त सचिव को, जिसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उसे सदस्य पद पर नियुक्ति से पूर्व कम से कम तीन वर्ष तक संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष पद धारण किया होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 18 या 20 वर्ष की सेवा के अनुभव वाले व्यक्ति प्रशासनिक नियमों तथा सेवा नियमों की अन्य बातों से परिचित होंगे। समन्वय रखने तथा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अधिकरण में न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों सदस्य होते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुधीर सावंत : अध्यक्ष महोदय, सरकार जब कोई कदम उठाती है तो यह देखा गया है कि आम प्रशासन पर इसका बुरा परिणाम नहीं होना चाहिए। साथ ही कर्मचारी पर अन्याय नहीं होना चाहिए लेकिन देखा यह गया है कि कर्मचारी छोटे-छोटे कारण के लिए 'कैट' (सी.ए.टी.) के सामने जाते हैं, इससे प्रशासन पर बुरा असर पड़ता है। दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों की ऑथारिटी है, यह कमजोर होती जाती है। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार ने कोई ऐसा प्रयास किया है, जिसकी वजह से लोग 'कैट' के सामने जाते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा वजह नारमल एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल में सुलझाई जाये। इसके लिए आपने क्या किया है ?

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, हम समय-समय पर अनुदेश देते रहते

हैं। मेरे पास ये सारे अनुदेश हैं, जिन्हें मैं सदस्यों को भेजती हूं, जो प्रशासनिक विभागों, विशेषकर विभिन्न मंत्रालयों तथा उपक्रमों के स्थापना विभाग को सम्बोधित होते हैं जिनसे यह सुनिश्चित करने को कहा जाता है कि जहां तक सम्भव हो शिकायतों का निपटान प्रशासनिक मंत्रालयों में हो। कभी-कभी किसी नियम की गलत व्याख्या अथवा निर्णय लेने में देरी के कारण केन्द्र सरकार के कर्मचारी अपनी शिकायतों के निपटान के लिए 'कैट' के पास जाते हैं और इसलिए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासनिक विभाग इन समस्याओं में से यथासम्भव समस्याएं स्वयं ही निपटाएं तथा सरकारी प्रणाली के भीतर, हमारी अपनी प्रणाली के भीतर ही त्वरित न्याय सुनिश्चित करें ताकि उन्हें अपनी समस्याओं के निपटान के लिए बाहर जाने को विवश न होना पड़े। मेरे विचार में इन अनुदेशों का, यथासम्भव, विभागों द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने अपने प्रश्न के पहले हिस्से के उत्तर में यह कहा है :

[अनुवाद]

"क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में मुकदमों का निर्णय होने में बहुत अधिक समय इसलिए लगता है कि वहां सुनवाई बार-बार स्थगित हो जाती है और लम्बी अवधि के बाद की तारीखें पड़ती हैं।"

मंत्री जी का उत्तर था : "जी, नहीं।"

[हिन्दी]

उन्होंने यह भी बताया है कि कुल मिलाकर 2 लाख, कुछ हजार मामले 1995 से अब तक 'कैट' के सामने आये हैं जबकि उनमें से मात्र 28 हजार 500 मुकदमे ही हल हुये हैं। यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि 2 लाख, कुछ हजार मुकदमे वहां पड़े हैं और अभी तक केवल 28 हजार 500 मुकदमे ही हल हो पाए हैं। शायद मंत्री महोदया ने यह आंकड़े 1993 तक के बताए हैं। बात तो स्पष्ट हो जाती है कि विलम्ब बहुत हो रहा है, लगभग 80 प्रतिशत मामले अभी तक वहां पर पड़े हुए हैं। तो मंत्री महोदया किस आधार पर यह कह रही हैं कि कोई विलम्ब नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक-ठाक हो रहा है, जबकि खुद उनके जवाब में अन्तर्विरोध स्पष्ट नजर आ रहा है ? क्या वे देख नहीं पा रही हैं ?

[अनुवाद]

श्रीमती भारग्रेट आल्वा : महोदय, मैंने जो आंकड़े उद्धृत किए हैं वे एक ही वर्ष के नहीं हैं। मैंने कहा था कि मामलों के निपटान से सम्बन्धित आंकड़े 1986-93 के हैं जबकि मामलों के दायर किए जाने के आंकड़े 1985-95 के हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : फिर आप ताजे आंकड़े दीजिए। यदि आपका कहना ठीक है कि जहां तक फाइलिंग का मामला है, आंकड़े दस साल के हैं और ये मामले आठ साल के हैं, तो बहुत ज्यादा अन्तर नहीं होता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, यह तो मामूली गणित है।

[अनुवाद]

श्रीमती भारग्रेट आल्वा : मैंने कुल मामलों की जितनी संख्या आपको दी है उनमें से 28,074 मामलों का निपटान 1993 में किया गया तथा उस वर्ष अर्थात् 1993 में दायर किए गए मुकदमों की संख्या 27,067 है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं आपसे सुरक्षा चाहता हूं।

[हिन्दी]

गुमराह करने की कोशिश हो रही है। कुल कितने मामले फाइल हुए और कितने सैटल हुए, यह बता दीजिए ?

श्रीमती भारग्रेट आल्वा : आप पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं खत्म कर रही हूं, उसके बाद सवाल कीजिए।

[अनुवाद]

महोदय, 1993 में दायर किए गए मुकदमों की संख्या 27,067 है तथा दस वर्ष 'कैट' खण्डपीठ द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या 28,074 है। मैंने पहले कहा है कि अब निपटान में इतनी तेजी हो रही है कि बकाया मामले खत्म हो रहे हैं। मैंने यह अपने मूल उत्तर में कहा था। यदि आप 1985 से 1995 तक के कुल आंकड़े पूछते हैं तो आंकड़े कुछ भिन्न हो सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम ये आंकड़े जानना चाहते हैं।

श्रीमती भारग्रेट आल्वा : आप मुझे उलझा क्यों रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपको उलझा नहीं रहा हूं। लगता है आप स्वयं उलझ गई हैं।

श्रीमती भारग्रेट आल्वा : महोदय, मैं आपसे सुरक्षा चाहती हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं कौन से आंकड़े दूं।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि अब तक कुल कितने मामले दायर किए गए हैं तथा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या क्या है ?

श्रीमती भारग्रेट आल्वा : महोदय, यही उत्तर मैंने आरम्भ में एक अन्य सदस्य को दिया था। एक नवम्बर जब खण्डपीठें गठित की गई थीं से लेकर 1 जनवरी, 1995 तक दायर किए गए मुकदमों की कुल संख्या 2,10,090 थी। मैंने पहले भी यह संख्या बताई थी। उसमें से, इसी अवधि के दौरान, 1,69,698 मामले निपटाए गए। पिछले बकाया मामले जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया था, 40,392 हैं और मैंने बताया था कि चूंकि और 'कैट' खण्डपीठें स्थापित की गई हैं, निपटाए गए मामलों की संख्या पिछले तीन वर्षों में और बढ़ी है तथा जो पिछले बकाया मामले थे उन्हें निपटाया जा रहा है और जो मामले हमारे पास दायर किए गए हैं तथा जो निपटाए गए हैं वे बराबर-बराबर हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर दिया गया था, परन्तु संभवतः सुना नहीं गया था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह अच्छी बात है कि पिछले बकाया मामले आशाजनक रूप से कम हो रहे हैं और जब तक वर्तमान सरकार का कार्यकाल पूरा होगा तब तक पिछले बकाया मामले भी निपट जाएंगे।

प्रधान मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : 'कैट' सरकार के साथ नहीं बदलते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा प्रश्न यह है : कैट के निर्णय पर

कार्यवाही करने में आपको कितना समय लगता है। कैट के निर्णय तथा सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन के बीच औसतन कितना समय लगता है तथा ऐसे मामले हैं जो कैट द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद एक वर्ष से भी अधिक समय से क्रियान्वयन के लिए लम्बित पड़े हैं ?

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, मैं इस समय यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि प्रत्येक अधिकरण के निर्णय के क्रियान्वयन में प्रत्येक विभाग कितना समय लगाता है क्योंकि निर्णय संबंधित मंत्रालयों को जाते हैं जिनसे अपेक्षा की जाती है कि इसके क्रियान्वयन की निगरानी करें या कानूनी सलाह लें या वे उस निर्णय को स्वीकार करें या नहीं अथवा क्या उन्हें उसके विरुद्ध अपील करनी चाहिए, आदि आदि।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह क्रियान्वयन मंत्री की तरह इसको क्रियान्वित कर रही हैं।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : मैं निर्णय के बाद क्रियान्वयन के लिए मंत्रालयों में लम्बित पड़े सभी निर्णयों के बारे में तुरन्त आंकड़े नहीं दे सकती क्योंकि निर्णय सम्बन्धित मंत्रालयों को जाते हैं और वे ही उनका क्रियान्वयन करते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या यह आपका उत्तरदायित्व नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अनुचित है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं भद्र महिला के प्रति अभद्रता नहीं दिखाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कह रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, इसकी जांच करना उनका काम है।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : महोदय, मैं केवल यही कह सकती हूं कि जब भी क्रियान्वयन की कोई समस्या आती है और कोई व्यक्ति अथवा कर्मचारी समूह खिन्न होता है, तो वे हमसे हस्तक्षेप करने की अपील करते हैं जो कि हम करते हैं और तब इस संबंध में परामर्श किया जाता है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है और इसमें विलंब क्यों किया गया। लेकिन मैं कहूंगी कि अधिकांशतः वे तभी हमारे पास आते हैं जब विलंब होता है और वे हमसे अपील करते हैं। अन्यथा, सामान्यतया हम उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते और वे अपने कार्य स्वयं करते हैं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा इस समय 40,000 मामलों का निपटान किया जाता है और अभी तक 1,65,000 मामले लम्बित पड़े हैं। इस प्रकार, यदि प्रतिवर्ष 40,000 मामले निपटाए जाएं, तो लंबित मामलों को निपटाने में चार वर्ष लग जायेंगे। महोदय, मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के ढांचे के इस प्रकार विस्तार करने पर विचार कर रही है कि इन सभी लम्बित मामलों को कम से कम समय में निपटा लिया जाये...।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह स्पष्ट प्रश्न है ?

वे यह जानना चाहते हैं कि आप मामलों का शीघ्र निपटान किस प्रकार करेंगे।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : एक ओर दर्ज किये जा रहे मामलों की संख्या और दूसरी ओर निपटाये जा रहे मामलों की संख्या में प्रतिस्पर्धा है। कई बार यह देखा गया कि यह काफी कम थे। इसलिए, और अधिक खंडपीठों का गठन किया गया, और अधिक केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण खंडपीठ अस्तित्व में आये। अब हम उनकी निगरानी करते रहेंगे। वे पहले ही कह चुकी हैं कि हम एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां हमारी निपटान क्षमता दर्ज करने की प्रक्रिया के लगभग बराबर है। इसलिए इसे संतोषजनक समाधान समझा जाना चाहिए। लेकिन इसकी सदैव पुनरीक्षा की जा रही है और यदि कहीं कुछ बेमेल है तो हम उसे सही करने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरायन राय : कैट ट्रिब्यूनल में जो केसेज मजदूरों के, एम्पलाई के फेवर में हो गये, उनके फेवर में फुल पेमेण्ट के साथ रीइन्सटेटमेंट एवार्ड किया गया, फिर वही केस सरकार सुप्रीम कोर्ट में ले गई, लेकिन उस दौरान उसको न तलब मिलता है, न तनख्वाह मिलती है और 10-15 साल बाद जब उसके फेवर में फिर एवार्ड होगा, आर्डर होगा तो उस टाइम में वह रिटायर होकर घर चला जायेगा या उसकी मृत्यु हो गई होगी। उसको जीने के लिए कम से कम कुछ तनख्वाह दी जाये, इसके बारे में सरकार का कुछ तय करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : वह बहुत बड़ा जवाब है, वह आपको बाद में दे देंगे। आप उनसे मिल लीजिए।

[अनुवाद]

मधुमेह के मामले

+

***582. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुमेह, गुर्दा रोग से ग्रस्त तथा नेत्रहीन लोगों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में पिछले वर्ष मधुमेह के कितने रोगियों का पता लगा;

(ग) 2000 ई. तक इन सभी रोगों से कितने लोगों के ग्रस्त होने का अनुमान है; और

(घ) इन रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह संकेत मिलता हो कि मधुमेह, गुर्दे की बीमारियों और दृष्टिहीनता में तीव्र वृद्धि हुई है। तथापि, जीवन-प्रत्याशा बढ़ने के साथ, मधुमेह और मोतियाबिन्द से होने वाली दृष्टिहीनता में भी वृद्धि होने की संभावना है।

(ख) कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सन 2000 ई. तक दृष्टिहीनता में 1.49 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत तक कमी होने की आशा है। चालू वर्ष की योजना में मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम पर एक प्रायोगिक परियोजना शामिल की गई है। गुर्दे के रोगों को स्वस्थ जीवन-शैली के संवर्धन द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मधुमेह एक गंभीर रोग है जो सामान्यतः गुर्दे, दिल और आंख जैसे महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है। महोदय, कुछ मधुमेह विशेषज्ञों और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी पूर्वानुमान है कि 2000 ई. से विश्वभर में, विशेषरूप से भारत जैसे विकासशील देशों में महामारी फैलेगी। इसलिए, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस संकट से बचने के लिए क्या तत्काल निवारक उपाय किये गये हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : हमारे अस्पतालों में मधुमेह के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस वर्ष हमने अपने बजट में पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि चार राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं आरम्भ करने हेतु धनराशि प्रदान करने के प्रस्ताव को भी शामिल किया है। इन राज्यों का चयन किया गया है और उन्हें मधुमेह की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक-एक जिले का चयन करने की सलाह दी गई थी। तत्पश्चात् सरकार उन प्रायोगिक परियोजनाओं के परिणामों की निश्चित रूप से जांच करेगी।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : यह कहा गया है कि जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह तेजी से बढ़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर इससे सहमत नहीं हैं।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : औरंगाबाद में हाल ही में हुये सेमिनार में इस पर चर्चा की गई थी क्योंकि यह विशेष रोग, पाद संक्रमण, इन जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह रोगियों में काफी अधिक पाया जाता है। सम्भवतः इसका कारण खराब स्वास्थ्य स्थितियां हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग का मुकाबला करने के लिए कोई विशेष दवा है अथवा कोई विशेष अनुसंधान किया जा रहा है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह रोग सभी जगहों में फैला हुआ है। किए गये अध्ययन का ऐसा कोई परिणाम नहीं मिला है कि यह रोग जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा फैल रहा है। जीवन प्रत्याशा बढ़ने के साथ-साथ मधुमेह में भी वृद्धि हुई है। इसलिए हमने प्रायोगिक परियोजना पहले ही आरम्भ कर दी है।

[हिन्दी]

श्री शिव चरण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस समय देखा जा रहा है कि गुर्दे की बीमारी भयंकर रूप से फैल रही है और नेत्रहीनों की संख्या काफी बढ़ रही है यह बीमारी सामान्य लोगों और छोटे-छोटे बच्चों को भी हो रही है। ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले में चिंतित नहीं है। यदि वास्तव में यह बात सही है तो पिछले वर्ष तक प्रत्येक राज्य में इन रोगियों की संख्या कितनी थी ··· **(व्यवधान)** ···

अध्यक्ष महोदय : इसका लिखित जवाब दे दिया गया है। आप दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री शिव चरण वर्मा : जब यह देखा जा रहा है कि यह बीमारी भयंकर रूप धारण कर रही है और छोटे-छोटे बच्चों को भी यह बीमारी हो रही है तो इस दिशा में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह भी अभी बता दिया है। आप उसे पढ़ लीजिये। आपके दोनों सवालों का जवाब दे दिया गया है।

श्री शिव चरण वर्मा : क्या इस बीमारी को दूर करना सरकार के बस में है और क्या वह इस पर नियंत्रण कर पायेगी या नहीं ? अगर कर पायेगी तो क्या कदम उठायेगी ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : डायबीटिज के ट्रीटमेंट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका इलाज हमारे अस्पतालों में अवेलेबल है। आयु बढ़ने के साथ-साथ यह बीमारी बढ़ती है। यह बीमारी हैरिडिटी भी होती है। हमने एक पायलट प्रोजैक्ट बनाया है। इस बीमारी को दूर करने के लिये सरकार से जितना हो सकेगा, वह इसे दूर करने की कोशिश करेगी।

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है ··· **(व्यवधान)** ···

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग है कि यह प्रश्न उन्हीं को पूछने दिया जाये जिन्हें डायबीटिज की बीमारी है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे में मैं आपसे पूछता हूं कि कितने लोग प्रश्न पूछ सकेंगे ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि पायलट प्रोजैक्ट बनने के बावजूद भी इस बीमारी का कोई उपचार क्यों नहीं हो पाता है ? यह व्याधि असाध्य है क्योंकि ऐलोपैथी में केवल डायबीटिज का वर्णन है लेकिन आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेहों का वर्णन है। 20 प्रकार के प्रमेहों में—

सर्व एव प्रमेहास्यु कालेना प्रतिकारिणाः,

मधु मेहत्व मायांति तदा साध्या भवन्ति हि।

आज डाक्टर्स भी इस बात को कहने लगे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। इन्सूलीन भी इसका इलाज नहीं है। वाकिंग, इटिंग दैन मैडिसीन—आज डाक्टर्स यह कहने लगे हैं। मेरा निवेदन करना यह है, आस्य सुखम् स्वप्न सुखम् दधीति—यानि आरामतलबी और मद्यान्न पानं गुडवैदतमय, यानि मद्य पीने के कारण डायबिटीज पैदा हो रही है। मंत्री महोदय आपके विभाग ने दफ्तर प्रारम्भ होने के साथ-साथ हल्का व्यायाम और समाप्त होने के बाद खेलकूद के लिए अनिवार्य कहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, दफ्तर प्रारम्भ होने के साथ-साथ यौगिक व्यायाम और अंत में खेलकूद लागू करके इस व्याधि को रोकने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी को यह जानकर खुशी होगी कि मंत्रालय ने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यौगिक प्रक्रिया के डवेलपमेंट के लिए स्कीम ली है और वे इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसको यौगिक प्रक्रिया से जोड़ दिया जाए और इससे डायबिटीज की बीमारी दूर हो सके।

[अनुवाद]

डा. कृपासिंधु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। अपने उत्तर में उन्होंने बताया है कि इस रोग के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन डायबेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नवम्बर में यह पूर्वानुमान लगाया था कि हमारे देश में 18 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और उनमें पाये गये लक्षणों की पुष्टि भी की गई है। गुर्दा रोग, मधुमेह जनित गुर्दे के रोग और मधुमेह जनित दृष्टिहीनता रोग से क्रमशः चार मिलियन और सात मिलियन लोग पीड़ित हैं। यह विचार विश्वप्रसिद्ध चिकित्सक और मधुमेह विशेषज्ञ डा.

जे.एस. बजाज का था जिन्हें हाल ही में 'मासाजी ताकेदा अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। उन्होंने मधुमेह, मधुमेह जनित दृष्टिहीनता तथा मधुमेह जनित गुर्दे के रोग के निवारण के लिए फार्मूला दिया है। क्या मंत्री जी हमें यह बतायेंगे कि उन्होंने किन फार्मूलों पर विचार किया है। वे योजना आयोग में हैं। इसका उत्तर देने से पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर देने के लिए उनसे परामर्श लिया था।

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य ने कहा है कि यह रोग नहीं है और यह असाध्य है। अंग प्रत्यारोपण विधान के बाद, क्या भारत में पेन्क्रियाज़ का प्रत्यारोपण संभव होगा ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस रोग का इलाज हो सकेगा अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उनसे आशा की जाती है कि वे नीति से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे न कि औषधीय पहलुओं के बारे में।

डा. कृपासिंधु भोई : मैं नीति के संबंध में पूछ रहा हूं। योजना आयोग नीति का निर्धारण करता है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं विषय के संबंध में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप तैयार हैं तो आप उत्तर भी दे सकते हैं।

श्री पवन सिंह घाटोबार : महोदय, डा. कृपासिंधु भोई जानते हैं कि अब तक क्या-क्या हो चुका है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं आरंभ करने के लिए धनराशि हेतु कुछ प्रावधान किया है ताकि आगे के कार्यक्रम के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध हो सके।

डा. बी.जी. जावाली : महोदय, यह सच है कि यह रोग चिंताजनक रूप से तेजी से बढ़ रहा है जिससे अन्य सभी प्रणालियों पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ेगा और संक्रमण तथा विभिन्न प्रकार की जटिलताएं बढ़ने का खतरा हो जायेगा। शहरी क्षेत्र में इस रोग का मुख्य कारण तनाव है जबकि इसने ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में धीरे-धीरे फैलना शुरू कर दिया है, जैसाकि मेरे मित्र ने कहा है। इस रोग का मूल कारण कुपोषण, खान-पान की बुरी आदतें हैं जिसमें मद्यपान भी शामिल है। शराब निश्चित रूप से पेन्क्रियाज़ में इन्सुलिन के बनने को रोकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पोषण संबंधी स्थिति और मद्यपान जैसी अन्य बुरी आदतों का पता लगाने के लिए विशेषरूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कुछ सूक्ष्म जांच तथा मूल्यांकन करने का प्रस्ताव रखा है।

श्री पवन सिंह घाटोबार : हमने प्रायोगिक परियोजना पहले ही शुरू कर दी है। यह माननीय सदस्य का एक अच्छा सुझाव है।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : मधुमेह खान-पान की आदतों से होने वाला रोग है। इससे समाज को यह शिक्षा मिलती है कि अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से यह आम खतरनाक रोग होता है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए समाज को यह शिक्षा देने के लिए आगे आएगी कि दिन में कम से कम एक बार प्रोटीन युक्त भोजन करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम मात्रा में हों। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसे माध्यमिक विद्यालय स्तर पर ही स्वास्थ्य पाठ्यक्रम में शामिल करेगी ताकि दिन में कम से कम एक बार अधिक प्रोटीन तथा कम कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन की आदत के बारे में हमारे बच्चे शिक्षित हो सकें। श्री जोशी ने कहा है कि यह एक असाध्य रोग है। इसको ठीक किया जा सकता है यदि हम इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए समाज को खान-पान की ठीक आदतों के बारे में शिक्षित करें।

श्री पवन सिंह घाटोबार : यह बहुत अच्छा सुझाव है।

क्षय रोग

*583. **श्री के. एच. मुनियप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्षय रोग से अनेक लोगों के मरने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में इस रोग से कितने लोगों के मरने के समाचार मिले हैं;

(ग) क्षय रोग पर काबू पाने के लिए प्रस्तावित विशेष कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षय रोग के कारण हुई मौतों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों से क्षय रोग की घटना-दर में किसी बढ़ोतरी का पता नहीं चलता है। पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों में क्षय रोग से संबंधित मौतों के आंकड़े संलग्न अनुबंध में दर्शाए गए हैं।

क्षय रोग के प्रभावी रोकथाम के लिए भारत सरकार/स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण/विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त दल द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर एक संशोधित कार्यनीति तैयार की गई है। इस कार्यनीति के अंतर्गत चयनित क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से एक मार्गदर्शी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य रोगी अच्छा होने की 90 प्रतिशत दर प्राप्त करना है ताकि क्षय रोग से होने वाली मौतों को काफी कम किया जा सके।

वर्ष 1995-96 के दौरान थोड़े से क्षेत्रों में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की संशोधित कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित की गई धनराशि 3.64 करोड़ रुपये है जो 50.00 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में शामिल है।

अनुबंध

राज्यों में क्षय रोग से हुई मौतों के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

सारणी संख्या		1993		1994	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षय रोग		क्षय रोग	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	35	36	35	36
1.	आन्ध्र प्रदेश	186466	1010	158155	991
2.	अरुणाचल प्रदेश	8062	26	1587	13
3.	असम	17726	81		. .

1	2	35	36	35	36
4.	बिहार	. .	. .	. .	. .
5.	गोवा	9152	63	3791	16
6.	गुजरात	39069	238	18602	146
7.	हरियाणा	27559	193	58118	213
8.	हिमाचल प्रदेश	17166	212	17204	291
9.	जम्मू और कश्मीर	9672	0	3913	0
10.	कर्नाटक	43786	537	40978	460
11.	केरल	40406	210	37930	212
12.	मध्य प्रदेश	51612	334	74207	239
13.	महाराष्ट्र	87783	1250	78575	1181
14.	मणिपुर	1240	1	628	3
15.	मेघालय	1361	7	1343	2
16.	मिजोरम	1164	22	1034	20
17.	नागालैंड	436	1	297	3
18.	उड़ीसा	46630	616	34272	355
19.	पंजाब	19750	121	26787	91
20.	राजस्थान	82220	560	61400	445
21.	सिक्किम	876	3		. .
22.	तमिलनाडु	32288	121	17812	78
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	265889	278	144450	60
25.	पश्चिम बंगाल	—10954	187		. .
26.	अंडमान निकोबार महाद्वीप	1214	26	1580	17
27.	चंडीगढ़	. .	. .	. .	
28.	दादर और नागर हवेली	685	3	526	5
29.	दमन और दीव	882	4	557	1
30.	दिल्ली	85133	1822	75543	1811
31.	लक्षद्वीप	0	0	20	0
32.	पांडिचेरी	21919	26	26874	59
	कुल •	1111100	7952	886183	6712

. . उपलब्ध नहीं हैं।

— अस्थायी आंकड़े।

श्री के.एच. मुनियप्पा : अध्यक्ष महोदय, क्षय रोग संसर्ग से होने वाला रोग है। स्वभावतः, इससे घर में बच्चे तुरन्त प्रभावित होते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा क्या सरकार ने प्रत्येक जिले में जांच उपकरण तथा अन्य चीजें उपलब्ध कराने की कोई परियोजना या योजना बनाई है ? हमारा व्यावहारिक अनुभव यह रहा है कि कोलार के जिला मुख्यालय में कोई जांच सुविधा या प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमें इन प्रयोगशाला सुविधाओं तथा जांच सुविधाओं के लिए राजधानी शहर को जाना पड़ता है। यह अत्यावश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला उपकरण तथा जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई परियोजना या योजना तैयार की है।

डा. सी. सिल्वेरा : सरकार इस रोग की गम्भीरता से अवगत है। सरकार ने बहुत पहले 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह प्रस्ताव है कि जिला क्षय रोग नियंत्रण केन्द्र होने चाहिए। और 480 जिलों में से 391 जिलों में जिला क्षय रोग नियंत्रण केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं। सरकार ऐसे और केन्द्र खोलने के बारे में बहुत गम्भीर है।

श्री के.एच. मुनियप्पा : कोलार जिले में कमला नेहरू क्षय रोग अस्पताल नामक एक क्षय रोग का अस्पताल है। यह अस्पताल 30 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। इस अस्पताल में केवल 250 बिस्तर ही हैं। परन्तु इसके बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 500 या 1000 करने की मांग है। भारत सरकार ने अब यह अस्पताल राज्य सरकार को सौंप दिया है। राज्य सरकार दवाइयां देने तथा अन्य बातों को देख रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार 200 से 300 बिस्तर तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु इसे प्रायोगिक परियोजना के रूप में लेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस प्रश्न का उत्तर अभी दे सकते हैं ?

डा. सी. सिल्वेरा : राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य द्वारा 50 : 50 के अनुपात में धनराशि वहन की जाती है। केन्द्र अपनी भूमिका निभा रहा है। परन्तु राज्य सरकार को 50 प्रतिशत हिस्से की अपनी भूमिका निभाना बाकी है।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा दी गई राज्यवार जानकारी से पता लगता है कि दिल्ली में वर्ष 1993 में 85133 क्षय रोगी थे, जिनमें से 1822 की मृत्यु हो गई तथा 1994 में 75543 रोगी थे, जिनमें से 1811 की मृत्यु हो गई। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है तथा यहां की आबादी 92-93 लाख के करीब है, अर्थात यहां पर एक प्रतिशत जनसंख्या क्षय रोग से पीड़ित है। यहां पर अस्पताल आदि की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी यहां पर क्षय रोगियों की इतनी अधिक संख्या का क्या कारण है, यह सरकार बताने का कष्ट करे।

इसी तरह से राजधानी दिल्ली में झुग्गी बस्तियों की संख्या बहुत अधिक है, जहां पर लोग कुपोषण के शिकार होते हैं और उनको शुद्ध वायु तथा स्वच्छ पानी, दवाएं उपलब्ध नहीं हो पातीं। तो क्या सरकार इस बारे में एक सर्वे करवाएगी कि क्या क्षय रोगियों की ज्यादा संख्या इन गरीब झुग्गी बस्तियों में से आती है और इसीलिए दिल्ली में इन रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है और क्या सरकार इसके लिए कोई पायलट प्रोजेक्ट तैयार करेगी, क्योंकि यह हम सब के लिए चिंता का विषय है।

[अनुवाद]

डा. सी. सिल्वेरा : देश में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम बहुत संतोषजनक नहीं था और इसे 1992 में संशोधित किया गया। संशोधित रणनीति के अन्तर्गत कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गईं। हमें दिल्ली में क्षय रोग की गम्भीर स्थिति पता है। दिल्ली उन पांच शहरों में से एक है जहां प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई थीं तथा जांच दल पता लगा रहा है। परियोजना के दूसरे चरण में दिल्ली का वह भाग जो चरण-एक में कवर नहीं किया जा सका था, दुबारा कवर किया जाएगा।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वानी : अध्यक्ष महोदय, हमें क्षय रोग की बढ़ती घटनाओं तथा मृत्यु दर के चिन्ताजनक आंकड़े देखने को मिले हैं। जहां तक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव का संबंध है, ये वास्तव में भारतीय समाज पर बहुत बड़ा धब्बा है। 1962 में अभियान शुरू किया गया था और अब तक 460 जिलों में से केवल 390 या इसके आस-पास जिले ही क्षय रोग के केवल प्राथमिक उपचार से कवर किए गए हैं। बाद में अल्पावधि 'केमोथेरैपी' उपचार विकसित किया गया जिसके कारण लम्बे उपचार के कारण इलाज छोड़कर जाने के मामलों की संख्या में कमी आई है। अल्पावधि 'केमोथेरैपी' उपचार 390 जिलों में से केवल 253 जिलों तक ही पहुंचा है। अब, इससे मामलों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और मामलों में कोई प्रत्यक्ष कमी नहीं आई है। अत्यधिक संक्रामक मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइए।

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वानी : मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अल्पावधि 'केमोथेरैपी' उपचार द्वारा ये सभी जिले कब तक कवर कर लिए जाएंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या 'सबके लिए स्वास्थ्य', जिनकी 2011 ईस्वी तक परिकल्पना की गई है, के साथ क्षय रोग का उन्मूलन संभव हो सकेगा।

डा. सी. सिल्वेरा : एक रोगी के सम्पूर्ण उपचार पर लगभग 4000 रुपये लागत आती है। इसलिए हमें बड़ी भारी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। पहले उपचार में रोगियों को उपचार का पूरा कोर्स नहीं दिया जाता था। अनेक ऐसे कारक थे जो पूर्णतया संतोषजनक नहीं थे। इस संशोधित रणनीति के अनुसार कुछ परियोजनाओं की पहचान की गई थी जहां इस नई रणनीति की जांच की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था चरण-एक पहले ही पूरा हो चुका है। लगभग 90 प्रतिशत के साथ परिणाम बहुत अच्छा था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं ? वह यह जानना चाहते हैं कि सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में क्षय रोगियों को केमोथेरैपी उपलब्ध कराना कब तक सम्भव होगा। क्या यह सम्भव है ?

डा. सी. सिल्वेरा : इसका पता लगाया जा रहा है। इस प्रयोग से हम यह देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। इसमें बहुत अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी, प्रति वर्ष कम से कम 5000 करोड़ रुपये से भी अधिक। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। लगभग 2000 ईस्वी तक हम देश में सभी जिलों में क्षय रोग केन्द्र खोलने का प्रयास कर रहे हैं।

डा. बसंत पवार : कैंसर, दिल का दौरा, दुर्घटना तथा अन्य के अतिरिक्त क्षयरोग मनुष्यों की जानलेवा 5 बीमारियों में से एक है। यह मुख्यतया एक सामाजिक-आर्थिक रोग है। मैं माननीय मंत्री से स्पष्टतया यह पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की संशोधित रणनीति में बी.सी.जी. टीके का क्या महत्व है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या टीकाकरण लगातार चल रहा है, इसका प्रतिशत क्या है, तथा इस रोग को रोकने के लिए कितने बच्चों को बी.सी.जी. का टीका दिया जा रहा है।

दूसरे, जैसाकि उन्होंने कहा है, निःसंदेह रिफामाइसिन, माइक्रोब्यूलल आदि कीमती औषधियों के कारण इसका उपचार अधिक लागत वाला है। मेरा प्रश्न यह है कि क्षय रोगी को औषधियों के साथ-साथ अधिक प्रोटीन युक्त भोजन की भी आवश्यकता होती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या जिला क्षयरोग अस्पतालों में प्रत्येक रोगी को उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य सामग्री, जैसे अंडे और दूध, भी नियमित रूप से दी जाती है।

डा. सी. सिल्वेरा : बी.सी.जी. टीकाकरण अब भी जारी है और यह कार्यक्रम जारी रहेगा।

दूसरे भाग के बारे में, औषधियां बहुत कीमती हैं। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की लागत केन्द्र तथा राज्य द्वारा 50 : 50 के अनुपात पर वहन की जाती है। केन्द्र का हिस्सा हम दे रहे हैं। अस्पतालों में पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना पूर्णतया राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

डा. बसंत पवार : क्या आप अंडे और दूध देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : इस प्रश्न के (ग) भाग से संबंधित प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। पहले यह रोग राज-रोग कहलाता था क्योंकि यह रोग राजा-महाराजाओं को ही होता था। लेकिन आज यह रोग गरीबों को हो रहा है। अभी मंत्री जी ने धन की कमी को एक कारण बताया जिसकी वजह से इसकी चिकित्सा सही ढंग से नहीं हो पा रही है। हमारे देश में जो क्षय के चिकित्सालय हैं भी, वहां दवाइयों का अभाव है। आयुर्वेद में रूसा नाम के पेड़ का जिक्र आता है। कहा गया है कि 'रूसायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवतस्यचः रक्त पित्तक्षयै स्वांसे, किमर्थम डानुसोचयति।' आयुर्वेद में कहा गया है कि रूसा नाम का पेड़ जो सारे देश में पाया जाता है अगर संसार में रूसा मौजूद है और मनुष्य जीने की कामना रखता है तो रक्त, पित्त, क्षय, श्वास वाले व्यक्ति को घबराने की क्या जरूरत है। वह व्यक्ति केवल रूसा के पेड़ को उखाड़कर उसका काढ़ा पीये। मेरा निवेदन यह है अध्यक्ष महोदय कि क्या सरकार रूसा का किसी अनुसंधान केन्द्र में परीक्षण कराकर इसकी औषधि उपलब्ध कराएगी ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप इस बारे में जानकारी लिखित मे मांग सकते हैं ताकि उसकी जांच हो सके।

डा. सी. सिल्वेरा : मेरे विचार में यह बहुत अच्छा सुझाव है और वे यह लिखकर हमें दें।

जनसंख्या वृद्धि दर

*584. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में कुल प्रजनन दर कम करने के लिए यू.एस.ए.आई.डी. की सहायता से कोई परियोजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) से (ग) परिवार नियोजन सेवाओं में ए.एस. एड सहायता प्राप्त नई परियोजनाओं का उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह परियोजना जिन बातों पर ध्यान देती है, वे इस प्रकार हैं : (1) परिवार नियोजन की अधिक से अधिक सेवाएं सुलभ करना; (2) परिवार नियोजन की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना; (3) परिवार नियोजन के कार्यकलापों को बढ़ाना। परियोजना परिव्यय 325 मिलियन अमरीकी डालर है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश में एक सोसायटी स्थापित की गई है। इस सोसायटी ने कुछ मार्गदर्शी सेवा प्रदाय परियोजनाओं की भी मंजूरी दी है।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अनुपूरक प्रश्न पूछूं मेरा निवेदन है कि प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है जोकि परियोजना के संबंध में अभी तक की गई प्रगति के बारे में है, इसका उत्तर नहीं दिया गया है। मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर दिया जाए।

श्री पवन सिंह घाटोबार : महोदय, यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मंजूर की गई थी और इसे कार्यान्वित करना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। उनके सरकारी विभागों के जरिए इनको कार्यान्वित करने में कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां थीं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है और एक सोसायटी बनाई। उन्होंने अपनी सोसायटी का पंजीकरण कराया। और अब, इसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। अतः प्रारम्भिक चरण में कुछ समय लगा। अब, उन्होंने सोसायटी की स्थापना कर ली है। मुझे आशा है कि सोसायटी के पंजीकरण के बाद अब वास्तव में कार्य शुरू हो जाएगा।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : महोदय, मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 14 करोड़ है और देश में सबसे अधिक जनन क्षमता दर उत्तर प्रदेश की है अर्थात् 5.2 प्रतिशत। सम्पूर्ण परिवार नियोजन कार्यक्रम अव्यवस्थित है। राज्य सरकार द्वारा पहले खर्च की गई राशि की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। राज्य स्तर पर सोसाइटी का गठन हुए लगभग एक वर्ष हो चुका है। क्या सोसाइटी ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ? क्या इसके लिए भर्ती कर ली गई है ? क्या राज्य के विभिन्न जिलों में सोसाइटी के लिए भवन की व्यवस्था कर ली गई है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जा रहा है। सोसाइटी राज्य सरकार की सोसाइटी है। आप सोसाइटी द्वारा किए गए कृत्यों के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। हमें कम से कम इस बारे में अपने को राज्य सरकार तक सीमित रखना चाहिए।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : महोदय, जो जानकारी मेरे पास है, वह उन्हें भी होगी। केन्द्रीय सरकार को सोसाइटी के कार्यकरण की निगरानी का अधिकार प्राप्त होगा और इसलिए मुझे विश्वास है कि उन्हें इसकी अवश्य जानकारी होगी।

श्री पवन सिंह घाटोबार : मैंने पहले ही बताया है कि प्रारम्भिक स्तर पर उन्होंने कुछ समय लिया है। अब, उन्होंने 1 अगस्त, 1994 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। उन्होंने अपने कार्यालय की स्थापना कर ली है और 1 अगस्त, 1994 से भर्ती शुरू हो गई है। उन्होंने सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि दिए जाने के बारे में 23 मार्च, 1995 को निर्णय लिया। अतः उनका गैर-सरकारी संगठनों को इसमें शामिल करने का भी प्रस्ताव है।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : महोदय, यदि प्रति महिला औसत तीन बच्चे का क्रम जारी रहा तो भारत की जनसंख्या 2000 ई. तक 100 करोड़ और 2050 ई. तक 216 करोड़ हो जाएगी। आश्चर्यजनक बात यह होगी कि चीन में अपनाए जा रहे कड़े परिवार नियोजन उपायों के कारण 2050 ई. तक जनसंख्या बढ़कर 140 करोड़ होगी। यद्यपि हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में शुरू कर दिया था, हम श्रीलंका, थाइलैंड और इंडोनेशिया जैसे छोटे देशों से भी पीछे रह गये हैं।

क्या हमने चीन में परिवार नियोजन कार्यक्रम और उसकी सफलता का अवलोकन किया है ? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है। अगला भाग यह है; (ख) क्या सरकार सभी राजनैतिक दलों के साथ चर्चा करने के बाद अमरीकी सहायता और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन आन्दोलन को एक राष्ट्रीय आन्दोलन बनाएगी ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम इसे सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम की भांति एक राष्ट्रीय आन्दोलन बनाएंगे।

श्री पवन सिंह घाटोबार : महोदय, यह एक राष्ट्रीय समस्या है और निश्चित रूप से परिवार कल्याण कार्यक्रम एक राष्ट्रीय आन्दोलन है। हमें इसे राष्ट्रीय आन्दोलन बनाने के लिए इसमें शामिल सभी राजनैतिक दलों और सभी संगठनों का समर्थन मिला है। यह परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरे देश के लिए है। इसमें केरल, तमिलनाडु और गोवा के कार्य-निष्पादन की किसी भी अन्य देश के साथ भलीभांति तुलना की जा सकती है। अतः यदि हम केरल का कार्य-निष्पादन देखते हैं तो हमें चीन अथवा किसी अन्य देश में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से, हमने उत्तर प्रदेश का चयन किया है। क्योंकि लगभग 14 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उनका कार्य-निष्पादन राष्ट्रीय स्तर तक नहीं है। यह राष्ट्रीय कार्य-निष्पादन से नीचे है। अतः हम उन राज्यों, जो राष्ट्रीय स्तर से नीचे हैं, उन्हें अतिरिक्त राशि और अतिरिक्त सहायता देकर वहां इसमें गति लाना चाहते हैं। अतः यह हमारी नीति है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, यदि आपकी अनुमति होगी तो इस सवाल से सवाल उत्पन्न नहीं होता। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ तो संबंध है, आप पूछिये।

श्री शरद यादव : रिश्ता बन जाये तो ज्यादा ठीक है। अध्यक्ष जी, हमारे देश की आबादी विस्फोटक स्थिति में है और मैं सोचता हूं कि हमारी उम्र में इस धरती पर बहुत खूबसूरत पक्षी, जानवर थे, मर रहे हैं। आदमी, कौआ और कुत्ता इस धरती पर बढ़ रहे हैं, साथ ही मच्छर और चूहे भी बढ़ रहे हैं। नदी-नालों का सर्वनाश हो रहा है। यह बहुत ही गंभीर सवाल है। इस देश और दुनिया को इस कायनात में इस प्लेनट पर जिन्दा रहना है तो कुछ करना होगा। एक बार एडवायज़री कमेटी में बात हुई थी कि इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन संक्षेप में आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी इस पर एक मीटिंग बुलायें और एक प्रोग्राम बनना चाहिए। ऐमरजेंसी के दौरान इस प्रोग्राम को चलाने के लिए बहुत ज्यादतियां की गयीं और उसके चलते बहुत ही दिक्कतें आयीं। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मीटिंग बुलाये जाने का निवेदन करता हूं और सारी पार्टियों की पालिटिकल कांफ्रेंसेज़ होती हैं, इसमें अनिवार्य रूप से एक कोड ऑफ कंडक्ट बने जिसमें पांच मिनट के लिए फैमिली प्लानिंग पर बोलें। इस दुनिया और हमारे देश में आबादी एक विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाएगी तो सब

तबाह हो जाएगा। इसलिए हमारा फर्ज और धर्म है कि जल्दी ही कोई मीटिंग बुलाकर इस गंभीर समस्या के हल के लिए कुछ करें क्योंकि सारे विकास के कार्यों पर होने वाला पैसा यह आबादी खा जाती है। अतः मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस सवाल को हाथ में लेकर इसके निदान का रास्ता निकालने के लिए कोई मीटिंग बुलाएंगे ?

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : महोदय, इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद में बहुत ही गम्भीरता से लिया गया है। दलगत भावना को छोड़ते हुए कई मुख्यमंत्रियों को शामिल करके राष्ट्रीय विकास परिषद की एक उप-समिति गठित की गई थी। उन्होंने इन मामलों में व्यापक अध्ययन किया। उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया; कुछ लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत की; और एक बहुत ही उपयोगी रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को कुछ हद तक कार्यान्वित किया जा रहा है। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह पूरी तरह कार्यान्वित की जा रही है। कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर आगे कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उस समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का ब्यौरा देना चाहूंगा।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि अब एक विस्फोटक स्तर पर पहुंच गयी है। एक तरफ हम सरकार के विभिन्न विभागों के जरिए विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए देश के विकास के लिए सभी प्रकार के उपायों की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ, जैसाकि माननीय सहयोगियों ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण अथवा परिवार नियोजन के बारे में जो जोर था वह कम हो गया है। यह बात हम सब महसूस कर रहे हैं। जैसाकि अभी-अभी माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि समिति पहले ही कुछ सिफारिशें दे चुकी है। इन्हें जन आन्दोलन के रूप में लिया जाना चाहिए और हमें समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में सोचना चाहिए। इस अनिवार्य बनाया जाए ताकि एक व्यक्ति के परिवार के दो से अधिक बच्चे नहीं होंगे। केवल इसी तरह के उपाय से ही हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं; अन्यथा जैसाकि हमारे अन्य मित्रों ने सही कहा है कि 2000 ई. तक कुल जनसंख्या 100 करोड़ अथवा उससे अधिक हो जाएगी। अतः क्या सरकार इस प्रकार के जन आन्दोलन के बारे में आपातकाल के रूप में सोचेगी और यह देखेगी कि परिवार के सदस्यों की संख्या कम करने के लिए कुछ अनिवार्य विधान लाया जाए।

12.00 मध्याह्न

श्री पवन सिंह घाटोबार : महोदय, आज तक परिवार नियोजन कार्यक्रम पूर्वतः स्वैच्छिक कार्यक्रम है और जैसाकि मैंने आपको बताया है कि हमने हमेशा सभी महत्वपूर्ण नेताओं और मंत्रालयों की ओर से समर्थन मांगा है। हम परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव स्तर और उससे ऊपर के प्रतिनिधियों तथा महत्वपूर्ण नेताओं को इसमें शामिल करने में लगे हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम अमेरिका की मदद से चलाया गया और उसके देर से चलने का एक मुख्य कारण यह था कि अमेरिका ने स्वयं सीधे इस कार्यक्रम को चलाने की योजना, लोगों के चयन की योजना और कई काम सीधे करने का प्रयास कर रहा था जो भारत सरकार की राय के बगैर और उत्तर प्रदेश सरकार की राय के बगैर था। इस पर भारत सरकार ने आपत्ति की और उसके कारण से इस कार्यक्रम में देर हुई। अब किस प्रकार से योजना चलाई जा रही है, कितनी उसमें सहभागिता अमेरिका, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की सोसाइटी की है ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोबार : महोदय, वे सीधे नहीं आए हैं; वे केन्द्रीय सरकार के जरिए आए हैं। केन्द्रीय सरकार ने और अमरीकी सहायता कार्यक्रम में इस समस्या पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ चर्चा की गई है और इस राशि की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए की गई थी और इसके लिए इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति है। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच विचारों में कोई मतभेद था। ... **(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत-ओमान संयुक्त व्यापार परिषद

*585. **श्री शरद यादव :**

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ओमान एक ऐसी संयुक्त व्यापार परिषद बनाने के लिए सहमत हो गए हैं, जो दोनों देशों के व्यापारियों/व्यापार प्रतिनिधियों के बीच व्यापार संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान करने और परस्पर बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने वाला मंच बन सके;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और ओमान दोनों ही एक-दूसरे के यहां औद्योगिक परियोजनाएं लगाने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो दोनों के बीच हुए समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां। एक संयुक्त व्यवसाय समिति की स्थापना करने के लिए भारतीय पक्ष की ओर से भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ (फिक्की) तथा वाणिज्य तथा उद्योग एसोसिएटेड चैम्बर (एसोचेम) और ओमान वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के बीच हाल ही में नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत-ओमान संयुक्त आयोग की हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्ष औद्योगिक परियोजनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सहमत हुए थे।

कुपोषण के शिकार बच्चे

*586. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुपोषण के शिकार हुए बच्चों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने बच्चे कुपोषण के शिकार हैं;

(ग) कुपोषण के कारण प्रतिवर्ष कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और विभिन्न सरकारों से सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कुपोषण के कारण होने वाली बीमारियों और मौतों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्र. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पोषण मॉनीटरिंग ब्यूरो द्वारा 1988-90 में किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि एक से पांच वर्ष की आयु के 37.6 प्रतिशत बच्चे हल्के कुपोषण से, 43.8 प्रतिशत साधारण कुपोषण से और 8.7 प्रतिशत तीव्र कुपोषण से पीड़ित थे। प्रत्यक्षतः बच्चों की कुपोषण से हुई मौतों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) बाल रुग्णता और मृत्यु दरों में कमी लाने के कार्यक्रमों को विभिन्न सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियां सहायता प्रदान करती हैं।

(ङ) कुपोषण में कमी लाने के लिए कृषि स्वास्थ्य और शिक्षा में अन्तर-क्षेत्रीय और सतत रूप से कार्य करने के लिए 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई गई थी। समन्वित बाल विकास सेवाएं, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। आयरन, आयोडीन और विटामिन 'ए' के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमियों को नमक के आयोडीन और फेरस सल्फेट तथा फालिक एसिड गोलियों और विटामिन 'ए' घोल की आपूर्ति करके दूर किया जा रहा है।

[हिन्दी]

देश में पिछड़े खंड

***587. श्री जगमीत सिंह बराड़ :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पिछड़े खंडों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इनकी कुल संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे अतिरिक्त खंडों की संख्या क्या है जिन्हें उक्त योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया;

(घ) क्या सरकार ने इस श्रेणी के खंडों को विकास हेतु पृथक योजनाएं बनाई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने पिछड़े खंडों की पहचान के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई ह्मरजीभाई पटेल) : (क) से (ङ) जी, नहीं। तथापि, सुनिश्चित रोजगार योजना को 2 अक्तूबर, 1993 से कार्यान्वयन के प्रयोजन हेतु देश के मुख्य रूप से सूखा प्रभावित, मरुस्थली, आदिवासी, पर्वतीय और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थित 2448 खंडों का चयन किया गया है। सुनिश्चित रोजगार योजना में शामिल खंडों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का अकुशल मजदूरी रोजगार मुहैया कराना है जिन्हें रोजगार की जरूरत है और जो काम करना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत गैर-कृषि मौसम के दौरान ही निर्माण कार्य किए जाते हैं जब कृषि क्षेत्र में ग्रामीण अकुशल मजदूरी रोजगार की उपलब्धता कम हो जाती है। इस योजना के अंतर्गत खर्च को केन्द्र और राज्यों के बीच 80 : 20 के अनुपात में वहन किया जाता है। योजना को शुरू करने के लिए प्रारम्भिक तौर पर निधियां रिलीज की जाती हैं। इसके बाद की निधियां कार्य-स्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति और पहले मुहैया कराई गई निधियों के उपयोग की प्रगति के आधार पर रिलीज की जाती हैं। जिले का जिलाधीश/उपायुक्त योजना के कार्यान्वयन का समग्र प्रभारी होता है।

विवरण

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल राज्यवार खण्डों का ब्यौरा

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खण्डों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	155
2.	अरुणाचल प्रदेश	56
3.	असम	142
4.	बिहार	266
5.	गुजरात	132
6.	हरियाणा	44
7.	हिमाचल प्रदेश	18
8.	जम्मू व कश्मीर	80
9.	कर्नाटक	119
10.	केरल	21
11.	मध्य प्रदेश	297
12.	महाराष्ट्र	173
13.	मणिपुर	22
14.	मेघालय	32
15.	मिजोरम	20
16.	नागालैंड	28
17.	उड़ीसा	175
18.	राजस्थान	172
19.	सिक्किम	4
20.	तमिलनाडु	89
21.	त्रिपुरा	18
22.	उत्तर प्रदेश	248
23.	पश्चिम बंगाल	128

1	2	3
24.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	2
25.	दादर व नगर हवेली	1
26.	दमन व द्वीव	1
27.	लक्षद्वीप	5
	कुल	2448

[अनुवाद]

कम्पनियों का पंजीकरण

*588. **डा. सावीजी :**

श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी कम्पनी को रजिस्ट्रेशन नम्बर देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं और इसके लिए कम्पनी को कौन-कौन-सी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं;

(ख) नई कम्पनी को रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रदान करने में कम्पनी-रजिस्ट्रार को कितना समय लगता है;

(ग) इस समय कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए कम्पनी-रजिस्ट्रार के पास राज्यवार कितने आवेदन विचाराधीन पड़े हैं; और

(घ) इन आवेदनों के शीघ्र निबटारे हेतु किन उपायों पर विचार किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 20 के अन्तर्गत नाम का अनुमोदन होने के बाद, पंजीकरण और फाइल शुल्क सहित कम्पनी को विधिवत मोहर लगा हुआ, हस्ताक्षरित और निष्पादित संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद, फार्म संख्या 1 (अधिनियम की अपेक्षाओं की अनुपालना की घोषणा), फार्म 18 (पंजीकृत कार्यालय की स्थिति का नोटिस), फार्म 29 (पब्लिक कम्पनी के मामले में, निदेशक आदि के रूप में कार्य करने की सहमति), और फार्म 32 (निदेशक आदि की नियुक्ति के ब्यौरे) अवश्य फाइल करना चाहिए। पावर ऑफ अटार्नी के धारक को संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में सुधार करने हेतु, यदि कोई हो, रजिस्ट्रार कार्यालय जाना अपेक्षित है। कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा कम्पनियों को उनके निगमन के समय कम्पनियों के पंजीकरण के कालानुक्रम में पंजीकरण संख्या आवंटित की जाती है जिसके आरम्भ में विभाग द्वारा निर्धारित राज्य कोड लगाया जाता है।

(ख) नई कम्पनी के निगमन का प्रमाण-पत्र आमतौर पर संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में सुधार के तुरंत बाद, यदि कोई हो, दिया जाता है। किसी कम्पनी के पंजीकरण और आमतौर पर लगभग एक हफ्ते से दो हफ्ते का समय लगता है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) आवेदनों का शीघ्र निपटान मुख्यतः आवेदकों द्वारा सांविधिक अपेक्षाओं की अनुपालना में लगाए गए समय पर निर्भर करता है। तथापि, हाल ही में गठित पुनरीक्षण समिति ने रजिस्ट्रार के कार्यालयों के बेहतर और शीघ्र कार्य संचालन के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ नाम उपलब्धता के आवेदनों पर कार्यवाही में लगने वाले समय में 14 दिन से 7 दिन तक कमी, कम्पनी अधिनियम के कतिपय उपबंधों के अन्तर्गत रजिस्ट्रारों को और शक्तियां प्रत्यायोजित करना और जहां तक नाम उपलब्धता आवेदन और संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के अभिदान खण्ड आदि दोनों में कम से कम एक ही संप्रवर्तक है। वहां नई कम्पनी का पंजीकरण ऐसी सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

विवरण

30-4-95 तक की स्थिति के अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार के पास कम्पनियों के पंजीकरण के लिए लम्बित आवेदनों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	कम्पनी रजिस्ट्रार	राज्य का नाम	30-4-95 तक की स्थिति के अनुसार कम्पनियों के पंजीकरण के लिए लम्बित आवेदन
1	2	3	4
1.	मद्रास	तमिलनाडु	228
2.	कोयम्बतूर	तमिलनाडु	85
3.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	449
4.	बंगलौर	कर्नाटक	97
5.	कोचीन	केरल	42
6.	पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी	—
7.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	168
8.	जयपुर	राजस्थान	36
9.	जलन्धर	पंजाव	—.
		हिमाचल प्रदेश	—
		चंडीगढ़	—
10.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर	1
11.	दिल्ली	दिल्ली	383
		हरियाणा	19
12.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	30
13.	कटक	उड़ीसा	—
14.	पटना	बिहार	5
15.	शिलांग	आसाम	3
16.	पणजी, गोवा	गोवा, दमन व द्वीव	10
17.	अहमदाबाद	गुजरात, दादर व नगर हवेली	117

1	2	3	4
18.	बम्बई	महाराष्ट्र	858
19.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	2
		योग	2533

फसल संरक्षण

*589. **श्री अनंतराव देशमुख** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद ने अमरीकी कम्पनी, डी. यू. पॉंट के साथ फसल संरक्षण के लिए अनेक नए कृषि रसायन विकसित करने हेतु एक समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइसीटी), हैदराबाद ने यूएसए की ई आई दयू पॉन्त द नेमूर्स एण्ड कम्पनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जोकि कृषीय रसायनों की खोज के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए सीएसआइआर और दयू पॉन्त के बीच विद्यमान प्रमुख करार का अनुपूरक है। आइआइसीटी और दयू पॉन्त के बीच यह करार तीन वर्षों के लिए है जिसका उद्देश्य आइआइसीटी द्वारा दयू पॉन्त के लिए एकाधिकार आधार पर नवीन अणुओं के संश्लेषण उनकी जैविक गतिविधि और संभावित कृषीय उपयोगिता के मूल्यांकन किया जाना है। दयू पॉन्त इस कार्य के लिए आइआइसीटी को प्रतिवर्ष 60,000 अमरीकी डॉलर का भुगतान करेगा।

शल्य चिकित्सा की नयी तकनीक

*590. **श्रीमती दिल कुमारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों ने लैप्रोस्कोपी तकनीक से उदर संबंधी सामान्य रोगों की शल्य-चिकित्सा करने की एक नयी तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उदर संबंधी सामान्य रोगों की शल्य चिकित्सा हेतु इस तकनीक का अब तक उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तकनीक को लोकप्रिय बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्र. सी. सिम्बेरा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जनों ने नवम्बर, 1991 से लेपरोस्कोपी विधि से उदर संबंधी सामान्य रोगों के लिए यह तकनीक आरम्भ की है। यह तकनीक जुलाई, 1992 से नेमी रूप में पित्ताशय निकालने के लिए अपनाई जा रही है।

(ग) और (ख) इस समय इस तकनीक का प्रचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसके लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता होती है। तथापि, इन्हीं सर्जनों ने विभिन्न संस्थानों में इस तकनीक का प्रयोग आरम्भ कर दिया है।

निवेशक सुरक्षा कोष

*591. **श्री बलराज पासी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'निवेशक सुरक्षा कोष' स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कोष कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां।

कम्पनी विधेयक, 1993 के खंड 329 में उसमें निहित शर्तों के साथ निवेशक सुरक्षा कोष स्थापित करने का प्रावधान है।

(ग) चूंकि विधेयक को अभी अधिनियमित किया जाना है, अतः उक्त कोष को स्थापित करने के लिए किसी विशिष्ट समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

गांवों में गोदामों की व्यवस्था

*592. **श्री शरत पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1992-93 से 1994-95 की अवधि में गांवों में गोदामों के लिए अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु मानदंडों को उदार बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजीभाई पटेल) : (क) और (ख) भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यों को ग्रामीण गोदामों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराया था, जिसके राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्रम संख्या	राज्य	जारी की गई धनराशि (रुपये लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1.44
2.	गोआ	1.34
3.	गुजरात	115.28
4.	कर्नाटक	31.50

1	2	3
5.	मध्य प्रदेश	1.41
6.	मेघालय	24.05
7.	उड़ीसा	1.45
8.	तमिलनाडु	20.25
	कुल :	196.72

राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार योजना को राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दिए जाने के कारण 1992-93 के बाद कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आबंटन

*593 **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कितने प्रतिशत धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों की क्या उपलब्धियां रही हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) वर्तमान योजना अवधि (1992-97) के दौरान योजना आयोग द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित किया गया निर्दिष्ट परिव्यय 192.71 करोड़ रुपये है।

(ख) यद्यपि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आबंटन का कोई प्रतिशत नहीं है, तथापि राज्योन्मुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम ग्रामीण विकास परियोजनाओं की पर्याप्त रूप से मदद करते हैं। सामान्यतया विज्ञान और प्रौद्योगिकी की परियोजनाओं को सामूहिक पुनरीक्षा पद्धति के आधार पर सहायता दी जाती है।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी निवेशों के माध्यम से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्राप्त की गयी उपलब्धियां, नवनवोन्मेष प्रौद्योगिकी विकास अथवा ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यमान प्रौद्योगिकियों में सुधार के रूप में हुई है। उपलब्धियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में रही हैं जिसके उदाहरण हैं, महिलाओं तथा समाज के कमजोर तबकों के लिए प्रदर्शन परियोजनाएं, सिंचाई तथा जल प्रबंधन, सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास तथा विज्ञान लोकप्रियकरण के कार्यक्रम।

यूनानी चिकित्सा पद्धति

*594. **श्री अक्बर रायप्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनानी चिकित्सा पद्धति में लोगों की आस्था निरंतर कम होते जाने के क्या कारण हैं;

(ख) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यरत यूनानी औषधालयों की संख्या कितनी है;

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत अन्य चिकित्सा पद्धतियों के औषधालयों की संख्या की तुलना में इनकी संख्या कितनी है;

(घ) क्या यूनानी औषधालयों को दवाएं संबंधित औषधालय एकक के प्रभारी द्वारा भेजी गई मांग के अनुसार नहीं दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) मासिक मांगपत्र (इन्डेंट) में दवाओं की कटौती करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (च) यूनानी पद्धति में लोगों के विश्वास में कमी का कोई प्रमाण नहीं है। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन एक यूनानी औषधालय और तीन यूनानी एकक कार्य कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अन्य चिकित्सा पद्धतियों के मुकाबले यूनानी चिकित्सा पद्धति के औषधालयों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

औषधालयों/एककों को औषधों का वितरण मांग और मासिक उपभोग के आंकलन पर निर्भर करता है।

विवरण

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अन्य चिकित्सा पद्धतियों के औषधालयों का ब्यौरा

क्र.सं.	पद्धति	औषधालयों की संख्या	एककों की सं.
1.	एलोपैथी	85	—
2.	आर्युवैदिक	5	8
3.	होमियोपैथी	3	10
4.	यूनानी	1	3
5.	सिद्ध	—	1

[हिन्दी]

आधुनिक उपकरण

*595. **श्री रामपाल सिंह** :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन इनकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और क्या इन उपकरणों की गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनकी मांग को पूरा करने हेतु चिकित्सा

उपकरणों का पर्याप्त उत्पादन करने और इनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्र. सी. सिल्वेरा) : (क) चिकित्सा उपस्करों की जरूरतें देशी उत्पादन तथा आयात के माध्यम से पूरी की जाती हैं। बहुत सी भारतीय कंपनियों ने आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणन प्राप्त किए हैं जिनसे उनकी अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अनुरूपता की पुष्टि होती है।

(ख) और (ग) इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने चिकित्सा उपस्करों का विनिर्माण करने हेतु विशिष्ट अनुसंधान और विकास योजनाएं तैयार की हैं। चिकित्सा उपस्करों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात को भी उदारतापूर्वक अनुमति दी जाती है।

[अनुवाद]

निर्यातोन्मुख एककों तथा निर्यात संवर्धन क्षेत्रों के लिए स्वीकृति के मानदंडों संबंधी संशोधित दिशानिर्देश

*596. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों तथा निर्यात संवर्धन क्षेत्रों संबंधी योजना के अंतर्गत इन्हें स्वीकृति देने की नीति और प्रक्रियाओं को और अधिक उदार बनाने का निर्णय हाल ही में लिया है;

(ख) यदि हां, तो उद्योग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में अप्रैल, 1995 में जारी किये गये संशोधित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई व्यवस्था के अंतर्गत विकास आयुक्तों को और अधिक शक्तियां सौंपी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यातोन्मुख इकाइयों और निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र संबंधी इकाइयों की स्थापना के लिए स्वतः अनुमोदन के बारे में अप्रैल, 1995 में जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :-

(1) पूंजीगत वस्तुओं की आयात सीमा 10 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गयी है;

(2) न्यूनतम मूल्य वर्धन मानदंड अनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए संशोधित करके 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर शामिल नहीं है जिसके लिए न्यूनतम मूल्य वर्धन 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है; और

(3) प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने की अनुमति दी गई है, इनमें वे माल शामिल नहीं हैं जिनके लिए आयात लाइसेंस अपेक्षित है।

(ग) जी, हां।

(घ) नयी व्यवस्था के तहत, निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों के विकास आयुक्तों को निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों और निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों की इकाइयों के बारे में और अधिक अधिकार दिये गये हैं :-

(1) अनुमोदित पूंजीगत माल के मूल्य का 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देना जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये होगी;

(2) क्षमता वृद्धि की अनुमति देना बशर्ते कि अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीगत माल का आयात अनुमोदित मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक न हो जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये होगी;

(3) विशद वर्गीरण की अनुमति देना बशर्ते कि अपेक्षित अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं का आयात अनुमोदित पूंजीगत माल के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक न हो जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये होगी; और

(4) परियोजना के मूल्य वर्धन में संशोधन (ज्यादा/कम) की अनुमति देना जो नीति के तहत निर्धारित न्यूनतम मूल्य वर्धन के अधीन होगा।

ये दिशानिर्देश 19-4-1995 को प्रेस नोट सं. 3 और 4 के तहत जारी किए गए हैं।

क्षय रोग केन्द्र

*597. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में उपकरणों से पूर्णतया सुसज्जित क्षयरोग केन्द्र खोले जाने हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिलों को सम्मिलित कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिलों को सम्मिलित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्र. सी. सिल्वेरा) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिला क्षयरोग केन्द्र को कुछ प्राथमिक उपकरण सप्लाई किया जाना अपेक्षित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अब तक ऐसी सहायता 391 जिलों को दी गई है।

(घ) हालांकि चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 और जिलों को शामिल किए जाने की योजना है फिर भी अधिक संक्रमक रोगियों का पता लगाने एवं उनका उपचार करने की नीति के रूप में स्पूटम माइक्रो स्कोपी पर भी अधिक बल दिया जा रहा है।

गुर्दे का दान

*598. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 में गुर्दा दान की अनुमति देने के लिए एक प्राधिकार समिति का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक ऐसी समिति का गठन किया गया है; और

(ग) ऐसी समिति के गठन हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों के लिए प्राधिकार समितियों का गठन करना अधिसूचित किया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 4(क) के अनुसरण में प्राधिकार समितियां गठित की हैं और उसकी संरचना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 9 की उपधारा (4) के खंड (क) के अंतर्गत गठित प्राधिकार समितियां!

I. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

1.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	अपर सचिव (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य

II. पांडिचेरी

1.	निदेशक, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	अध्यक्ष
2.	स्वास्थ्य सचिव संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी सरकार	सदस्य
3.	स्वास्थ्य सेवा निदेशक, संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी सरकार	सदस्य

III. चंडीगढ़

1.	निदेशक स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	अध्यक्ष
2.	स्वास्थ्य सचिव पंजाब सरकार	सदस्य
3.	स्वास्थ्य सचिव हरियाणा सरकार	सदस्य

जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूचियां

*599. **श्री सोमजीभाई डमोर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन मतदाता सूचियों को किस तिथि तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) राज्य में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) भारत के चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम तथा राजनीतिक संगठनों तथा अन्य लोगों द्वारा की गई मांग के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा ऐसे दावों को दर्ज कराने की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाए जाने के बाद, मतदाता सूची में नाम शामिल करने, नाम कटवाने तथा सूची में संशोधन कराने की प्रक्रिया 4 जनवरी, 1995 को समाप्त हो गई। ऐसे सभी दावों और आवेदनों के बारे में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा आदेश पारित कर दिए गए हैं। सूचियां इस समय छपाई की प्रक्रिया में हैं।

स्थानीय निकायों के चुनाव

*600. **श्री जे. चोक्का राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को इस बात की सूचना दी है कि यदि वे स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराते हैं तो उन्हें ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराए हैं और इस चूक के लिए उन्हें केन्द्रीय सहायता नहीं मिलेगी; और

(ग) स्थानीय निकायों के चुनाव कराने हेतु निर्धारित अंतिम समय सीमा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजीभाई पटेल) : (क) से (ग) उन राज्यों जहां पंचायत के चुनाव होने हैं, से पहले ही पंचायतों को यथाशीघ्र गठित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। यथाशीघ्र पंचायत चुनाव करवा कर संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करना राज्यों के लिए अनिवार्य है। पंचायती राज चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्यों/राज्य निर्वाचन आयोगों की है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित करवाने के लिए राज्यों से प्राप्त आश्वासनों के आलोक में चुनाव नहीं करवा पाने की स्थिति में राज्यों को निधियां देना बंद करने का मंत्रालय का कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात को सहायता

5959. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की राज्य सरकार ने राज्य में जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु चीन की सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) परिवार कल्याण विभाग को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

घरेलू उद्योगों की समस्याएं

5960. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू उद्योगों की समस्याओं, विशेष रूप से निवेश प्रोत्साहनों और निगमित कर पर अधिकार संबंधी समस्याओं पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) औद्योगिक नीति, विदेशी निवेश, व्यापार तथा विनिमय दर प्रणाली, राजकोषीय नीति पूंजी बाजार, वित्तीय क्षेत्र जैसे औद्योगिक कार्यकलाप के प्रायः सभी क्षेत्रों का सुधार करने हेतु सरकार द्वारा किये गये उद्यमीयता को बढ़ावा देने, मुक्त रूप से विदेशी निवेश की अनुमति देने, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है ताकि औद्योगिक उत्पादन व निर्यात में तेजी लाने की दृष्टि से उद्योग की लागतों में कमी, दक्षता उत्पादकता में सुधार किया जा सके और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सके। केन्द्रीय बजट 1994-95 में घरेलू कंपनियों के लिए कर की दरें घटाकर 40 प्रतिशत की गयी हैं। घरेलू कंपनी की आय, यदि उसकी कुल आय 75000 रुपये से अधिक है तो उस पर प्रभारित किये जाने वाले 15 प्रतिशत अधिभार को समाप्त नहीं किया गया है जो राजस्व को ध्यान में रखकर किया गया है। बुनियादी क्षेत्र, बिजली तथा पिछड़े राज्यों में नयी औद्योगिक इकाइयों को करावकाश के रूप में निवेश प्रोत्साहन दिये गये हैं।

सीएमसी के कर्मचारियों का बड़ी संख्या में बाहर जाना

5961. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में कर्मचारी सीएमसी छोड़कर चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1994 के बाद से सीएमसी छोड़कर गए तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सीएमसी से बड़ी संख्या में छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) कुल लगभग 2400 कर्मचारियों से मार्च, 1994 के बाद सीएमसी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या 419 है। ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

तकनीक	366
गैर-तकनीक	53
योग	416

इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम होने के कारण शेष सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बराबर वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने की असमर्थता।

(ii) विदेशों में नौकरी तथा उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर।

(iii) अन्यत्र बेहतर अवसर के कारण नौकरी छोड़कर चले जाने की ऊंची दर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की सामान्य विशेषता है।

(घ) सीएमसी से जनशक्ति के चले जाने को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) कम्पनी को घाटा उठाने वाले उपक्रम से बदलकर लाभ कमाने वाली कम्पनी बनाना।

(ii) लाभ में हिस्सेदारी प्रोत्साहन योजना को लागू करना।

(iii) अपेक्षित जनशक्ति की भर्ती के साथ ही प्रशिक्षण का भी आयोजन करना।

थलसेना अधिकारियों की सुनवाई

5962. **श्री हरिन पाठक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी सिविलियन विभाग द्वारा सेना के कितने अधिकारी पकड़े गए हैं;

(ख) क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध सिविल न्यायालयों में मुकदमा चलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सेना के नियमों/कोर्ट मार्शल द्वारा ऐसे अपराधों के संबंध में सिविल न्यायालयों की भांति कारावास की सजा दी जाती है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने एक सैन्य अफसर को गैर-सरकारी व्यक्ति से रिश्वत मांगते व लेते हुए पकड़ा था।

(ख) सरकार ने उस अफसर के विरुद्ध मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है और तदनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उस सैन्य अफसर के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दायर कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण

5963. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्प्यूटर विज्ञान में प्रशिक्षण देने वाली कतिपय संस्थाओं की मान्यता वापस ले ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने कम्प्यूटर विज्ञान में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को मान्यता देने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग की कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने की योजना (डीओईएसीसी) के अन्तर्गत 'ओ' स्तर के पाठ्यक्रम चलाने के लिए 46 कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रदान की गई अन्तिम मान्यता इलेक्ट्रानिकी विभाग ने वापस ली है। अन्तिम मान्यता वापस लेने के निम्नलिखित कारण थे :-

(i) अन्तिम मान्यता की अवधि के दौरान 40 संस्थान 'ओ' स्तर की किसी भी परीक्षा में एक भी उम्मीदवार भेजने में असमर्थ रहे। इन संस्थानों के नाम तथा पते संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ii) उन संस्थानों ने डीओईएसीसी के 'ए' स्तर के पाठ्यक्रम के आयोजन पर ध्यान देने के लिए 'ओ' स्तर के पाठ्यक्रम के आयोजन से अपना नाम स्वेच्छा से वापस ले लिया। इन संस्थानों के नाम तथा पते संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(iii) उन संस्थानों को जिन स्थानों पर मान्यता प्रदान की गई थी, उन्हें वहीं नहीं पाया गया। इन संस्थानों के नाम तथा पते संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार इलेक्ट्रानिकी विभाग में दिनांक 18 अगस्त 1988 के संकल्प के जरिए 'इलेक्ट्रानिकी विभाग कम्प्यूटर पाठ्यक्रम मान्यता योजना' नामक एक स्वैच्छिक योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत सुनिर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के संस्थानों को 'ओ' (आधारभूत) 'ऊ' (उन्नत डिप्लोमा), 'ख' (स्नातक) तथा 'ग' (स्नाकोत्तर) स्तर के विशिष्ट कम्प्यूटर पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान की जाती है। इस योजना को इलेक्ट्रानिकी विभाग के अंतर्गत-एसीसी नामक एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण-I

1. मराठेस रेडियो इलेक्ट्रानिकी इंस्टीट्यूट, एवरेस्ट शॉपिंग सेंटर, दोम्बीवली रेलवे स्टेशन के सामने, दोम्बीवली (पश्चिम), बम्बई
2. त्रिची कम्प्यूटर्स, रेलवे कोऑप मेन्शन, दिन्दुगल रोड, तमिलनाडु, तिरूचिरापल्ली-620001
3. एनआईआईटी साल्ट लेक सेंटर, डीए-21 साल्ट लेक, कलकत्ता
4. इन्फो विजन प्राइवेट लिमिटेड, 154, कोडाम्बक्कम हाई रोड, मद्रास-600034
5. सेंटर फॉर कम्प्यूटिंग एण्ड इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, सीसीआईटी, घाटकोपर सेंटर, सत्यम शॉपिंग सेंटर 'बी' विंग, एम. जी. रोड घाटकोपर (पूर्व), बम्बई-400077
6. अप्ट्रॉन इण्डिया, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ
7. पी. सी. सिस्टम (प्राइवेट) लिमिटेड, एनआईआईटी के लाइसेंस धारक, 8-3-12, पैलेस कम्पाउंड पीईडीए वाल्टेयर जंक्शन के पास, विशाखपत्तनम-530023
8. साईं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नालोजी, एनआईआईटी के लाइसेंसधारक, सी-54, 26वां, क्रास स्ट्रीट, महाराजा नगर के सामने, कल्याणमण्डपम, तिरूनेल्वली-627011
9. ब्यूरो ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी स्टडीज, बीआईटीएस हाउस, 80 एसवी रोड, आशा पारेख नर्सिंग होम के सामने, सांताक्रुज (पश्चिम), बम्बई-400054
10. 4सीई कम्प्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, एनआईआईटी के लाइसेंसधारक, नीलाम्बर कॉम्पलेक्स सेट जेवियर कॉलेज कॉर्नर, एलएच कॉमर्स कॉलेज रोड, अहमदाबाद-380009
11. मार्केट मेकर्स, एप्पल फ्रेंचाइज सेंटर, 87-88 डी. बी. रोड, आर. एस. पुरम कोयम्बटूर-641001
12. एनआईआईटी कैम्प सेंटर, 412-414, अरोरा टावर्स, एम. जी. रोड, पुणे
13. सिटराइन कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, एनआईआईटी के लाइसेंस-धारक, स्वानन्द-2 अर्पोना सोसाइटी तकाली रोड, नासिक-422001
14. एनआईआईटी केबडिसी रोड सेंटर, 24 दूसरी मंजिल सवारी कॉम्पलैक्स, रेजीडेंसी रोड, बंगलौर
15. सेंट्रल इंडिया कम्प्यूटर्स, 101/24-बी, शिवाजी नगर, 5 नम्बर बस स्टॉप के पास, भोपाल
16. कारडियल कम्प्यूटिंग सेंटर (प्राइवेट) लिमिटेड, एनआईआईटी के लाइसेंसधारक, बी-5 फर्स्ट क्रॉस, तिलाईनगर, त्रिची-620018
17. सिस्ता कम्प्यूटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, एन. आई. आई. टी. के लाइसेंस-धारक, 29-2-4/5, रामामन्दिरम स्ट्रीट, गवरनपेट, विजयवाड़ा।
18. ट्रेड एजुकेशन अकादमी (प्राइवेट) लिमिटेड, एनआईआईटी के लाइसेंसधारक, 1-743/1, एचपीओ के पास, डेपो क्रॉस रोड, हनामकोंडा, वारंगल-506001

19. डेटाप्रो इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्रैंचाइज सेंटर, 383 सी, 100 फीट रोड, जया कॉम्प्लेक्स, टाटाबाद कोयाम्बटूर-641012

20. शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, एनआईआईटी के लाइसेंसधारक, 268, कलिंगारायण स्ट्रीट रामनगर, कोयम्बयूटर-641018

21. तन्मय कम्प्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर, प्राइवेट लिमिटेड (फ्रैंचाइज ऑफ एप्पल इंडस्ट्रीज लिमिटेड) 942, पूनामाल्ली हाई रोड, मद्रास-600084

22. डेटाप्रो इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्रैंचाइज सेंटर, लालमाले भवन, छत्रपति नगर स्क्वेयर, वर्धा रोड, नागपुर

23. शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनआईआईटी के लाइसेंसधारक, 12 सी, वीरप्रद स्ट्रीट शक्ति सुगर्स बिल्डिंग, ईरोड-638003

24. कालीकट इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (प्रा.) लिमिटेड, एनआईआईटी के लाइसेंसधारक 11/532 बी, दूसरी मंजिल, पी. के. कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आर. सी. रोड, कालीकट-673032

25. एनआईआईटी खार सेंटर, फ्लैट नं. 3, दूसरी मंजिल, लोटिया पेलेस, लिंकिंग रोड, खार, बम्बई

26. एमडीपीएस कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, मालापुरम, तिरूर-766101

27. डेटा सिस्टम रिसर्च फाउंडेशन, नलिन चैम्बर्स, 173, धोले पाटिल रोड, पुणे-411001

28. स्पेन कार्पोरेशन, जयनगर सेंटर, दूसरी मंजिल, नं. 28, 7वां मेन, डायगनल रोड, भारत आटामॉड के ऊपर, 14 ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर-641369

29. स्पेन कॉर्पोरेशन राजाजी नगर केन्द्र, वेन्टेज पाइंट 1, दूसरी मंजिल, 1048/1, 1 मेन, ब्लॉक नं., 4 राजाजी नगर, बंगलौर-560010

30. एनआईआईटी नरीमन पाइंट सेंटर, बी-81 मित्तल कोर्ट, नरीमन पाइंट, बम्बई-400021

31. एनआईआईटी घाटकोपर सेंटर, 'बी'-विंग सत्यम शॉपिंग सेंटर, एम. जी. रोड, घाटकोपर (पूर्वी), बम्बई

32. डेटाप्रो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्रेंचाइज सेंटर, मेसर्स सदर्न माइक्रो लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड तीसरी मंजिल, पुंज बिल्डिंग एनेक्सी, लालबाग, बंगलौर-575003

33. मणिपाल इंस्टीटयूट ऑफ कम्प्यूटर एजुकेशन, कल्पना कम्पाउंड, उडिपी-576101

34. नेन्सी माइक्रो सिस्टम्स, एप्पल कोल्हापुर सेंटर, 458 ई. शाहु रोड, विजयअपार्टमेंट, वीनस कॉर्नर के पास, कोल्हापुर-416001

35. एनआईआईटी मद्रास (सेंट्रल) सेंटर, 41-42, कॉलेज रोड, मद्रास

36. डेटाप्रो इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्रेंचाइज सेंटर, 202 रिजवी चेम्बर्स, होटल डेलमान के सामने, पणजी, गोवा

37. प्रियप्रदर्शनी इंस्टीट्यूट फॉर कम्प्यूटर एडिड नॉलेज, 205-208 सागर व्यु, टैंक बंद रोड, हैदराबाद-28

38. जनानी कम्प्यूटर सेंटर, 9 एच, टेलीफोन रोड, अरूप्पुकोटाई-626101

39. एनआईआईटी साउथ दिल्ली सेंटर, साउथ एक्सटेंशन, भवानी हाउस, एम-5 साउथ एक्सटेंशन भाग-II

40. डेटाप्रो इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलोजी, फ्रेंचाइज सेंटर, मेसर्स सदर्न माइक्रो लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड 39/ए, कान्ता राज रोड, लक्ष्मीपुरम, मैसूर-570004

विवरण-II

1. ब्रिलीयंटस कम्प्यूटर सेंटर, 18 कनिंघम रोड, बंगलौर-360052, कर्नाटक

2. ब्रिलीयंटस कम्प्यूटर सेंटर, 27-28 बी. आर. कॉम्प्लैक्स, वुड्स रोड, माउंट रोड, मद्रास-600002 तमिलनाडु

3. ब्रिलियंटस कम्प्यूटर सेंटर डी-5 साउथ एक्सटेंशन भाग-II, नई दिल्ली-110049

विवरण-III

1. डेटा कम्प्यूटिंग सर्विसिज, प्लाट सं. 8, पेगात कालोनी (आनन्द थियेटर के पास) सरदार पटेल रोड, सिकन्दराबाद-500003

2. इंस्टीट्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, विजय टावर्स, 17, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

3. द कम्प्यूटर कमलक्षम, 118/279ए, स्वरूप नगर, कानपुर-200002, उत्तर प्रदेश

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम–विकास परियोजनाएं

5964. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की शीर्ष संस्था, सरकारी उद्यमों के स्थाई सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार को भेजे गए अपने पत्र में सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विकास के लिए बनाई जा रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया सरल बनाई जाए;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण

5965. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परिवार कल्याण कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे एक बार में किसी विशेष जोन में लागू किये जाने का विचार है अथवा पूरे देश में एक साथ लागू किये जाने का विचार है; और

(घ) इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम का कार्यान्वयन पहले ही विकेन्द्रीकृत हो चुका है क्योंकि इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) पूरे देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाता है।

(घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(i) मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं (टीकाकरण समेत)।

(ii) पुरुष और महिला बन्ध्यकरण, आई. यू. डी. निवेशन, मुख सेव्य गोलियां और कन्डोमों जैसी गर्भनिरोधक सेवाएं।

(iii) सूचना, शिक्षा व संचार संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से मांग उत्पन्न करना।

[हिन्दी]

जिला उद्योग केन्द्र

5966. डा. लाल बहादुर राव्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में अब तक औद्योगिक जिला केन्द्र नहीं खोले गए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में औद्योगिक जिला केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सभी जिलों में ये केन्द्र कब तक खोल दिए जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में 66 जिलों में से 3 नये बनाए गए जिलों में कोई जिला उद्योग केन्द्र नहीं है। जिला उद्योग केन्द्र खोलने के प्रस्ताव की राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है। जैसाकि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है, जिला उद्योग केन्द्र योजना राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दी गई है। नए बनाए गए जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने और यदि जरूरी समझा जाए तो मौजूदा जिला उद्योग केन्द्रों की पुनसंरचना करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

क्षय रोग

5967. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1995 के दौरान दिल्ली में 'चेंजिंग स्पेक्ट्रम ऑफ ट्यूबरक्यूलासिस' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा ए.टी.एस.टी. टी.बी. समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिसके महामारी रूप धारण करने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) अप्रैल, 1995 में दिल्ली में 'चेंजिंग स्पेक्ट्रम ऑफ ट्यूबरक्यूलासिस' विषय पर एक सम्मेलन हुआ था जो निजी रूप से प्रायोजित था। सरकार को सम्मेलन में विचार किए गए प्रमुख मुद्दों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ग) क्षय रोग उन अवसरजन्य रोगों में से है जो एड्स से संबंधित हैं। इस समय संक्रामक क्षय रोगियों का शीघ्र उपचार करने तथा एच आई वी के संचरण को रोकने के लिए आवश्यक निवारक उपाय करने के लिए एक व्यापक कार्यनीति अपनाई जा रही है।

गहरे समुद्र में अनुसंधान कार्य

5968. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में अनुसंधान करने के बारे में कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके अन्तर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं/की जाएंगी; और

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना में इस कार्य पर कितना खर्च किया गया है अथवा किया जाएगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) संयुक्त राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की आंशिक पूर्ति के लिए अग्रणी निवेशक के रूप में वर्ष 1987 से गहरा समुद्री अनुसंधान कार्यक्रम (बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम) चलाया जा रहा है। उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए यह एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है। वर्षानुवर्ष आधार पर कार्य योजना तैयार की गई थी। इस विभाग ने अब 1994-97 की अवधि के लिए 13.33 करोड़ रुपये और 14.33 करोड़ की लागत पर क्रमशः मध्य हिन्द महासागर बेसिन में सर्वेक्षण और अन्वेषण तथा प्रौद्योगिकी विकास (खनन और निष्कर्षण धातुकर्म) के सम्बन्ध में एक कार्य योजना तैयार की है। गहरा समुद्री अनुसंधान कार्यक्रम (बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम) के मूल घटक निम्नलिखित हैं :

(क) सर्वेक्षण और अन्वेषण

(ख) प्रौद्योगिकी विकास (खनन प्रणाली)

(ग) प्रौद्योगिकी विकास (निष्कर्षण धातुकर्म)

उपलब्धियां

अग्रणी निवेशक के रूप में भारत का पंजीकरण होने के बाद गहरा

समुद्री अनुसंधान, सर्वेक्षण और अन्वेषण के विभिन्न घटकों के विकास हेतु प्रथम चरण के रूप में अतिआधुनिक (स्टेट आफ द आर्ट) प्रौद्योगिकियों की सहायता से कार्यकलापों को जारी रखा गया। गहरा समुद्र संस्तर प्रौद्योगिकी के अभिकल्प और विकास के एक भाग के रूप में एक आदिप्रारूप संग्राही और बकंट-इन-पाइप पिण्डिका उत्थापन प्रणाली का अभिकल्पन और विकास किया गया है और इसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से निर्मित 5 मीटर गहरे बेसिन में उसका परिक्षण किया गया है। निष्कर्षण धातुकर्म के क्षेत्र में धातु निष्कर्षण के 15 प्रक्रम मार्गों में से तीन प्रक्रम मार्गों का समुन्नयन के लिए चुना गया है और दो प्रायोगिक संयंत्रों को प्रारम्भ किया गया है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर [एन. एम. एल. (जे)] और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर [आर. आर. एल. (बी)] द्वारा अब तक छः प्रायोगिक संयंत्र अभियान और चार प्रयोगिक संयंत्र अभियान पूरे किए गए। इस अभियान के दौरान तैयार आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। प्रक्रम प्राचलों को सुदृढ़ बनाने के लिए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर द्वारा प्रयोगशाला स्तर के अध्ययन किए गए।

कार्य योजना

आठवीं योजना की शेष अवधि में प्रारम्भ किए जाने वाले कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं :-

(क) सर्वेक्षण और अन्वेषण

1995-97 की अवधि के लिए इस कार्यक्रम के कार्यकलाप हैं—तलमार्जन द्वारा पिण्डिकाओं का काफी मात्रा में संग्रह, मुक्तपात प्रतिचयन और कम अंतरालों पर स्थल छाया चित्रण, भूसांख्यिकीय संसाधन मूल्यांकन को अद्यतन बनाना, आधाररेखा समुद्र वैज्ञानिक आंकड़ा संग्रह, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) का आयोजन, अभिकल्पन और प्रारम्भ, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के क्षेत्र में संसाधन विकास और समुन्नयन।

(ख) प्रौद्योगिकी विकास (खनन)

खनन प्रणाली का अभिकल्पन और विकास चरणों में किया जाना होगा। तदनुसार अधिक गहराइयों पर इस प्रणाली को प्रचालनात्मक बनाने के लिए खनन कार्यक्रम को धीरे-धीरे अभिकल्पित और विकसित किया गया है। इसमें कुछ समय अविधि के बाद इस प्रणाली का समुन्नयन, मूल्यांकन परीक्षण और पुनर्परीक्षण शामिल होगा। कार्ययोजना में समुन्नत दूरस्थ संचालित वाहन (आर.ओ.वी.) का अभिकल्प और विकास तथा उथला संस्तर खनन प्रणाली आदि का अभिकल्प और विकास शामिल है।

(ग) प्रौद्योगिकी विकास (निष्कर्षण धातुकर्म)

इस कार्ययोजना में पदार्थ संतुलन सूचना सहित प्रक्रम चित्र के मानकीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भुवनेश्वर द्वारा प्रक्रम प्राचलों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रायोगिक संयंत्र अभियानों को चलाया जाएगा। हिन्दुस्तान जिंक लि., उदयपुर द्वारा प्रक्रम प्राचलों को सुदृढ़ बनाने के लिए बैच प्रयोग (बैच ट्रायल्ज़) पूरे किए जाएंगे।

व्यय

आठवीं योजना की अवधि के लिए गहरा समुद्री अनुसंधान (बहुधात्विक पिण्डिका) कार्यक्रम हेतु कुल अनुमोदित राशि 35.77 करोड़ रुपये है जिसमें से 1992-95 की अवधि में 16.43 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं।

दंत सुरक्षा

5969. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों को समुचित दंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में दंत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं राज्य सरकारों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

भारतीय वायुसेना के ठेके

5970. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में सांस हेतु आक्सीजन और औद्योगिक गैसों के लिए 'रेट कान्ट्रैक्ट' किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वर्षों के दौरान आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने भी इन्हीं गैसों के लिए कोई 'रेट कान्ट्रैक्ट' किया था;

(घ) यदि हां, तो पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा दिए गए दरों की तुलना में भारतीय वायुसेना द्वारा ऊंची दरों पर 'रेट कान्ट्रैक्ट' किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस ठेके को कार्यान्वित करके कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च की गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना ने नवम्बर, 1993 से अक्तूबर, 1994 तक तथा नवम्बर, 1994 से अक्तूबर, 1995 तक विशिष्ट प्रकार की गैसों जोकि भारतीय वायुसेना की सामान-सूची के अन्तर्गत वायुयानों में उपयोग में लाई जाती हैं, की आपूर्ति के लिए एक दर संविदा को अंतिम रूप दिया है।

(ग) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा 4 नवम्बर, 1993 से अधिप्राप्ति का विकेन्द्रीयकरण कर दिए जाने पर, भारतीय वायुसेना, भारत सरकार आपूर्ति विभाग, वाणिज्य मंत्रालय के 30 दिसम्बर, 1991 के पत्र सं. पी-3-1/(20)/91 तथा पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के 12 मई, 1993 के पत्र सं. डीएम-6/आर सी-3094/अत्याधुनिक गैसें/93-95/56 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार भारतीय वायुसेना तथा नौसेना के विशिष्ट उपयोग की ऊपर उल्लिखित अत्याधुनिक गैसों के लिए संविदाएं सम्पन्न कर रही है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा विभाग की भूमि

5971. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय की भूमि मुम्बई नगर निगम को देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने कांडीवली स्टेशन के पास ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 0.0691 एकड़ और 0.7461 एकड़ माप के दो रक्षा भूखण्ड दिए जाने के लिए अनुरोध किया था। इसके अलावा, प्रस्तावित ओवर-ब्रिज के उत्तर में स्थित 1.5 एकड़ तथा रेलवे लाइन के पूर्व में स्थित 2.33 एकड़ के दो और भूखंडों के लिए इस आधार पर अनुरोध किया गया था कि ये भूखंड बी एम सी की विकास योजना में मनोरंजन ग्राउण्ड के लिए आरक्षित रखे गए थे। रक्षा मंत्रालय ने चालू बाजार मूल्य के भुगतान कर दिए जाने के आधार पर उपर्युक्त सभी चारों भूखंडों को अंतरित कर दिए जाने की सहमति प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से हमें अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

यूनिसेफ

5972. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल कल्याण से संबंधित यूनिसेफ की 1994 की रिपोर्ट प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) और (ख) जी, हां। यूनीसेफ द्वारा प्रकाशित 'दि स्टेट ऑफ दि वर्ल्ड चिल्ड्रन 1994' में नवजात शिशुओं में होने वाले टेटनस को समाप्त करने, खसरे की रूग्णतादर में 90 प्रतिशत और मृत्युदर में 95 प्रतिशत की कमी लाने, अतिसार रोगों के लिए मुख पुनर्जलपूरण चिकित्सा दर 80 प्रतिशत प्राप्त करने, पोलियो उन्मूलन, आयोडीन अल्पताजन्य विकारों को समाप्त करने, गिनीकृमि को समाप्त करने, बेबी फ्रेंडली हास्पिटल इनिसिएटिव और सभी देशों में 1995 के अन्त तक 80 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने की संस्तुति की गई है।

(ग) 1992 में आरम्भ किए गए शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तथा 1992 की राष्ट्रीय कार्य योजना में शिशु जीवन रक्षा, विकास और कल्याण से संबंधित कार्यों पर बल दिया जा रहा है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

5973. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आर.जी.एन.डी.डब्ल्यु.एम.) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या मिशन ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ग) इस मिशन के कार्य की गति तेज करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मिशन के पास अपनी गतिविधियों का क्षेत्र बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई ह्मरजीभाई पटेल) : (क) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए प्रयासों में सहायता देकर ग्रामीण जनसंख्या को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराना है।

(ख) जी, हां।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों मे पेयजल उपलब्ध कराने में किए गए प्रभावशाली उपायों में वैज्ञानिक तरीकों से जल स्रोतों का पता लगाना, वैकल्पिक जल स्रोतों से पेयजल की गुणवत्ता पर नियंत्रण पाना, उपचार संयंत्र, कवर न की गई बसावटों में नए जल स्रोतों का सृजन करना, आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों में जल सुविधाओं को उन्नत बनाना/बढ़ाना, कार्यान्वयन एजेंसियों को तकनीकी सहायता देना, अनुसंधान तथा विकास, मानव संसाधन विकास, समुदाय को शामिल करके संचलन और रख-रखाव में सुधार लाना, वित्तीय परिव्ययों में वृद्धि करना, आदि में शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रॉनिक्स में भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि

5974. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों की क्या उपलब्धियां हैं;

(ख) कौन-कौन से राज्यों में अनुसंधान कार्य सबसे अधिक किया जा रहा है; और

(ग) इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञों अखिल भारतीय संवर्ग के चयन की क्या पद्धति है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एसुआर्डो फैलीरो) : (क) भारतीय वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। व्यापक मापदण्ड के अंतर्गत हाल के वर्षों में हासिल की गई कुछ उपलब्धियों में ये शामिल हैं : समानान्तर संसाधन कम्प्यूटर; कम्प्यूटर में भारतीय भाषाओं के प्रयोग से संवर्धित प्रौद्यागिकियां; इलेक्ट्रॉनिक स्विचन प्रणाली; इलेक्ट्रॉनिक स्विचन के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण केन्द्र; कम्प्यूटर नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियां; रेलवे तथा विद्युत क्षेत्र और विभिन्न उद्योगों में इलेक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर के अनुप्रयोग; उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष धारा (एचवीडीसी) प्रौद्योगिकियां, कई अनुप्रयोगों में तंतु-प्रकाशिक प्रणालियां; सरल त्वरक जैसी चिकित्सकीय इलेक्ट्रॉनिकी, रेडार, नौवहन सहायक-उपकरण; सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी; अति उच्च आवृत्ति, परा उच्च आवृत्ति तथा सूक्ष्म तरंग संचार प्रणालियां; रक्षा तथा अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिकी; आदि।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) प्रयोगशालाओं की एक शृंखला के जरिए भारत इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जों के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीकी आयोग गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली (आईईसीक्यू प्रणाली) के अंतर्गत प्रमाण-पत्र जारी करने वाला एक राष्ट्र भी बन गया है।

(ख) देश के विभिन्न राज्यों में फैली विभिन्न इलेक्ट्रानिकी प्रयोगशालाओं के अनुसंधान संबंधी परिणामों को कोई विशिष्ट दर्जा नहीं दिया जाता है।

(ग) संघ की सेवाओं के वर्गीकरण के अंतर्गत इलेक्ट्रानिकी विशेषज्ञों का ऐसा कोई संवर्ग नहीं है।

केरल में मेडिकल कालेज

5975. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल के कन्नानोर जिले में परियारम में एक मेडिकल कालेज आरम्भ करने के लिए मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मेडिकल कालेज की स्थापना सहकारी क्षेत्र में करने का विचार है;

(घ) क्या इस मेडिकल कालेज में प्रवेश हेतु कैपिटेशन फीस के रूप में विद्यार्थियों से भारी धनराशि इकट्ठी की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का इस प्रस्तावित कालेज के विपरीत पता लगे आरोपों की पूर्ण जांच करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) एकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेस, परियारम, कन्नानोर को परियारम, कन्नानोर में एक नया मेडिकल कालेज खोलने के लिए आशय-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) एकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेस, परियारम, कन्नानोर, समिति पंजीकरण आधिनियम, 1860 का xxi के अंतर्गत एक पंजीकृत समिति है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा, अभी तक, एम.बी.बी.एस. में दाखिले के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

(च) और (छ) यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया जाएगा।

[हिन्दी]

दानापुर छावनी में भ्रष्टाचार

5976. श्री ललित उरांव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 से अप्रैल, 1995 तक दानापुर छावनी बोर्ड में भ्रष्टाचार के कितने मामले रक्षा मंत्रालय के ध्यान में लाये गये;

(ख) इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इस संबंध में कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा दी गई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस अवधि के दौरान दानापुर छावनी बोर्ड में भ्रष्टाचार का कोई मामला रक्षा मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, छावनी सम्पदा अधिकारी, छावनी बोर्ड/रक्षा सम्पदा महानिदेशालय द्वारा इस अवधि के दौरान छावनी बोर्ड परिसम्पत्ति की हानि/चोरी से संबंधित कुछ मामलों की रिपोर्ट की गई है। इन मामलों तथा इन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. श्री उदाल सिंह, रोकड़िया के बैग से 5000 रुपये गुम होना

इस मामले की रिपोर्ट दिनांक 28-8-92 के सी बी आर-50 के द्वारा बोर्ड में की गई थी। इस मामले की जांच के लिए दिनांक 28-8-92 के सी बी आर-50 के द्वारा श्री मोहम्मद मोइन अंसारी और लेफ्टिनेंट कर्नल एम एस नंद को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सिफारिश की थी कि श्री उदाल सिंह को यह धनराशि जमा करानी होगी। श्री उदाल सिंह ने छावनी निधि में यह धनराशि जमा करा दी है। यह मामला दिनांक 17-5-93 के सी बी आर सं. 15 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

2. गोरा बाजार पब्लिक हाउस के कम्पाउंड में रखे हुए ट्रांसफार्मर से फायर की चोरी

बोर्ड में इस मामले की रिपोर्ट की गई थी तथा बोर्ड ने इस मामले की जांच करने के लिए दिनांक 28-12-92 के सी बी आर सं. 119 के द्वारा श्री मनोहर प्रसाद और श्री मोहम्मद मोइन अंसारी को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया। समिति ने पाया कि वह ट्रांसफार्मर राज्य विद्युत बोर्ड का था। अतः इस मामले की रिपोर्ट विद्युत बोर्ड को कर दी गई है।

3. सदर बाजार के सामान्य भूमि रजिस्टर (जी एस आर) का गुम होना

बोर्ड ने दिनांक 28-12-92 के सी बी आर सं. 121 के तहत यह तय किया कि सिविल क्षेत्र से संबंधित सामान्य भूमि रजिस्टर 1975 में गुम हो गया था तथा इस मामले की जांच करने के लिए श्री मोहम्मद मोइन अंसारी तथा श्री सरयुग लाल को शामिल करते हुए एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया था। नया सामान्य भूमि रजिस्टर तैयार कर लिया गया है।

4. छावनी बोर्ड कार्यालय से इनरसन शील्ड का गुम होना

मामले की जांच करने के लिए बोर्ड ने दिनांक 5-3-93 की सी बी आर सं. 160 के तहत एक समिति का गठन किया और उसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31-3-93 तक प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने यह सिफारिश की थी कि जांच-पड़ताल के लिए मामले की रिपोर्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को की जाए। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मामले की रिपोर्ट दिनांक 12-7-93 को की गई थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

5. जैटर टैक्टर के इंजन की चोरी

गरीखान में दिनांक 19-8-93 को पार्क किए गए गरीखाना जैटर टैक्टर

से चुराए गए हब की जांच करने के लिए बोर्ड ने दिनांक 28-9-93 की सी बी आर संख्या 88 के तहत एक समिति का गठन किया था। एक सफाईवाला श्री लक्ष्मण, सुपुत्र श्री कने और स्वर्गीय श्री मुरली राय जो गरीखाना में चौकीदार थे उन्होंने एक हब खरीदा और उस हब को स्टोर कीपर के पास जमा करा दिया था इसलिए मामला समाप्त कर दिया गया है।

6. ट्रक संख्या बी एच पी 8604 के ईंधन अंतःक्षेपण पंप की चोरी

बोर्ड ने दिनांक 25-3-94 की सी बी आर संख्या 191 के तहत यह तय किया था कि छावनी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आवश्यक जांच की जाए। इस संबंध में दिनांक 11-3-94 को पुलिस स्टेशन में आवश्यक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। श्री मोहन राय चौकीदार जो ड्यूटी पर थे इन्होंने स्थानीय बाजार से एक ईंधन अंतःक्षेपण पंप खरीद कर जमा करवा दिया है और उसे स्थापित कर दिया गया है और ट्रक संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

7. होल्डिंग संख्या 67 महल 1 डब्ल्यू बी. की होल्डिंग फाइल का गुम होना

मामने की जांच करने के लिए बोर्ड ने दिनांक 19-7-93 की सी बी आर संख्या 54 के तहत एक समिति नियुक्त की थी। फाइल की चोरी के लिए समिति ने किसी को भी जिम्मेदार नहीं पाया था इसलिए और अधिक जांच अपेक्षित नहीं है जिसकी पुष्टि बोर्ड द्वारा की जा चुकी है।

[अनुवाद]

पंजीकृत कंपनियां

5977. श्री पी. कुमारासामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान, वर्ष-वार, कितनी कंपनियों का पंजीकरण किया गया;

(ख) कंपनी पंजीयक के पास राज्य में नई कंपनियों के पंजीकरण हेतु कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं; और

(ग) इनके शीघ्र निपटारे के लिये क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान तमिलनाडु में पंजीकृत शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या क्रमशः 2767, 3087 तथा 4550 थी।

(ख) और (ग) 30 अप्रैल, 1995 तक की स्थिति के अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार के पास तमिलनाडु में नई कंपनियों को स्थापित करने के लिए 313 आवेदन पत्र लम्बित थे। इन 313 आवेदन पत्रों में से 246 आवेदन पत्र संप्रवर्तकों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करने के लिए न आने के कारण लम्बित थे। ऐसे आवेदन पत्रों के तुरन्त निपटान हेतु मद्रास तथा कोयम्बतूर में स्थित कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालयों के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। जब संप्रवर्तक किसी नई कम्पनी के पंजीकरण के लिए दस्तावेज फाइल करते हैं तो उन्हें उसी दिन सलाह दी जाती है कि दस्तावेजों में संशोधन, यदि कोई हो, करने के लिए वे निश्चित तिथि को रजिस्ट्रार कार्यालय में आएं ताकि कम्पनी रजिस्ट्रार कम्पनी को पंजीकृत कर सकें और निगमन का प्रमाण पत्र जारी कर सकें।

[हिन्दी]

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए विकास बोर्ड

5978. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु कोई विकास बोर्ड गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी भी आर्थिक रूप से और प्रौद्योगिक रूप से अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु क्या कदम उठए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) जी, नहीं। किसी क्षेत्र के औद्योगिकीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में संभव सीमा तक सहायता करती है।

गुजरात में ज्वारीय विद्युत संयंत्र

5979. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य में ज्वारीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए गुजरात सरकार, सांसदों और अन्य संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इस कार्यवाही के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस परियोजना की क्षमता कितनी है और इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) गुजरात में कच्छ की खाड़ी में 900 मेवा. की क्षमता के एक ज्वारीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के संबंध में एक संसद सदस्य से पत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रस्तावित परियोजना के लिए भारत और विदेश से प्रौद्योगिकी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। इस आमंत्रण के प्रत्युत्तर में आस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और संयुक्त राज अमेरिका से छः भिन्न पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के आकलन और मूल्यांकन के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने में लगने वाले समय को बताना अभी बहुत समय-पूर्व है।

ब्रह्मपुत्र घाटी में अभियान

5980. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री राजेश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा मंत्रालय और भारतीय पर्वतारोही प्रतिष्ठान के सहयोग से ब्रह्मपुत्र घाटी में अभियान चलाने के लिए जापान के कुछ पेशेवर दलों को अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी अनुमति प्रदान करने से पूर्व देश की सुरक्षा पक्ष पर भी विचार किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रक्षा मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

5981. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचार संबंधी खर्च और अधिक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बिस्तर, आहार, परामर्श शुल्क आदि पर लिये जाने वाले प्रभार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रभारों में कब तक संशोधन किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) अस्पताल प्रभारों में कुछ वृद्धि हुई है जैसाकि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

चरण-I में 10 अप्रैल, 1995 से आरंभ किए जा रहे संशोधित अस्पताल प्रभारों का ब्यौरा

I. प्राइवेट वार्ड :

1. दाखिले के समय दाखिला प्रभार (न लौटाई जाने वाली राशि) प्रति दाखिला 100/-रुपये।
2. अस्पताल प्रभार प्रतिदिन :-
   (क) 'ए'-श्रेणी कक्ष : 900/-रुपये
   (ख) 'बी'-श्रेणी कक्ष : 600/-रुपये
3. नेमी जांच प्रभार (की गई जांचों की संख्या को हिसाब में लिए बिना) 150/- रुपये प्रतिदिन।

   नेमी जांच में केवल निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) रक्त	(ख) ब्लड केमिस्ट्री	(ग) अन्य
हीमोग्लोबिन	ब्लड शुगर	आर/ई यूरिन
टीएलसी	ब्लेक्ट्रोलाइटिस	एम/ई यूरिन
डीएलसी	ब्लड यूरिया	नेक्स आई
बीएसआर	ब्लड गसेस	सीएसएफ
पी/एस	—	सीएसएफ
प्लाटेलेट काउंट	—	ईसीजी

4. नेती जांच में रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, एनएमआर, रिहेबिलिटेशन, डेंटिस्ट और एच एल ए शामिल नहीं है। (ये मौजूदा दरों के अनुसार लिए जाएंगे। नई दरें विस्तृत जांच पड़ताल के बाद चरण-II में प्रभारित होंगी।)
5. आहार प्रभार : 50 रुपये प्रतिदिन (ऐच्छिक)
   रोगी के लिए

   परिचर के लिए : 100 रुपये प्रतिदिन (ऐच्छिक)
6. आपेरशन और प्रक्रिया प्रभार वर्तमान दरों पर जारी रहेंगे। संशोधित दरें विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद चरण-II में लागू की जाएंगी।
7. सभी औषधियां और प्रयोज्य सामग्री रोगी द्वारा प्रदान की जानी हैं। आपाती स्थिति में जीवनरक्षक औषधियां अस्पताल द्वारा प्रदान की जाएंगी और बाद में रोगियों को इन्हें अस्पताल को देना होगा।

II. सामान्य वार्ड रोगी :

1. सामान्य वार्ड में दाखिल रोगियों को, विभिन्न अल्प अवधि दाखिले भी शामिल हैं, निम्नलिखित प्रभार देने होंगे :

		अनुमति
दाखिला प्रभार (अल्प अवधि)	25/रुपये (न लौटाई जाने वाली राशि)	चिकित्सा अधीक्षक/उप चिकित्सा अधीक्षक की विशेष अनुमति से प्रति रोगी प्रतिदिन 50/- रुपये के भुगतान पर प्राइवेट वार्ड से आहार उपलब्ध कराया जा सकता है।
अस्पताल प्रभार (वार्ड, आहार सहित)	35/- प्रतिदिन सामान्य	

2. नेमी जांचों के लिए, जैसा सूचित किया गया है, कोई प्रभार नहीं।
3. सामान्य वार्ड में एक्सरे सहित सभी नेमी परीक्षण प्रथम चरण में प्रभावित नहीं होंगे।

   नेमी जांच में केवल निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) रक्त	(ख) ब्लड केमिस्ट्री	(ग) अन्य
हीमोग्लाबिन	ब्लड शुगर	आर/ई यूरिन
टीएलसी	ब्लेक्ट्रोलाइट्स	एम/ई यूरिन
डीएलसी	ब्लड यूरिया	नेक्ड आई
ई एस आर	ब्लड गसेस	सीएसएफ
पी/एस		ई सी जी
प्लाटेलेट कांउट		

4. एनएमआर, सीटी आदि जैसी विशेष जांचें, जिनके लिए इस समय

सामान्य वार्ड के रोगियों से प्रभार लिया जा रहा है, वर्तमान दरों पर लिए जाते रहेंगे।

5. प्रक्रियाओं जिनमें बड़ी और छोटी शल्य प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, कोई प्रभार नहीं लिए जाएंगे। ऐसी प्रक्रियाओं के लिए नई दरें समुचित जांच-पड़ताल के बाद चरण-II में आरम्भ की जाएंगी।

6. सभी औषधियां और प्रयोज्य सामग्री रोगी द्वारा सुलभ कराई जाएगी। तथापि, आपाती स्थिति में जीवनरक्षक औषधियां अस्पताल द्वारा प्रदान की जाएंगी और इन्हें रोगियों और रोगी के रिश्तेदारों द्वारा अस्पताल को लौटाना होगा।

III. केजुएल्टी

1. केजुएल्टी में सभी रोगियों का निःशुल्क उपचार होगा।

2. प्रक्रियाओं और जांचों के लिए कोई प्रभार नहीं होगा।

3. केजुएल्टी से सामान्य वार्ड या प्राइवेट वार्ड से स्थानांतरित होने पर रोगी से इन वार्डों में भर्ती होने के समय से सामान्य/प्राइवेट वार्ड के लिए निर्धारित दरों पर प्रभार लिए जाएंगे।

4. रोगी से केजुएल्टी में प्रक्रियाओं/जांचों के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा भले ही उसे बाद में प्राइवेट वार्ड/सामान्य वार्ड में भर्ती किया जाता है।

IV. बाह्य रोगी विभाग

1. सामान्य बाह्य रोगी विभाग और विशेषज्ञ क्लिनिकों सहित बाह्य रोगी विभाग के लिए 10 रुपये पंजीकरण के लिए जाएंगे।

2. पुराने और अनुवर्ती उपचार वाले रोगियों को वर्ष के आरंभ में नए कार्ड बनाने होंगे।

3. सामान्य बाह्य रोगी विभाग या विशेषज्ञ क्लिनिकों या प्रति-परामर्श के लिए भेजे गए रोगियों को कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा भले ही एक कलेंडर वर्ष में लिए गए परामर्शों की संख्या कितनी ही हो।

4. सामान्य वार्ड के लिए दर्शाए गए नेमी जांचों के लिए कोई प्रभार नहीं होंगे।

5. एक्सरे और विशेष जांचों के लिए, जिनमें साइटोपैथालाजी भी शामिल है, इस समय बाह्य रोगी विभाग में जो प्रभार लिया जा रहा है, वर्तमान दरों पर ही लिया जाएगा। ऐसी प्रक्रियाओं और विशेष जांचों के लिए संशोधित प्रभार विस्तृत जांच पड़ताल के बाद चरण-II में आरम्भ किए जाएंगे।

V. चरण-I के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रबन्ध

(क) सामान्य वार्ड और प्राइवेट वार्ड के रोगी

1. सामान्य वार्ड और बाह्य रोगी विभाग के सभी प्रभारों पर प्राधिकृत कार्मिक द्वारा छूट दी जा सकेगी जैसाकि वास्तविक रूप से निर्धन रोगियों के लिए इस समय किया जाता है। ऐसी छूट के लिए रोगी का उपचार करने वाले चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्त्ता और वरिष्ठ रेजीडेंट द्वारा संस्तुति की जाएगी।

2. अस्पताल का रोकड़िया रोकड़ के लेन-देन में एक सीमा से अधिक वृद्धि हो जाने पर मामूली अतिरिक्त मदद कर वर्तमान समय की तरह कार्य करता रहेगा। (इसका निर्णय वित्तीय नियम के अनुसार वित्तीय सलाहकार द्वारा किया जाएगा।)

3. रात्रि आठ बजे के बाद और रविवार और छुट्टी के दिनों में भर्ती रोगियों को विशिष्ट रंगीन शीट दी जाएगी, जैसाकि इस समय किया जा रहा है। इससे वार्ड की प्रभारी नर्स को अगले कार्य दिवस में ऐसे दाखिलों का पता लगाने में आसानी होगी। तब वह ऐसे रोगियों को आवश्यक अग्रिम का भुगतान करने को कहेगी, जैसाकि अन्य मामलों में किया जाता है।

4. प्राइवेट वार्ड में भर्ती रोगियों को इस समय 'बी' श्रेणी के कमरे के लिए 5000/- रुपये और 'ए' श्रेणी के कमरे के लिए 10,000/- रुपये अग्रिम राशि के बजाए क्रमशः 8,000 रुपये और 12,000 रुपये दाखिले के समय देने होंगे। प्राइवेट वार्ड के रोगियों के बिल बनाने का कार्य अस्पताल के बिल अनुभाग द्वारा बनाना जारी रहेगा।

5. सामान्य वार्ड के रोगी को दाखिले के समय वर्तमान के 50 रुपये के बदले 350 रुपये अग्रिम जमा कराने होंगे।

6. रोगी के छुट्टी/मृत्यु के समय बिल बनाना, खातों का समायोजन और अग्रिम की वापसी की प्रक्रिया वर्तमान की तरह ही जारी रहेगी।

7. कोशिका विज्ञान, एन.एम.आर. आदि की विशेष जांच के लिए भुगतान चरण-II के कार्यान्वयन तक वर्तमान दर पर ही जारी रहेगा।

(ख) बहिरंग रोगी विभाग

1. बहिरंग रोगी पंजीकरण शुल्क वर्तमान समय में एक रुपये के स्थान पर दस रुपये वसूल किया जाएगा।

2. विशेष जांचों के लिए जांच प्रभार वर्तमान स्तर पर चरण-II के कार्यान्वयन तक जारी रहेंगे।

3. मुख्य अस्पताल के राजकुमारी अमृत और बाह्य रोगी विभाग में केन्द्रीय पंजीकरण कार्यालय तथा संबंधित केन्द्रों के पंजीकरण पटलों द्वारा पुराने रोगियों के लिए दस रुपये की दर पर नए कार्ड केन्द्रीय रूप से जारी किए जाएंगे।

4. ऊपर बतलाई गई प्रक्रियाओं/जांचों के अलावा अन्य के लिए प्रभार प्रक्रिया जो इस समय है, चरण-II के कार्यान्वयन तक जारी रहेगी।

नोट : उक्त संशोधित अस्पताल प्रभार ऐसे रोगियों के लिए होंगे जिन्हें 10 अप्रैल, 1995 से अस्पताल में भर्ती किया जाना है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

5982. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड' का विचार सेवा क्षेत्र की

एक सहायक कम्पनी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित सहायक कंपनी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सहायक कंपनी के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सेवा क्षेत्र की एक सहायक कंपनी स्थापित करने की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

5983. डा. चिन्ता मोहन :

श्री गुमान मल लोढा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजसहायता तथा ऋण द्वारा वित्तीय सहायता देकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे गरीब लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने की किसी योजना को लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राजसहायता और ऋण के रूप में कुल कितनी राशि राज्य-वार और वर्ष-वार बांटी गई है;

(ग) क्या उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में ऋण तथा राजसहायता के रूप में बांटी गई राशि 1990-91 की तुलना में क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1990-91 के दौरान राजसहायता तथा ऋण के रूप में बांटी गई अलग-अलग राशि क्या है; और

(ङ) 1994-95 के दौरान कितने परिवार गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजीभाई पटेल) : (क) जी हां। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण गरीब परिवार को गरीबी की रेखा पार करने में सक्षम बनाने के लिए सब्सिडी एवं ऋण के रूप में सहायता दी जाती है।

(ख) 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान सब्सिडी एवं ऋण के रूप में राज्यवार वितरित की गई कुल राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) 1990-91 के दौरान ऋण एवं सब्सिडी के रूप में वितरित की गई कुल राशि 1858 करोड़ रुपये थी जिसमें से वितरित सब्सिडी 668 करोड़ रुपये थी तथा जुटाया गया ऋण 1190 लाख रुपये था। 1990-91 की तुलना में 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान वितरित राशि में कुछ कमी थी। तथापि, 1993-94 के दौरान इस कमी को दूर कर लिया गया जब कुल वितरण 1990-91 के 1858 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 2209 करोड़ रुपये हो गया।

(ङ) 1994-95 के लिए मूल्यांकन नहीं करवाया गया है।

विवरण

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान वितरित सब्सिडी और ऋण (रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-91		1992-93		1993-94	
		सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	5604.25	6755.60	4407.97	2748.44	7098.76	10227.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	164.09	100.15	274.95	118.85	308.81	128.57
3.	असम	1142.38	1973.60	1013.01	1681.31	1820.12	2886.61
4.	विहार	7303.86	12633.66	6496.87	10812.63	8871.30	14960.37
5.	गोआ	45.80	156.66	30.10	169.13	42.96	197.99
6.	गुजरात	1905.11	2925.55	1787.47	2737.96	2506.17	3873.44
7.	हरियाणा	620.50	978.00	665.07	1067.36	1157.29	1819.70
8	हिमाचल प्रदेश	246.27	420.34	175.74	304.29	266.93	463.30
9.	जम्मू व कश्मीर	261.13	468.50	176.48	289.47	236.13	390.90
10.	कर्नाटक	2191.49	4217.71	2193.27	4274.85	3187.39	6014.48
11.	केरल	1613.53	2470.01	1485.29	2250.78	1797.03	2645.93

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	7651.18	13220.68	6011.04	9786.48	5824.53	13447.58
13.	महाराष्ट्र	4772.05	8880.01	4540.93	8711.95	6386.47	11899.01
14.	मणिपुर	126.36	46.16	69.40	37.20	151.66	56.01
15.	मेघालय	124.32	162.69	134.57	138.23	115.33	124.17
16.	मिजोरम	134.22	16.95	170.70	16.93	231.54	12.31
17.	नागालैंड	241.15	161.80	177.38	155.03	243.43	225.89
18.	उड़ीसा	3229.86	3869.12	2804.40	3479.03	5173.57	6220.35
19.	पंजाब	714.14	1320.64	760.38	1521.05	1261.72	2192.41
20.	राजस्थान	3673.36	5700.80	2830.67	4509.87	3779.41	5710.59
21.	सिक्किम	30.12	73.88	22.86	55.61	25.25	60.71
22.	तमिलनाड	3813.51	5866.71	3834.82	6067.71	6550.08	10060.03
23.	त्रिपुरा	353.00	710.23	365.18	508.88	471.82	674.03
24.	उत्तर प्रदेश	14150.60	29830.32	12310.66	29000.06	17458.32	42618.75
25.	पश्चिम बंगाल	5771.65	9630.34	5141.20	8588.35	2326.00	3767.86
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	32.49	59.96	29.68	44.83	29.99	55.67
27.	दादर व नगर हवेली	7.20	14.75	8.98	19.38	12.65	26.73
28.	दिल्ली	10.53	28.35	—	—	—	—
29.	दमन व दीव	8.51	23.72	13.34	39.25	16.12	38.17
30.	लक्षद्वीप	4.26	5.43	5.82	6.38	3.52	4.29
31.	पांडिचेरी	26.10	40.20	29.74	38.77	27.52	41.59
	अखिल भारत	65773.02	114733.51	57968.05	103680.06	80081.82	140844.47

[अनुवाद]

परमाणु विद्युत संयंत्र

5984. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू. एस. न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के उच्च अधिकारियों ने चालू वर्ष के दौरान भारतीय परमाणु विद्युत संयंत्रों का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीकी प्रतिनिधिमंडल ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया था।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों को सुविधाएं

5985. श्री केशरी लाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र के उपक्रमों के समान संसाधन और सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में

राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई विशेष अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रक्षा प्रतिष्ठानों में भर्ती

5986. श्री राम निहोर राय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा प्रतिष्ठानों में भर्ती पर रोक लगा दी है;

(ख) क्या यह रोक अन्य मंत्रालयों में भी लागू की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस रोक के कारण विशेष अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के चुने गए उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) सरकार ने भर्ती पर पूर्णतया रोक लगाने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। चूंकि भर्ती पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है इसलिए विशेष भर्ती अभियान के तहत चुने गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार प्रभावित नहीं होंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी पूंजी निवेश के बारे में संगोष्ठी

5987. श्री चेन्ना चुन्नी रामय्या : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व कांग्रेस द्वारा भारत में पूंजी निवेश के अवसरों और व्यापार संबंधी दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संगोष्ठी से विदेशी कम्पनियों को भारतीय बाजार तक पहुंचने में कितनी सहायता मिली है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) "डायनामिक एशिया दि आई. सी. सी. व्यापार अवसर सम्मेलन" नामक एक सम्मेलन 27-28 मार्च, 1995 को हुआ था। यह अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में निवेश एवं व्यापार संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) से (ङ) सम्मेलन ने भारतीय और विदेशी भागीदारों के बीच प्रत्येक व्यापार के बदले में व्यापार प्रदान करने का अवसर दिया। इस सम्मेलन में 150 विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया था।

[हिन्दी]

पवन फार्म

5988. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क की "डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेन्सी" एवं "ग्लोबल एनवायरमेन्टल फैसिलिटीज" ने भारत में "पवन फार्म" (विंड फार्म्स) की स्थापना में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी राज्यों से गुजरात एवं तमिलनाडु के समान ही "पवन फार्म" की स्थापना करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अनुरोध पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा देश में 85 मेवा. क्षमता की निजी क्षेत्र पवन फार्म परियोजनाओं की स्थापना के लिए विश्व पर्यावरणीय सुविधा (जी. ई. एफ.) से आंशिक अनुदान सहायता के साथ विश्व बैंक साख लाइन संचालित की जा रही है। परियोजना के सह-वित्तीयन के लिए डैनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (डानिडा) के माध्यम से मिश्रित साख के लिए बातचीत चल रही है।

(ख) सात राज्यों में 350 मेवा. की समग्र पवन विद्युत क्षमता पहले ही स्थापित कर ली गई है। केन्द्रीय सरकार के सुझाव के अनुसार आठ राज्यों ने अपने राज्यों में निजी क्षेत्र पवन फार्म परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुकूल नीतियां आरंभ की हैं। इन परियोजनाओं की अन्य राज्यों में स्थापना का कार्य इस समय चल रहे पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम के अन्तर्गत संभावित स्थलों की पहचान किए जाने और पवन विद्युत विकास को बढ़ावा देने के लिए उन राज्यों द्वारा अनुकूल नीतियां आरंभ किए जाने पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

कृषि विपणन

5989. श्री राम विलास पासवान :

श्री चेन्ना चुन्नी रामय्या :

श्री रवि राय :

श्री चुन्नाम सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री सन्त कुमार मंडल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पाद खरीद की जांच के लिए सरकार द्वारा हाल ही में गठित समिति के सुझावों के अनुसार सत्तर के दशक में गठित केन्द्रीय कृषि विपणन सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) संलग्न विवरण में उल्लिखित 80 सिफारिशों में से 23 सिफारिशें (संख्या 42, 43, 44, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79 तथा 80) स्वीकृत कर ली गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं। 19 सिफारिशें (संख्या 6, 9, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 57, 58, 59, 69 तथा 78) अस्वीकृत कर दी गई हैं। शेष 38 सिफारिशों में से संलग्न विवरण के क्रम संख्या 8 पर उल्लिखित एक सिफारिश की जांच की जा रही है तथा 37 सिफारिशों को राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

विवरण

1. जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, केरल और सिक्किम राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली और लक्षद्वीप ने अभी तक कृषि उत्पाद विपणन विनियम अधिनियम अधिनियमित नहीं किए हैं। यह सिफारिश की जाती है कि ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह मूल विधान अधिनियमित करें और इसके कार्यान्वयन के लिए यथासंभव शीघ्र आवश्यक प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था करें।

2. राज्य के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र, कोई जगह छोड़े बिना कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए और विपणन समितियां क्षेत्र के युक्तियुक्त आकार/कृषि संभावनाओं और जनसंख्या के आधार पर स्थापित की जानी चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम हों।

3. यह सिफारिश की जाती है कि हाट, शेन्डी इत्यादि जैसे ग्रामीण प्राथमिक बाजारों सहित देश के जिन कृषि उत्पाद बाजारों को अभी तक संबंधित राज्य विधान के अधीन विनियम के अन्तर्गत नहीं लिया गया है उन्हें कृषि उत्पाद विपणन विनियम अधिनियम के दायरे के भीतर लिया जाना चाहिए। उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान अतिरिक्त 15,000 बाजारों को सम्मिलित करने के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में प्रस्तावित परिप्रेक्ष्य योजना को प्राथमिकता मद के रूप में कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा।

4. सरकार विपणन समितियों को भवनों इत्यादि के निर्माण के लिए मंजूरी/अनुमोदन देने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और समय-अनुसूची को सरल बनाएं और उन्हें किराया नियंत्रण अधिनियम और शिक्षा उपकर अधिनियम के लागू होने से भी छूट दें।

5. प्रत्येक राज्य में एक कानूनी कृषि विपणन बोर्ड होना चाहिए जो विपणन योजना और विकास कार्य का जिम्मा लेने में पूर्णतया सक्षम हो। इसके कार्य और शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित और राज्य कृषि विपणन विभाग के कार्यों और शक्तियों से सीमांकित होनी चाहिएं। विपणन विभाग के प्रभावी तालमेल और सुचारू पालन को सुनिश्चित करने के लिए विपणन निदेशक पदेन सदस्य सचिव के रूप में बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए।

6. कृषि विपणन गतिविधियों के प्रक्षेपण में प्रभावी संपर्क को सहज बनाने के लिए रेलवे बोर्ड वायदा बाजार आयोग, डाक-तार, आकाशवाणी, दूरदर्शन राज्य योजना आयोग/बोर्ड इत्यादि जैसे संबंधित संगठन राज्य कृषि विपणन बोर्डों की सरकारी रूप से मान्यता प्रदान की जाए।

7. प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र और पूर्ण विकसित कृषि विपणन विभाग की स्थापना करनी चाहिए। इसका अलग बजट होना चाहिए और इसके स्पष्ट रूप से परिनिश्चित कार्य और शक्तियां होनी चाहिए ताकि वे विपणन विनियम और नियंत्रण या काम कर सकें और कृषि विपणन नीतियां और कार्यक्रम बनाने और उनके कार्यान्वयन में सरकार की मदद कर सकें।

8. गहन संयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के कृषि विपणन विभागों और केन्द्र में डी. एम. आई. को एक ही मंत्रालय के अधीन रखा जाना चाहिए। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन एक पृथक कृषि विपणन विभाग स्थापित करना वांछनीय होगा जिसके अधीन कृषि विपणन, संग्रहण, खाद्य संसाधन, कृषि निर्यात और अन्य संबद्ध गतिविधियों हों।

9. विपणन और निरीक्षण निदेशालय को बहुत ही सक्षम और उपयुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर पुनः गठित और उपयुक्त रूप से मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि वह केन्द्र तथा राज्य सरकारों को प्रभावी रूप से तकनीकी सलाह देकर सहायता कर सकें।

10. राज्य कृषि विपणन विभागों को भी उतने ही सक्षम और उपयुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सके।

11. इस रिपोर्ट की सिफारिशों को देखते हुए 1984 के मॉडल एक्ट को संशोधित किया जाये और सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया जाए। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने संबंधित राज्य अधिनियमों में एक वर्ष के भीतर आवश्यक संशोधन कर लें। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की जाये।

12. राज्य अधिनियमों का शीर्षक "राज्य कृषि उत्पाद-विपणन विनियम अधिनियम (वर्ष)" दिया जा सकता है ताकि यह विपणन कार्य के गतिशील कार्यक्षेत्र को प्रतिबिम्बित करें।

13. अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार "कृषि विपणन" को सभी राज्य अधिनियमों में उपयुक्त रूप से परिभाषित किया जाये।

14. कृषक शब्द की परिभाषा को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए ताकि अनियासी कृषक विपणन समिति में प्रवेश न पा सकें।

15. कृषि उत्पाद बाजार समिति के नाम को बदलकर कृषि उत्पाद विपणन समिति किया जाना चाहिए जो अपनी भूमिका में विपणन की गत्यात्मकता को सही रूप से दर्शाती है।

16. विपणन समिति में कुल मिलाकर 11 सदस्य होने चाहिए। इनमें से कम से कम छः सदस्य कृषक होने चाहिए जिनमें से निरपवाद रूप से एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का होना चाहिए। विपणन समिति में उपभोक्ताओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

17. विपणन समिति का कार्यकाल पांच वर्ष की नियत अवधि का होना चाहिए।

18. इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए यह सुनिश्चित करने की सांविधानिक अपेक्षा होनी चाहिए कि विपणन समितियां और राज्य कृषि विपणन बोर्डों का नियमित चुनाव और गठन हो।

19. किसी भी विपणन समिति को अधिक्रमित नहीं रहने दिया जाए और न ही उसका प्रशासन अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलाया जाए। चुनाव मॉडल में निर्धारित रूप से और समय पर होने चाहिए।

20. सहकारी समितियों को भी विपणन समिति में कार्य करने के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने चाहिए। इनको प्रत्येक बाजार अहाते में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। विपणन समिति को विपणन लेन-देन में सहकारी समितियों की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय करने चाहिए और सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

21. विपणन समितियों के कार्यों, कर्त्तव्यों और शक्तियों का अधिनियम, नियम और उप-नियमों के उद्देश्यों के अनुरूप स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

21. तभी विपणन समितियों को नीलामी, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग उपस्करों, विस्तार सेवाओं, संग्रहण, वित्त इत्यादि के संबंध में समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

23. बजट तैयार करने, इसकी संवीक्षा और अनुमोदन के लिए यथा संस्तुत कार्य विधि का पालन किया जाना चाहिए।

24. विपणन समिति निधि का प्रयोग केवल राज्य विपणन विकास निधि में निर्धारित अंशदान करने के लिए और दक्ष एवं प्रभावी विपणन पद्धति के लिए लाभदायक स्थितियां और सुविधाओं के सुधार और विकास के लिए ही किया जाना चाहिए।

25. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्यकाल पांच वर्ष होना चाहिए।

26. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की संघटना 'मॉडल एक्ट' के अनुरूप सुगठित और छोटी-से-छोटी होनी चाहिए।

27. किसी भी विपणन बोर्ड को अधिक्रमिक नहीं रहने दिया जाए और न ही उसका प्रशासन अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलाया जाए तथा मॉडल एक्ट में की गई व्यवस्था के अनुसार समय पर आवश्यक चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए।

28. विपणन समिति और राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए कृषक सदस्यों में से किया जाना चाहिए। बोर्ड के सभी गैर सरकारी सदस्यों का चुनाव उनके संबंधित संगठनों में से किया जाना चाहिए।

29. विपणन बोर्ड के सभी गैर-सरकारी सदस्यों को दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आचार-संहिता का पालन करना चाहिए।

30. इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि राज्य अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न कानूनी विवादों का निपटान करने के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य कृषि विपणन अधिकरण स्थापित किया जाए।

31. सभी वस्तुओं की पूरी तरह से सम्मिलित कर लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य अधिनियम के साथ अनुसूची के रूप में वस्तुओं की एक विस्तृत सूची जोड़ी जानी चाहिए।

32. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को मॉडल एक्ट, 1984 में उपबंधित मानदंड के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के बाजारों को सुनिश्चित करना चाहिए।

33. भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार राष्ट्रीय महत्व के सभी बाजारों की विपणन समितियों का पदेन सदस्य होना चाहिए।

34. राष्ट्रीय महत्व के बाजारों की विकासात्मक गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए राज्य विपणन बोर्ड के सदृश केन्द्रीय कृषि विपणन बोर्ड स्थापित करने की भी जरूरत है। भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार इनका पदेन सदस्य सचिव होना चाहिए।

35. कृषि बाजारों में मूल अवसंरचना सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम जारी रखी जाए और यह केन्द्रीय सरकार (डी.एम. आई.) के अधीन ही रहे ताकि इसका कार्यान्वयन और इस पर निगरानी रखने का काम प्रभावपूर्ण ढंग से चले।

36. विनियमित बाजारों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत निधियों के विनिधान में भारी वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस स्कीम के अन्तर्गत और अधिक बाजारों को सम्मिलित किया जा सके। राज्य सरकारों से अनुदानों के लिए उपयुक्त और व्यवहार्य प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए पहले से अनुरोध किया जाए।

37. विनियमित बाजारों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम को संशोधित किया जाए ताकि पशु बाजारों का गौण बाजारों के रूप में वर्गीकरण किया जा सके और ऐसे बाजारों को 20 लाख रुपये तक की हकदारी दी जा सके।

38. विनियमित बाजारों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम को समय प्रतिमान, भू-प्रतिमान, फल और सब्जी बाजारों, हाट इत्यादि के पात्रता मानदंड के संबंध में उपर्युक्त रूप से सरल और कारगर बनाया जाए ताकि और अधिक बाजार केन्द्रीय सहायता पाने के हकदार बन सकें।

39. कृषि बाजारों के विकास के मास्टर प्लान को इस तरह से संसाधित करने के लिए प्राथमिकता दी जाए कि प्रस्ताव करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

40. भारत सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश के आदिवासी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों, सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में प्राथमिक बाजारों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए उच्च प्राथमिकता दें।

41. केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत की जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि एक ही किश्त में दी जाए।

42. कृषि विपणन में भारतीय खाद्य निगम, नेफेड, ट्राइफेड और अन्य सार्वजनिक खरीद एजेंसियों के प्रापण/खरीद कार्यों से किसानों को सीधे सहायता मिलती है। यह लाभ आंतरिक जन-जातीय क्षेत्रों सहित सारे देश को समान रूप से मिलना चाहिए।

43. सार्वजनिक खरीद एजेंसियों को उत्पाद सीधे किसानों से खरीदना चाहिए न कि कमीशन एजेंटों/आढ़ती इत्यादि के माध्यम से।

44. सार्वजनिक खरीद एजेंसियों के कार्य में पूरा-पूरा सामंजस्य लम्बवत और क्षैतिज होना चाहिए ताकि देश भर के प्रतियोगी कीमत निर्धारण के लिए उनकी विद्यमानता और प्रभावी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ, इन एजेंसियों को चाहिए कि वे एक दूसरे की सेवाओं और अवसंरचना का मिल-जुल कर उपयोग करें।

45. प्रत्येक बाजार, अहाते में (मुख्य अथवा उप-बाजार अहाता) सार्वजनिक खरीद एजेंसियों और सहकारी विपणन समितियों की लेन-देनों में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें दुकान व गोदाम को अन्य रियायतों के रूप में यथासंभव आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

46. एन.सी.ए. की सिफारिशों के अनुसार कृषक सेवा समितियों की संकल्पना ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा अपने उत्पाद के विपणन में सामूहिक कार्रवाई करने के लिए उपर्युक्त रूप से तैयार की जाए। इपको बाजार अहाते में दुकान व गोदाम और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

47. बाजार अहाते में बिना बिके उत्पाद पर किसानों को अल्पकालीन उधार/ऋण उपलब्ध कराने के लिए कुछ राज्यों में कतिपय पी. एम.सी. द्वारा कार्यान्वित की गई गिरवी वित्त स्कीम को विभिन्न राज्यों में सभी ए.पी.एम.सी. द्वारा समान रूप से अपनाया जाना चाहिए और कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

48. सरकार द्वारा घोषित समर्थन/खरीद मूल्य घट जाने का बीमा करने की एक स्कीम उत्पादक विक्रेता की सुरक्षा के लिए विकसित और कार्यान्वित की जाये।

49. सभी विकास कार्यकर्त्ताओं को विपणन ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक पृथक राष्ट्रीय कृषि विपणन बैंक की स्थापना करना और देश भर में विशेषकर विनियमित बाजारों में इनकी शाखाएं खोलना अत्याधिक आवश्यक है। इसे अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने और विनियमित बाजारों में लेन-देनों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ऋण जुटाने चाहिए।

50. तिलहनों और दलहनों की कटाई—पश्च प्रौद्योगिकी तैयार और अंगीकार किए जाने के संबंध में कृषि मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को समेकित किए जाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें व्यावसायिक स्तर पर अपनाया जा सके।

51. डी.एम.आई. को व्यावसायिक उपयोग के लिए सुधरी कटाई पश्च प्रौद्योगिकी की सिफारिश करने के लिए इसके लाभों और गुणों की परीक्षा करने के लिए फल और सब्जियों पर अपने फील्ड को व्यापक बनाना चाहिए।

52. प्याज पर विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए वैज्ञानिक संग्रहण शाला (शेड) के तीन मॉडलों को प्याज उत्पादन और विपणन क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया जाए।

53. फल, सब्जियों और फूलों का व्यापार करने वाली ए.पी.एम.सी. को शीत कक्ष और उपयुक्त पैकेजिंग का प्रचार करना चाहिए और इसके इस्तेमाल को सुगम बनाना चाहिए।

54. कटाई पश्च प्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान उन विशेषज्ञ निकायों द्वारा किया जाए जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत प्रौद्योगिकी की अच्छी जानकारी है और अनुसंधान निष्कर्ष लक्ष्य दलों को उपलब्ध कराए जाएं।

55. सरकार की पहल से कृषि विपणन में व्यापक व्यवहारिक अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ करने की आवश्यकता है।

56. आवश्यकता पर आधारित अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा ए.पी.एम.सी और कृषक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए। सरकार को चाहिए कि वे वह इस संबंध में मार्गदर्शी निर्देश और वित्तीय सहायता दे।

57. कृषि विपणन में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए निधि केवल ऐसे वास्तविक संगठनों को उपलब्ध कराई जाए जिनके पास उपयुक्त सुविज्ञता, अवसंरचना और नियंत्रण है। ऐसे अनुसंधान कार्य के परिणामों को मूर्त रूप देने पर इन संगठनों को आयकर में 100 प्रतिशत छूट दी जाए।

58. राज्यों के राज्य कृषि विपणन बोर्डों और केन्द्र स्थित डी.एम.आई. को अनुसंधान कार्य और उसके अनुप्रयोग के लिए समन्वय एजेंसियों के रूप में अभिहित किया जाए।

59. नवप्रवर्तित अनुसंधान निष्कर्षों के वाणिज्यीकरण के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने के वास्ते सरकार द्वारा 100 प्रतिशत सबसिडी के साथ वित्तीय सहायता की पहली किश्त उपलब्ध कराई जाए।

60. ए.पी.एम.सी. को कटाई-पूर्व देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को लगातार मार्गनिर्देश देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

61. विपणन और निरीक्षण निदेशालय तथा कृषि विपणन केन्द्र को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कृषि विपणन के विकास के लिए अपनी गतिविधियों को सुदृढ़ और गहन करना चाहिए।

62. विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि विपणन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रमुख सरकारी विभाग है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ बनाना चाहिए और इसे प्रभावी रूप से निभाना चाहिए।

63. कृषि विपणन केन्द्र, जयपुर को दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रबंध सलाह देने का काम जारी रखना चाहिए।

64. राज्यों के विस्तार निदेशालय और कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि-

अर्थशास्त्र/विस्तार विभागों में कृषि विपणन शिक्षा शैक्षिक कार्यक्रमों के अभिन्न अंग के रूप में शामिल की जानी चाहिए।

65. विभिन्न बाजार कार्यकर्त्ताओं, ए.पी.एम.सी. सदस्यों और किसानों इत्यादि को कृषि विपणन में प्रशिक्षण देने के लिए कर्नाटक पैटर्न पर प्रत्येक राज्य विपणन बोर्ड में महाविद्यालयों/केन्द्रों के साथ एक प्रशिक्षण कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष एजेंसी होने के नाते विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा आवश्यक वित्तीय और शिक्षा सहायता उपलब्ध कराई जाए।

66. नए भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेवाकालीन कार्मिकों के लिए पनुश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समय-समय पर आयोजित करना आवश्यक है।

67. प्रशिक्षण अवसंरचना तैयार करने से पहले प्रत्येक राज्य द्वारा कृषि विपणन के सभी स्तरों पर प्रशिक्षित कार्मिकों की मांग का निर्धारण किया जाए केन्द्रीय क्षेत्र के लिए मांग का निर्धारण विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा किया जाए।

68. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए और प्रशिक्षण विषय-वस्तु का समान स्तर सुनिश्चित करने के लिए विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि विपणन केन्द्र और कृषि विश्वविद्यालयों से लिए गए विशेषज्ञों की समिति गठित की जाए।

69. कृषि विपणन में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष एजेंसी होने के नाते विपणन और निरीक्षण निदेशालय को चाहिए कि वह आधुनिक शिक्षण संबंधी तकनीकी जानकारी और भोजन एवं आवास सुविधाओं से युक्त उपयुक्त प्रशिक्षण केन्द्रों का गठन करने के लिए राज्यों को अनुदान सहायता दे।

70. यह सिफारिश की जाती है कि विपणन और निरीक्षण निदेशालय को उदार वित्तीय सहायता के साथ-साथ व्यापक अभियान/प्रचार में राज्यों को समय पर और सार्थक सहायता देने के लिए विस्तार सेवाओं को बढ़ाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ विपणन और निरीक्षण निदेशालय के विस्तार विंग को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

71. एक कार्य समिति का गठन किया जाए जिसमें विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि हों और जिसमें स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, राज्य विपणन विभागों और संबंधित राज्यों के बोर्डों को सहयोजित किया जाए, जो अनन्य रूप से कृषि विपणन पहलुओं पर उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करें।

72. विपणन और निरीक्षण निदेशालय को राज्य विपणन विभागों/बोर्डों के सहयोग से गणतन्त्र दिवस समारोह में कृषि/विपणन कार्यक्रमों को आयोजित और प्रदर्शित करना चाहिए। जनवरी, 1993 में दिखाई जाने वाली झांकी के आयोजन के लिए एक समिति गठित की जाए जिसके अध्यक्ष कृषि विपणन सलाहकार हों, और कुछ बोर्ड सदस्य हों।

73. यह सिफारिश की जाती है कि विपणन बोर्डों, ए.पी.एम.सी और अलग-अलग व्यक्तियों के सर्वोत्तम कार्य-निष्पादन के लिए वार्षिक पुरस्कार रखे जाएं। दिए गए कार्य का मूल्यांकन करने और पुरस्कारों की सिफारिश करने के लिए कृषि विपणन सलाहकार की अध्यक्षता में 1993 में एक समिति गठित की जाए।

74. विपणन प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं के अंतरण के लिए विपणन बोर्ड/विभाग में एक पृथक विपणन_विस्तार कक्ष स्थापित किया जाए।

75. विपणन और निरीक्षण निदेशालय को चाहिए कि वह राज्य विपणन विस्तार कक्षों को उपयुक्त मार्गनिर्देश दें और उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करे।

76. प्रत्येक विनियमित बाजार में एक कृषि विपणन विस्तार यूनिट गठित की जानी चाहिए जो अपने-अपने क्षेत्रों में विस्तार कार्य करे।

77. सामायिक रुचि को विपणन संबंधी फिल्में, विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय भाषा में, तैयार की जाएं और समय-समय पर दिखाई जाएं।

78. ए.पी.एम.सी. को विपणन विस्तार यूनिटों और राज्य विपणन बोर्ड को चाहिए कि दैनिक आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक बुलेटिन के जरिए मौसम की स्थिति, फसल पूर्वानुमान, प्रत्याशित पूर्ति और मांग के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराए।

79. राज्य कृषि विपणन बोर्डों को एन.आई.सी.एन.ई.टी. से सम्बद्ध किया जाना चाहिए ताकि टैलेक्स और डी.ए.सी. का इस्तेमाल करके समय पर विश्लेषणात्मक सूचना सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

80. ए.पी.एम.सी. को अपने प्रमुख और उप-बाजार अहातों में कीमतों पर लगातार निगरानी रखनी चाहिए और यदि किसी वस्तु की कीमत समर्थन/खरीद मूल्य से कम हो जाए तो तत्काल राज्य और केन्द्र सरकार को उसकी सूचना देनी चाहिए।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के लिए सहायता-अनुदान

5990. श्री दत्ता मेघे : श्री प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कोई सहायता-अनुदान शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य को कितना अनुदान उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) देश में ग्रामीण लोगों को चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने निम्नलिखित सहायता-अनुदान योजनाएं आरम्भ की हैं :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना; और

2. चिकित्सा सेवाओं के सुधार की योजना।

स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता

दी जाती है :-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नए अस्पताल/औषधालय खोलना; और

(2) चिकित्सा सेवाओं में सुधार की योजना के अन्तर्गत मौजूदा अस्पताली सुविधाओं का विस्तार तथा सुधार सहायता का पैटर्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सहायता अनुदान की इन योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्वैच्छिक संगठनों को 1993-94 और 1994-95 के दौरान जारी की गई राशि क्रमशः 3,00,000 रुपये और 11,36,335 रुपये है।

(घ) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देने संबंधी मानदण्ड विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना

वित्तीय सहायता का स्वरूप

(क) ज्यादा से ज्यादा 30 पलंगों वाले अस्पतालों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

(ख) भारत सरकार और राज्य सरकार जिस अनावर्ती खर्च के लिए अंशदान देंगी उसमें जमीन खरीदना, अस्पताल के भवन, आपरेशन थियेटर, वार्डों और निवास एककों का निर्माण करना, जल तथा बिजली लगाना और अस्पताल के लिए अनिवार्य उपकरण खरीदना शामिल हैं।

(ग) अस्पताल/औषधालय को चलाने का खर्च संस्था वहन करेगी। वह संस्था ऐसा करने में असमर्थ होती है तो संबंधित राज्य सरकार घाटे को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान देती है और यदि वह संस्था काफी समय तक यह ऋण चुकाती तो राज्य सरकार, इस योजना के अधीन उपलब्ध वित्तीय सहायता से चलाई गयी संस्था को चलाने का उत्तरदायित्व स्वयं लेगी।

(घ) योजनाओं की लागत निश्चित करते समय 30 पलंगों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण और उपकरणों की मानक लागत अथवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दर्शाई गई अनुमानित लागत को जो कम होगी, ध्यान में रखा जाएगा।

(ङ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संस्था के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुपात में अंशदान देती :-

(1) **निर्माण कार्य (रिहायशी मकानों के अतिरिक्त) और उपकरण :**

केन्द्रीय सरकार : 40 प्रतिशत

राज्य सरकार : 40 प्रतिशत

संस्था : 20 प्रतिशत

(2) **निर्माण-रिहायशी मकान :**

केन्द्रीय सरकार : 50 प्रतिशत

राज्य सरकार : 35 प्रतिशत

संस्था : 15 प्रतिशत

(च) लागत मूल्य में हुई वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार अनुदान समिति द्वारा संस्तुत अनुदान की राशि को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सक्षम होंगे।

(छ) विशेष मामलों में भारत सरकार वित्त मंत्रालय से परामर्श करके वित्तीय सहायता को निर्धारित सीमा से अधिक सहायता प्रदान कर सकती है।

चिकित्सा सेवाओं के सुधार के लिए योजना

सहायता का स्वरूप

(क) एक्सरे प्लान्ट, एम्बुलेंस, आपरेशन थियेटर उपस्कर, विसंक्रामक यंत्र, अस्पताल के लिए खाटें, पलंग के साथ लॉकर, शल्यक्रिया उपकरण, प्रयोगशाला उपस्कर इत्यादि जैसे कीमती आवश्यक उपस्कर की खरीद के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी जाएगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को यह निर्णय लेने का अंतिम प्राधिकार होगा की उपस्कर की मद अनिवार्य है या नहीं।

(ख) जरूरतमंद लोगों के लिए अस्पताली, सुविधाओं के अतिरिक्त निर्माण और विस्तार के लिए, आपरेशन थियेटर, एक्सरे, प्रयोगशाला खंडों और गरीबों के लिए वार्ड निर्माण के लिए सहायता की सीमा निम्नलिखित होगी :-

(1) सिर्फ कुष्ठ रोग, नेत्र बीमारियों और दृष्टिहीनता के इलाज के लिए कार्य में लगी संस्था का शत-प्रतिशत।

(2) अन्य के मामलों में 50 प्रतिशत।

(3) जहां भारत सरकार से सहायता व्यय 50 प्रतिशत तक सीमित है, वहां बकाया 50 प्रतिशत संस्था द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ग) संस्था द्वारा पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई सहायता नहीं मिलेगी।

(घ) संस्था को उपस्कर और या/निर्माण के लिए एक वर्ष में दी जाने वाली कुल राशि 400 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ङ) लागत से हुई वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अनुदान समिति द्वारा संस्तुत अनुदान की रकम में 10 प्रतिशत तक वृद्धि करने के लिए सक्षम होंगे। बशर्ते यह रकम उपखंड (घ) में उल्लिखित 400 लाख रुपये से अधिक न हो।

विवरण-II

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएं

सहायता अनुदान की शर्तें :

(क) अनुदान का उपयोग केवल उस प्रयोजन के लिए किया जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया है।

(ख) (i) संस्था द्वारा दो प्रतिभूओं से निर्धारित प्रपत्र में इस का एक बंधपत्र भरा जाएगा कि वह अनुदान की शर्तों का पालन करेगा।

(ii) प्रतिभूओं की आवश्यकता तब नहीं होगी जब संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा किसी अन्य विधान के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा सरकारी समिति अथवा ख्याति प्राप्त संस्था हो।

(iii) जब बंध पत्र दो प्रतिभूओं द्वारा हस्ताक्षरित हो, तो उन दोनों की क्षमता ऋण चुकाने की होनी चाहिए और उन्हें बंध पत्र की राशि से कम पूंजी का स्वामी नहीं होना चाहिए जोकि अदालत की बिक्री से कुर्क अथवा बेची जा सके। यह बात जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य समकक्ष प्राधिकारी द्वारा बंध पत्र पर प्रमाणित होनी चाहिए।

(ग) संस्था किसी अनुसूचित बैंक या डाकखाने में संस्था के नाम, न कि किसी व्यक्ति के नाम अथवा पद नाम से एक खाता खोलेगी। खाते से लेन-देन दो कार्यालय पदधारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(घ) अनुदान की सम्पूर्ण राशि का इस्तेमाल निर्माण कार्य की स्थिति में अंतिम किश्त के डिमांड ड्राफ्ट/चैक के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर तथा उपस्करों के मामले में डिमांड ड्राफ्ट/चैक के जारी होने की तारीख से छह माह के अन्दर किया जाएगा। यदि अनुदान के उपयोग में कोई विलम्ब होने की संभावना हो तो भारत सरकार द्वारा आपवादिक स्थितियों में अनुदान के उपयोग की अवधि एक साल तक बढ़ाई जा सकती है। यदि संस्था मूल अथवा बढ़ाई गई अवधि के अन्दर सम्पूर्ण अनुदान राशि का उपयोग करने में असफल रहती है तो वह खर्च न की गई राशि को ब्याज के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार को वापस करेगी।

(ङ) विदेशी मुद्रा के खर्च में कोई वस्तु नहीं खरीदी जाएगी और भारत सरकार द्वारा किसी चीज के आयात के लिए कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

(च) निर्माण के लिए अनुदान की स्थिति में भवनों के नक्शे और अनुदान एक बार स्वीकृत हो जाने पर और अनुदान रिलीज किए जाने पर उनमें भारत सरकार के पूर्व-अनुमोदन से कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

(छ) संस्था अंकेक्षित खातों के साथ लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत् सत्यापित एक विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से इसी प्रयोजन के लिए कोई सहायता अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ज) अनुदान का कोई भी अंश राजनैतिक आंदोलन चलाने के लिए नहीं किया जाएगा।

(झ) संस्था भ्रष्टाचार के किसी मामले में लिप्त नहीं होगी।

(ञ) यदि अनुदान या उसका कोई अंश स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है तो सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी जोकि बहुत ही विशेष आधार पर आपवादिक स्थितियों में दी जाएगी।

(ट) संस्था अनुदान या उसका कोई हिस्सा अन्य खर्च से नहीं लेगी न ही वह अनुदान वाली योजना को किसी अन्य संस्था या संगठन को सौंपेगी। जब संस्था अनुदान प्राप्त कर लेने के बाद कार्य को करने अथवा पूरा करने में असमर्थ हो तो वह अनुदान को ब्याज के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार को तुरन्त वापस करेगी।

(ठ) भवन अनुदान के मामलें में स्वीकृत प्रयोजन के लिए भवन का उपयोग न किए जाने की स्थिति में सहायता अनुदान के रूप में दी गई राशि की वसूली हेतु भारत का पूर्व धारण अधिकार होगा।

(ड) जब राज्य सरकार की भूमि पर निर्माण किया गया हो और राज्य सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती हो तो उसका स्वामित्व भारत सरकार और राज्य सरकार के पास उस सीमा तक होगा जिस सीमा तक उन्होंने लागत वहन की हो और ऐसे भवन के निपटान की स्थिति में भारत सरकार और राज्य सरकार का उस अनुपात में पूर्व धारण अधिकार होगा जिस अनुपात में उन्होंने अंशदान किया हो।

(ढ) जब केन्द्र और राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि स्वीकृत धन का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है तो आगे अनुदान का भुगतान रोक दिया जाएगा और पहले दिया गया अनुदान ब्याज समेत वसूल किया जाएगा।

(ण) भारत सरकार योजना में निहित प्रत्येक कार्य पर किए गए व्यय की समय-समय पर रिपोर्ट मंगा सकेगी ताकि किसी असंगति अथवा निधियों के प्राधिकृत उपयोग पर रोक लग सेके।

(त) अनुदान का कोई भी भाग जिसे स्वीकृत कार्य के लिए खर्च नहीं किया गया है, भारत सरकार और राज्य सरकार की ब्याज सहित वापस दिया जाएगा।

(थ) संस्था भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार को निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उनके द्वारा प्राप्त अनुदान में से हुए वास्तविक खर्च को सूचित करेगी।

(द) संस्था के खातों का वित्तीय वर्ष के अंत में सनदी लेखाकार/सरकारी अंकेक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी। अनुदान के खातों का समुचित रूप तथा अपने सामान्य कार्यकलापों से अलग से रखा जाएगा और जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा गठित अनुदान समिति के किसी सदस्य अथवा भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए उपबंध किया जाएगा। वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टेस्ट चैक के लिए भी उपलब्ध होंगे।

(ध) जब किसी वित्तीय वर्ष में अनुदान की राशि अप्रयुक्त अनुदान के साथ पिछले वित्तीय वर्ष से आगे लाई जाती हैं और वह पांच लाख रुपये से कम हैं तो संस्था के खातों की संबंधित महालेखाकार अर्थात् वह महालेखाकार जिसके क्षेत्राधिकार में संस्थान आता है द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।

(न) जब अनुदान की राशि पांच लाख रुपये से अधिक हो तो

संस्था द्वारा अनुदानों का सहायक खाता रखा जाएगा और उसे निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय, राजस्व, नई दिल्ली को मंजूरी की संस्था और तारीख देते हुए प्रस्तुत किया जाएगा :

(i) संस्था के प्राप्तियों और भुगतान खातों, आय-व्यय खातों तथा तुलनपत्र की समग्र रूप में एक प्रति।

(ii) उनके विधान की एक प्रति।

(प) सहायता अनुदान से खरीदे गए उपकरणों अथवा निर्मित भवनों पर भारत सरकार का अधिकार होगा और संस्थान अनुदान में से संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से ली गई परिसम्पत्तियों, चाहे वह स्थाई हो अथवा अर्ध स्थाई, के अंकेक्षित रिकार्ड संलग्न प्रोफार्मा में रखेगा। भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी परिसम्पत्तियों का, उस प्रयोजन से इतर, जिसके लिए वह अनुदान दिया गया हो, निपटान, भारित/ऋण ग्रस्त अथवा उपयोग नहीं किया जा सकेगा। संस्थान किसी समय काम करना बंद कर दे तो ऐसी सभी परिसम्पत्तियों भारत सरकार को लौटा दी जाएंगी। प्रत्येक स्वीकृति के लिए अलग से रजिस्टर रखा जाएगा और वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अंकेक्षित खातों सहित उनकी प्रतियां प्रतिवर्ष भारत सरकार को भेजी जाएंगी। उपरोक्त संदर्भित शब्द परिसम्पत्तियों का अर्थ होगा :-

(1) अचल सपरिसम्पति और (2) पूंजीगत प्रकृति की वह चल परिसम्पति जिसका मूल्य 1,000 रुपये से अधिक हो। पुस्तकालय की पुस्तकें तथा साज-सज्जा की वह मदें जो परिसम्पत्तियों की शिक्षा में नहीं आती हैं।

(फ) किसी संस्थान द्वारा सही ढंग से रख-रखाव न किए जाने के कारण संबंधित राज्य सरकार रख-रखाव के लिए किसी अस्पताल/औषधालय का अधिग्रहण किए जाने की स्थिति में यह संस्थान अस्पताल/औषधालय की स्थापना की लागत के लिए प्रदत्त अंशदान के लिए किसी भी प्रकार के मुआवजे आदि का दावा करने हेतु पात्र नहीं होगा। तथापि संस्थान समय-समय पर वह क्षतिपूर्ति करने का पात्र होगा जो उसके द्वारा योगदान की गई परिसम्पतियों के सतत उपयोग उनकी उपयोगिता के समय के दौरान से संबंधित होंगे।

(ब) अनुदान का उपयोग करने के पश्चात् संस्थान आवश्यक रूप से प्रदर्शित करेगा।

—सहायता की मात्रा

—उसका प्रयोजन और

—उपलबध निःशुल्क पलंगों की संख्या।

(भ) संस्थान अविलम्ब अथवा निर्माण के मामले में अंतिम किश्त जारी होने से 15 महीने की अवधि में, और उपकरणों की खरीद के मामले में वर्ष की अवधि में, जो कोई भी पहले हो अथवा कोई अन्य अवधि जिसकी भारत सरकार से सहमति प्राप्त हो चुकी हों, निम्नलिखित समुपयोजन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा :

(क) किसी सनदी लेखाकार द्वारा यथा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र।

(ख) निर्धारित प्रपत्र में राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित अर्हता प्राप्त वस्तुकार/अभियंता से पूर्ण होने की रिपोर्ट।

(ग) किसी अभिकरण से उसी उद्देश्य के लिए अनुदान से प्राप्त न होने के बारे में सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित प्रमाण-पत्र।

(घ) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित परिसम्पतियों का दो प्रतियों में विवरण।

(ङ) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित संगठन के लेखों का अंकेक्षित विवरण अर्थात आय एवं व्यय विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा और तुलन-पत्र जो भारत सरकार, राज्य सरकार और संस्थान के हिस्से तथा उसके विरूद्ध उपगत व्यय।

(च) उपलब्धि-सह कार्यनिष्पादन रिपोर्ट जो यह दर्शाए :

(i) उद्देश्य जिसके लिए अनुदान मंजूर किया गया;

(ii) अनुदान का उपयोग किस तरह किया गया है; और

(iii) अनुदान की सहायता से संस्थान के कार्य-निष्पादन के सुधार की प्रकृति तथा सीमा।

(छ) संस्थान द्वारा मंजूरी पत्र में उल्लिखित सभी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद सहायतानुदान का भुगतान क्रोस्ड चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ज) संस्था अनुदान से सृजित सभी परिसम्पत्तियों का रख-रखाव उचित रूप से करेगा।

चिकित्सा सेवाओं में सुधार की योजना

अनुदान की शर्तें :

(क) अनुदान का उपयोग केवल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया है।

(ख) (i) संस्था द्वारा दो प्रतिभूओं से निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का एक बंध-पत्र भरा जाएगा कि वह अनुदान की सभी शर्तों का पालन करेगा।

(ii) प्रतिभूओं की आवश्यकता तब नहीं होगी जब संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा किसी अन्य विधान के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा सरकारी समिति अथवा ख्याति प्राप्त संस्था हो।

(iii) जब बंध पत्र दो प्रतिभूओं द्वारा हस्ताक्षरित हो, तो उन दोनों की क्षमता ऋण चुकाने की होनी चाहिए और उन्हें बंध-पत्र की राशि से कम पूंजी का स्वामी नहीं होना चाहिए जोकि अदालत की डिक्री से कुर्क अथवा बेची जा सके। यह बात जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य समकक्ष प्राधिकारी द्वारा बंध-पत्र पर प्रमाणित होनी चाहिए।

(ग) संस्था किसी अनुसूचित बैंक या डाकखाने में संस्था के नाम, न कि किसी व्यक्ति के नाम अथवा पद नाम से एक खाता खोलेगी। खाते से लेन-देन दो कार्यालय पदधारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(घ) अनुदान की सम्पूर्ण राशि का इस्तेमाल निर्माण कार्य की स्थिति में अंतिम किस्त के डिमांड ड्राफ्ट/चैक के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर तथा उपस्करों के मामले में डिमांड ड्राफ्ट/चैक के जारी होने की तारीख से छह माह के अन्दर किया जाएगा। यदि अनुदान के उपयोग में कोई विलम्ब होने की संभावना हो तो भारत सरकार द्वारा आपवादिक स्थितियों में अनुदान के उपयोग की अवधि एक साल तक बढ़ाई जा सकती है। यदि संस्था मूल अथवा बढ़ाई गई अवधि के अन्दर सम्पूर्ण अनुदान राशि का उपयोग करने में असफल रहती है तो वह खर्च न की गई राशि को ब्याज के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार को वापस करेगी।

(ङ) विदेशी मुद्रा के खर्च से कोई वस्तु नहीं खरीदी जाएगी और भारत सरकार द्वारा किसी चीज के आयात के लिए कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

(च) निर्माण के लिए अनुदान की स्थिति में भवनों के नक्शे और अनुमान एक बार स्वीकृत हो जाने पर और अनुदान रिलीज किए जाने पर उनमें भारत सरकार के पूर्व-अनुमोदन के बिना कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

(छ) संस्था अंकेक्षित खातों के साथ लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत सत्यापित एक विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से इसी प्रयोजन के लिए कोई सहायता अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ज) अनुदान का कोई भी अंश राजनैतिक आन्दोलन चलाने के लिए नहीं किया जाएगा।

(झ) संस्था भ्रष्टाचार के किसी मामले में लिप्त नहीं होगी।

(ञ) यदि अनुदान या उसका कोई अंश स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने का प्रस्ताव है तो भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी जो कि बहुत ही विशेष आधार पर आपवादिक स्थितियों में दी जाएगी।

(ट) संस्था अनुदान या उसका कोई हिस्सा अन्य खर्च में नहीं लेगी न ही वह अनुदान वाली योजना को किसी अन्य संस्था या संगठन को सौंपेगी। जब संस्था अनुदान प्राप्त कर लेने के बाद कार्य को करने अथवा पूरा करने में असमर्थ हो तो वह अनुदान को ब्याज के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार को तुरन्त वापस करेगा।

(ठ) भवन अनुदान के मामले में स्वीकृत प्रयोजन के लिए भवन का उपयोग न किए जाने की स्थिति में सहायता अनुदान के रूप में दी गई राशि की वसूली हेतु भारत सरकार का पूर्व-धारण अधिकार होगा।

(ड) जब राज्य सरकार की भूमि पर निर्माण किया गया हो और राज्य सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती हो तो उसका स्वामित्व भारत सरकार और राज्य सरकार के पास उस सीमा तक होगा जिस सीमा तक उन्होंने लागत वहन की हो और ऐसे भवन के निपटान की स्थिति में भारत सरकार और राज्य सरकार का उस अनुपात में पूर्वधारण अधिकार होगा जिस अनुपात में उन्होंने अंशदान किया हो।

(ढ) जब केन्द्र और राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि स्वीकृत धन का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है तो आगे अनुदान का भुगतान रोक दिया जाएगा और पहले दिया गया अनुदान ब्याज समेत वसूल किया जाएगा।

(ण) भारत सरकार योजना में निहित प्रत्येक कार्य पर किए गए व्यय का समय-समय पर रिपोर्टें मंगा सकेगी ताकि किसी असंगति अथवा निधियों के अप्राधिकृत उपयोग पर रोक लग सके।

(त) अनुदान का कोई भी भाग जिसे स्वीकृत कार्य के लिए खर्च नहीं किया गया है, भारत सरकार और राज्य सरकार को ब्याज सहित वापस किया जाएगा।

(थ) संस्था भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार को निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उनके द्वारा प्राप्त अनुदान में से हुए वास्तविक खर्च को सूचित करेगी।

(द) संस्था के खातों की वित्तीय वर्ष के अंत में सनदी लेखाकार/सरकारी अंकेक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी। अनुदान के खातों को समुचित रूप से तथा अपने सामान्य कार्यकलापों से अलग से रखा जाएगा और जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा गठित अनुदान समिति के किसी सदस्य अथवा भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध किया जाएगा। वे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टेस्ट-चैक के लिए भी उपलब्ध होंगे।

(ध) जब किसी वित्तीय वर्ष में अनुदान की राशि अप्रयुक्त अनुदान के साथ पिछले वर्ष से आगे लाई जाती है और वह पांच लाख रुपये से कम है तो संस्था के खातों की संबंधित महालेखाकार, अर्थात् वह महालेखाकार जिसके क्षेत्राधिकार में संस्थान आता है, द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।

(न) जब अनुदान की राशि पांच लाख रुपये से अधिक हो तो संस्था द्वारा अनुदानों का सहायक खाता रखा जाएगा और उसे निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को मंजूरी की संस्था और तारीख देते हुए प्रस्तुत किया जाएगा :-

(1) संस्थान के प्राप्तियों और भुगतान खातों, आय-व्यय खातों तथा तुलन-पत्र की समग्र रूप से एक प्रति।

(2) उनके विधान की एक प्रति।

(प) सहायता अनुदान से खरीदे गए उपकरणों अथवा भवनों पर भारत सरकार का अधिकार होगा और संस्थान अनुदान में से संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से ली गई परिसम्पतियों, चाहे वह स्थायी हो अथवा अर्ध-स्थायी, के अंकेक्षित रिकार्ड संलग्न, प्रोफार्मा में रखेगा। भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना ऐसी परिसम्पतियों का, उस प्रयोजन से इतर, जिसके लिए वह

अनुदान दिया गया हो, निपटान, भरित/ऋण ग्रस्त अथवा उपयोग नहीं किया जा सकेगा। संस्थान किसी समय काम बंद कर दे तो ऐसी सभी परिसम्पतियां भारत सरकार को लौटा दी जाएगी। प्रत्येक स्वीकृति के लिए अलग से रजिस्टर रखा जाएगा और वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अंकेक्षित खातों सहित उनकी प्रतियां प्रतिवर्ष भारत सरकार को भेजी जाएंगी। उपरोक्त संदर्भित शब्द परिसम्पतियों का अर्थ होगा :-

(1) अचल परिसम्पति और (2) पूंजीगत प्रकृति की वह चल परिसम्पति जिसका मूल्य 1,000/- रुपये से अधिक हो। पुस्तकालय की पुस्तकें तथा साज-सज्जा की वह मदें जो परिसम्पतियों की शिक्षा में नहीं आती हैं।

(फ) अनुदान का उपयोग करने के पश्चात् संस्थान आवश्यक रूप से प्रदर्शित करेगा।

—सहायता की मात्रा

—उसका प्रयोजन और

—उपलब्ध निःशुल्क पलंगों की संख्या।

(ब) संस्थान अविलम्ब निर्माण के मामले में अंतिम किश्त जारी होने से 15 महीने की अवधि में, और उपकरणों की खरीद के मामले में वर्ष की अवधि में जो कोई भी पहले हो अथवा कोई अन्य अवधि जिसकी भारत सरकार से सहमति प्राप्त हो चुकी हो, निम्नलिखित समुप्रयोजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा :-

(1) किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रथा-प्रमाणित उपयोगिकता प्रमाण-पत्र।

(2) निर्धारित प्रपत्र में राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित अर्हता प्राप्त वस्तुकार/अभियंता से पूर्व होने की रिपोर्ट।

(3) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित परिसम्पतियों का दो प्रतियों में विवरण।

(4) सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित संगठन के लेखों का अंकेक्षित विवरण अर्थात् आय एवं व्यय विवरण, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा और तुलन-पत्र जो भारत सरकार, राज्य सरकार और संस्थान के हिस्से तथा उसके विरूद्ध उपगत व्यय।

(5) उपलब्धि-सह कार्यनिष्पादन रिपोर्ट जो यह दर्शाएं :-

(क) उद्देश्य जिसके लिए अनुदान मंजूर किया गया;

(ख) अनुदान का उपयोग किस तरह किया गया है; और

(ग) अनुदान की सहायता से संस्थान के कार्यनिष्पादन के सुधार की प्रकृति तथा सीमा।

(6) संस्थान द्वारा मंजूरी पत्र में उल्लिखित सभी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद सहायतानुदान का भुगतान क्रास्ड बैंक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

(7) संस्थान अनुदान से सृजित सभी परिसम्पतियों का रख-रखाव उचित रूप से करेगा।

(8) ऐसे संस्थान, जो दो लाख रुपये अथवा उससे अधिक का अनुदान प्राप्त करते हैं, कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए निःशुल्क रेफरल सेवाएं उपलब्ध करेंगे।

लोक आदलतें

5991. श्री राम टहल चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के कार्यान्वयन के बाद बिहार में कितनी लोक अदालतों का गठन किया गया है; और

(ख) इन अदालतों द्वारा अब तक कितने मामले निपटाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ है। तथापि, बिहार राज्य विधिक सहायता बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार राज्य में 1987 से अब तक 33 लोक अदालतें आयोजित की गई हैं।

(ख) इन लोक अदालतों द्वारा अब तक 41,921 मामले निपटाए गए हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में भूतपूर्व सैनिक

5992. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्या है;

(ख) राज्य में इन भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए किन-किन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ग) ऐसे कार्यक्रमों से कितने भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित हुए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात में विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में कुल 8,443 भूतपूव्र सैनिकों के नाम पंजीकृत हैं।

2. भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए व्यापक व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह 'ग' और 'घ' पदों में आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। अर्ध सैनिक बलों में सहायक कमांडेंटों के पदों में भी 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। रक्षा सुरक्षा कोर में मुख्यतः भूतपूर्व सैनिकों को ही भर्ती किया जाता है। इसके अलावा, गुजरात सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकार के विभागों और उसके उपक्रमों में समूह 'ग' और 'घ' पदों में 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। इसके अतिरिक्त, पशु चिकित्सा सेवा/पशुपालन सेवा की श्रेणी-1 और 2 में सीधे चयन द्वारा भरे जाने वाले 25 प्रतिशत

पद भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहते हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पुनर्नियोजन के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को आयु और शैक्षणिक अर्हता में भी छूट देती हैं।

3. अनेक केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। इनमें से सेमफेक्स-1 योजना के अंतर्गत लघु उद्योग परियोजनाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; सेमफेक्स-2 योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी कृषि एवं गैर-कृषि कार्य शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है; सेमफेक्स-3 योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और निशक्त भूतपूर्व सैनिकों को पैट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों का प्राथमिकता के आधार पर आबंटन और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एजेंसियों के आबंटन आदि के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। भूतपूर्व सैनिक सैन्य अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा कैंटीन स्टोर विभाग की निकटतम कैंटीनों में कैंटीन सुविधाएं पाने के हकदार हैं। वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को रेलगाड़ी से यात्रा करने पर द्वितीय श्रेणी में और देश के भीतर हवाई यात्रा में 50 प्रतिशत की रिआयत दी जाती है। जिन भूतपूर्व सैनिकों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती है उन्हें रक्षा मंत्री कल्याण निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है।

4. वर्ष 1993 के दौरान गुजरात के 133 भूतपूर्व सैनिकों और वर्ष 1994 के दौरान 159 भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में पुनः रोजगार दिया गया। सेमफेक्स-1 योजना के अंतर्गत अप्रैल 1987 से इस योजना को शुरू किए जाने से लेकर अब तक गुजरात के 58 भूतपूर्व सैनिकों को 2,46,51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। सेमफेक्स-2 योजना के तहत गुजरात के ही 17 भूतपूर्व सैनिकों को लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से 28.13 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। वर्ष 1994 के दौरान वाणिज्यिक बैंक ऋण योजना के तहत बम्बई मर्कैंटाइल बैंक द्वारा दो भूतपूर्व सैनिकों को 12.72 लाख रुपये का ऋण दिया गया।

5. भूतपूर्व सैनिक निकटतम सैन्य अस्पताल से चिकित्सा उपचार करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1993 और 1994 के दौरान गुजरात के कुल 8 भूतपूर्व सैनिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा व्यय के रूप में सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि से 30,800 रुपये की प्रतिपूर्ति की गई।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

5993. **श्री मोहन रावले :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम लागू करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

न्यायाधीशों एवं सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

5994. **डा. मुमताज अंसारी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो/ऐसी अन्य खुफिया एजेंसियों को सरकार द्वारा क्या उत्तरदायित्व सौंपा गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन एजेंसियों को न्यायाधीशों तथा सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मामले, विशेषतः 8-2-95 को पुलिस को प्राप्त शिकायतें दर्ज करने की अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इन एजेंसियों द्वारा आज की तिथि तक दिल्ली में कितने मामले दर्ज किए गए तथा जिन दोषी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण मामले दर्ज नहीं हो पाते उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार 5 अप्रैल, 95 के दैनिक जागरण में "मामले की रिपोर्ट दर्ज न करने पर नायब दरोगा निलंबित" शीर्षक से प्रकाशित समाचार से भी अवगत है; और

(ङ) अप्रैल 95 के दौरान ऐसे मामलों के संबंध में प्रधान मंत्री को सांसदों के ऐसे कितने पत्र प्राप्त हुए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की पहली तथा दूसरी प्रविष्टियों के अनुसार पुलिस तथा कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पुलिस स्थापन है जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के उपबंधों के तहत अपराधों या भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों तथा विशेष अपराधों जिनमें सरकारी कर्मचारी लिप्त हैं, की जांच करता है।

(ख) और (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 की धारा 154 तथा 155 में संज्ञेय/गैर संज्ञेय अपराधों को दर्ज करने की प्रक्रिया दी गई है। पुलिस प्राधिकारियों को मामलों को दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में निर्दिष्ट प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होता है।

दिल्ली के पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति डा. एम. एम. भारद्वाज ने चोरी के एक मामले के संबंध में महरौली के थाने में शिकायत की। की गई जांच के आधार पर शिकायत पर विचार करने के बाद पुलिस ने इसे पंजाब पुलिस नियमावली के नियम 24.4 के अधीन कार्रवाई करने का निर्णय किया।

(घ) जी, हां।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर

5995. **डा. आर. मल्लू :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1995 के "द स्टेट्समैन" में

"पाक ट्रेनिंग कैम्पस शिफ्टिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या पाकिस्तान ने कश्मीरी आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए जम्मू क्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में अब तक ऐसे कितने प्रशिक्षण कैन्द्रों का पता लगाया गया है; और

(घ) इस क्षेत्र में घुसपैठ रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ) जम्मू व कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को मदद देने तथा उसे भड़काने के प्रयास अनियंत्रित रूप जारी रहे हैं। इस प्रयोजन हेतु, पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में तथा नियंत्रण रेखा/सीमा पर भी अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न शिविर स्थापित किए हैं ताकि उनको भड़काने वाले उपदेश, अत्याधुनिक शस्त्र और उपकरणों का प्रशिक्षण और उनका प्रयोग तथा राज्य में गुमराह कश्मीरी युवकों और अन्य कट्टर आतंकवादी तत्वों को भेजा तथा उनकी घुसपैठ कराई जा सके। इस प्रकार के मौजूदा शिविरों की ठीक-ठीक संख्या बताना कठिन है। विभिन्न मार्गों से घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा बनाए गए रबाव के अलावा शिविरों को जल्दी-जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है ताकि उनकी पहचान न की जा सके और उनकी पहचान होने पर मुकरने का प्रयास किया जा सके।

सीमा/नियंत्रण रेखा के उस पार से आतंकवादियों की घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में आसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय बनाना, केन्द्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना, सुरक्षा बलों की तैनाती और अभियानों को अधिक सुदृढ़ और सुचारू बनाना, संवेदनशील इलाकों और जम्मू व कश्मीर की सीमा पर गश्त गहन करना तथा राज्य में भारत-पाक सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाना और फ्लड लाईट लगाना, शामिल हैं।

कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्र

5996. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में कुल कितने कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने इन केन्द्रों को कितनी सहायता प्रदान की है;

(ग) क्या इन केन्द्रों में कुष्ठ रोगियों को मुफ्त दवाएं दी जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) गुजरात राज्य में कुष्ठ रोग उन्मूलन के 446 केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) गुजरात राज्य को राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1993-94 और 1994-95 के दौरान नकद तथा सामग्री के रूप में निम्नलिखित सहायता राशि जारी की गई :

(लाख रुपये में)

वर्ष	नकद	सामग्री	जारी की गई राशि कुल
1993-94	24.00	10.69	34.69
1994-95	17.50	60.07	77.57

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी रोगियों का कुष्ठ-रोधी उपचार निःशुल्क किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सैनिक स्कूलों का कार्य-निष्पादन

5997. श्री राम कृपाल यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों के कार्य-निष्पादन के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सैनिक स्कूलों के गठन के लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सैनिक स्कूलों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, बारहवीं कक्षा की परीक्षा में तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए प्रवेश परीक्षा में सैनिक स्कूलों के कार्य-निष्पादन के संबंध में 1992-93 में किए गए आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार सैनिक स्कूलों का कार्य-निष्पादन 48.6 प्रतिशत से बढ़कर 58.4 प्रतिशत हो गया है।

2. सैनिक स्कूलों का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए लड़कों को शैक्षिक, शारीरिक तथा मानसिक रूप से तैयार करना है। सैनिक स्कूलों में 1994 तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 4649 कैडेट भेजे हैं। इस तरह, सैनिक स्कूलों को स्थापित करने का उद्देश्य पूरा हुआ है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो

5998. श्री सुधीर सावन्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने देश में काले धन को सफेद बनाने के कार्य का पता लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आर्थिक अपराधों का पता लगाने के कार्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो और वित्त मंत्रालय एवं इसके संगठन के बीच समन्वय की प्रकृति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय में प्रवर्तन निदेशालय का संबंध फेरा उल्लंघन के मामलों का पता लगाने से है, जिसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस प्रकार के मामले जब तथा जैसे उनके ध्यान में आए, भेजता है।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में हाल ही में बनाई गई आर्थिक अपराध शाखा, आर्थिक अपराधों/बैंक से संबंधित अपराधों इत्यादि की जांच करती है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो आर्थिक अपराधों का पता लगाने के लिए तथा इनसे निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ बैठक करता है। इसी प्रकार एन. डी. पी. एस. अधिनियम से संबंधित मामलों के निपटान एवं उनका पता लगाने के लिए बेहतर रूप में समन्वय के आशय से नारकोटिक्स सेन्ट्रल ब्यूरो तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों के बीच बैठकें आयोजित की जाती हैं।

एड्स नियन्त्रण

5999. श्री वी. कृष्णा राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिल्ली स्थित दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने सम्भोग-जन्य रोगों और एड्स के लिए एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिन्वेरा) : (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण-पूर्व एशिया कार्यालय संलक्षणिक कार्यविधि अपनाकर तथा प्रवासी उपचार से संभोग जन्य रोगों का आरम्भावस्था में निदान करने, एस टी डी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देने तथा इस संबंध में उपयुक्त नीतियां तथा कार्यविधियां बनाने पर बल दे रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाई गई नीतियां तथा कार्यविधियां राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम के ढांचे में सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग उन्मूलन

6000. श्री मंजय लाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अन्य देशों ने स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम हेतु आसान शर्तों पर ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम को चलाने हेतु चालू वर्ष के दौरान बिहार को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों के सामने आ रही समस्याओं को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिन्वेरा) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए छह वर्षों की अवधि के लिए 302 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का वचन दिया है। डेनिडा 1500 लाख डेनिश क्रोनर की सहायता उपलब्ध करवा रहा है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा इस राशि का उपयोग छह वर्षों की अवधि में मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा तमिलनाडु के आठ जिलों में किया जाएगा। इससे पहले सिडा ने 30 जिलों तथा नोराड ने तीन जिलों के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई थी तथा उनकी सहायता शर्तें पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।

(ग) बिहार को चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 330.40 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(घ) स्वयंसेवी संगठनों का वार्षिक सम्मेलन हर वर्ष आयोजित किया जाता है ताकि उनकी समस्याओं पर विचार किया ता सके तथा उनके अनुभवों का आदान-प्रदान हो सके। सभी पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को कुष्ठ-रोधी औषधियां सप्लाई की जाती हैं।

[अनुवाद]

औषधीय पौधे

6001. डा. असीम बाला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा औषधीय पौधों का पता लगाया गया है अथवा लगाये जाने का विचार है ताकि उनको पेटेंट के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जैव विज्ञानों के संबंध में नज़रिये का ब्यौरा क्या है तथा सक्रिय जीवों पर पेटेंट कानूनों का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (की जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पेटेंट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत, सक्रिय जीवों से संबंधित पेटेंट आवेदन पत्रों के लिए कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया जाता।

आयुर्वेद

6002. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आयुर्वेद संबंधी अनुसंधान में लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या संस्थान को दिया गया धन पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो संस्थान को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सैनिकों का प्रशिक्षण

6003. श्री तारा सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत काल में विभिन्न भारतीय सैन्य विद्यालयों में विदेशों के सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां, मित्र देशों के सैनिकों को।

(ख) भागीदार देशों द्वारा नामित किए गए अफसरों (कमीशन प्राप्त तथा गैर कमीशन प्राप्त) को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना विकासशील देशों के साथ हमारे समग्र सहयोग कार्यक्रम के एक भाग के रूप में है और यह इन देशों के साथ हमारे संबंधों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से किया गया है।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ग्रामीण विकास

6004. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न विभागों में ग्रामीण विकास एजेंसियां गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले ग्रामीण विकास कार्य को स्वैच्छिक संगठनों के साथ जोड़ने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई ह्यरजीभाई पटेल) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला स्तर पर जिला/राज्य ग्रामीण विकास एजेंसियों की मार्फत पहले ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये अपने-अपने राज्य के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समितियां हैं और आमतौर पर उनकी अध्यक्षता राज्य में प्रचलित प्रक्रिया के आधार पर जिलाधीश/उपायुक्त/अध्यक्ष, जिला परिषद द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) स्वयंसेवी संगठन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। इन संगठनों को लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की चल रही योजनाओं की मार्फत वित्तीय सहायता भी दी जाती है। ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना जैसे ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी 13,567 परियोजनाओं का 30 नवम्बर, 1994 तक वित्त पोषण लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा किया गया है जिनमें 225.03 करोड़ रुपये की कुल रिलीज शामिल है।

[अनुवाद]

मारुति उद्योग–विनिवेश

6005. श्री पीयूष तीरकी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयरों में सुजुकी मोटर कम्पनी और भारत सरकार के शेयरों का अनुपात क्या है;

(ख) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड को विनिवेश के साथ-साथ नए इश्यू के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सुजुकी मोटर कारपोरेशन, भारत सरकार और मारुति उद्योग लिमिटेड कर्मचारी पारस्परिक लाभ निधि के पास शेयर 50 : 49.74 : 0.26 के अनुपात में हैं।

(ख) सरकार को अनिवेश के लिए अथवा मारुति उद्योग लिमिटेड में नए निर्गम के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारी संघ

6006. श्री राजेश कुमार :

श्री तेजनारायण सिंह :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संघों को मान्यता प्रदान करने के लिए नए नियम तैयार किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न कर्मचारी संघों की सदस्य संख्या के निर्धारण हेतु विभिन्न पद्धतियों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संगमों की मान्यता) नियम, 1993 दिनांक 5-11-93 को अधिसूचित किए गए थे। उपर्युक्त नियमावली के नियम 7 के अनुसार सेवा एसोसिएशन की मान्यता के आशय से सदस्यता का सत्यापन वेतन चिट्ठों में चैक-ऑफ पद्धति से किया जाएगा।

मृत रक्षा कर्मियों के आश्रितों को रोजगार

6007. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मृत रक्षा कर्मियों के कितने आश्रितों को 1993-94 और 1994-95 के दौरान रोजगार दिया गया; और

(ख) 1995-96 के दौरान कितने आश्रितों को रोजगार दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिवंगत रक्षा कार्मिकों के जिन आश्रितों को इन दो वर्षों के दौरान रोजगार प्रदान किया गया है, उनकी संख्या इस प्रकार है :

वर्ष		संख्या
1993-94	—	1050
1994-95	—	2108

(ख) सभी पात्र आश्रितों को 1995-96 के दौरान अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिए जाने के मामले पर रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान

6008. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य सरकार ने मद्रास में राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान खोलने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव की सम्भाव्यता की जांच कर लेने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

पवन ऊर्जा परियोजनाएं

6009. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 1994-95 के दौरान पवन ऊर्जा संबंधी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) 1994-95 के दौरान सारे देश में पवन ऊर्जा के विकास पर कुल कितना धन खर्च हुआ ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) पवन विद्युत परियोजनाएं, मुख्यतया निजी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं हैं। प्रारंभ में संभावित राज्यों में कुछ प्रदर्शन परियोजनाएं आरंभ की गई थीं। गुजरात में अब तक कुल 64.5 मेवा. पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है जिसमें 48.2 मेवा. की निजी क्षेत्र परियोजनाएं और 16.3 मेवा. की प्रदर्शन परियोजनाएं शामिल हैं। कुल निजी क्षेत्र क्षमता में से 37.6 मेवा. क्षमता वर्ष 1994-95 के दौरान स्थापित की गई। राज्य में उस वर्ष के दौरान कोई प्रदर्शन परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई। इसलिए राज्य में पवन सर्वेक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा किया गया व्यय 5.5 लाख रुपये की राशि तक सीमित रहा।

(ग) देश में पवन ऊर्जा के विकास पर वर्ष 1994-95 के दौरान किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। चार राज्यों में लिया गया व्यय, उन राज्यों में कार्यान्वित की जा रही प्रदर्शन परियोजनाओं के कारण, अपेक्षाकृत अधिक है। अन्य राज्यों में, पवन सर्वेक्षण परियोजनाओं पर व्यय किया गया है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान पवन ऊर्जा के विकास पर किया गया व्यय

क्रम सं.	राज्य	राशि (लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	160.17
2.	गुजरात	5.50
3.	कर्नाटक	331.01
4.	केरल	290.00
5.	महाराष्ट्र	144.00
6.	उड़ीसा	0.50
7.	पंजाब	1.50
8.	तमिलनाडु	4.24
9.	उत्तर प्रदेश	0.40
10.	पश्चिम बंगाल	1.00

सौर ताप विद्युत केन्द्र

6010. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सौर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की क्षमता कितनी है;

(ग) इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इस परियोजना का व्यवसायिक उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) राजस्थान में जोधपुर के निकट 35 मेवा. की अनुसंधान एवं विकास-सह-प्रदर्शन सौर तापीय विद्युत परियोजना को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है, जो वित्तीय संसाधन जुटाए जाने और आवश्यक अनुमोदनों पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) इस परियोजना पर लगभग 311 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमें भूमि, स्थल विशेष तक पानी लाने की लागत और ग्रिड इन्टरकनक्शन की लागत तथा सीमा शुल्क और कर शामिल नहीं हैं। निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने के लगभग 27 माह के पश्चात् इस परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम

6011. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत गांवों में बेहतर और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे योजनाएं समुचित रूप से लागू नहीं की जा रही हैं;

(ग) क्या दूरस्थ गांवों में निर्धन ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने हेतु किए गए योजनाबद्ध उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) से (ग) ग्रामीण लोगों के लिए प्राथमिक तथा विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से निम्नलिखित जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है :

	जनसंख्या संबंधी मानदण्ड		31-12-1994 की स्थिति के अनुसार केन्द्रों की संख्या
	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी क्षेत्र	
उप केन्द्र	5000	3000	1,31,476
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000	21,254
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	120000	80000	2,328

(घ) सरकार राज्यों को यह परामर्श दे रही है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उपकेन्द्र 3-4 किलोमीटर की दूरी से अधिक स्थान पर स्थित न हों और अब कुल मिलाकर यह स्थिति आ चुकी है।

महिलाओं की भर्ती

6012. श्री राम पूजन पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों में भी महिलाओं की भर्ती करने के लिए निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सेना के तीनों अंगों ने महिलाओं की भर्ती और इस प्रयोजनार्थ मानक निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सरकार ने सशस्त्र सेनाओं की अयोधी शाखाओं में महिलाओं की अफसरों के रूप में भर्ती के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। महिलाओं की अफसरों के रूप में भर्ती सेना, नौसेना और वायुसेना की निम्नलिखित शाखाओं में की जाती है :

सेना : आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिगनल्स, सेना सेवा कोर, सेना आयुध कोर, ई एम ई, सेना शिक्षा कोर, आसूचना और जज एडवोकेट जनरल शाखा।

नौसेना : शिक्षा, संभारिकी, विधि, हवाई यातायात नियंत्रण।

वायुसेना : उड़ान, वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी), वैमानिकी इंजीनियरी (यांत्रिक), प्रशासन, संभारिकी, लेखा, शिक्षा, मीसम विज्ञान।

2. महिलाओं की भर्ती अफसर संवर्ग तक ही सीमित रखी गई है जो कि अल्पकालिक सेवा कमीशन के आधार पर प्रारंभतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है किन्तु वायुसेना की तकनीकी शाखा में यह भर्ती केवल तीन वर्ष के लिए की जाती है।

3. सेना, नौसेना और वायुसेना की उपर्युक्त शाखाओं में जिन महिला अफसरों को अब तक कमीशन दिया गया है उनकी संख्या क्रमशः 124, 35 तथा 116 है। सेना, नौसेना और वायुसेना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला अफसरों की संख्या क्रमशः 24, 14 तथा 36 है।

[अनुवाद]

एन. सी. सी. सुविधाएं

6013. प्रो. प्रेम धूमल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कुछ और विद्यालयों में एन. सी. सी. सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश के जिन 6 विद्यालयों में एन. सी. सी. शुरू करने के लिए वित्तीय सहमति संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को अगस्त, 1992, जून, 1993 और जुलाई, 1994 में भेजा गया था वे इस प्रकार हैं :

(1) सैनिक स्कूल, सुजानपुर टीरा

(2) राजकीय माध्यमिक विद्यालय सलोह (नुआ) ऊना

(3) राजकीय माध्यमिक विद्यालय ऊना

(4) राजकीय माध्यमिक विद्यालय बगवाड़ा

(5) राजकीय माध्यमिक विद्यालय मैर

(6) राजकीय माध्यमिक विद्यालय तउणी देवी, हमीरपुर

हिमाचल प्रदेश की सरकार से अभी तक सहमति प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण इन विद्यालयों को स्वीकृति नहीं भेजी जा सकी।

डेंटल कालेज

6014. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने-कितने डेंटल कालेज हैं;

(ख) कितने डेंटल कालेजों को डेंटल कौंसिल आफ इंडिया द्वारा मान्यता दी गई है/स्वीकृति दी गई है;

(ग) क्या उन डेंटल कालेजों को मान्यता/स्वीकृति देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक मान्यता दे दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) राज्यवार दन्त चिकित्सा कालेजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 में दन्त चिकित्सा कालेजों को मान्यता देने का कोई प्रावधान नहीं है। वैसे, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वे इस परिषद द्वारा निर्धारित किए गए मानकों का अनुपालन करें, दन्त चिकित्सा कालेजों का मूल्यांकन करती है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	दन्त चिकित्सा कालेजों की संख्या
1.	महाराष्ट्र	14
2.	उत्तर प्रदेश	2
3.	पंजाब	3
4.	आन्ध्र प्रदेश	2
5.	तमिलनाडु	9
6.	पश्चिम बंगाल	2
7.	गुजरात	2
8.	कर्नाटक	16
9.	केरल	2
10.	मध्य प्रदेश	1
11.	बिहार	3
12.	गोवा	1
13.	हरियाणा	2
14.	असम	1
15.	राजस्थान	1
16.	उड़ीसा	1
17.	जम्मू व कश्मीर	1
18.	दिल्ली	2
19.	पांडिचेरी	1
20.	चण्डीगढ़	1
	जोड़ :	67

सर्प दंश

6015. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्प दंश के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा प्रणाली में इसके उपयुक्त प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उपचार को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सर्प दंश को निष्क्रिय करने के लिए साधारणतः निम्नलिखित औषधियों की सिफारिश की जाती है :

होमियोपैथी

1. गोलोन्ड्रीना
2. सेड्रॉन
3. जिमनेमा
4. सिसिरिन्वियम
5. ग्वाको
6. सैलगीनॉल

यूनानी

1. तिर्याग अफई
2. तिर्याग सामनियां
3. जद्वार और जहर मोहरा।

(ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धति में उपचार के संवर्धन एवं विकास के दृष्टिकोण से भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी का एक अलग विभाग बनाया गया है।

'एड्स' रोग परीक्षण

6016. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आने वाले सभी विदेशी छात्रों के लिए 'एड्स' परीक्षणों को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यटकों, दूतावास/उच्चायोग के कर्मचारीगण अथवा अभिस्वीकृत पत्रकारों का परीक्षण करने की व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने पर्यटकों का 'एड्स' परीक्षण किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) उन सभी विदेशियों से, जो एक से अधिक वर्ष के लिए भारत में ठहरना चाहते हों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं से एच.आई.वी. मुफ्त प्रमाण-पत्र लेने के निमित्त सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को मई 1992 में मार्गनिर्देश जारी की दिए गए थे। राजनयिकों/पुजारियों और मान्यताप्राप्त पत्रकारों को इस प्रावधान से छूट प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

जनसंख्या घड़ी

6017. श्री बीर सिंह महतो : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय किन-किन स्थानों पर जनसंख्या घड़ी लगाई गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के सभी जिलों में ऐसी घड़ियां लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, जो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) देश में अब तक पांच स्थानों में जनसंख्या घड़ियां लगाई गई हैं :

—अन्तरराज्जीय बस अड्डा, दिल्ली

—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

—प्रगति मैदान, नई दिल्ली

—निर्माण भवन, नई दिल्ली

—ट्रिब्यून कार्यालय, चंडीगढ़

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस प्रयोजन के लिए कोई धन निर्धारित नहीं किया गया है।

कृत्रिम हृदय वाल्व

6018. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई सरकारी अस्पतालों में कृत्रिम हृदय वाल्व लगाने की सुविधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं किन-किन अस्पतालों में इसे लगाने की सुविधा है;

(ग) कृत्रिम हृदय वाल्व लगाने की कुल लागत क्या है; और

(घ) गरीबों को यह सुविधा निःशुल्क मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) हृदय बाई पास शल्य क्रिया तथा हृदय की अन्य प्रक्रियाओं संबंधी सुविधाएं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जी.वी. पंत अस्पताल, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, चण्डीगढ़ में उपलब्ध है। सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में भी वाल्व बदलने की सुविधा है।

(ग) वाल्व की प्रकृति तथा वाल्व के मेक पर निर्भर करते हुए वाल्व की कीमत 33550 रुपये से लेकर 60500 रुपये तक है। आयातित इन्ट्रा-कार्डियाक डीवाइस की कीमत 4.5 से 5.00 लाख रुपये है।

(घ) वाल्व तथा इन्ट्रा-कार्डियाक डीवाइस की कीमत में कमी करने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है तथापि गरीब रोगियों को प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री की विवेकाधीन निधि और प्रधान मंत्री राहत कोष में से वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण और कुटीर उद्योग

6019. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में और अधिक ग्रामीण और कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में केन्द्रीय सरकार की सहायता से कितने ग्रामीण और कुटीर उद्योग स्थापित किए गए ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय संक्षारण परीक्षण सुविधा

6020. श्री पी.सी. चाको : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय संक्षारण परीक्षण सुविधा न होने के कारण संक्षारण नियंत्रण में प्रति वर्ष भारी घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितना अनुमानित घाटा हुआ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) साधारणतया, ऐसा आकलन है कि संक्षारण के कारण देश का घाटा, इसके औद्योगिक विकास के स्तर व इसकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हुए देश के सकल राष्ट्रीय लाभ 2 से 5 प्रतिशत

तक है। अतः 1994-95 में भारत की जीएनपी पर आधारित, सकल राष्ट्रीय लाभ की 2 प्रतिशत की दर से संक्षारण घाटा 15,000 करोड़ रुपए का अनुमान है।

(ग) सीएसआइआर के केन्द्रीय विद्युत-रसायन अनुसंधान संस्थान (सीईसीआरआइ) ने एक वायुमंडलीय संक्षारण परीक्षण केन्द्र तमिलनाडु में मंडपम में स्थापित किया है, जोकि एक वायु बहाव वाला स्थान है और वहां के आर्द्रता, ताप और लवणता उच्च स्तरीय है। यह धातुओं व मिश्र-धातुओं के संक्षारण एवं संरक्षक लेप की कार्यक्षमता के परीक्षण का एक आदर्श स्थान है। संस्थान ने कुछ वर्षों में, 75 से अधिक संरक्षक लेप एवं संक्षारण बचाव प्रक्रियाओं को विकसित किया है और 150 से अधिक पार्टियों को इसका लाइसेंस प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त सीएसआइआर प्रयोगशालाओं व उद्योगों द्वारा विकसित संक्षारणरोधी लेप व उत्पाद भारतीय बाजार में उपलब्ध है। विभिन्न स्तरों पर संक्षारण नियंत्रण व बचाव के ज्ञान व सूचना के प्रसार को ध्यान में रखते हुए, कुछ समय से सीईसीआरआइ द्वारा समर्थित कुछ इच्छुक पणधारियों की एक स्वयंसेवी संस्था, भारतीय राष्ट्रीय संक्षारण परिषद (एनसीसीआइ) कार्य कर रही है। परिषद संक्षारण घाटा/संकट के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है तथा इससे बचाव नियंत्रण के बारे में सूचना दे रही है जिससे इस क्षेत्र में वांछित स्तर तक घाटा कम किया जा सके।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

6021. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री राम नाईक :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अध्यक्ष तथा इसकी प्रशासनिक समिति के चेयरमैन स्वतः ही होते हैं अथवा नियुक्ति द्वारा बनाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदों को धारण करने वाला व्यक्ति मंत्रिपद से हटने के बाद इन पदों से भी स्वतः/त्याग-पत्र द्वारा पदच्युत होकर हट जाता है; और

(ग) इन पदों को धारण करने वाला कोई व्यक्ति अपने मंत्रिपद से त्याग-पत्र देने के बाद भी इन पदों पर किन परिस्थितियों में बना रहा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिम्बेरा) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 7(1) के अन्तर्गत संस्थान के निदेशक को छोड़कर अन्य सदस्यों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। इस संस्थान का अध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियम, 1958 के विनियम 5 के अन्तर्गत संस्थान के शासी निकाय का भी अध्यक्ष होता है।

(ख) किसी सदस्य द्वारा त्याग-पत्र देने अथवा समुचित वैधानिक प्रक्रिया द्वारा उसे हटाए जाने से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

(ग) अध्यक्ष के पद के लिए कोई विशिष्ट कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। किसी सदस्य का कार्यकाल उसके नामांकन की तारीख से 5 वर्ष का होता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

6022. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 'बी. आई. एफ. आर.' या 'एन. आर. एफ.' की सहायता नहीं मिल सकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जे. एण्ड के. मिनरल डिवेल्पमेंट कारपोरेशन लिमिटेड नामक केवल एक ऐसा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जिसका पंजीकृत कार्यालय जम्मू और काश्मीर राज्य में है। इसके स्थापित रहने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसलिए बी. आई. एफ. आर. अथवा एन. आर. एफ. का प्रश्न ही नहीं उठता।

सोलर कुकर को लोकप्रिय बनाना

6023. **डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सोलर कुकर और सोलर लाइटिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों ने इन कार्यक्रमों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) सौर कुकरों को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता के रूप में, 31-3-94 तक, 150 रुपए की अधिकतम राशि उपलब्ध कराई जा रही थी। प्रचार अभियानों के आयोजन, बिक्री स्थलों/केन्द्रों की स्थापना और प्रशिक्षण, प्रदर्शन और कुकिंग प्रतियोगिताएं आदि आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विनिर्माताओं की 1-4-94 से केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता के स्थान पर, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। तथापि कुछ राज्य अभी भी सौर कुकरों पर आर्थिक राज सहायता दे रहे हैं। सौर कुकरों को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है और सौर कुकरों के विनिर्माण के लिए उदार शर्तों पर ऋण भी उपलब्ध हैं।

रोशनी और ग्रामस्तर के छोटे विद्युत संयंत्रों के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों/संघों राज्य क्षेत्रों, द्वीप समूहों, मरूस्थली क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और देश भर में कुछ विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों को समाजोन्मुख योजना के अंतर्गत सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की बाहरी लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सौर लालटेनों के लिए आर्थिक राज सहायता प्रति लालटेन 2000/- रुपए निर्धारित की गई है। इसके अलावा सौर प्रकाशवोल्टीय युक्तियों/प्रणालियों की खरीदे के

लिए लाभार्थियों को उदार ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उपयोगकर्त्ताओं को उपरोक्त प्रोत्साहनों के अलावा सौर प्रकाशवोल्टीय युक्तियों और प्रणालियों के विनिर्माताओं को सौर सैलों, प्रकाशवोल्टीय माइयूलों और प्रणालियों पर रियायती सीमा शुल्क, रियायती उत्पाद शुल्क, 100 प्रतिशत ह्रास और उदार ऋण सुवधाएं जैसे राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए/बेचे गए सौर कुकरों और सौर रोशनी प्रणालियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	एसपीवी विद्युत प्रणालियां (संख्या)	एसपीवी विद्युत संयंत्र (किवा.)	सौर कुकर (संख्या)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1812	—	7319
2.	अरुणाचल प्रदेश	1960	5.9	—
3.	असम	651	—	80
4.	बिहार	1031	—	730
5.	गोवा	—	—	81
6.	गुजरात	1026	—	5935
7.	हरियाणा	1987	4.2	6079
8.	हिमाचल प्रदेश	2854	—	10122
9.	जम्मू और कश्मीर	2067	—	86
10.	कर्नाटक	21	—	—
11.	केरल	5167	4.7	39
12.	मध्य प्रदेश	1935	9.0	65557
13.	महाराष्ट्र	1399	—	10354
14.	मणिपुर	—	—	—
15.	मेघालय	1420	22.7	100
16.	मिजोरम	1902	—	48
17.	नागालैंड	—	—	—
18.	उड़ीसा	118	4.0	1056
19.	पंजाब	225	2.0	3215
20.	राजस्थान	376	75.2	7180
21.	सिक्किम	125	—	—
22.	तमिलनाडु	270	26.0	44
23.	त्रिपुरा	180	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	23350	276.0	7637
25.	पश्चिम बंगाल	1299	12.0	759
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	95	95.0	68
27.	दिल्ली	1823	—	7200
28.	लक्ष्यद्वीप	340	20.0	—
29.	पांडिचेरी	—	—	—
30.	दादर एवं नगर हवेली	—	—	—
31.	चंडीगढ़	—	—	790

चिकित्सा उपकरण

6024. डा. पी. वल्लल पेरुमान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अप्रैल, 1995 के 'संडे टाइम्स' में प्रकाशित समाचार 'रूपीज 150 करोड़ वर्थ मेडिकल इक्विपमेंट लाइंग आइडल' शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन उपकरणों को काम में लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इलेक्ट्रो-मेडिकल उपस्करों की मरम्मत और रखरखाव की सुविधाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने 12 राज्यों में 13 इलेक्ट्रो-मेडिकल मेन्टीनेंस सेंटर खोले हैं।

कम्पनी रजिस्ट्रार

6025. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में कम्पनी रजिस्ट्रारों के कार्यालयों का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या मापदण्ड अपनाया गया;

(ख) क्या किसी राज्य में एक से अधिक कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) सरकार बहुत अधिक कम्पनियों की संख्या वाले राज्यों मे कम्पनी रजिस्ट्रार के अतिरिक्त कार्यालय खोलने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। तथापि, इस सम्बन्ध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और ऐसे कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) तमिलनाडु राज्य में कम्पनी रजिस्ट्रार के दो कार्यालय हैं—एक मद्रास में और दूसरा कोयम्बतूर में। महाराष्ट्र मे पूरे राज्य के लिए बम्बई में कम्पनी रजिस्ट्रार का एक ही कार्यालय है और वह बम्बई में शाखा कार्यालय की भी देखभाल करता है।

[हिन्दी]

भूमि संबंधी विवाद

6926. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विवादित भूमि कहां-कहां पर है और इसका क्षेत्रफल कितना-कितना है; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसे भूमि विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई ह्रस्जीभाई पटेल) : (क) विभिन्न स्तरों पर विवादग्रस्त भूमि के ब्यौरे एवं उनके अलग-अलग क्षेत्र राज्यवार को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) चूंकि भूमि राज्य का विषय है, मुकदमे वाले मामलों सहित भूमि सुधार के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, भारत सरकार ने राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों एवं राजस्व मंत्रियों के साथ समय-समय पर कई सम्मेलन आयोजित किए जिनकी मार्फत भूमि की हदबंदी के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर की एक महत्वपूर्ण आम राय सामने आयी :

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत भूमि अधिकरणों की स्थापना करना।

(ii) संबंधित अन्य न्यायालयों में विशेष खण्डपीठों की स्थापना करना।

(iii) विभिन्न न्यायालयों में लम्बित भूमि अर्थात् राजस्व न्यायालय में लिखित 75 प्रतिशत क्षेत्र, उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्येक में लम्बित 10 प्रतिशत क्षेत्र, की अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के लिए लक्ष्य निर्धारित करते समय वितरण के लिए उपलब्ध किसी प्रकार की मुकदमेबाजी से मुक्त क्षेत्र के साथ मुकदमे वाले क्षेत्र को शामिल करना। वास्तव में, विवादग्रस्त मामलों के शीघ्र निपटान हेतु राज्यों पर नैतिक दबाव डालने के लिए वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 के लिए लक्ष्य उपरोक्तानुसार निर्धारित किए गए।

सरकार उपरोक्त निर्णयों के जोरदार कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों पर दबाव दे रही है।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल क्षेत्र	मामलों की संख्या	राजस्व न्यायालयों में लंबित क्षेत्र	संख्या	उच्च न्यायालयों में लंबित क्षेत्र	संख्या	सर्वोच्च न्यायालय में लंबित क्षेत्र	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	175198	3765	96550	1333	52320	1640	26326	592
2.	असम	38461	3	36347	एन.आर.	—	एन.आर.	2114	3
3.	बिहार	160999	2364	96932	1553	60948	774	3119	7
4.	गुजरात	80656	1582	34797	752	44767	776	1092	14
5.	हरियाणा	5698	299	2636	148	2504	125	556	26
6.	हिमाचल प्रदेश	2591	एन.आर.	2591	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
7.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	—
8.	कर्नाटक	142531	3021	32793	858	109738	2163	—	—
9.	केरल	28015	1685	28015	1685	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
10.	मध्य प्रदेश	72993	1413	54743	1165	18250	250	—	—
11.	महाराष्ट्र	37369	704	17519	207	16761	440	3089	57
12.	मणिपुर	54	एन.आर.	54	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
13.	उड़ीसा	11133	एन.आर.	—	एन.आर.	—	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	पंजाब	29966	1591	16720	1366	4214	153	9032	72
15.	राजस्थान	66612	807	33402	545	28935	236	4275	26
16.	तमिलनाडु	24330	531	1545	66	22020	438	765	27
17.	त्रिपुरा	59	8	35	4	24*	4	—	—
18.	उत्तर प्रदेश	132709	6437	56144	2791	70540	3431	6025	215
19.	पश्चिम बंगाल	175786	4@	एन.आर.	एन.आर.	171473	एन.आर.	4313	4
20.	दादर व नगर हवेली	149	5	69	1	33	2	47	2
21.	दिल्ली	184	2	एन.आर.	एन.आर.	183*	एन.आर.	1	2
22.	पांडिचेरी	1174	53	404	14	627	31	143	8
	कुल	150007	24272	511296	12484	603387	10665	60897	1125

* उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय—क्षेत्रों में लंबित मामले शामिल हैं।
एन. आर.—असूचित
@ केवल सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले शामिल हैं।

[अनुवाद]

वसंत विहार स्थित सी. जी. एच. एस. डिसपेंसरी

6027. श्री अमर रायप्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वसन्त विहार में केन्द्रीय सरकार आवास परिसर, नई दिल्ली में रह रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा किसी भी उपचार प्रणाली की सी. जी. एच. एस. डिसपेंसरी न होने के कारण उठाई जा रही समस्याओं की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों की यह मांग छह वर्ष से लम्बित है;

(ग) सी. जी. एच. एस. द्वारा सम्पदा निदेशालय से भूमि तल का टाइप-सी फ्लैट किराए पर लेने के लिए अब तक कोई उपाय न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में डिसपेंसरी कब तक खोल दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) वसन्त विहार में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा उपचार के लिए, उनके स्थान से कुछ किलोमीटर दूर स्थित पास के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों अर्थात रामकृष्णपुरम (संख्या-50) और रामकृष्णपुरम (संख्या-52) तक आने-जाने की कठिनाई को मद्देनजर रखते हुए, वसन्त विहार में एक एलोपैथिक औषधालय खोलने का एक प्रस्ताव वार्षिक-योजना 1995-96 में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

[हिन्दी]

बंजरभूमि में वृक्षारोपण

6028. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने क्षेत्रफल बंजरभूमि पर वृक्षारोपण किया जा सकता है और कितने क्षेत्रफल में वृक्षारोपण संभव नहीं है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्व तीन वर्षों के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में कितने क्षेत्रफल भूमि में वृक्षारोपण किया गया ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजरभूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) देश में बंजरभूमि का पता लगाने के बारे में अभी कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड ने नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के सहयोग से बंजर भूमि के नक्शे बनाने का कार्य शुरू किया है। अब तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 प्रतिशत से अधिक बंजर भूमि वाले 237 जिलों के नक्शे तैयार कर लिए गये हैं। तथापि, भूमि अर्जन सांख्यिकी (उत्तर प्रदेश सरकार) ने अनुमान लगाया है कि उत्तर प्रदेश में 2.981 मिलियन हैक्टेयर बंजर भूमि है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार इसमें से 50 प्रतिशत बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है बशर्ते कि इस हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। सामान्यतया कृषि योग्य भूमि को अन्य गतिविधियों जैसे बागवानी तथा वृक्षारोपण के लिए उपयोग में भी लाया जा सकता है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि, जिसमें बंजर भूमि भी शामिल है, पर 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के तहत वनरोपण, वृक्षारोपण गतिविधि चलाई जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कवर किए गए क्षेत्रों को नीचे दर्शाया गया है।

वर्ष	कवर किया गया क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
1992-93	1.14
1993-94	0.83
1994-95	- 0.72

*मोटे तौर पर।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकी

6029. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकी हेतु कोई दीर्घावधिक कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उद्योगों की तुलना में उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को क्या भूमिका सौंपने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ) सरकार ने, समसामयिक एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियां तैयार करने के लिए उद्योग एवं सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं/संस्थानों के बीच पारस्परिक संबंध और सहयोग बढ़ाने के अनेक उपाय किए हैं। प्रमुख उपाय हैं :

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), इलैक्ट्रॉनिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आण्विक ऊर्जा विभाग, विश्वविद्यालयों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के तत्वावधानों में कार्यरत अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुमोदित प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (2एए) के अन्तर्गत भारित कर में 125 प्रतिशत छूट का प्रावधान।

(ii) औद्योगिक उत्पादों की शृंखला से संबंधित विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास और वाणिज्यीकरण के लिए उद्योग एवं सरकारी प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सह-वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डीएसआइआर के प्रौद्योगिक आत्मनिर्भरता के उद्देश्य वाले कार्यक्रम (प्रोग्राम एण्ड एँट टैक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस) (पेस्टर), डीएसटी के देशज प्रौद्योगिकियों के विकास का कार्यक्रम (प्रोग्राम ऑफ होम ग्रोन टैक्नोलॉजीज़) और इसी प्रकार के डीबीटी और अन्य वैज्ञानिक विभागों के वित्तीय सहायता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का उपयोग करना।

1992-95 के दौरान डीएसआइआर ने उद्योग द्वारा आरम्भ की जाने वाली अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को, स्वयं और सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के सहयोग से, दोनों प्रकार से वित्तीय सहायता दी जिसमें परियोजना की कुल लागत लगभग 99 करोड़ रुपये में से डीएसआइआर ने अनुदान के रूप में लगभग 13 करोड़ रुपये प्रदान किए। इसी प्रकार डीएसटी ने अपने होम ग्रोन टैक्नोलॉजीज़ के कार्यक्रम के माध्यम से, उद्योग की परियोजनाओं की 16.52 करोड़ रुपये की लागत में से 7.51 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

पूंजीगत माल

6030. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजीगत माल उद्योग और कुछ अन्य क्षेत्रों ने आशंका व्यक्त की है कि उदार आयात नीति के परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि होने के कारण घरेलु उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मंदी का दौर आ जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में विकास दर तेज करने और उद्योगपतियों की समस्या का निवारण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) अप्रैल-दिसम्बर 1994 में समग्र औद्योगिक विकास 8.3 प्रतिशत और पूंजीगत वस्तु उद्योग में 22.2 प्रतिशत विकास उत्साहवर्धक है। पहले से चालू विशद् औद्योगिक वसूली, औद्योगिक व्यापार, राजकोषीय और पूंजी बाजार संबंधी सुधारों की सम्पूर्ण सफलता का परिणाम है। नये आर्थिक उपायों से अर्थव्यवस्था में स्थिरता आयी है और उद्यमियों के आत्म-विश्वास में वृद्धि हुई है। लगाए गए प्रतिशुल्क और मोडवेट के विस्तार से पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को और ज्यादा लाभ हुआ है।

[हिन्दी]

गुजरात को धनराशि

6031. श्री एम. जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात को 1995-96 के लिए निर्धारित कुल धनराशि में से शेष धनराशि नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) धनराशि तुरंत देने के लिए सरकार ने क्या उपाए किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्र. सी. सिम्बेया) : (क) जी, नहीं, वर्ष 1995-96 के लिए स्वास्थ्य पर गुजरात राज्य योजना आबंटनों को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

वर्ष 1995-96 के लिए गुजरात राज्य के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण पर प्रमुख केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों के लिए आबंटन इस प्रकार है :-

	(लाख रुपये में)
1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	952.50
2. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	109.00
3. राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	246.08

	(लाख रुपये में)
4. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	54.50
5 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	323.565
6. परिवार कल्याण कार्यक्रम	3308.25

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रक्षा प्रशिक्षण वायुयान हॉक

6032. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा हेतु हॉक सौदे की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हॉक जेट प्रशिक्षण वायुयान का चयन करने का क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में परिवार कल्याण कार्यक्रम

6033. श्री पी. कुमारासामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में परिवार नियोजन के लिए कितने व्यक्तियों का आपरेशन किया गया था;

(ख) राज्य में विदेशी सहायता से लागू किए जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी योजन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :

(क)	वर्ष	आपरेशनों की संख्या
	1992-93	3,64,843
	1993-94	3,50,361
	1994-95	3,25,218 (अनंतिम)

(ख) से (घ) तमिलनाडु में 69.10 करोड़ रुपये की कुल लागत से सितम्बर, 1988 से विश्व बैंक सहायता प्राप्त भारतीय जनसंख्या परियोजना-V चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने मार्च, 1995 तक 50.87 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी है। 152 स्वास्थ्य चौकियां स्थापित करने के परियोजना लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है। सेलम तथा दक्षिण आर्काट दो जिलों में एक अप्रैल, 1989 से 31 मार्च, 1995 तक 24.77 करोड़ रुपये की कुल लागत से डेनिडा सहायता प्राप्त क्षेत्रीय परियोजना चलाई जा रही थी। परियोजना के अंतर्गत विचरित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

6034. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का कार्य-निष्पादन उत्साहजनक रहा है और इसके कारोबार में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि. के क्षमता उपयोग, कारोबार और लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि. ने हाल ही में टी. वी. लिंकों की स्थापना और देश के विभिन्न भागों में टी. वी. ट्रांसमिट स्टेशनों के निर्माण के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि. की अन्य उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष	क्षमता का उपयोग (प्रतिशत)	कारोबार (करोड़ रुपए)	निवल लाभ (करोड़ रुपए)
1992-93	85	286	1.04
1993-94	86	329	6.94
1994-95 (अनंतिम)	88	395	4.64*

*वेतन-संशोधन के परिणामस्वरूप 27 माह की बकाया राशि के भुगतान हेतु 12.61 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के बाद।

(ग) जी, हां।

(घ) इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को दूरदर्शन के लिए पटना और शिमला में सी और विस्तारित सी बैण्ड टी. वी. अपलिंक वाले दो स्टेशन स्थापित करने और उन्हें चालू करने का कार्य सौंपा गया है। इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को 100 वॉट क्षमता वाली दो चल प्रसारण प्रणालियों की सप्लाई का कार्य भी सौंपा गया है।

(ङ) इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने 1992-93 में कारोबार में लाभ कमाया और इसने अपने परिचालन संबंधी क्षेत्रों नामतः सूचना प्रौद्योगिकी, सामरिक इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार प्रणालियों और स्वचालन

एवं नियंत्रण में औसतन 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हासिल करना कायम रखा। इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड परमाणु विद्युत कार्यक्रम की नियंत्रण एवं यंत्रीकरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है एवं इसने राजस्थान तथा कैगा में निर्माणाधीन परमाणु विद्युत परियोजनाओं को उपस्कर सप्लाई किए हैं। इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड इस्पात, तेल तथा प्राकृतिक गैस, नागर विमानन, रक्षा तथा परासैन्य बलों जैसे अन्य मुख्य क्षेत्रों के अलावा दूरसंचार, बैंकिंग, जीवन बीमा निगम को कम्प्यूटर प्रणालियों की सप्लाई भी करता रहा है। इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को इलैक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा वर्ष 1993 में सामरिक इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। इलैकट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के एक कर्मचारी को वर्ष 1994 में 'श्रमवीर पुरस्कार' प्रदान किया गया है।

विश्व बैंक से सहायता

6035. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक एवं यूनिसेफ देश में जनसंख्या वृद्धि एवं बाल जीविता दर एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमों में सहयोग दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितनी आर्थिक एवं भौतिक सहायता दी गई;

(ग) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने भारत जनसंख्या परियोजना सात के लिए 'सेंटक्रोमेन' के सामाजिक विपणन के अन्तर्गत दावों का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) विश्व बैंक और यूनिसेफ भारत जनसंख्या परियोजनाओं और शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। 1994-95 के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :-

	(करोड़ रुपये में)
भारत जनसंख्या परियाजनाएं :	216.34
शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम :	292.75

(ग) उत्तर प्रदेश और बिहार में भारत जनसंख्या परियोजनाओं, जिनसे परियोजना कार्यान्वियन को तेज करने का अनुरोध किया गया है, को छोड़कर इन परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक है।

(घ) और (ङ) विश्व बैंक सहायता के अधीन सेंटक्रोमन की पात्रता पर बैंक द्वारा सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है। सेंटक्रोमन एक नान-स्टेरायडल साप्ताहिक मुख सेव्य गोली है जिसका प्रजनन आयु समूह की उन महिलाओं द्वारा, जो अपने बच्चों के जन्म में अन्तराल रखना चाहती हैं, सुरक्षित इस्तेमाल किया जा सकता है। इस गोली की उन महिलाओं जो कुछ दिन पहले पीलिया अथवा अन्य जिगर के रोगों, क्षयरोग आदि से ग्रस्त रहीं हो सहित विशेष रोगों से ग्रस्त महिलाओं के लिए संस्तुति नहीं की जाती है।

गुजरात में जन्म दर

6036. डा. सुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कितने जिलों में जन्म दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान सरकार ने इन जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने हेतु राज्य सरकार को कोई विशेष सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा उपलबध कराई गई सहायता राशि का पूरा उपयोग किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) भारत के महापंजीयक के अनुसार 1984-90 की अवधि के अनुमानों के अनुसार 6 जिले।

(ख) और (ग) गुजरात को 1994-95 के दौरान 1.00 करोड़ रुपये की रकम प्रदान की गयी है ताकि उन दो जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा सके जिनमें प्रति हजार जनसंख्या पर जन्मदर 39 से अधिक है (जनगणना 1981, के आंकड़े)। योजना चल रही है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार से रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

भारतीय और विदेशी कम्पनियों हेतु विवाचन प्राधिकरण

6037. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय और विदेशी कम्पनियों के बीच विवादों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने हेतु अलग से एक विवाचन प्राधिकरण की स्थापना करने हेतु विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन दोनों के बीच मतभेद समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) भारतीय विदेशी कंपनियों के बीच विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए अलग से एक विवाचन प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) सरकार की योजना विवाचन और समझौते से संबंधित एक नया कानून लाने की है। प्रस्तावित नया कानून मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाचन और अनसिट्रल समझौता नियमों संबंधी आदर्श कानून पर आधारित है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। प्रस्तावित नया कानून स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय विवाचन एवं समझौते पर लागू होगा। प्रस्तावित नये कानून में पात्र पार्टियों के लिए

न केवल उनकी पसंद का मध्यस्थ न्यायाधिकरण चुनने का बल्कि विवादों पर लागू होने वाले मौलिक कानून पर भी निर्णय लेने की विस्तृत व्यवस्था होगी।

शिशु मृत्यु दर

6038. **श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा में शिशु मृत्यु दर अधिक है;

(ख) क्या यह दर राज्य में प्रतिवर्ष बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। उड़ीसा में शिशु मृत्यु दर जो 1984 में प्रति हजार जीवित अन्यों पर 131 थी से घटकर 1993 में प्रति हजार 110 हो गई है।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ रोग प्रतिरक्षण, मुखीय पुनर्जलपूर्ति, रक्तल्पता तथा विटामिन 'ए' की कमी से बचाव, निमोनियां का उपचार, आरंभिक नवजात परिचर्या, स्तनपान तथा बच्चों के जन्म में अन्तर रखने को बढ़ावा देना तथा प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन तथा प्रसवोत्तर के जरिए शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए स्कीमें चलाई जा रही हैं।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

6039. **श्री शरद यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 'इसरो' मामले की नवीनतम स्थिति क्या है और सरकार को इस मामले के बारे में पूरी रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है और जारी है। इस जांच को शीघ्र पूरा करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

सिकंदराबाद में परियोजना

6040. **श्री अंकुशराव टोपे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकंदराबाद में सैनिक फार्मों द्वारा 'वर्मी कम्पोस्ट प्रोजेक्ट' नामक एक परियोजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) इसकी उपयोगिता संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सिकन्दराबाद स्थित सैन्य फार्म में 10 शेड हैं जिनमें एक वर्ष में 200 टन वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जाता है। यह कम्पोस्ट मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में सहायता करती है। इस कम्पोस्ट को मिट्टी में डालने के बाद कीड़ों के अंडे उस मिट्टी में मिल जाते हैं तथा परिपक्व होने पर ये अंडे भी मिट्टी में सुधार करना आरम्भ कर देते हैं।

(घ) सिकन्दराबाद स्थित सैन्य फार्म में 80,000 कीड़ों की खरीद के लिए 40,000 रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

हृदय यंत्र

6041. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :**

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हृदय में श्वसन अनियमितताओं के कारण अकस्मात होने वाली हृदयघात मृत्यु का परिहार करने के लिए 'इम्पलांटेबल' कार्डियोवर्टर-डिफीब्रीलेटर नामक एक नया अत्याधुनिक जीवन रक्षक हृदय यंत्र विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस यंत्र की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जरूरतमंद रोगियों को अत्यन्त सस्ती और रियायती दरों पर यह यंत्र उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में यह यंत्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में रोगियों को लगाया गया था;

(च) यदि हां, तो इस शल्य-क्रिया पर कितनी लागत आई; और

(छ) अन्य सरकारी अस्पतालों में यह तकनीक शुरू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। एक संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) जी, हां।

(च) 4.5 लाख रुपये (लगभग)।

(छ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

ट्रांसमायोकार्डियल रिसासकुलेराइजेशन क्रियाविधि में प्रयोग की गई हार्ट लेसर एक उच्च शक्ति 1000 वाट वाली 002 लेसर प्रणाली है जिसे एस्कोर्ट्स हृदय रोग संस्थान और अनुसंधान केन्द्र द्वारा खरीदा गया है और 14-3-95 को इस प्रणाली से पहला टी. एम. आर. आपरेशन किया गया।

हार्ट लेसर का इस्तेमाल उस क्षेत्र, जो रक्त रहित होता है, में बाएं वेन्टरीकुलर की दीवार में से 0.5 मि. मी. से लेकर 1 मि. मी. तक चौड़े

छोटे-छोटे छिद्र करने के लिए किया जाता है। शल्य चिकित्सा के दौरान लगभग 15 मे 30 ऐसे छिद्र किए जाते हैं जो नये बनाए गए रास्तों में से हृदय मांसपेशी के रक्त वंचित क्षेत्र को सीधे रक्त प्रदान करता है।

यह क्रियाविधि (1) उन लक्षणों वाले रोगियों में जहां कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी सम्भव नहीं होती है, (2) उन रोगियों में जिन्हें डिफ्यूज कोरोनरी आर्टरी रोग है, और (3) उन रोगियों में जिनका पहले आपरेशन किया गया लेकिन वास्कुलर ग्राफ्टस बन्द हो गए हों, के लिए निर्दिष्ट की जाती है। ऐसे रोगियों को इस नई क्रिया विधि से काफी लाभ मिलना निश्चित हो गया है।

रेजिडेंट डाक्टरों की हड़ताल

6042. श्री अनन्तराव देशमुख :

श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में रेजिडेंट डाक्टरों द्वारा की गई हड़ताल के दौरान अस्थाई डाक्टरों की भर्ती से अस्पताल की सामान्य सेवाएं बनाए रखने में सहायता मिली थी;

(ख) यदि हां, तो कितने अस्थाई डाक्टर भर्ती किए गए थे;

(ग) क्या सरकार ने डाक्टरों द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय भी रेजिडेंट डाक्टरों की हड़ताल की वैधता पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेजिडेन्ट डाक्टरों द्वारा की गई हड़ताल के दौरान कोई अस्थायी डाक्टर नियुक्त नहीं किए गए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक लोक हित रिट याचिका दायर की गई है। रेजीडेन्ट डाक्टरों द्वारा की गई हड़ताल की वैधता की जांच करने हेतु न्यायालय द्वारा नियमित सुनवाई हेतु मामला स्वीकृत किया गया है।

सिक्किम में सेना द्वारा भूमि अधिग्रहण

6043. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम में सेना के उपयोग हेतु सरकारी और निजी भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो अधिग्रहीत की गई ऐसी भूमि का क्षेत्रफल कितना है, यह कहां-कहां पर स्थित है और यह किस श्रेणी के अन्तर्गत आती है;

(ग) क्या अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए मुआवजा दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो मुआवजे की राशि क्या है;

(ङ) क्या भूमि के अधिग्रहण से पूर्व भूमि का स्वामित्व संबंधी सत्यापन भी किया गया है; और

(च) यदि हां, तो अधिग्रहीत की गई भूमि के मालिकों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) विवरण संलग्न है।

(ङ) समाहर्ता/भूमि अर्जन अधिकारी, जिसे अर्जित भूमि के वास्ते मुआवजे का संवितरण करना होता है, जमीन का स्वामित्व सत्यापित करता है।

विवरण

स्थान	एकड़ में क्षेत्र/भूमि का स्वरूप	अदा किए गए मुआवजे की राशि	जमीन मालिकों के नाम
1	2	3	4
रहेनॉक	42.85 (निजी)	3,73,497.06 रुपए	के. वांग्डी, रपदोन भूटिया, दाथा रिंसिंग भूटिया, जिगटोई, खिदुक, हर्दा बहादुर तामांग, पिंटसी वांग्याल, चन्द्र बीर प्रधान, बीर बहादुर, अकल बहादुर, हरका बहादुर, प्रधान, करबीर प्रधान, बुद्धिमान प्रधान, नंदलाल प्रधान, धन बहादुर प्रधान, प्रोम्बा लेप्चा, दाथा ताशी, श्रीमती हरिमाया हरका बहादुर गुरूंग, श्रीमती इंदिरा देवी, श्री दोदो लोपचा, आर.एस.एस. दादुल, दिल्ली बहादुर, एच. बहादुर, श्रीमती हरिमाया, फिलुक भूटिया, रिंचन, पी. कुमार प्रधान, श्रीमती इंदिरा देवी, डीली लोपचा, पसंग छोरिंग, धनपति भावन, धन बहादुर तमांग, थेनले लोपचा, गंगा राम और प्रभु नारायण।

1	2	3	4
रहेनॉक	22.71 (निजी)	2,48,723.98 रुपए	दोव ताशी, आर. एस. सोनम, दाहदुल काजी पासंग, त्सोरिंग, नीमा त्सोरिंग, रीबा लेप्चा, धिनले लेप्चा, बाछू लेप्चा, तान्या लेप्चा, दु दु लेप्चा, योग्जोम लेप्चा और श्रीमती यमुना।
-वही-	6.27 (निजी)	68,544.96 रुपए	प्रेम बहादुर, बुद्धिमान, गंगा नारायण, खडुका बहादुर काजीमान हेवार, सूर्य मंधन छोत्री, काजीमान अकल बहादुर, भक्त बहादुर, लोकनाथ, इन्द्रलाल, कुमारी चांरी डोल्मा, हर्का बहादुर तमंग, जिम्बू और बालू भूटिया, चन्द्रबीर, गायत्री भूटिया, दावा रिंगलिंग भूटिया, टी. टी. भूटिया, पिंटसो वांगेय भूटिया, अखेय भूटिया, हरका बहादुर कामी, जंग बहादुर हेवार, जधाबीर, काली दास प्रधान, भूप रामशेर, गोपी राम गुरुंग।
-वही-	4.58 (निजी)	1,23,658.85 रुपए	त्सो टॉन ताशील, एस, टापडेन एवं शोरिंग काजी।
-वही-	4.50 (निजी)	38,812.50 रुपए	श्री डौली लोप्चा और आर. एस. एस. दघदुल।
रांगली	5.53 (निजी)	82,903.20 रुपए	भीष्म प्रताप प्रधान।
-वही-	7.75 (निजी)	82,145.28 रुपए	-वही-
-वही-	10.55 (निजी)	1,64,492.60 रुपए	लक्ष्मी नारायण गुरुंग, धनबहादुर तामंग, तान बहादुर राय, इन्द्र बहादुर, छोत्री पदमा लाल।
-वही-	7.52 (निजी)	1,08,728.11 रुपए	ढंडे द्रिनैनी, धनबहादुर प्रधान, जंग बहादुर प्रधान, छंकू भूटिया, बी. पी. प्रधान, भीम बहादुर गुरुंग, कबीरमन गुरुंग, राम कुमार गुरुंग और हरका बहादुर राय।
-वही-	0.75 (निजी)	5,536.06 रुपए	पदमा लाल छोत्री।
-वही-	9.46 (निजी)	1,45,040.84 रुपए	भीम बहादुर राय, ढंडीभूटैनी, गैली लामा और जंगबहादुर मेवार, नोहू लाल निवार और बल बहादुर।
-वही-	0.13 (निजी)	2,244.45 रुपए	कबीरमन गुरुंग।
बरडाँग	13.315 (निजी)	3,55,451.50 रुपए	नान बहादुर दोरजी, राम बहादुर दोरजी, कालू दोरजी, दिल बहादुर माजी, सुकमाया माजिनी, रतन बहादुर बूबा, संमान माजी, कालू माजी, खड़का बहादुर प्रधान और श्रीमती प्रधान और श्रीमती संसारी माजी।
-वही-	10.875 (निजी)	3,03,991.00 रुपए	खड़का बहादुर प्रधान, बहादुर मांझी, दिल बहादुर काजी, कालू दोरजी, श्रीमती संसारी मांझी, रणबहादुर दोरजी और बाबूरन निवार।
पेलेंगला	49.96 (निजी) 179.00 (वन) 228.60	8,91,138.50 रुपए	सिक्किम के महामहिम महाराज राजकुमारी पी. सी. योथोक छोयल छम्पू का सार्वजनिक राज्य और सिक्किम सरकार (वन)।
फेलेंगला	6.01 (निजी)	1,42,092.30 रुपए	ग्यालम कंजंग और दोत्शो नामग्याल।
पैटेंग	1395.08 (निजी) 590.00 (वन) 1985.08	2,46,06,583.00 रुपए	दल बहादुर छोत्री, रघुवीर छोत्री, जगत वीर छोत्री, मित्र बहादुर छोत्री, अर्जुन बहादुर छोत्री, करन बहादुर छोत्री, रण बहादुर राय, धर बहादुर राय, खांट सिंह राय दुप जंग लोप्चा, खड़क बहादुर राय, गंगा प्रसाद दीनाथ, नामगाय लेप्चा, फिगु लेप्चा, सिंगटोक लेप्चा, दुदले लेप्चा, फुंमा लेप्चा, काछिंग लामा, रुपगे, खोय कोय लेप्चा, बीर धंज छोत्री, धंवर बहादुर छोत्री, पदम बहादुर छोत्री, छुंग्याम्त्सो छांगे भूटिया, नेटोक बंधु, खिचुंग भट, लिदुप लेप्चा,

1	2	3	4
			लप्जोंग छंगे, दुजी त्शेरिंग, नाम बहादुर छोत्री, दोजीभूटिया, छेंवन्याक बहादुर त्शेरिंग वंधु जम्मेय छाव, तेनसिंग लामा, खी त्शेरिंग, मार्टम टाप टोफिन, एन. डी. काजी, टोम्पो काजी, त्शेरिंग पोजो, रुप्देन भूटिया, वांग्दी भट, पे शंग वोग्डी, अदो भूटिया, सोनन भूटिया, छिदोप भूटिया, फरपो भूटिया, श्किलेन भूटिया, त्शेरिंग ग्यानत्सो गेनछेन भूटिया, ग्यात्सो भूटिया, कांग त्शेरिंग, अतर्यन राय, दुबे भूटिया, छुतेन तेनसिंग, धन मन राय, मति जुनाका, श्रीमन छोत्री, मन बहादुर छोत्री, एप्यू भूटिया, अगम बहादुर छोत्री, जल बहादुर राय, सुकनन राय, कर्ण बहादुर वास, डी माया बासनेट, महाबीर बासनेट, मित्र लाल वासनेट, बिन बहादुर कारकोई, काजी मारवू दालुल, हस्ता सिंह लिंबू, खडक बहादुर मोंगर, दलबहादुर छोत्री, कुलबहादुर छोत्री, केंजांग लेप्चा, एकोप लेप्चा, तिल बहादुर, नर बहादुर छोत्री, बम बहादुर छोत्री, राम बहादुर राय, पदम बहादुर छोत्री, पब्लिक गुरूचरन और सिक्किम सरकार, सिक्किम का वन विभाग।
पुंगथाग/पोगोंग	1.49 (निजी)	38,466.84 रुपए	सोनम शेरिंग, चेम्पा लामा।
-वही-	1.32 (निजी)	34,078.00 रुपए	-वही-
-वही-	0.84 (निजी)	21,686.00 रुपए	फुरसा लेप्चा, थीसा लेप्चा, दावा शेरिंग, शेरिंग लेप्चा, सिओर लेप्चा, महाराजा पेमोआ शेरपा, कुण्डुप भूटिया, चम्पा लामा।
-वही-	6.75 (खास)		सिक्किम राज्य सरकार।
-वही-	3.75 (निजी)	22,216.87 रुपए	डिचर लामा।
-वही-	2.89 (निजी)	17,121,80 रुपए	पम्पा भूटिया, जुरकी लेप्चा तथा डाचर लामा।
-वही-	3.46 (निजी)	20,498.77 रुपए	वाम्टे लेप्चा, जियामाइज लेप्चा व पम्पा लेप्चा।
-वही-	0.63 (निजी)	3,732.43 रुपए	सिंटसे लेप्चा एवं डिचर लेप्चा।
-वही-	0.71 (निजी)	2,50,850.00 रुपए	डिचर लेप्चा तथा पिंटसे लेप्चा।
-वही-	6.25 (निजी)	37,028.13 रुपए	डिचर लेप्चा और नाम्टे लेप्चा।
-वही-	2.38 (निजी)	14,100.31 रुपए	जोग्गी लेप्चा व नाम्टे लेप्चा।
-वही-	56.59 (निजी)	74,58,044.00 रुपए	करझांग लेप्चा तथा लेंडुप लेप्चा, सीटेप लेप्चा।
-वही-	141.51 (वन) ——— 198.10	2,21,89,481.00 रुपए	अकुल लेप्चा, चुजार लेप्चा, पेम्टा लेप्चा, पीटुक लेप्चा, सेम्बोक लेप्चा, टेम्पा लेप्चा, फुरया लेप्चा, थेमडेप लेप्चा, पालगोखू लेप्चा, चेम्पा लेप्चा, गेचुंग लेप्चा, चुडेन लेप्चा, जोरिंग लेप्चा, वीचुंग लेप्चा, नेम्टशेरिंग लेप्चा, लेहरप लेप्चा, अनु भूटिया, लेडी भूटिया, चुनडेप भूटिया, नोरचिंग भूटिया, दाजू भूटिया, ईबू भूटिया, बिल्ली भूटिया, अटेप भूटिया, लेटशेरिंग भूटिया, केजेंग भूटिया, यूरी भूटिया, पाचुर भूटिया, चुंगपुक भूटिया, पैडेर भूटिया, थेगेर भूटिया, कुरजेंग भूटिया, हुर्टी भूटिया, ऑर्ग चुक भूटिया, नेंडोक भूटिया, थारचोक भूटिया, ख्यामनी भूटिया, अगुक भूटिया, जरडेर भूटिया, खुगुक भूटिया, डार्टिंग भूटिया, शेरप भूटिया, काले भूटिया, सोंगरेयुक भूटिया, रिंझिंग भूटिया, चिकी तेनझिंग ओंग्याल, लेडन ब्लेक की जनता, डो क्योक लेचोरप व डेजोंग लेचोरपा।

1	2	3	4
छोतेन	0.85 (निजी)	4,849.38 रुपए	गडविंग भूटिया।
-वही-	1.50 (निजी)	7,143.22 रुपए	कुण्डुप लेचेम्पा तथा छेंडे लेचेम्पा।
-वही-	3.79 (निजी)	21,645.53 रुपए	चुंगठक लेप्चा, नोडुप भूटिया, डाला भूटिया, अख्या भूटिया, लेपगे भूटिया।
जीमा (लाचेन)	4.56 (निजी)	21,715.40 रुपए	शेरी लेंचेंगपा, युंगरूप लेचेंगपा, लेग्चेन पिपेन, नोरचिंग लेचेंगपा, डेंजिंग बुंगथा, लेचेंगपा, अथुप लेचेंगपा, लिरक लेचेंगपा, लाचेन पिपंन और नीमा लेचेंगपा।
चोपटाखड़ग	2.60 (निजी)	12,381.60 रुपए	डोरजी सन्डूक, कलझांग लेचेंगपा, रिनसिंग ननजियाल एवं मयतार लेचेंगपा।
घोचुंग	3.62 (निजी)	लागू नहीं होता	जियामिवो लेप्चा व शेरिंग किन्दा।
यंगू	0.37 (निजी)	1,762.00 रुपए	पोलू भूटिया।
-वही-	8.45 (निजी)	40,240.17 रुपए	नोरपेन लेचेम्पा, जियाल चुंग लेचेम्पा, चगिला, लाकुला व रिनझिंग नामजियाल।
लाचुंग	7.82 (निजी)	57,943.86 रुपए	अतब एवं चावला, ताशटिरी लेप्चा, नाम्टे लेप्चा, जुशेम लेप्चा, लाचेन पिपेन, याता लेप्चा तथा लाचुंग लेप्चा।
-वही-	0.60 (निजी)	3,423.09 रुपए	तेंझेंग शेरिंग शेरपा।
नामनासा	3.10 (निजी)	14,762.66 रुपए	छिवांग नारबो लेचेंगपा वॉसिंगयोरा डोरजी लेचेंगपा।
निम्फुरचुटेन	6.90 (निजी)	32,858.83 रुपए	तेंचेन डोमा, तेंझिंग नारबू लेचेंगपा।
वीछू	12.45 (निजी)	71,029.12 रुपए	सीवांग नारबो व सिंधी भूटक।
टोंग	1.54 (निजी)	9,180.52 रुपए	आंगचू लेप्चा, एक्लेन लेप्चा तथा पंकार नामसा।
लुकरेप	17.37 (निजी)	66,231.81 रुपए	पालडेन वांगचुक, दावा ताशी थेमडुप, रिंझिंग काजी, पाजोर लेचेंपा, पिपेन अथुम, ग्यापू लेचेंपा व नाबू दुल्बू लेचेंपा।
पदमचेन	3.60 (निजी)	21,313.44 रुपए	अटचे चेम्पा भूटिया।
नई छावनी टाडोंग	248.62 (निजी) 39.33 (वन)	7,20,000.00 रुपए	आर. बी. सुनम टॉपडेन, काजी डोरजी शेरिंग, रिनझिंग टमांग, जाडू राय, लाचुमन गुरुंग, नैना सिंग, गुरुंग हडका बहादुर टमांग, कालू टमांग, काजीमन पासांग टमांग, चिचुंग लेप्चा, चम्पत लेप्चा, करन बहादुर राय, लालमेंजेन, नारबो टमांग, गंगा बहादुर, मंजर, तेंजिंग भूटिया, खासिया भूटिया, रत्ना कुमार छेत्रिनी, सेते लामा, सेंटमाया छेत्रिनी, टेक बहादुर, दीवान, सोनम फूती भूटियानी, पहालमन गुरुंग, वीर वहादुरी कडकी, जोस गुरुंग, खडग बहादुर गुरुंग, प्रसाद सिंह मंजर, काजी नारबू दहदुल, काजी डी वांगपाल, किंगथुक भूटिया, शेरिंग भूटिया, पाचिंग भूटिया, दावा शेरिंग भूटिया, दादिन भूटिया, अखे भूटिया, सोनम भूटिया, हिशे भूटिया, रतन बहादुर छेत्री एवं पहलमन छेत्री।
-वही-	2.46 (निजी)	रुपए लागू नहीं हैं।	टांबू भूटिया, जोरजुग काजी एवं नारलूपापुल काजी।
-वही-	1.30 (निजी)	25,398.00 रुपए	लाल बहादुर छेत्री।

1	2	3	4
टाडोंग	26.36 (निजी) 4.40 (राज्य सरकार)	3,55,183.00 रुपए	हडक बहादुर टमांग, श्रीमान गुरुंग, टॉपडेन पेनचेन लेप्चा, भगत लाल, नर बहादुर, धनबीर एवं ताशी लेप्चा।
चितियापुर	35.52 (निजी)	1,76,159.31 रुपए	चिम्बू लेप्चा, तेनजिंग लेप्चा, हिन्दू लेप्चा, चोजिंग लेप्चा, केरांग लेप्चा, मार्के लेप्चा, पेम्बा लेप्चा, व हिनॉय लेप्चा।
गंगटोक नाथुला मार्ग पर एम एस 4 से 6	9.00 (वन)	— रुपए	सिक्किम सरकार (वन विभाग)।

पेयजल आपूर्ति योजनाएं

6044. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई विभिन्न पेयजल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं का, परियोजना-लागत सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को अब तक अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई झारणीभाई पटेल) : (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोराइड/खारेपन से मुक्त पानी मुहैया कराने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1994-95 के दौरान प्रस्तुत की गई 12 जल सप्लाई परियोजनाओं में से भारत सरकार ने निम्नलिखित 4 परियोजनाएं अनुमोदित की थीं :

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	परियोजना	गांवों की संख्या	अनुमोदित लागत
1.	गुन्टूर जिले में फ्लोराइड से प्रभावित गांवों मे जल सप्लाई करना	52	459.65
2.	करीमनगर जिले में फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में जल सप्लाई करना	82	870.00
3.	वारंगल जिले में फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में जल सप्लाई करना	24	686.00
4.	चित्तूर जिले में खारेपन से प्रभावित गांवों में पेयजल सप्लाई करना	52	447.65

शेष आठ परियोजनाओं को कुछेक न्यायोचिती करणों/स्पष्टीकरणों के लिए राज्य सरकार को लौटा दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर संबंधी नीति

6045. डा. आर. मल्लू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर संबंधी अपनी नीति की पुनरीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) सरकार का उद्देश्य, यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में शीघ्रातिशीघ्र शांति एवं सामान्य स्थिति का माहौल बने और राजनैतिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो जाए। इस दिशा में स्थिति की समीक्षा और उसका प्रबोधन अनवरत एवं गहराई से किया जा रहा है। उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं : उग्रवादियों की गतिविधियों पर नियंत्रण और बंदूक का भय कम करने के लिए उनके खिलाफ अनवरत और सलक्ष्य अभियान चलाना : राज्य में विकासात्मक और आर्थिक गतिविधियों की गति बढ़ाने के प्रयास करना, सिविल प्रशासन को पुनः सक्रिय बनाना और उसके मनोबल को बहाल करने की कार्रवाई करना, प्रशासन में जनता का सहयोग मांग कर इसमें उनका विश्वास बनाए रखने के प्रयास करना, राज्य में राजनैतिक गतिविधियां पुनः शुरू करने और लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास करना, साथ ही नजरबंदों को रिहा करने जैसे कदम उठाना आदि।

बंगाल पाटरीज़

6046. डा. असीम बाला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेशकों द्वारा "बंगाल पाटरीज" को फिर से चालू किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय समेकित ग्रामीण बैंक का विचार "बंगाल पाटरीज़" को बेचने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) मै. बंगाल पोटरीज लिमिटेड के प्रबन्ध का उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्यवाही के समाप्त हो जाने तक अधिग्रहण किया गया था। 14-9-93 को अधिग्रहण की 17 वर्ष की अधिकतम स्वीकार्य अवधि के पूरा हो जाने पर माननीय उच्च न्यायालय ने कम्पनी की परिसंपत्तियों का निपटान करने के लिए सरकारी परिमापक की नियुक्ति की है।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण

6047. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या का नियंत्रण पाने हेतु उठाए गए कदमों के कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई और इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या सरकार परिवार कल्याण योजना को वाध्यकर बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) जी, हां।

(ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कारण जन्म दर जो 1951-61 के दौरान 41.7 (प्रति हजार जनसंख्या) थी, 1995 में घटकर 28.7, शिशु मृत्यु दर 146 (प्रति हजार जीवित जन्मों पर) से घटकर 1993 में 74 तथा कुल प्रजननता दर 1951-61 में 6.0 से घटकर 1992 में 3.6 हो गई।

(ग)

वर्ष	व्यय
	(लाख रुपये में)
1992-93	1,19,040.00
1993-94	1,52,262.00
1994-95	1,85,500.00 (अनुमानित)

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेना पर खर्च

6048. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार का विचार पुरस्कार के रूप में उन देशों की सहायता करने का है जो सेना पर और हथियारों के आयात पर होने वाले खर्च में कटौती के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सहायता को सेना के खर्च के साथ जोड़ने संबंधी कनाडा के इस प्रस्ताव की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या देश भी उक्त सहायता का पात्र है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कनाडा सरकार के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार को इस तरह के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

शिकायत प्रकोष्ठ

6049. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवेशकों की शिकायतों के निवारणार्थ कोई प्रकोष्ठ बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपयुक्त पाए गए मामलों में दण्डात्मक कार्यवाही शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कार्यवाही शुरू की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) कम्पनी कार्य विभाग ने निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने हेतु संरक्षण सेल स्थापित किया है जिसमें दो अनुभाग हैं। सेल पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है और प्राप्त शिकायतों को दूर करने के लिए उन्हें संबंधित कम्पनियों को भेजकर उन पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) उपयुक्त मामलों में, मामलों को उपयुक्त कार्रवाई आरंभ करने के लिए संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा दायर किए गए अभियोजनों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा	1991-92	1992-93	1993-94
73(2)(क)	2	2	33
113	1	89	39

[हिन्दी]

बड़े भवनों में लगे लोहे के ढांचों में जंग लगना

6050. **श्री रामफल सिंह :**

श्री महेश कनोडिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक वर्ष देश में भवनों में लगे लोहों के ढांचों में जंग लगने से करोड़ों रुपये के हो रहे नुकसान से परिचित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जंग प्रतिरोधी उपाय के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने तथा इस संबंध में प्रयोग करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक यह राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित कर लिया जाएगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सीएसआइआर अपनी केन्द्रीय विद्युत-रसायन अनुसंधान संस्थान तथा अन्य प्रयोगशालाओं के माध्यम से धातुओं और मिश्र धातुओं में संक्षारण के लिए उत्तरदायी तत्वों एवं नियंत्रण उपायों और युक्तियों पर पहले से ही अनुसंधान कर रही है। सीएसआइआर ने इस उद्देश्य के लिए विशेषतौर पर तमिलनाडु में मण्डपम में संक्षारण परीक्षण केन्द्र की स्थापना की है। सीएसआइआर संक्षारण नियंत्रण हेतु अनुसंधान एवं विकास के लिए अपने प्रयासों और निवेशों को बढ़ा रही है।

लाइट हेलिकॉप्टर

6051. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**

कुमारी उमा भारती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिष्कृत लाइट हेलिकॉप्टरों के अभिकल्प तथा विकास संबंधी परियोजना लागत में इस कार्यक्रम में विलम्ब के कारण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के कारण इस परियोजना की लागत में कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) हेलिकॉप्टरों का निर्माण किस तिथि से शुरू किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस विलम्ब के कारण इसके प्रस्तावित बहुउद्देशीय उपभोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सरकार ने उन्नत किस्म के हल्के हेलिकॉप्टरों के डिजाइन तथा उनके विकास के लिए जून, 1984 में –67.87 करोड़ रुपये (जनवरी, 1982 के मूल्य स्तर पर) स्वीकृत किए थे। मूल कार्यक्रमानुसार इस परियोजना को 1991 में पूरा किया जाना था। तथापि, इस परियोजना के अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर विकसित करने की पहली स्वदेशी परियोजना होने के कारण इसमें कई समस्याएं आईं जिसके कारण इसे पूरा करने का कार्यक्रम पिछड़ गया। 1993 में, सरकार ने (अप्रैल, 1992 के मूल्य स्तर पर) 390.68 करोड़ रुपये की संशोधित परियोजना लागत को स्वीकृति प्रदान की। लागत में अधिकांश वृद्धि मूल्यों के बढ़ने, विनिमय दर में परिवर्तन, सांविधिक प्रभारों में परिवर्तन तथा परियोजना के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन के कारण हुई। समयावधि बढ़ जाने के कारण लागत मे 19.30 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

(ग) से (ङ) यह परियोजना हेलिकॉप्टर के डिजाइन तैयार करने तथा उसके विकास के लिए थी और उत्पादन शुरू करने के लिए कोई विशिष्ट तारीख नहीं बताई गई थी। तथापि, विकास के अधिकांश लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं तथा औद्योगिकीकरण और उत्पादन योजनाओं को तैयार करने का काम चल रहा है। उन्नत किस्म का हल्का हेलिकॉप्टर एक बहुउपयोगी हेलिकॉप्टर रहा है।

चिकित्सा सुविधाएं

6052. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) मध्य प्रदेश में कितने प्राथमिक केन्द्र, उप-केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्र. सी. सिल्वेरा) : (क) दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश भर में जनसंख्या मानदंडों में ढील देकर अनेक उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक विस्तृत ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा स्थापित किया गया है।

इसके अलावा दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक एलोपैथिक औषधालय/अस्पताल/मोबाइल क्लिनिक, आयुर्वेदिक अस्पताल/औषधालय, होमियोपैथिक अस्पताल/औषधालय और यूनानी/सिद्ध औषधालय भी कार्य कर रहे हैं।

मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता, एड्स और कैंसर जैसे संचारी और गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन रोग प्रतिरक्षण सहित शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व पर जोर दिया गया है। देश की बदलती हुई जरूरतों के अनुसार चिकित्सीय और स्वास्थ्य कार्मिक शक्ति के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने संबंधी ढांचे का विस्तार किया जा सके। लोगों को व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों/गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया गया है।

(ख) दिसम्बर, 1994 को समाप्त तिमाही की भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य आंकड़े संबंधी बुलेटिन में दी गई सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

(31-3-94 की स्थिति के अनुसार) क्रमशः 11910, 1182 और 191 है।

[अनुवाद]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन

6053. श्री पीयूष तीरकी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए हजारों एकड़ आदिवासी जमीनों का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो इन आदिवासी जमीनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने इस प्रकार अधिग्रहित आदिवासी जमीनों के बड़े भाग को अपने ही आवासीय/व्यापारिक प्रयोजनों के लिए बड़ी संख्या में गैर-आदिवासियों को आबंटित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आदिवासियों को उनकी जमीनों के लिए दी गई दरों और दी गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है और गैर-आदिवासियों को आदिवासियों की इन जमीनों का आबंटन किन दरों पर किया गया; और

(च) आदिवासियों को हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा अधिग्रहीत की गई उनकी भूमि के बदले में दिए गए अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1958 से 1963 तक आदिवासियों और गैर-आदिवासियों दोनों, की 6530.3 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था।

(ग) और (घ) अधिग्रहीत भूमि का कोई भी हिस्सा आवासीय अथवा व्यावसायिक प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया गया है।

(ङ) भूमि अधिग्रहण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संबंधित आदिवासियों और गैर-आदिवासियों, दोनों की भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार पूरा मुआवजा दिया गया था। एच. ई. सी. द्वारा राज्य सरकार को दिए गए कुल मुआवजे की धनराशि 242.62 लाख रुपये थी।

(च) अधिग्रहीत की गई भूमि के बदले में एच. ई. सी. द्वारा दिए गए अन्य लाभों के ब्यौरे निम्नवत हैं :

(i) एच. ई. सी. द्वारा 2658 परिवारों को "एक परिवार से एक व्यक्ति" मानदण्ड के अनुसार रोजगार दिया गया।

(ii) इस कोटि के और अनेक व्यक्तियों को एच. ई. सी. में विभिन्न पदों पर यदा-कदा, समय-समय पर रोजगार दिया गया है।

(iii) हटिया जाति के 428 विस्थापित/प्रभावित व्यक्तियों को, उन्हें लाभप्रद रोजगार पाने में मदद करने के लिए, प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत एच. ई. सी. प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया है।

(iv) विस्थापित/प्रभावित परिवारों की महिलाओं को सामान्य उपचर्या तथा दाई का प्रशिक्षण दिया गया और उनमें से 21 महिलाओं को एच. ई. सी. के चिकित्सा प्रभाग में रोजगार दिया गया है; और

(v) उन्हें टाउनशिप में विभिन्न सैक्टरों में दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता दी गई है तथा टाउनशिप के एक सैक्टर में पूर्णरूपेण पुनर्वास बाजार स्थापित किया गया है।

विदेशी पूंजी निवेश संवर्धन बोर्ड

6054. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी निवेश संवर्द्धन बोर्ड विदेशी निवेशकों को आमंत्रित कर रहा है और उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी निवेशक, संवर्द्धन बोर्ड से निकट सम्पर्क साध कर इसके साथ कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या विदेशी पूंजी निवेश संवर्द्धन बोर्ड ने विदेशी उद्यमियों को यह आश्वासन दिया है कि आगामी तीन वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र को दिया गया विशेष संरक्षण वापिस ले लिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी पूंजी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा विदेशी निवेशकों को दिए गए ऐसे आश्वासनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड का गठन अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उन परियोजनाओं में भारत में निवेश आमन्त्रित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी मानी गई है। नई औद्योगिक नीति की घोषणा से मार्च, 1995 के अन्त तक विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा 1637 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं जिनमें 26399.79 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन्तर्ग्रस्त है। (इसमें यूरो इस्यू के 23 प्रस्ताव शामिल हैं जिनमें 5467.07 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है)।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

शांति बनाए रखने संबंधी आपरेशन

6055. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1995 में कमांडरों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत भारतीय सशस्त्र बलों की शांति बनाए रखने संबंधी आपरेशनों में हिस्सेदारी बनाए जाने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, 21 अप्रैल 1995 को प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के कमांडरों को एक साथ संबोधित किया।

(ग) और (घ) सरकार, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में भागीदारी का समर्थन करती है। इस समय रवांडा में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में इन्फैंट्री की एक बटालियन तथा कुछ अन्य सहायक सैन्य टुकड़ियां पहले से ही तैनात हैं और इसके अलावा एक बटालियन संयुक्त राष्ट्र अंगोला जांच मिशन पर अंगोला जा रही है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान

6056. श्री नवल किशोर राय :

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1994-95 के दौरान अनेक विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान अनुसंधान और आविष्कार कार्यों में लगे थे;

(ख) यदि हां, तो इनकी पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ग) क्या ये संस्थान देश की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान और आविष्कार कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन संस्थानों को देश में अनुसंधान और आविष्कार कार्य को तीव्र गति से करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ) जी, हां। देश भर में लगभग 400 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं/संस्थान तथा राष्ट्रीय महत्व के डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों सहित लगभग 200 विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगे हुए हैं। ये संस्थान समग्र योजना प्राथमिकताओं के अनुरूप मौलिक विज्ञान एवं इंजीनियरी के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को हाथ में ले रही हैं।

(ङ) और (च) अनुसंधान की कुछ आवश्यकताओं में अनुसंधान के लिए मूलभूत ढांचे, प्रशिक्षित मानव शक्ति, परिष्कृत संयंत्र, पुस्तकालय/पत्रिकाएं तथा संगणन सुविधाओं का उपलब्ध होना शामिल है। इन संस्थानों में अनुसंधान क्षमताओं को तेज करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, उदाहरण के तौर पर (क) अनुसंधान मूलभूत ढांचे के लिए वर्धित वित्त पोषण (ख) राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की स्थापना (ग) युवा वैज्ञानिकों की फेलोशिपों एवं प्रोजेक्ट सहायता में बढ़ोत्तरी (घ) वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

[अनुवाद]

परिवार कल्याण सेवाएं

6057. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में कुछ परिवार कल्याण सेवाएं प्रायोजित की हैं;

(ख) यदि हां, तो ये सेवाएं किन-किन राज्यों में लागू की जा रही हैं;

(ग) क्या राजस्थान में इस तरह की कोई केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना लागू की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं देश भर में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक नेटवर्क के जरिए प्रदान की जा रही हैं।

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य में परिवार कल्याण केन्द्रीय प्रायोजित योजना 232 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों, 1453 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 8000 उप केन्द्रों और 246 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की उपलब्धियां

6058. श्री केसरी लाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं;

(ख) इन उपलब्धियों/अनुसंधानों को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास के किन पहलुओं पर अब तक अधिक ध्यान दिया गया है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं जुटाने और ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की क्या उपलब्धियां रही हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992-95 में ग्रमीण विकास के क्षेत्र में प्राप्त की गई सीएसआइआर की उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) सीएसआइआर द्वारा विकसित ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रसार के लिए प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। सीएसआइआर ने अनके प्रदर्शनियों/कृषि मेलों में भी सक्रियता से भाग लिया, जिसके अन्तर्गत आने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं :

(i) सस्ती भवन-निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकियां

(ii) औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती एवं संसाधन

(iii) खाद्य एवं कृषि आधारित प्रौद्योगिकियां

(iv) पेय जल

(v) चर्म एवं पशु आधारित प्रौद्योगिकियां

(vi) कांच एवं सिरैमिक उत्पाद

(vii) ऊर्जा बचाने वाली युक्तियां (चूल्हे, भट्टियां)

सीएसआइआर संभावित उपभोक्ताओं के बीच बांटने के लिए 350 ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के सार-संग्रह का संकलन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में कर रही है।

(ग) सीएसआइआर में प्रयासों से, सस्ती बेहतर कुटीर बनाने, भोजन संरक्षण, सस्ते पोषण, पेयजल, जैव द्रव्य संरक्षण, अधिक उत्पादकता के लिए कारीगर निपुणताओं को बढ़ावा देने, कुटीर उद्योग के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों, आय एवं रोजगार पैदा करने में सहायता मिली है।

विवरण

सीएसआइआर की वर्ष 1992-95 के दौरान ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1. सामान्य

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम	170
2. प्रदर्शन	251
3. प्रदर्शनियां/कृषि मेले	57

2. सस्ते आवास

1. पूरी की गई (यूनिटें)	18,071
2. प्रशिक्षित किए गए लोग (सीधे)	2,745
3. अनुमानित रोजगार सृजन (लाख श्रम दिन)	44
4. अनुमानित बचत (लाख रु.)	344
5. स्थापित उत्पादन यूनिटें (भवन निर्माण घटकों के लिए)	60

3. चिकित्सीय एवं सगंध पौधे

1. 175 है. बंजर भूमि सहित खेती के प्रयोग में लाई गई अतिरिक्त भूमि (है.)	3100
2. उपलब्ध कराई गई पौधा रोपण सामग्री (पार्टियों की संख्या)	1700

4. ऊर्जा दक्ष चूल्हे

1. अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से अपनाए गए	4,48,816

[अनुवाद]

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रयोगशालाएं

6059. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे डिटर्जेंट, बार्स, घरेलू उपयोग की डिटर्जेंट केक, लाऊंड्री सोप एवं टायलेट सोप के तुलनात्मक परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) तुलनात्मक परीक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता देने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में ऐसी प्रयोगशालाएं नहीं हैं। तथापि, इंडस्ट्रियल टाक्सीकोलोजी रिसर्च सैन्टर (आई टी आर सी) उद्योग के संगठित और लघु स्तरीय क्षेत्रों के सिंथैटिक घरेलू डिटर्जेंट टिकियों सहित उपभोक्ता रसायनों और पर्यावरणीय प्रदूषणों के सुरक्षित मूल्यांकन में जुटा है।

(ख) आईटीआरसी रासायनिक सुरक्षा के क्षेत्र में देश में एक नोडल प्रयोगशाला है। कामगारों की व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याएं, पर्यावरणीय प्रदूषणों, खतरनाक रसायनों, पीने के पानी में प्रदूषणों, डिटरजेन्टों, प्रसाधनों, पालिमर उत्पादों और कन्टेनर, जन स्वास्थ्य हित की मदों,में आती हैं। ये परीक्षण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रमाणिक अंतर्राष्ट्रीय प्रोतोकोलों द्वारा किए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) गैर-सरकारी संगठन तुलनात्मक परीक्षण संबंधी गतिविधियों सहित उपभोक्ता उत्पादों पर प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सहायता पाते हैं और उनका केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और उद्योग संघों की भागीदारी द्वारा वित्तपोषण किया जाता है।

जल आपूर्ति योजना

6060. प्रो. प्रेम धूमल :

श्री राम नाईक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण त्वरित जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत राज्यों से रख-रखाव एवं मरम्मत कोष (एम. एण्ड आर. एफ.) में वृद्धि करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दी जाएगी ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई ह्मरजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) मेघालय सरकार से 1992-93 में और बिहार सरकार से 1993-94 में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ग) प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया गया था क्योंकि त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक आबंटन की 10 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक संचलन और रख-रखाव संबंधी खर्च को राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की निधियों और राज्य सरकार द्वारा की गई गैर-योजना व्यवस्था में से पूरा करना होता है।

मलेरिया नियंत्रण

6061. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और इसकी संशोधित संचालन योजना की समीक्षा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ती. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की दिसम्बर, 1994 में पुनरीक्षा की गई थी। तदनुसार मलेरिया पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें कीं :

—अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए जानपदिक रोग विज्ञानी मापदण्ड।

—मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने और इस रोग की दर को कम करने के लिए स्थानीय नियंत्रण उपाय।

—ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त कीटनाशक दवाओं के साथ संचरण को रोकने के लिए वैक्टर नियंत्रण।

—शहरी क्षेत्रों में मच्छरों के पनपने के स्रोतों को समाप्त करने के लिए लार्वानाशकों के साथ लार्वा रोधी उपाय।

—मलेरिया को रोकने के लिए लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तेज करना।

(ग) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें पहले ही कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित कर दी गई हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों को मलेरिया रोग को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों तथा ग्रामीण स्तर पर अपनाए जाने वाले औषध विधान के बारे में आवश्यक अनुदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

तम्बाकू सेवन

6062. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू सेवन से प्रति वर्ष काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तम्बाकू सेवन के कुप्रभावों के संबंध में आम जागरुकता पैदा करने की दृष्टि से एक अभियान शुरू करने का है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ती. सिल्वेरा) : (क) अनुमान है कि भारत में हर वर्ष लगभग 8 लाख व्यक्ति तम्बाकू संबंधी रोगों से मरते हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने सिगरेट के पैकों पर एक सांविधिक चेतावनी कि "धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकर है", इसके अलावा तम्बाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना, सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना जैसे अनेक उपाय शुरू किए हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता

6063. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाएं शुरू करने के लिए गुजरात को वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत उपरोक्त अवधि में दी गई एवं उपयोग में लाई गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गुजरात को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1992-93 से 1994-95 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

योजनाएं	1992 93		1993-94		1994-95
	राज्य को भुगतान की गई रकम	राज्य द्वारा सूचित किया गया व्यय	राज्य को भुगतान की गई रकम	राज्य द्वारा सूचित किया गया व्यय	राज्य को भुगतान की गई रकम
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	541.20	1083.66	725.00	1457.24	607.45
उपकेन्द्र	900.00	1351.58	900.00	1801.53	899.03
ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना	31.46	28.34	16.73	22.00	9.00
उप मंडलीय स्तर पर प्रशिक्षण	162.65	174.19	162.00	194.08	162.00

1	2	3	4	5	6
बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण	10.00		10.00		12.00
ए एन एम/एल एच वी का प्रशिक्षण	61.00	145.60	61.00	139.08	54.97
आई यू वी निवेशन में ए एन एम/ एल एच वी का प्रशिक्षण	—		2.37		—
दाइयों को प्रशिक्षण	10.00		—		16.80
90 पिछड़े जिलों के लिए विशेष निवेश	100.00	सूचित नहीं किया गया	100.00	सूचित नहीं किया गया	100.00
क्षेत्रीय परियोजना	411.00	905.00	1499.00	813.74	1136.97

औषधियों की कमी

6064. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में आवश्यक औषधियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई औषधि नीति से औषधियों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है और आवंटित स्वास्थ्य बजट इस अस्पताल की औषधियों की लागत को पूरा नहीं करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो आवश्यक तथा जीवन रक्षक औषधियों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सितम्बर, 1994 में घोषित की गई औषध नीति में किए गए ताजा संशोधन के कारण औषधों के मूल्य में कोई सामान्य वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औषध अनुसंधान

6065. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान के परिषद ने परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अतिरिक्त नैदानिक और औषध अनुसंधान क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चवन सिंह चाटोवार) : (क) परिषद अपने अनुसंधान कार्यक्रम के माध्यम से मौलिक अध्ययन, उपचारी अध्ययन तथा स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान अध्ययन आयोजित कर रही है। ऐसे अध्ययनों के परिणामस्वरूप मलेरिया, मिरगी, मधुमेह, स्थूलता आमाशय विकार हेतु नई औषधों का विकास तथा रोगों के उपचार हेतु तकनीकों का मानकीकरण हुआ है। औषध अनुसंधान कार्यक्रम पर केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद के कार्यकलापों में चिकित्सा-वानस्पतिक सर्वेक्षण औषधीय पादपों की खेती, भेषज गुण विज्ञानी/विष विज्ञानी अध्ययन तथा औषध मानकीकरण अध्ययन शामिल हैं। परिषद ने मुख-संव्य गर्भनिरोधक के रूप में पिप्पल्यादि योग और लगाने हेतु शुक्राणुनाशी रूप में नीम तेल भी विकसित किया है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

6066. डा. पी. वल्लल पेरुमान :

श्री पंकज चौधरी :

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम संबंधी राज्यवार कितनी योजनाएं शुरू की गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त हुई उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई ह्मरजीभाई पटेल) : (क) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन योजनाएं हैं : (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) जवाहर रोजगार योजना, (3) गहन जवाहर रोजगार योजना तथा (4) सुनिश्चित रोजगार योजना। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 1980-81 के दौरान देश के सभी खण्डों में शुरू किया गया था तथा तब से ही यह एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में विद्यमान है। जवाहर रोजगार योजना को पहले से चलाए जा रहे दो रोजगार कार्यक्रमों अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर 1 अप्रैल, 1989 को आरंभ किया गया। 1993-94 के दौरान, इसके अलावा, गहन जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अक्तूबर, 1993 में आरंभ की गई दो योजनाएं हैं। गहन जवाहर रोजगार योजना 12 मुख्य राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के 120 पिछड़े खण्डों में कार्यान्वित की जा रही है। सुनिश्चित रोजगार योजना को आरंभ में 1756 पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली खण्डों में

कार्यान्वित किया गया था। इस योजना को अब अप्रैल, 1995 से 2448 खण्डों में चलाया जा रहा है।

(ख) भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण I से IV में दिए गए हैं।

(ग) 1992-93 के दौरान करवाये गये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनंतिम समवर्ती मूल्यांकन सर्वेक्षण के अनुसार सहायता किए गये परिवारों के 14.81 प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर 11,000 रुपये वार्षिक की गरीबी की रेखा को पार करने में सक्षम हुए थे। राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण I

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा

(लाभार्थी संख्या में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93		1993-94		1994-95 (अनंतिम)	
		भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	138079	179038	204024	259697	166884	107296
2.	अरुणाचल प्रदेश	12519	13642	16630	15207	12468	10207
3.	असम	37711	40204	67158	63381	54938	61861
4.	बिहार	276337	264252	387248	335908	324640	156704
5.	गोआ	2608	2456	3446	3452	2840	2137
6.	गुजरात	56861	61842	74909	79725	61262	76498
7.	हरियाणा	13606	23349	17989	34026	14715	28285
8.	हिमाचल प्रदेश	4871	6956	5869	9128	4796	7349
9.	जम्मू व कश्मीर	6803	7331	11193	7408	20000	9342
10.	कर्नाटक	86425	109056	136981	132861	112055	125810
11.	केरल	46850	50517	49836	53698	40767	46294
12.	मध्य प्रदेश	183097	184083	258521	242673	211466	155405
13.	महाराष्ट्र	147906	177651	222394	217671	181926	196677
14.	मणिपुर	1092	3158	4848	6333	8982	5664
15.	मेघालय	3275	3011	4655	2635	9567	6020
16.	मिजोरम	5216	3474	6971	4684	4027	2006
17.	नागालैंड	5477	3996	7273	5489	6737	1217
18.	उड़ीसा	90457	93236	165479	160000	135382	136887
19.	पंजाब	11507	25248	12792	33736	10464	22701
20.	राजस्थान	86189	101366	107400	116567	87857	107799
21.	सिक्किम	1043	1142	1352	1218	1120	1281
22.	तमिलनाडु	123969	144987	184436	214838	150860	201221
23.	त्रिपुरा	3863	11414	15000	16297	12856	2361
24.	उत्तर प्रदेश	359554	38761	416354	445403	327353	318215

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	पश्चिम बंगाल	154457	171695	182836	73818	149552	159722
26.	अंडमान व निकोबार	13041	895	1726	1171	1421	445
27.	चंडीगढ़						
28.	दादर व नगर हवेली	261	300	372	372	300	302
29.	दिल्ली						
30.	दमन व द्वीप	522	524	690	507	561	136
31.	लक्षद्वीप	133	156	159	181	140	100
32.	पांडिचेरी	1043	1043	1407	1407	1161	1221
	अखिल भारत	1875135	2068778	2569942	2539441	2115097	1951163

विवरण II

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93		1993-94		1994-95 (अनंतिम)	
		आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4880.00	5411.42	8416.00	8813.75	8344.00	6039.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	416.00	426.52	686.00	523.65	523.00	341.58
3.	असम	1332.00	1584.46	2770.00	2532.34	2747.00	2258.23
4.	बिहार	9778.00	7726.73	15974.00	10873.59	16232.00	5971.33
5.	गोआ	86.00	53.54	142.00	77.48	142.00	115.25
6.	गुजरात	2010.00	2210.50	3090.00	3354.85	3053.00	3259.82
7.	हरियाणा	480.00	796.25	742.00	1318.31	736.00	1351.32
8.	हिमाचल प्रदेश	172.00	291.88	242.00	378.02	240.00	400.52
9.	जम्मू व कश्मीर	240.00	385.47	462.00	426.67	1000.00	506.20
10.	कर्नाटक	3054.00	2671.68	5650.00	4026.36	5603.00	4354.35
11.	केरल	1600.00	1647.95	2056.00	1973.75	2038.00	2401.23
12.	मध्य प्रदेश	6472.00	7336.37	10664.00	10040.21	10573.00	6709.88
13.	महाराष्ट्र	5228.00	5332.16	9174.00	7329.26	9096.00	7577.07
14.	मणिपुर	38.00	86.42	200.00	175.91	450.00	294.74
15.	मेघालय	116.00	173.80	192.00	158.33	478.00	363.09
16.	मिजोरम	174.00	212.29	288.00	282.09	201.00	133.17

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	नागालैंड	182.00	236.84	300.00	310.79	337.00	141.94
18.	उड़ीसा	3198.00	3373.97	6826.00	6263.08	6768.00	5760.78
19.	पंजाब	406.00	935.95	528.00	1471.24	523.00	1216.11
20.	राजस्थान	3118.00	3258.25	4430.00	4213.30	4393.00	4026.81
21.	सिक्किम	34.00	39.71	56.00	40.96	56.00	45.99
22.	तमिलनाडु	4382.00	4436.01	7608.00	7269.39	7543.00	8418.21
23.	त्रिपुरा	136.00	414.47	618.00	540 29	643.00	341.13
24.	उत्तर प्रदेश	13062.00	14395.38	20508.00	20197.02	20335.00	16038.02
25.	पश्चिम बंगाल	5460.00	5758.50	7542.00	2959.40	7478.00	6196.36
26.	अंडमान व निकोबार	43.00	39.34	71.00	38.10	71.00	20.04
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
28.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—
29.	दमन व द्वीव	17.00	16.30	28.00	18.74	28.00	7.57
30.	दादर व नगर हवेली	9.00	10.41	15.00	14.89	15.00	16.21
31.	लक्षद्वीप	4.00	8.60	7.00	6.59	7.00	9.69
32.	पांडिचेरी	35.00	42.47	58.00	36.29	58.00	39.89
	अखिल भारत	66222.00	69307.64	109343.00	95664.95	109822.00	84891.14

विवरण III

निम्नलिखित वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार लक्ष्य एवं उपलब्धि का ब्यौरा

(लाख श्रमदिन)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93		1993-94		1994-95 (अनंतिम)	
		वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	659.76	677.93	1025.61	903.06	946.90	662.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.01	6.52	10.01	4.85	9.38	5.58
3.	असम	119.72	109.72	228.90	278.24	211.97	210.81
4.	बिहार	937.94	1036.16	1467.71	1321.04	1035.22	555.93
5.	गोआ	8.36	8.12	10.12	8.53	7.84	6.45
6.	गुजरात	236.73	235.03	211.40	210.55	177.45	195.68
7.	हरियाणा	28.71	32.63	38.64	33.29	33.29	33.96
8.	हिमाचल प्रदेश	28.77	26.16	33.73	34.54	28.68	28.87

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू व कश्मीर	62.07	43.01	72.75	27.60	86.36	65.38
10.	कर्नाटक	441.08	418.29	718.01	588.64	415.72	282.39
11.	केरल	138.63	134.54	113.47	120.43	97.10	101.01
12.	मध्य प्रदेश	643.77	709.66	766.00	769.25	723.33	667.22
13.	महाराष्ट्र	833.77	823.53	137.27	1129.94	839.93	751.84
14.	मणिपुर	9.94	5.23	14.84	6.68	5.78	6.33
15.	मेघालय	11.61	8.90	16.89	9.55	7.82	8.41
16.	मिजोरम	4.37	4.78	5.24	6.32	6.08	4.84
17.	नागालैंड	20.74	15.47	14.74	16.02	11.51	8.47
18.	उड़ीसा	305.52	326.39	557.70	479.07	522.34	443.59
19.	पंजाब	24.67	31.78	29.93	38.57	25.39	13.41
20.	राजस्थान	340.62	339.09	426.66	403.13	385.21	386.42
21.	सिक्किम	6.66	13.42	8.19	10.14	6.19	7.03
22.	तमिलनाडु	671.94	767.86	853.62	855.02	727.58	897.37
23.	त्रिपुरा	18.10	13.94	22.04	23.41	13.19	29.02
24.	उत्तर प्रदेश	1389.00	1496.29	1779.57	1739.19	1165.44	977.17
25.	पश्चिम बंगाल	557.24	525.55	563.81	495.18	498.98	489.37
26.	अंडमान व निकोबार	4.47	1.71	3.27	1.91	2.46	2.59
27.	दादर व नगर हवेली	3.55	2.70	2.73	2.34	2.29	2.07
28.	दमन व द्वीव	1.63	0.12	1.63	0.59	1.48	0.44
29.	लक्षद्वीव	2.55	2.68	2.62	2.21	1.38	1.91
30.	पांडिचेरी	3.32	3.81	5.16	4.27	3.08	4.72
	कुल	7537.95	7821.02	10393.26	9523.45	7997.37	6830.40

विवरण IV

निम्नलिखित वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित एवं उपयोग की निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93		1993-94		1994-95	
		आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	23132.28	19866.06	24620.09	29568.86	27099.96	28367.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	322.51	224.90	322.51	191.60	322.51	222.22

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	6420.76	4034.49	8104.95	7911.51	8921.21	8230.47
4.	बिहार	47934.30	41257.59	48291.40	50445.49	58155.56	28530.88
5.	गोआ	421.93	340.86	348.46	353.83	348.46	372.24
6.	गुजरात	9611.93	8327.77	9037.55	10533.51	9947.86	10686.38
7.	हरियाणा	2291.06	2012.18	2170.94	2164.35	2389.61	2583.42
8.	हिमाचल प्रदेश	1254.69	1049.73	1107.26	1303.08	1107.26	1150.10
9.	जम्मू व कश्मीर	1818.68	2118.67	1571.74	1259.41	2250.00	2832.17
10.	कर्नाटक	14377.71	12533.91	16531.33	17567.06	18196.44	13355.93
11.	केरल	7653.26	6843.94	6238.34	7789.38	6620.11	7234.60
12.	मध्य प्रदेश	31473.50	29328.16	31197.24	36260.38	34339.59	31237.99
13.	महाराष्ट्र	26815.64	18648.24	26889.28	25626.40	29542.68	25927.08
14.	मणिपुर	623.25	292.23	413.36	301.82	413.36	346.51
15.	मेघालय	703.58	413.10	483.68	359.46	483.68	312.40
16.	मिजोरम	244.43	213.27	203.75	350.70	203.75	281.92
17.	नागालैंड	627.76	637.21	518.46	668.66	518.46	410.70
18.	उड़ीसा	16036.90	13067.13	19972.66	19582.43	21994.43	13739.89
19.	पंजाब	1982.54	2590.84	1634.30	1922.81	1699.26	755.50
20.	राजस्थान	15172.01	12245.06	12961.33	14247.06	14266.06	13951.90
21.	सिक्किम	231.98	303.56	188.76	273.07	188.76	189.21
22.	तमिलनाडु	20550.48	20094.35	22256.18	26530.04	24497.94	29642.51
23.	त्रिपुरा	653.83	485.40	536.90	838.66	536.90	1131.61
24.	उत्तर प्रदेश	61016.79	52257.00	59998.40	69531.24	66041.76	48618.03
25.	पश्चिम बंगाल	25923.84	21412.74	22063.30	24031.32	24285.53	24780.70
26.	अंडमान व निकोबार	152.70	67.50	152.70	107.20	152.70	161.26
27.	दादर व नगर हवेली	91.02	76.31	82.89	80.68	82.89	91.41
28.	दमन व द्वीव	48.93	5.33	4.8	25.94	48.83	22.53
29.	लक्षद्वीव	78.58	61.66	76.55	73.58	76.55	80.27
30.	पांडिचेरी	232.38	139.39	149.47	122.53	149.47	121.21
	कुल	316905.05	270958.93	319122.39	359020.56	349872.39	300368.21

विवरण V

निम्नलिखित वर्षों के दौरान गहन जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निष्पादन

क्रमांक	राज्य	1993-94			1994-95			
		आवंटित संसाधन (लाख रुपये में)	उपयोग किए गए संसाधन (लाख रुपये में)	रोजगार सृजन (लाख रुपये में)	आवंटित संसाधन (लाख रुपये में)	उपयोग किए गए संसाधन (लाख रुपये में)	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिन)	
							लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	6243.75	4246.73	125.84	6243.75	7898.82	198.33	149.72
2.	बिहार	17231.25	8078.50	153.21	17231.25	9761.69	305.08	182.47
3.	गुजरात	3887.56	1182.44	22.09	3887.50	3479.73	63.04	62.80
4.	जम्मू व कश्मीर	853.75	147.50	4.56	853.75	981.06	30.74	22.66
5.	कर्नाटक	4715.00	1690.62	62.66	4715.00	5413.68	97.93	114.23
6.	मध्य प्रदेश	15243.75	3917.89	79.99	15243.75	19265.17	291.90	408.03
7.	महाराष्ट्र	10217.50	1380.61	58.56	10217.50	10833.25	279.20	226.60
8.	उड़ीसा	7143.75	1911.22	43.89	7143.75	5498.45	154.31	179.75
9.	राजस्थान	4568.75	1628.85	47.24	4568.75	5957.13	112.14	259.10
10.	तमिलनाडु	3255.00	793.98	26.00	3255.00	4339.84	87.89	76.74
11.	उत्तर प्रदेश	8335.00	1979.92	51.98	8335.00	5946.03	133.11	113.47
12.	पश्चिम बंगाल	6125.00	1884.00	58.85	6125.00	5076.29	114.41	63.55
	कुल	87820.00	28850.26	734.95	87820.00	84949.14	1868.08	1708.57

विवरण VI

निम्नलिखित वर्षों के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत प्रगति

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993-94			1994-95		
		रिलीज की गई निधियां (लाख रु.)	उपयोग की गई निधियां (लाख रु.)	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिन)	रिलीज की गई निधियां (लाख रु.)	उपयोग की गई निधियां (लाख रु.)	रोजगार सृजन (लाख श्रम दिन)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	4500.00	2566.02	62.42	12987.00	14321.57	269.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	300.00	136.17	3.69	1200.00	862.80	20.84
3.	असम	2587.50	963.09	31.75	5790.00	3513.48	95.50
4.	बिहार	5887.50	1608.36	31.54	12987.50	6487.08	135.87
5.	गोवा	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	606.25	146.21	6.75	4475.00	1044.82	20.25
7.	हरियाणा	1660.00	903.85	15.20	3600.00	2223.74	25.18

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	43.75	2.47	0.05	625.00	65.52	1.69
9.	जम्मू व कश्मीर	1043.75	133.75	3.46	3887.50	2335.55	59.86
10.	कर्नाटक	3525.00	678.26	32.12	8187.50	6428.05	139.05
11.	केरल	725.00	171.20	2.60	1700.00	1901.38	27.64
12.	मध्य प्रदेश	7118.75	2503.49	51.20	18170.00	17959.01	363.78
13.	महाराष्ट्र	3306.25	430.10	31.53	9027.50	5113.68	168.16
14.	मणिपुर	825.00	116.89	3.06	1237.50	1327.52	28.60
15.	मेघालय	200.00	—	—	800.00	65.88	1.39
16.	मिजोरम	750.00	470.98	8.52	2000.00	1452.09	28.80
17.	नागालैंड	1050.00	975.15	33.92	1400.00	1124.87	29.00
18.	उड़ीसा	5335.00	1280.35	31.43	9855.00	9474.36	229.39
19.	पंजाब	—	—	—	—	—	—
20.	राजस्थान	4575.00	926.99	50.00	12375.00	10876.32	273.11
21.	सिक्किम	145.00	20.27	0.82	200.00	101.00	2.22
22.	तमिलनाडु	1318.75	319.48	10.96	4927.50	4409.34	141.29
23.	त्रिपुरा	362.50	659.35	16.14	2272.50	2375.65	60.35
24.	उत्तर प्रदेश	3507.81	647.68	15.00	13737.50	6140.90	112.77
25.	पश्चिम बंगाल	5068.75	2621.00	52.53	9622.50	9220.22	184.79
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10.00	2.41	0.10	40.00	42.11	0.57
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
28.	दादर व नगर हवेली	5.00	1.51	0.04	20.00	3.16	0.10
29.	दमन व दीव	5.00	—	—	—	3.46	0.12
30.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—
31.	लक्षद्वीव	25.00	—	—	100.00	10.94	0.34
32.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
	अखिल भारत	54876.56	18375.03	494.79	141025.00	108857.50	2420.48

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सीटें

6067. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा पाठ्यक्रमों एम. वी. बी. एस. एवं एम. डी. में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर सामान्य श्रेणी के लोगों को प्रवेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) इन आरक्षित सीटों को आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों में से ही भरने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जहां तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन संस्थाओं का संबंध है, सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जबरदस्ती शादियां करना

6068. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाड़े के विदेशी सैनिक तथा पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद ग्रस्त डोडा जिले में जबरदस्ती शादियां कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) ऐसी कोई घटना, सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

6069. श्री जे. चोक्का राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में 48 लाख कामगारों के कार्य बल में केवल 47,000 महिला कर्मचारी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या रोजगार में लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी कानून लाने हेतु कोई प्रस्ताव है जैसाकि इंग्लैंड और अन्य देशों में किया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं। 31-3-1994 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुल 21.54 लाख कर्मचारियों (अनियत/दिहाड़ी कामगारों सहित) में से 1.27 लाख से अधिक महिला कर्मचारी थीं।

(ख) चूंकि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में रोजगार देने में लिंग के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जाता, इसलिए लिंग आधारित भेद भाव निषेध सम्बन्धी कानून बनाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षय रोग नियंत्रण

6070. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 1995 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' नई दिल्ली में 'डाक्टर्स विकमिंग मोर वल्नेरेबल टु टी. बी.' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्षय रोग जीवाणुओं के औषध-प्रतिरोधी होने और एच. आई. वी. के तेजी से फैलने के कारण डाक्टरों में क्षय रोग के संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) सरकार को जानकारी है कि क्षयरोग की घटनाएं डाक्टरों में भी होती हैं। तथापि, ऐसे कोई विशिष्ट आंकड़े अथवा अध्ययन नहीं हैं जिससे यह पता चल सके कि डाक्टरों में जनसाधारण की तुलना में क्षयरोग की अधिक घटनाएं होती हैं।

(ग) अधिकांश रोगियों में क्षयरोग अन्तर्जात संक्रमण के विकृत होने के परिणामस्वरूप होता है जो रोगी को बचपन में हो जाता है। तदुपरांत पुनर्संक्रमण जिनसे रोग होता है बहुत असामान्य है तथा इसलिए डाक्टरों को संक्रमण होने से बचने हेतु कोई विशेष सावधानी बरतने की जरूरत नहीं होती है। एच आई वी से केवल उन लोगों में रोग शीघ्र फैलता है जिन्हें एच आई वी-संक्रमण क्षय रोग का साथ-साथ संक्रमण होता है तथा डाक्टरों को एच आई वी होने से बचने हेतु उपाए करने की आवश्यकता हो सकती है।

तमिलनाडु में सीमेंट संयंत्र

6071. श्री पी. कुमारासामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सीमेंट की वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) उपरोक्त राज्य में वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान कुल कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया गया;

(ग) तमिलनाडु में बड़े, मझौले ओर छोटे सीमेंट संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या उपरोक्त राज्य में सीमेंट संयंत्र लगाने के कुछ प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारत सरकार द्वारा सीमेंट की मांग के लिए कोई राज्यवार प्रक्षेपण नहीं लगाए गए हैं।

(ख) और (ग) तमिलनाडु राज्य में 8 (आठ) बड़े आकार के सीमेंट संयंत्र हैं। इन बड़े सीमेंट संयंत्रों द्वारा उत्पादित सीमेंट की कुल मात्रा वर्ष 1993-94 में 50.51 लाख मी. टन तथा वर्ष 1994-95 में 54.95 लाख मी. टन थी। बहुत छोटे सीमेंट संयंत्रों के बारे में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) दिनांक 25-7-91 से सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। उद्यमियों को उद्योग मंत्रालय में केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई. ई. एम.) ही प्रस्तुत करना होता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सेना फार्म

6072. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सेना फार्म हाउस हैं;

(ख) इस समय पूरे देश में सेना फार्मों में कुल कितने पशु, भैंसे, गायें और सुअर हैं;

(ग) इन फार्मों द्वारा दूध/दुग्ध निर्मित सामान का कितना वार्षिक उत्पादन किया जाता है;

(घ) सशस्त्र बलों में इन उत्पादों के उपभोग और वितरण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या इन उत्पादों को खुले बाजार में असैनिक नागरिकों को बेचा जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इससे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) देश में 64 सैन्य फार्म हैं जिनमें से 51 फार्म रक्षा कार्मिकों के लिए दूध की सप्लाई करते हैं।

(ख) सैन्य फार्मों में मौजूदा भैंसों और गायों की कुल संख्या इस प्रकार है :-

	अधिक आयु की	कम आयु की	कुल
(1) भैंसें	233	134	367
(2) गाय	14217	9114	23331

सैन्य फार्मों में सुअर नहीं हैं।

(ग) सैन्य फार्मों ने 1993-94 के दौरान 326 लाख लिटर दूध, 3.57 लाख कि.ग्रा. मक्खन तथा 0.1 लाख कि.ग्रा. पनीर का उत्पादन किया।

(घ) सैन्य फार्मों में उत्पादित दूध और दूधजन्य उत्पाद सशस्त्र सेनाओं को उनके मुफ्त तथा भुगतान के आधार पर जारी राशन के भाग के रूप में दिए जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

'एड्स' मुक्त प्रमाणपत्र

6073. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी यात्रियों और विदेशी पासपोर्ट धारकों से 'एड्स' रोग-मुक्त प्रमाणपत्र की मांग करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) भारत में एक वर्ष से अधिक ठहरने की इच्छा वाले सभी विदेशियों से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं से एच आई वी मुक्त प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मई, 1992 में अपेक्षित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। राजनयिक/पादरी/ननें तथा मान्य पत्रकारों को इस अपेक्षा से मुक्त किया गया है।

अस्पताल

6074. डा. खुबीराम दुंगरोमल जेस्वानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में रोगियों का उपचार करने हेतु उनके मंत्रालय के अन्तर्गत दिल्ली में मात्र चार अस्पताल हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली और अन्य राज्यों में और अधिक अस्पताल खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है और अन्य अस्पताल कब तक खुल जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका और निजी क्षेत्रों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों के अतिरिक्त दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के 4 अस्पताल हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। चूंकि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है इसलिए यह राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है कि वे अपनी प्राथमिकताओं और संसाधनों की समग्र उपलब्धता को देखते हुए जनता को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों में अस्पताल खोलें। जहां तक दिल्ली का संबंध है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का दिल्ली की परिधि में 500 पलंगों वाला एक और 100 पलंगों वाले 8 अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है।

वन संसाधन

6075. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री चोल्ला मुल्ली रामय्या :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय औषधि कंपनियां अब दवाइयां बनाने हेतु हमारे वन संसाधनों का दोहन कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दोहन को रोकने हेतु क्या उपाए किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) कुछेक अंतर्राष्ट्रीय औषध कंपनियों ने औषधीय जड़ी-बूटियों के निर्यात के लिए पर्यावरण व वन मंत्रालय से संपर्क किया है। अनेक भारतीय फार्मों ने भी उस मंत्रालय से इसी के निर्यात के लिए संपर्क किया है।

(ख) पर्यावरण व वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार ने औषधीय पादपों/जड़ी-बूटियों के गैर कानूनी संग्रहण को रोकने हेतु निम्नलिखित उपाए किए है :-

(i) संलग्न विवरण के अनुसार 46 प्रकार के पादप निर्यात हेतु निषिद्ध हैं जिनमें से 40 प्रकार के पादपों का चिकित्सीय महत्व है।

(ii) औषधीय पादपों, यदि उन्हें उनके स्थानीय नामों से भी घोषित किया गया हो का परीक्षण सीमाशुल्क तथा वन्य जीव प्राधिकारियों द्वारा लदाई पूर्व जांच के अध्यधीन है।

(iii) वन क्षेत्रों से औषधीय पादपों सहित 'वन उत्पाद' का किसी प्रकार का निकाला जाना एवं अभिवहन भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन विनियमित है।

(iv) विशिष्ट पादपों को अधिक संरक्षण देने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को 1991 में संशोधित किया गया है तथा वाणिज्यिक प्रयोजन से राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों से औषधीय पादपों के संग्रहण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

विवरण

भारत सरकार
वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 47 (पी. एन.) 92-97
नई दिल्ली : दिनांक 30 मार्च, 1994

टिप्पण : नीति के अनुच्छेद 158, भाग I(3) का अवलोकन करें।

निर्यात और आयात नीति, 1992-97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1994) की अस्वीकृत निर्यात सूची संबंधी अध्याय 16 की मद सं. 3, भाग I, अनुच्छेद 158 (निषिद्ध मदें) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. विदेश व्यापार महानिदेशक एतद्‌द्वारा निम्नांकित पौधों, उनके अंशों और उनके संजातों के निर्यात का निषेध करते हैं :

1. एकोनिटम एस पी पी
2. एट्रोपा एस पी पी
3. अरिस्टोलोकिया एस पी पी
4. एंजिओप्टरिस एस पी पी
5. अरूडीनारिया जानसेरेंसिया
6. बालानोफोरा एस पी पी
7. कोलचीकम ल्यूटियम (हिरंटूटया)
8. कौमिफोरा भाइटी
9. कोपटिस एस पी पी
10. सायथिया गिगेंटिया
11. डायास्कोरिया डेल्टार्थाइया
12. ड्रोसेरा एस पी पी
13. जेंटियाना कुरू (कुरू, कुटकी)
14. ग्लोरियोसा सुपर्बा
15. ग्नेटम एस पी एस
16. इफीग्नीया इन्डिका
17. मेकोनोप्सिस बेटोनीसिफोलिया
18. नार्डोस्टेकाइस एस पी पी (जटामानसी)
19. ओस्मुंडा एस पी पी
20. राउफोल्फिया एस पी पी (सर्पगंधा)
21. रोडोडेंड्रोन एस पी पी
22. पोडोफिलम हेक्सांड्रम
23. फिजोकलायना प्रेएल्टा (बजरबंग)
24. प्राल्टिया सर्पुम्लिया
25. रयूम इमोडी (डोलू)
26. बरबेरिस एरिस्टटा, (इंडियन बारबेरी; रसवत)
27. एकोरस एस पी पी
28. आर्टेमिसिया एस पी पी
29. कोस्की नियम फेनेस्ट्रेटम (केलुम्बा वुड)
30. कोस्टस स्पेसियोसस (क्यू, कुष्ट)
31. डिडिमोकार्परा पेडिसेल्लटा
32. डोलोमिया पेडिसेल्लटा
33. इफेड्रा एस पी पी
34. गायनोकार्डिया ओडोराटा (चौलमोगरी)
35. हाइडनोकार्पस एस पी पी
36. हायोकाइमस निगर (खासबर्ड)
37. स्ट्राइकनोस पोटेटोरम (निर्मली)
38. स्वेरटिया चिराटा (चरायटाह)
39. टेक्सस बेकेटा (येबु, बिरम)
40. अरजिनिया एस पी पी

परिशिष्ट में दी गई प्रजातियां

41. बेड्डोमस साइकड (साइकस बेड्डोमेई)
42. ब्लू वांडा (वांडायोरूलिया)
43. कुथ (सौसुरिया लप्पा)
44. लेडीज स्लीपर ओरचिड (पफियोपेडिलियम एस पी पी)
45. पिच्चर प्लांट (नेपंथस खसलाना)
46. रेड वांडा (रेनांथरा इम्सकोटियाना)

3. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जा रहा है।

हस्ता./-
(डा. पी. एल. संजीव रेड्डी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की परियोजनाएं

6076. डॉ. आर. मल्लू :

श्री एम. जी. रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1994-95 के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) की परियोजनाओं हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से कितनी धनराशि मांगी गई है; और

(ग) क्या ऐसे प्रत्येक मामले में परियोजना के ब्यौरे को मंजूरी दे दी गई है, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई ह्मरजीभाई पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने गरीबी उन्मूलन पर दक्षेस (सार्क) स्वतंत्र समिति तथा सातवें : दक्षेस शिखर सम्मेलन की घोषणा (ढाका) की सिफारिशों के पक्ष में तकनीकी सहयोग के एक कार्यक्रम के लिए गरीबी दूर करने एवं गरीबों को सक्षम बनाने के लिए सामाजिक एकजुटता लाने एवं राष्ट्रीय सहायता तंत्रों के विकास की नीति पर दक्षेस देशों के लिए एक मिशन की स्थापना की थी। मिशन ने आंध्र प्रदेश में कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास की एक परियोजना का चयन किया है। प्रस्तावित योजना आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कुरनूल एवं महबूबनगर जिलों में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लाभार्थियों को एकजुट करने की एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में है ताकि लाभार्थी स्वयं ही कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं उनका प्रबन्ध करने में सक्षम हो सकें। सफल होने पर इस प्रायोगिक परियोजना को देश के अन्य भागों में भी चलाया जाएगा। परियोजना के प्रथम वर्ष के दौरान एक मिलियन अमरीकी डालर की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता का प्रस्ताव है।

परियोजना अवधि के शेष भाग के दौरान, सहायता 2-3 मिलियन अमरीकी डालर प्रति वर्ष होने की संभावना है। परियोजना की रूपरेखा को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

जिला उद्योग केन्द्र

6077. श्री एन.जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1995 तक गुजरात में पिछड़े क्षेत्रों में विकास हेतु कितने जिला उद्योग केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) गुजरात में उद्योगविहीन जिले कितने हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इन जिलों में उद्योगों के विकास हेतु चलाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) गुजरात राज्य में 18 जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) गुजरात राज्य में केवल डांग जिला ही उद्योग रहित जिले के रूप में पाया गया था।

(ग) से (ङ) जिन जिलों में जिला उद्योग कार्रवाई योजना, 1979-80 के अनुसार कोई भी बड़ा अथवा मझौला उद्योग नहीं पाया गया था उन्हें उद्योग रहित जिला घोषित किया गया था। सरकार उद्योग रहित जिलों में उद्योगों को आकृष्ट करने के लिए उद्योग रहित जिलों में आधारभूत सुविधाओं के विकास की एक योजना चला रही थी। इस योजना के अधीन, गुजरात के डांग जिले में ऐसी किसी परियोजना का अनुमोदन नहीं किया गया था। 1988 में नयी विकास केन्द्र योजना की घोषणा के बाद यह योजना बंद कर दी गयी थी।

वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों के बीच समन्वय

6078. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इस बात का पता चला है कि वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों में समन्वय और विश्वास की कमी घरेलू प्रौद्योगिकी के विकास में एक प्रमुख बाधा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन कमियों को दूर करने हेतु क्या उपाए किए हैं; और

(ग) सरकार ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कराए गए अनुसंधान कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की है और इस अवधि के दौरान अपेक्षित तकनीकों के वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप कितना लाभ अर्जित किया ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) घरेलू प्रौद्योगिकी के विकास में कई कारकों का योगदान होता है। तथापि, सरकार ने वैज्ञानिकों तथा उद्योगपतियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने एवं घरेलू प्रौद्योगिकियों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए उपाए शुरू किए हैं। इन उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं :

(i) वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराना।

(ii) निजी एवं सार्वजनिक दोनों सैक्टरों में उद्योग में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा उद्योग, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं विश्वविद्यालयों के बीच जुड़ाव को मजबूत करने के लिए सहायता उपाय।

(iii) प्रौद्योगिकियों के विकास एवं हस्तांतरण के लिए उद्योग एवं वैज्ञानिकों के बीच अन्तःक्रियात्मक बैठकों का आयोजन।

(iv) वित्तीय संस्थाओं द्वारा जोखिम पूंजी तथा सशर्त अनुदानों की व्यवस्था।

(ग) सरकार पिछले तीन वर्षों से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद का औसतन लगभग 0.83 प्रतिशत प्रति वर्ष खर्च कर रही है। इसमें से करीब 39 प्रतिशत अनुप्रयुक्त अनुसंधान पर खर्च किया जाता है। 500 से अधिक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं, अनेक विश्वविद्यालय विभाग, तकनीकी संस्थान एवं राज्य स्तर के संस्थान अनुसंधान एवं विकास के लिए केन्द्र सरकार से धन प्राप्त करते हैं। इसके परिणामस्वरूप

अनुसंधान एवं विकास के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास, सक्षम वैज्ञानिक मानवशक्ति, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के शोध पत्र, प्रौद्योगिकियों का पेटेंट तथा वाणिज्यीकरण हुआ है। कृषि, रसायनों, औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, रक्षा अनुसंधान, इंजीनियरी उद्योगों, अपारम्परिक ऊर्जा तथा इलैक्ट्रानिकी के क्षेत्रों में खासतौर से महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं।

[अनुवाद]

भारत यंत्र निगम लिमिटेड कंपनी समूह का कार्य-निष्पादन

6079. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत यंत्र निगम लिमिटेड कंपनी समूह की लाभ अर्जित कर रही तथा घाटे में चल रही कंपनियों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कंपनी का क्षमता उपयोग, कुल बिक्री तथा लाभ/हानि संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत यंत्र निगम लिमिटेड ने रूग्ण कंपनियों को संकट से उबारने के लिए हाल ही के वर्षों में क्या कदम उठाए हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है;

(घ) क्या घाटा उठा रही रुग्ण कंपनियों के मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के विचार क्या हैं;

(च) क्या कुछ गैर-सरकारी कंपनियों ने भारत यंत्र निगम लिमिटेड की कुछ रुग्ण कंपनियों की इक्विटी में रूचि दिखाई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या भारत यंत्र निगम लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक से भी अनुरोध किया है कि वह ब्याज में राहत देकर रूग्ण कंपनियों को संकट से उबारने में निगम की सहायता करें; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत यंत्र लिमिटेड के अनुरोध पर भारतीय स्टेट बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारत यंत्र निगम लिमिटेड समूह में छह इंजीनियरी कंपनियां हैं। भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लि. (वीएचपीवी) विजाग; ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (वीएंडआर), कलकत्ता, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल), होस्पेट, कर्नाटक लाभ कमा रही हैं। भारत पम्प्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल), इलाहाबाद; रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड (आरएंडसी), बंबई तथा त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (टीएसएल), इलाहाबाद घाटे में चल रही हैं।

(ख) सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

	कारोबार (करोड़ रुपये में)			लाभ/हानि (करोड़ रुपये में)			क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत)		
	92-93	93-94	94-95 (अनंतिम)	92-93	93-94	94-95 (अनंतिम)	92-93	93-94	94-95 (अनंतिम)
बी.एच.पी.वी.	187	186	225	+2.1	+2.6	+4.5	62	64	75
बी. एण्ड आर.	136	166	201	+2.1	+3.1	+4.2	49	53	50
टी.एस.पी.एल.	40	42	38	+0.6	+0.7	+0.3	55	73	60
उप—योग	363	394	464	+5.3	+6.4	+9.0			
बी.पी.सी.एल.	48	53	54	—14.2	—9.2	—607	31	45	50
आर. एण्ड सी.	52	52	56	—15.2	—12.8	—9.9	29	32	40
टी.एस.एल.	28	33	31	—16.4	—16.3	—14.3	45	57	58
उप—योग	128	138	141	—45.8	—38.3	—30.9			
कुल योग	491	532	605	—40.5	—31.9	—21.9			

(ग) भारत यंत्र निगम ने रुग्ण कंपनियों को बचाने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे—प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार करने के लिए विपणन कार्यनीति, कार्मिक, वित्त, सामग्री क्षेत्रों सहित सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना, परियोजना प्रबंधन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विविधकरण, उत्पादकता और गुणवत्ता, जनशक्ति का युक्तिकरण करना इत्यादि।

(घ) और (ङ) घाटे में चल रही तीन सहायक कंपनियों—बीपीसीएल, आर एंड सी और टीएसएल को बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया है। प्रचालन एजेन्सी ने इन तीनों कंपनियों के संबंध में बीआईएफआर को मसौदा सुधार पैकेज प्रस्तुत किए हैं। बीआईएफआर ने दो कंपनियों बीपीसीएल और टीएसएल के संबंध में मसौदा सुधार स्कीम का परिचालन कर दिया है। बीआईएफआर का अंतिम निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) और (छ) निजी कम्पनियों से कुछ पेशकशें प्राप्त हुई थीं जो इतनी आकर्षक नहीं थीं कि उन पर विचार किया जाता।

(ज) और (झ) भारत यंत्र निगम ने अलग से ब्याज राहतों के लिए

भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध नहीं किया है। तथापि बीआईएफआर द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी द्वारा तैयार पुनरुद्धार पैकेज में ब्याज राहत की परिकल्पना की गई है। बीआईएफआर का अंतिम निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है। बीआईएफआर एक न्यायिककल्प निकाय है।

फिंगर प्रिंटिंग

6080. श्री एस. एम. सालजान बाशा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. एस. आई. आर. गृह मंत्रालय का लोगों के डी. एन. ए. फिंगर प्रिंटिंग का पता करने में सहयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1995-96 के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) इस परियोजना का प्रभार किस प्रयोगशाला को दिया जाएगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, गृह मंत्रालय एवं सीएसआइआर की घटक यूनिट कोशिकीय और अणुजीवविज्ञान केन्द्र (सीसीएमबी), हैदराबाद के सहयोग से सेन्टर फार फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स की स्थापना के लिए इस परियोजना को आरम्भ करने की दिशा में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

(ग) वर्ष 1995-96 में इस परियोजना के लिए 320 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

(घ) यह केन्द्र सीसीएमबी, हैदराबाद से आवश्यक व्यावसायिक सहायता लेगा।

कम्पनी लॉ बोर्ड

6081. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की विभिन्न आवश्यक बैठकों के आयोजन संबंधी मामलों में कम्पनी लॉ बोर्डों की क्या भूमिका है;

(ख) क्या इस प्रकार की बैठकों के आयोजन हेतु सभी संबंधित विभागों और सरकारी कार्यालयों को कुछ नए मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कम्पनी लॉ बोर्ड के मार्गनिर्देशों के उल्लंघन के मामले सरकार के ध्यान में लाए गए है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) यदि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 के अनुसार 'वार्षिक साधारण बैठक' को आयोजित करने में चूक होती है तो कम्पनी के किसी सदस्य के आवेदन पत्र पर कम्पनी विधि बोर्ड धारा 167 के अन्तर्गत कम्पनी की साधारण बैठक बुला सकता है या बैठक बुलाने का उसे निर्देश दे सकता है तथा ऐसे अनुषंगिक या अनुवर्ती निर्देश दे सकता है जैसाकि उक्त बोर्ड बैठक को तुरन्त बुलाने, आयोजित करने, संचालित करने के बारे में ठीक समझता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी कारणवश किसी कम्पनी की बैठक बुलाना या आयोजित करना या संचालित करना व्यवहारिक न हो तो वार्षिक साधारण बैठक के अलावा, अधिनियम या अनुच्छेद द्वारा विहित तरीके से कम्पनी विधि बोर्ड को उक्त अधिनियम की धारा 186 के अन्तर्गत शक्तियां प्राप्त हैं कि या तो वह अपने आदेश से या कम्पनी के किसी निदेशक या कम्पनी के सदस्य के आवेदन पत्र पर कम्पनी को उस विधि से, जैसाकि कम्पनी विधि बोर्ड उचित समझे, बैठक आयोजित तथा संचालित करने का आदेश दे सकता है तथा उक्त बोर्ड ऐसे अनुषंगिक और अनुवर्ती निर्देश भी दे सकता है जैसा कि वह इस बारे में उचित समझे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कश्मीरी विस्थापित

6082. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रह रहे जम्मू और कश्मीर के विस्थापितों की संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली में उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) कश्मीरी आप्रवासियों के लगभग 19000 परिवारों ने अपने आपको दिल्ली में पंजीकृत कराया है। सरकार की नीति कश्मीरी प्रवासियों को स्थायी रूप से कश्मीर से बाहर बसाने की नहीं है। उम्मीद है कि जैसे-जैसे उनकी वापसी के लिए अनुकूल वातावरण पैदा किया जाएगा वे घाटी में वापस चले जाएंगे। इसी बीच, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अपने प्रचलित मानदण्डों/नियमों के अनुसार सभी सम्भव भरण-पोषण और सहायता उपलब्ध करवा रही है ताकि इन अप्रवासियों की कठिनाइयों को कम से कम किया जा सके।

[हिन्दी]

सैनिक स्कूल

6083. डा. साबीजी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने सैनिक स्कूल हैं और ये स्कूल कहां-कहां हैं; और

(ख) इन स्कूलों में प्रवेश हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर प्रदेश में नैनीताल जिले के घोड़ाखाल नामक स्थान में एक सैनिक स्कूल है।

(ख) सैनिक स्कूलों में लड़कों को अखिल भारतीय आधार पर प्रवेश परीक्षा लेकर छठी और नौवीं कक्षा में भर्ती किया जाता है। 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार 10 से 11 वर्ष तथा 13 से 14 वर्ष तक के आयु वर्गों के लड़के क्रमशः छठी और नौवीं कक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए पात्र होते हैं। कक्षाओं में प्रवेश पूर्णतः योग्यताक्रम के आधार पर तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट पाए जाने के आधार पर दिया जाता है।

[अनुवाद]

संयुक्त उद्यम संबंधी प्रस्ताव

6084. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए मंजूर किए गए संयुक्त उद्यम संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों पर परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ग) इस समय ऐसे कितने प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक की अनुमानित लागत कितनी है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विदेशी निवेश संयुक्त उद्यम के 6 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया, जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। गुजरात के राजकोट जिले में 250 मेवा. के एक पवन फार्म की स्थापना के लिए मैसर्स सलाहीन इनवेस्टमैंट सर्विसेज, स्वीटजरलैंड के साथ विदेशी सहयोग के लिए मैसर्स एसफॉक ए. खान, नई दिल्ली से एक प्रस्ताव इस मंत्रालय को प्राप्त हुआ है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान अनुमोदित किए गए विदेशी प्रस्ताव

कार्यक्रम	सहयोग		कुल लागत (विदेशी साम्या)	उद्देश्य तथा राज्य जहां परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है
	भारतीय	विदेशी		
1. पवन ऊर्जा	1. सन सोर्स इण्डिया लि.	कैनन पावर कारपो. संयुक्त राज्य अमेरिका	60.00 करोड़ (60 प्रतिशत)	गुजरात राज्य में पबन फार्म की स्थापना।
	2. एलएम ग्लास फाइबर (1) लि.	एलएम ग्लास फाइबर डेनमार्क एवं विकासशील देशों के लिए औद्योगिक फंड (आईएफयू) डेनमार्क	12.60 करोड़ (75 प्रतिशत)	कर्नाटक राज्य में पबन विद्युत जनित्रों के लिए ब्लेडों का उत्पादन।
2. सौर प्रकाश-वोल्टीय	1. सोलर टैक इंडिया लि.	हिलोस इटली	56.00 लाख (40 प्रतिशत)	राजस्थान राज्य में सिलिकॉन वेफरों का निर्माण।
	2. इको सोलर सिस्टम्स इंडिया प्रा. पुणे	मि. कोनार्ड जैसलिन एट. स्वीटजरलैंड	65.00 लाख (14 प्रतिशत)	महाराष्ट्र राज्य में वैकल्पिक सामग्री सौर सैल के लिए विनिर्माण सुविधा की स्थापना।
3. बैटरी चालित वाहन	पीयरलैस डेवलेपर्स लि., कलकत्ता	फ्रेजर नाश लि., ब्रिटेन	20.00 करोड़ (18 प्रतिशत)	पश्चिम बंगाल राज्य में दोनों ही विधियों से बैटरी से चालित और प्रकाशवोल्टीय चार्जिंग से अनुपूरित सौर पैसेंजर परिवहन वाहनों का विनिर्माण।
4. सामान्य	ओवीमैक्स सर्विसेज इंडिया सिकन्दराबाद	ओवीमैक्स रूस	10.00 लाख (50 प्रतिशत)	आंध्र प्रदेश राज्य में प्रकाश-वोल्टीय, सेमी-कंडक्टरों, अपारंपरिक ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण आदि के क्षेत्र में सेवाएं।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

6085. श्री अनंतराव देशमुख : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की राज्य विद्युत बोर्डों की ओर कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) प्रत्येक विद्युत बोर्ड की ओर कितने-कितने समय से धनराशि बकाया है, और

(ग) बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में

राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की राज्य विद्युत बोर्डों की ओर (फरवरी, 1995 के अन्त में) 870 करोड़ रुपये की धनराशि वकाया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों तथा राज्य विद्युत बोर्डों के साथ निरन्तर उठाया जाता है।

विवरण

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बकाया धनराशियां (फरवरी, 1995 के अन्त में)

(करोड़ रुपये में)

विद्युत बोर्ड	एक वर्ष से कम	एक वर्ष से अधिक	कुल
आंध्र प्रदेश	163	86	249
राजस्थान	127	44	171
हरियाणा	3	91	94
पंजाब	22	39	61
गुजरात	22	18	40
महाराष्ट्र	19	21	40
उत्तर प्रदेश	14	26	40
दिल्ली	22	16	38
मध्य प्रदेश	19	17	36
तमिलनाडु	11	12	23
बिहार	10	12	22
पश्चिम बंगाल	7	8	15
कर्नाटक	11	4	15
उड़ीसा	4	7	11
केरल	1	6	7
असम	1	3	4
हिमाचल प्रदेश	2	1	3
मेघालय	0	1	1
कुल	456	414	870

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद

6086. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लोगों में राज्य में व्याप्त आतंकवाद के विरूद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के लोगों में राज्य में व्याप्त आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक विशेष 'करेंट अफेयर्स' कार्यक्रम, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से शुरू किए। इनमें शामिल हैं—'कश्मीर फाइल' और 'डैट लाइन कश्मीर' जोकि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित होते हैं और 'वादी की आवाज' एवं 'सदा-ए-ज़ेर्स' जोकि आकाशवाणी के श्रीनगर केन्द्र से प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन, जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों तथा उनका मुकाबला करने के सरकार के प्रयासों पर रोशनी डालते हैं। उर्दू, कश्मीरी, गोजरी, पहाड़ी के क्षत्रीय समाचार बुलेटिन, समाचार-वार्ताओं और समाचार-पत्र-समीक्षाओं में भी, ऐसी जागरूकता पैदा करने की जामकारी समाहित रहती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

6087. श्री एन. जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1995 तक गुजरात में से प्रत्येक सरकारी उपक्रम में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन उपक्रमों को प्रतिवर्ष कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई;

(ग) प्रत्येक उपक्रम में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(घ) राज्य में केन्द्र द्वारा प्रायोजित इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें केन्द्र सरकार का नए सिरे से निवेश करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) केवल 31-3-1994 तक की जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के दो उद्यमों, नामशः इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा एन. टी. सी. (गुजरात) लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य में अवस्थित थे। पूंजीनिवेश की राशि, वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान लाभ/हानि, कर्मचारियों की संख्या के साथ-साथ आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अनुमोदित केन्द्रीय परियोजनाओं से सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग)

(करोड़ रुपये में)

सरकारी उपक्रम का नाम	31-3-1994 तक पूंजीनिवेश	लाभ/हानि			31-3-1994 तक कर्मचारियों की संख्या
		91-92	92-93	93-94	
इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स कारपो. लि.	2008.63	255.02	131.77	89.20	11853
नेटेका (गुजरात) लि.	295.68	—37.13	—83.85	—82.38	9262

(घ)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	आठवीं योजना परिव्यय
1.	अहमदावाद स्टॉकयार्ड का विकास (सेल)	30.00	5.00
2.	बूटाडाइन एक्सटेंशन प्लांट (आईपीसीएल)	46.00	50.00
3.	पोली बूटाडाइन रबड़ (आईपीसीएल)	145.00	110.00
4.	गैस क्रैकर (गांधार) (आईपीसीएल)	3485.00	1060.00
5.	इंजीनियरिंग प्लास्टिक (जेवीसी) (आईपीसीएल)	155.00	20.00
6.	अतिरिक्त बेंजीन (आईओसी)	935.00	100.00
7.	पोली प्रोफाइलिन प्लांट	194.00	90.00

[अनुवाद]

खानों पर जमा कचरे का जैव सुधार

6088. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानों पर जमा कचरे के जैव सुधार संबंधी योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोयला खानों से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला खानों में कोई प्रदर्शन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, हां। समन्वित जैव प्रौद्योगिकी विधि द्वारा मैंगनीज़ और कोयला खान से निकली फालतू मिट्टी और फ्लाई राख कचरे के पुनः प्रचलन के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा एक प्रदर्शन परियोजना तैयार की गई है। महाराष्ट्र, मंध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में, अन्य संपूरकों के साथ सूक्ष्मजैविक कन्सोर्शियम का प्रयोग करके इसमें 60 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अस्पतालों का आधुनिकीकरण

6089. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में अस्पतालों का आधुनिकीकरण करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आधुनिकीकरण हेतु धनराशि कब तक उपलब्ध करायी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन अस्पतालों के आधुनिकीकरण हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। तथापि विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी सहायता के भाग के रूप में कुछेक अस्पतालों सहित संस्थाओं को आपूर्तियों एवं उपस्करों के रूप में एक सीमित पैमाने पर सहायता दे रहा है।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र

6090. डा. साक्षीजी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण केन्द्रों की क्या संख्या थी;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान खोले गए ऐसे केंद्रों की अलग-अलग संख्या क्या थी; और

(ग) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इन केंद्रों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 31-3-95 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 240 और पंजाब में 472 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। 31-3-95 की स्थिति के अनुसार इन राज्यों में परिवार कल्याण केंद्रों की संख्या इस प्रकार है :-

	हिमाचल प्रदेश	पंजाब
जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केंद्र	11	19
उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केंद्र	22	35
शहरी परिवार कल्याण केंद्र	89	23
ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्र	77	129

(ख) 1994-95 के दौरान हिमाचल प्रदेश में 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए जबकि पंजाब में इस दौरान कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला गया। इन दोनों राज्यों में 1994-95 के दौरान कोई परिवार कल्याण केंद्र नहीं खोले गए हैं।

(ग) राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वित्त पोषित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों का निर्माण भी शामिल है) के अंतर्गत परिव्यय इस प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	पंजाब
1993-94	975.00	742.00
1994-95	1257.00	1000.00

परिवार कल्याण केंद्रों के लिए आबंटन इस प्रकार किया गया है :-

(रुपये लाखों में)

	हिमाचल प्रदेश	पंजाब
जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केंद्र		
1993-94	30.00	60.00
1994-95	28.00	60.00
उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केंद्र		
1993-94	65.00	103.00
1994-95	65.00	103.00
शहरी परिवार कल्याण केंद्र		
1993-94	47.00	36.00
1994-95	43.50	33.50
ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्र		
1993-94	215.00	360.00
1994-95	186.50	312.50

[अनुवाद]

मिराज-2000 का निर्माण

6091. श्री अनंतराव देशमुख : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) के पास मिराज़-2000 का ओवरहाल करने की क्षमता है;

(ख) क्या एच.ए.एल. के पास उपरोक्त विमान के फालतू पुर्जो का निर्माण करने की क्षमता भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इस वायुयान के अतिरिक्त हिस्से-पुर्जो का निर्माण नहीं कर रहा है।

अस्पताल प्रशासनिक सेवा

6092. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पताल प्रशासकों की अखिल भारतीय सेवा बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के अधीन हजारों अस्पतालों के कुशल संचालन हेतु एक पृथक् प्रबंधन संवर्ग की आवश्यकता है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

6093. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा क्या है, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जेनेवा द्वारा लगभग असुरक्षित संयंत्रों के रूप में पहचान की गई है;

(ख) जांच रिपोर्ट के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन संयंत्रों में सुरक्षा-स्तर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

ट्रेड मार्क

6094. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय निगमों की 'अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा' भारतीय कम्पनियों के ट्रेड मार्क को प्रभावित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को ऐसे कितने मामलों की जानकारी मिली है; और

(ग) देश में ट्रेड मार्कों के प्रमाणिक उपयोगकर्त्ताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) 'अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा' व्यापार तथा पण्यवस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 के अंतर्गत परिभाषित नहीं है। किंतु, ट्रेड मार्क से संबंधित अनेक मामलों में, न्यायालयों ने ट्रेड मार्क की 'अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा' के बारे में विचार किया/करती है।

(ग) ट्रेड मार्कों प्रमाणिक एवं सही उपयोग व्यापार तथा पण्यवस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 के मौजूदा प्रावधानों द्वारा पूर्णतः संरक्षित है।

खरीद नीति

6095. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित भारतीय आपूर्ति और भारतीय निरीक्षण संवर्ग सेवाएं बनाए जाने का क्या प्रयोजन है;

(ख) इन सेवाओं के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका प्रयोजन ऐसा प्रबन्ध और गुणवत्ता नियंत्रण कार्य पर नियंत्रण रखना था;

(घ) यदि हां, तो रक्षा मंत्रालय में अन्य संवर्गों की सेवाओं से अधिकारियों को उन्हीं कार्यों को सौंपे जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई खरीद नीति का ब्यौरा क्या है;

(च) रक्षा विभाग में खरीद नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के न होने पर फार्मों के ठेका पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में हितों की रक्षा किस प्रकार की जाएगी; और

(छ) थल सेना/वायु सेना/नौसेना किस मामले में दोषी फर्म से जोखिम खरीद घाटा पूरा करने में सक्षम रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) वाणिज्य मंत्रालय के आपूर्ति विभाग ने केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और एवं शासित प्रदेशों के प्रशासनों के लिए, उन मदों को छोड़कर जिनकी खरीद और निरीक्षण का कार्य सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अंतर्गत इन विभागों को सौंपा गया है; सामानों की खरीद व निरीक्षण संबंधी विभिन्न पक्षों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से भारतीय आपूर्ति सेवा और भारतीय निरीक्षण सेवा गठित की है।

वर्ष 1991 में जब मंत्रालयों को कुछ कार्य सौंपा गया था, भारतीय आपूर्ति सेवा के 21 अधिकारियों को उन्हें सौंपे गए कार्य सहित रक्षा मंत्रालय में स्थानान्तरित कर दिया गया था। इन अधिकारियों की सेवाओं का उपयुक्त स्थानों पर क्रय कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(घ) रक्षा उपस्करों और सामानों की विशिष्टियों और गुणता आश्वासन मानदंड कड़े होने के कारण उनकी खरीद और निरीक्षण के लिए रक्षा मंत्रालय में विशिष्ट व्यवस्था होना आवश्यक है। तदनुसार, गुणता आश्वासन महानिदेशालय तथा तकनीकी विकास एवं उत्पादन (वायु) निदेशालय की स्थापना की गई है। इन संगठनों में सिविलियनों तथा तीनों सेनाओं से विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले कार्मिकों को तैनात किया जाता है। विशिष्ट सेवाओं अर्थात् रक्षा गुणता आश्वासन सेवा, रक्षा गुणता वैमानिकी सेवा में सिविलियन अफसरों को रखा गया है। तकनीकी समितियां, जिनमें ये कार्मिक शामिल होते हैं, उप असेम्बलियों, संघटकों और रक्षा उपस्करों व सामानों से संबंधित विभिन्न हिस्से-पुर्जों का आदितः स्वदेशी विकास तथा उनसे संबंधित संविदागत प्रबंधन का कार्य करती हैं। ये समितियां कुछ वित्तीय सीमा से ऊपर आदितः स्वदेशी विकास के मामलों में रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग की पूर्ति शाखा की सहायता भी करती हैं। आपूर्ति स्कंध में खरीद तथा संविदागत प्रबंधन का कार्य करने वाले कार्मिक केन्द्रीय सचिवालय सेवा, रक्षा गुणता आश्वासन सेवा भारतीय आपूर्ति सेवा तथा अन्य संगठित सेवाओं से लिए जाते हैं।

(ङ) रक्षा मंत्रालय तथा रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग अधिकांशतः उसी क्रय नीति का पालन करते हैं जिसका कि पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय करता है।

(च) इस नीति के अंतर्गत सरकार को यह अधिकार है कि वह दोषी

फर्मों से जोखिम क्रय आर्डर के माध्यम से हानि की वसूली करे। सरकार के हितों की सुरक्षा किए जाने के लिए सरकार को प्रतिभूति जमा को जब्त करने तथा परिनिर्धारित नुकसान की ऊगाही करने का भी अधिकार है।

(छ) पिछले तीन वर्षों में 19 मामलों में जोखिम क्रय आदेश जारी किए गए थे। एक मामले में दोषी फर्म से वसूली कर ली गई है तथा शेष 18 मामलों में विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है।

ह्युमन जेनेटिक मेटेरियल का संरक्षण

6096. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा स्थित 'रूरल एडवांसमेंट फाउंडेशन इंटरनेशनल' ने चेतावनी दी है कि पश्चिम देशों के 'माइक्रकोव हंट्र्स' विकासशील देशों में कतिपय बहुमूल्य सामग्रियों को पटेंट कर रहे हैं और उनका उपयोग अपने निजी उद्योगों के लिए कर रहे हैं जोकि जनता की पहुंच से बाहर है;

(ख) यदि हां, तो क्या ह्युमन जेनेटिक मेटेरियल को सूक्ष्म जीवाणु सामग्री में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो हुमन जेनेटिक मेटेरियल के पेंटेंट होने से पूर्व इनका संरक्षण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) विकासशील देशों से पेटेंट प्राप्त करने के संबंध में समाचार पत्रों में माइक्रोब हंटर्स के बारे में खबरें छपी हैं। माइक्रो-आर्गेनिज्म में ह्यूमन जेनेटिक मैटीरियल भी शामिल हो सकता है। भारतीय पेंटेंट अधिनियम, 1970 के तहत जेनेटिक मैटीरियल के लिए पेटेंट मंजूर नहीं किये जाते हैं। इसलिए, ऐसे पेंटेंट को भारत में मान्यता नहीं दी जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम–भ्रष्टाचार

6097. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने सितम्बर, 1994 में नई दिल्ली में आयोजित अपने सम्मेलन में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की समस्याओं पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में भ्रष्टाचार के उन मामलों का ब्यौरा कम्वैट विजिलैंस आफिसरों द्वारा विचार किया गया; और

(ग) कम्वैट विजिलैंस आफिसरों द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए की गई सिफारिशों और उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के उमक्रमों में सतर्कता कार्य को और कारगर बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में 27-29 सितम्बर, 1994 तक मुख्य सतर्कता अधिकारियों की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कार्यशाला में किसी विशेष भ्रष्टाचार के मामले पर विचार नहीं किया गया था। मुख्य अनुशंसाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

27-29 सितम्बर, 1994 तक नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सर्तकता अधिकारियों की कार्यशाला में की गई अनुशंसाएं :

1. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता कार्य का पुनरूद्धार करने की आवश्यकता है।
2. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता एककों/कक्षों को पर्याप्त संख्या में अनुभागों/कर्मचारियों द्वारा सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
3. मुख्य सतर्कता अधिकारियों को और अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाए। सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में सतर्कता कार्मिकों का एक कैडर बनाने की आवश्यकता है और सतर्कता कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 15 प्रतिशत भत्ता दिया जाए।
4. अनुसूची (क) और (ख) कम्पनियों में संयुक्त सचिव के स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारियों का स्तर बढ़ाकर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकारी निदेशक के बराबर कर दिया जाए।
5. मुख्य सतर्कता अधिकारियों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाए।

माल डिब्बा निर्माण

6098. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में माल डिब्बा निर्माण एककों की एककवार अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) रेलवे को कितने डिब्बों की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या रेलवे उक्त एककों में निर्मित सभी माल डिब्बों को नहीं ले रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) माल डिब्बों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1994-95 के दौरान माल डिब्बा निर्माताओं ने रेलवे के क्रय आदेशों पर चौपहिया नगों के रूप में 9375 माल डिब्बों की आपूर्ति की थी।

(ग) और (घ) रेलवे अपनी आवश्यकता के अनुसार माल डिब्बों की मांग करता है जो अधिस्थापित विनिर्माणकारी क्षमता के अनुरूप नहीं हो सकता है।

(ङ) गुणवत्ता में सुधार के लिए समय-समय पर किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) रिवट लगाने के बजाय जोड़ों की वेल्डिंग करना।

(ii) वेल्डिंग की उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना जैसे कि इनर्ट गैस शील्ड वेल्डिंग, सबमर्जड आर्क वेल्डिंग, सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग,

वेल्ड की रेडियो ग्राफिक जांच, वेल्डिंग मैन्यूप्लेटरस का प्रयोग आदि।

(iii) अपक्षय अवरोध प्रदान करने और इसका जीवन बढ़ाने के लिए पेन्टिंग करने से पूर्व माल डिब्बे की सतह की ग्रिट पलारिंट।

विवरण

सरकारी और निजी क्षेत्रों में भारत डिब्बा विनिर्माणकारी एककों की एककवार लाइसेंस प्राप्त क्षमताएं इस प्रकार हैं :-

	सरकारी क्षेत्र	**संख्याएं (चौपहिया एकक)**
1.	मै. भारत वैगन इंजीनियरिंग लि., मुजफ्फरपुर	2,000
2.	मै. भारत वैगन इंजी. लि., मोकामह	2,000
3.	मै. ब्रेथवेट, कलकत्ता	3,000
4.	मै. बर्न स्टैंडर्ड क. लि., बर्नपुर	3,911
5.	मै. वर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि., हावड़ा	4,750
6.	मै. जेसीफ, कलकत्ता	3,279
	योग :	18,940
	निजी क्षेत्र	
7.	मै. रिमको विरला लि., भरतपुर	3,839
8.	मै. हिन्दुस्तान जनरल इंड., दिल्ली	2,000
9.	मै. मार्डन इंड., साहिबाबाद	2,000
10.	मै. टैक्समेको, कलकत्ता	4,800
11.	मै. हिन्दुस्तान डवलपमैंट कारपो., कलकत्ता	4,056
	योग :	16,695
	कुल योग :	35,635

विदेशी सरकारों में प्रतिनियुक्त भारतीय विशेषज्ञ

6099. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 तक विदेशी सरकारों के अधीन कार्य करने हेतु सरकार द्वारा देश-वार और पेशे-वार कितने भारतीय विशेषज्ञ प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं;

(ख) इस आधार पर देश-वार ब्यौरा क्या है कि उन्हें आई. टी. ई. सी. के अंतर्गत भेजा गया है अथवा उन्हें वेतन भेजवान सरकारों द्वारा अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा दिया जाता है;

(ग) क्या इस प्रकार की प्रतिनियुक्तियों के अंतर्गत भारतीय विशेषज्ञों की कुल संख्या में पिछले दशक से कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या विदेशी सरकारों के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञों की उपलब्धता की जानकारी देने हेतु अपने मिशनों/विदेशों में कार्यरत उच्चाधिकारियों की सेवाएं ली जाती हैं ?

कर्मिकों, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) विद्यमान सरकारी नीति के अनुसार विदेश नियुक्ति के लिए संवर्ग निकासी देने की शक्तियां संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को प्रदत्त की गई हैं। अतः कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकारों की विभिन्न संगठित सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के ऐसे अधिकारियों के संबंध में, जो विदेश नियुक्ति पर हैं, यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से मॉनीटर नहीं की जाती। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को ही संवर्ग निकासी प्रदान करता है।

उन भारतीय विशेषज्ञों की संख्या के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है जिन्हें सरकार द्वारा विदेशी सरकारों के अधीन सेवा हेतु भेजा गया। यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) संबंधित सूचना के उपलब्ध होने के पश्चात् ही इस प्रवृत्ति का पता लग सकता है।

(ङ) जी, नहीं।

सरकारी कर्मचारी

6100. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही के अपने एक निर्णय में सरकारी पद पर रहते हुए बदनीयत और भ्रष्ट कारणों से किए गए आपराधिक कृत्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों को उत्तरदायी बनाने के लिए उचित कानून बनाने की सलाह दी है और क्या विधि आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में एक उपयुक्त कानून लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में सिविल दोषों से संबंधित विधि की शाखा या 'अपकृत्य' विधि, जैसा कि वे अधिक सामान्यरूप से ज्ञात हैं, इंग्लैंड के कामन ला पर आधारित है। इंग्लैंड में और कई अन्य देशों में कामन ला का अनुसरण करते हुए अपकृत्य विधि, 'साम्या, न्याय और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों' से शासित रही है। अतः यह विचार बना है कि यह अधिक फायदेमंद होगा कि आने वाले कुछ समय के लिए विधि को न्यायिक विनिश्चयों के माध्यम से ही विकसित होने दिया जाए।

किलर स्क्वैड

6101. श्री मोहन रावले :

डा. रमेश चन्द तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

श्री रामपाल सिंह :

श्री चेतन पी.एस. चौहान :

श्री सत्यदेव सिंह :

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या

श्री डा. वेंकटेश्वर राव :

श्री महेश कनोडिया :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 1995 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'आई.एस.आई. रेजेज किलर स्क्वैड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस 'किलर स्क्वैड' का शीघ्र सफाया करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतर्वेदी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सरकार स्थिति के प्रति सचेत है और उनकी गतिविधियों पर काबू पाने एवं उनके मंसूबों को विफल करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। सुरक्षा बलों की उपस्थिति, खासतौर से संवेदनशील, नाजुक एवं दूर-दराज के इलाकों में, बढ़ा दी गई हैं। आतंकवादी-विरोधी अभियानों में वृद्धि की गई है तथा नियंत्रण रेखा पर गश्त एवं सतर्कता में और बढ़ोतरी की गई है।

कम्प्यूटर मेन्टीनेंस कारपोरेशन

6102. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर मेंटीनेंस कारपोरेशन (सीएमसी) अनुसंधान एवं विकास, हैदराबाद में तकनीकी एवं गैर तकनीकी विंग्स में भर्ती/पदोन्नति के क्या तरीके हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दो या तीन वर्षों से अधिक समय तक कार्य करने वाले व्यक्तियों को स्थाई नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) समूचे सीएमसी लिमिटेड, जिसमें हैदराबाद स्थित इसका अनुसंधान तथा विकास केन्द्र भी शामिल है, भर्ती पदोन्नति से संबंधित नीतियां तथा कार्य पद्धतियां एक जैसी हैं।

उच्च प्रौद्योगिकीय सेवा पर आधारित एक कम्पनी होने के नाते स्टाफ के सदस्यों का व्यावसायिक कौशल ही इसकी एकमात्र विशेषता है। इसलिए कम्पनी में भर्ती की पद्धति एक बहुत ही चुनिन्दा प्रक्रिया है जिसमें बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम उम्मीदवारों को आकर्षित करने तथा चुनने का प्रयास किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार छूट दी जाती है।

भर्ती के लिए निम्नलिखित पद्धतियां अपनाई जाती हैं :-

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों आदि जैसे मान्यता प्राप्त तथा ख्याति प्राप्त संस्थानों में जाकर उम्मीदवारों को चुनकर भर्ती करना।

(ii) समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना।

(iii) स्टाफ के सदस्यों के लिए आंतरिक विज्ञापन देना।

(iv) सीधे ही प्राप्त आवेदन-पत्र।

कर्मचारियों की योग्यता और साथ ही उच्चतर ग्रेड के दायित्वों को निभाने की उनकी क्षमता (उनके ठीक ऊपर कार्य करने वाले प्रबंधक द्वारा दिए गए औचित्य के आधार पर) पर विचार करते हुए पदोन्नतियां की जाती हैं।

(ग) और (घ) सीएमसी लिमिटेड ने अधिकांश व्यक्तियों को केवल नियमित रोजगार पर लिया है। किन्तु, सीएमसी ने केवल ऐसे क्षेत्रों में कुछ लोगों को अनुबंध के आधार पर लिया है जैसेकि भवन निर्माण तथा कुछ बहुत ही विशिष्ट प्रकार के कार्य, जो सीएमसी के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं तथा जिनके एक निश्चित समयावधि (2-3 वर्ष) से आगे जारी रहने की संभावना नहीं हैं। उनमें से केवल कुछ कर्मचारियों को ही नियमित किया गया है क्योंकि उनका कार्य 2-3 वर्ष की अनुबंध की अवधि से भी आगे जारी रखना पड़ा।

उत्पादन सहकारी समितियां

6103. श्री हरिन पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) ने विदेशी सहायता से वृक्ष उत्पादकों की सहकारी समितियों की सहायता करने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सहायता के लिए गुजरात से किसी सहकारी समिति का चयन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजरभूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड के अनुरोध पर राष्ट्रीय डेरी विकास ने 5 करोड़ रुपये के आबंटन से 1986 में एक प्रायोगिक वृक्ष उत्पादक परियोजना शुरू की थी। इसके पश्चात् राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा वृक्ष

उत्पादक सहकारी समिति (प्रायोगिक परियोजना के तहत गठित) ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय वृक्ष उत्पादक परिसंघ को बढ़ावा दिया।

राष्ट्रीय वृक्ष उत्पादक सहकारी परिसंघ ने सतत आधार पर निम्नीकृत बंजरभूमि पर बायोमास विशेष कर ईंधन की लकड़ी वाले वृक्ष और चारा उगाने के लिए वृक्ष उत्पादक सहकारी समितियों को बढ़ावा देने और संगठित करने का प्रयास किया है। इस समय परियोजना स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एस.आई.डी.ए.) की सहायता से राजस्थान और उड़ीसा के चुनिंदा जिलों में और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सी.आई.डी.ए.) की सहायता से आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक के चुनिंदा जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वृक्ष उत्पादक सहकारी परिसंघ ने सूचित किया है कि गुजरात में 56 वृक्ष उत्पादक सहकारी समितियां संगठित की गई हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 58,578 है, इन समितियों ने 753 हैक्टेयर राजस्व बंजरभूमि के विकास हेतु उपाय किए हैं।

कैपिटल नेचर फॉर जुडिशियरी

6105. श्री मोहन रावले :

श्री राम नाइक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 'कैपिटल नेचर फॉर जुडिशियरी' को ढांचागत सुविधाएं विकसित करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों और वित्तीय आवश्यकता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्यवार कुल कितनी धनराशि जारी की गई और प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) शेष धनराशि को जारी करने का समयबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम, जो सरकार द्वारा अनुमोदित है, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के संबंध में है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के लिए कार्यालय और आवासिक भवनों का निर्माण करना भी है। स्कीम पर होने वाला व्यय, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित व्यय पूर्णतया केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकारों को 1994-95 की वार्षिक योजना के लिए भौतिक और वित्तीय मापदंडों सहित, आठवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में अपने प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था। वर्ष 1994-95 के संबंध में व्यय की अनुज्ञेय मदों की बाबत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव, संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई रकम, संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई हैं। राज्यों में स्कीम को लागू करने का कार्य विभिन्न चरणों में है। योजना आयोग, प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना परिचर्चा के समय इस स्कीम के लिए निधियों की व्यवस्था करता है। ततपश्चात् ये निधियां योजना आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकथित मानदंड के आधार पर विभिन्न राज्यों को आंवटित की जाती हैं। ये निधियां, इस प्रयोजन के लिए गठित एक मंजूरी समिति द्वारा दो या तीन किस्तों में जारी की जाती हैं।

विवरण-I

वर्ष 1994-95 के लिए व्यय की अनुज्ञेय मदों के संबंध में राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1994-95 के लिए प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव (लाख रुपये में)
1.	असम	204.15
2.	बिहार	400.00
3.	गुजरात	1720.60
4.	गोवा	300.00
5.	हरियाणा	2589.50
6.	हिमाचल प्रदेश	1862.34
7.	जम्मू-कश्मीर	1760.00
8.	कर्नाटक	3220.40
9.	केरल	1604.67
10.	मध्य प्रदेश	380.00
11.	महाराष्ट्र	2834.38
12.	मणिपुर	422.20
13.	मिजोरम	138.04
14.	नागालैण्ड	304.50
15.	पंजाब	2500.00
16.	राजस्थान	293.34
17.	सिक्किम	167.74
18.	तमिलनाडु	1265.27
19.	त्रिपुरा	1571.02
20.	उत्तर प्रदेश	12844.66
21.	पश्चिमी बंगाल	338.00
22.	उड़ीसा	271.50
23.	आंध्र प्रदेश	211.00

विवरण-II

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अधीन विभिन्न राज्यों को जारी की गई रकम

क्रम सं.	राज्य का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान जारी की गई रकम (लाख रुपये में)	
		1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	221.2	439.98
2.	अरूणाचल प्रदेश	20.0	14.0
3.	असम	79.8	156.89
4.	बिहार	174.9	147.0
5.	गोवा	20.0	34.0
6.	गुजरात	100.8	197.45
7.	हरियाणा	47.9	94.14
8.	हिमाचल प्रदेश	20.0	34.0
9.	जम्मू-कश्मीर	20.0	34.0
10.	कर्नाटक	146.7	286.72
11.	केरल	94.9	140.0
12.	मध्य प्रदेश	179.9	351.67
13.	महाराष्ट्र	193.8	377.35
14.	मणिपुर	20.0	34.0
15.	मिजोरम	20.0	34.0
16.	मेघालय	20.0	17.0
17.	उड़ीसा	114.8	224.3
18.	पंजाब	50.9	100.87
19.	राजस्थान	138.7	270.9
20.	सिक्किम	20.0	—
21.	नागालैण्ड	20.0	17.0
22.	तमिलनाडु	193.6	379.45
23.	त्रिपुरा	20.0	34.0
24.	उत्तर प्रदेश	430.5	841.28
25.	पश्चिमी बंगाल	288.6	243.0

कुष्ठ रोगी

6106. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों तथा लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या कुष्ठ रोग पर विभिन्न औषधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो स्थिति की सावधानीपूर्वक निगरानी करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) इस रोग पर नियंत्रण पाने हेतु नई विकसित तकनीक और औषधियों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) 31-3-95 की स्थिति के अनुसार 7.5 लाख कुष्ठ रोगी हैं जिनमें से 15-20 प्रतिशत 14 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस कार्यक्रम के अधीन कुष्ठ रोगियों को औषधों अर्थात् रिफेम्पीसीन, क्लोफाजीमाइन तथा डेप्सोन का सम्मिश्रण दिया जाता है। हाल में कुष्ठ के उपचार के लिए माइनोसाइक्लिन और आफ्लाक्जोसीन जैसा नई औषधों की फील्ड जांच भी की जा रही है जिससे उपचार अवधि 6—24 महीनों से घटकर एक महीना हो जाएगी।

[हिन्दी]

क्षयरोग पर नियंत्रण

6107. डा. साबीजी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च, 1995 तक पुरूष और महिला क्षय रोगियों की संख्या कितनी थी;

(ख) उत्तर प्रदेश में क्षयरोग के उन्मूलन के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रायोजनार्थ कोई सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान दी गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) यद्यपि उत्तर प्रदेश सम्बन्धी ऐसी कोई विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि देश में क्षयरोग की साधारण व्याप्तता जनसंख्या का 1.5 प्रतिशत है जिसमें से एक तिहाई महिलाएं हैं।

(ख) सरकार केन्द्र और राज्यों के बीच लागत के 50 : 50 के हिस्से के आधार पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के जरिए उत्तर प्रदेश सहित देश में एक राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। प्रायोगिक परियोजना के नाम से एक संशोधित कार्यनीति भी विश्व बैंक की सहायता से लखनऊ, उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित की जा रही है।

यह संशोधित कार्यनीति स्पूटम सूक्ष्मदर्शिकी के जरिए संक्रामक रोगियों का पता लगाने और निर्धारित नियमों के अनुसार उपचार करने पर जोर देती है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

12.02 म. प.

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण और गरीब लोगों से संबंधित सवाल को उठाना चाहता हूं। दिल्ली में एक भिक्षुगृह है। दिल्ली सरकार ने भीख मांगने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह बहुत पहले से लागू है। लेकिन अभी भी आप देखें तो दिल्ली का कोई चौराहा ऐसा नहीं है जहां लोग भीख मांगते हुए नजर न आएं। उस भिक्षुगृह में भिखमंगों को रखने की जगह है लेकिन होता यह है कि भिक्षु के नाम पर जो गांवों से गरीब लोग आते हैं, उनका पैसा छीनकर पुलिस द्वारा पकड़कर उनको भिक्षुगृह में बंद कर दिया जाता है। मैंने पहली बार इस मामले को 1981 में उठाया था जिस समय मेरे ही नाम के एक आदमी को हमारे ही क्षेत्र के एक राम विलास पांसवान को बंद कर दिया गया था और दो साल के बाद वह आदमी वहां से निकला तो सचमुच में वह भिखमंगा हो गया था। उसने हमें बताया कि ऐसी परेशानी में वे लोग हैं। फिर तीन-चार लोगों को अपने साथ लेकर सांसद की हैसियत से मैं वहां गया। बाद में जब मैं कल्याण मंत्रालय में मंत्री बना तो मैंने वहां रेड करवायी जिसमें 78 लोगों को मुक्त करवाया। उनमें ऐसा आदमी भी था जो अच्छे घर का था, अपनी लड़की की शादी करने के लिए आया था और उसको पकड़कर भिक्षु के नाम पर बंद कर दिया। वह पागल हो गया। अब फिर ये बातें हो रही हैं। खगरिया जहां मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां से एक सिकंदर यादव नाम का लड़का जिसके पिता का नाम विष्णु देव यादव है, उसकी मां-बहिन है, वह अच्छे खाते-पीते घर का लड़का है, करीब 40 एकड़ जमीन उनके पास है, उसका पिता हमारे घर पर पड़ा है और कह रहा है कि दो महीने पहले से वह लड़का उस भिक्षुगृह में पड़ा हुआ है। वह हरियाणा में काम करके लौट रहा था। उसका सब पैसा छीन कर उसको वहां बंद कर दिया गया। मैंने कल्याण मंत्रालय में संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि यह दिल्ली प्रशासन का मामला है। फिर मैंने दिल्ली प्रशासन को फोन लगाया। वहां के डायरेक्टर ने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर से बात कीजिए। फिर मैंने डिप्टी डायरेक्टर श्रीवास्तव को बताया। उन्होंने बताया कि यह मामला उनके हाथ में नहीं है। उसे पुलिस ने बंद किया है। अब यह कोर्ट का मामला है। हमने कहा कि मैं संसद सदस्य की हैसियत से जमानत देने को तैयार हूं लेकिन कम से कम निर्दोष लोगों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। बन्द करना है तो भिखमंगा एक्ट में भारत सरकार को बन्द करना चाहिए जो 3 लाख करोड़ रुपये की भीख मांग चुकी है। आप गरीब लोगों को बन्द क्यों करते हो ?

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (कैसरगंज) : इस संसद में सभी सदस्य वोट मांगकर आए हैं, सभी भीख मांगने वाले हैं, इन्हें भी बन्द करा दिया जाए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग बन्द हो जाते हैं वे 6 महीने के बाद सचमुच में भिखमंगे बनकर निकलते हैं। वहां पर गरीब लोग बन्द हैं। यह भारत सरकार का मामला है, इसलिए मैं चाहूंगा कि भारत सरकार का कोई मंत्री इस पर उत्तर दें। मैं गरीब आदमी की जमानत लेने के लिए तैयार हूं लेकिन उसको छुड़वाने की व्यवस्था करें। भिक्षु गृह में निर्दोष लोग बन्द कर दिए गए हैं, इसलिए उनके साथ न्याय किया जाए। मैं मानवीय आधार पर आग्रह करूंगा कि इस मामले में आप सदन को कुछ कहें।

अध्यक्ष महोदय : मेरी राय है कि आप कानून देख लीजिए, उसमें से कोई रास्ता निकल आएगा।

श्री राम विलास पासवान : सर, मैंने उसमें कानून देख लिया है।

[अनुवाद]

श्री संदीपन भगवान थोरात (पंढरपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से इस मामले को उठाना चाहता हूं। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक शोलापुर जिले का सबसे अच्छा बैंक है। सम्पूर्ण राज्य में इसकी अपनी स्वयं की धनराशि है। किन्तु शोलापुर जिले में भारतीय स्टेट बैंक में नोटों की कमी के कारण किसान पैसा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। खरीफ फसल का मौसम चल रहा है और किसान जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से अपनी धनराशि नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यदि चैक दिया जाता है तो स्टेट बैंक चैक का पूरा भुगतान नहीं करता है। स्टेट बैंक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को यह कहकर भुगतान के लिए मना कर रहा है कि नोटों की कमी है।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को देखें तथा भारतीय स्टेट बैंक में नोटों की कमी के कारण का पता लगाएं तथा यह देखें कि नोटों की कमी के कारण किसानों के चैकों का भुगतान करने से मना न किया जाए।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : महोदय, मैं पंजाब राज्य के लिए रेलवे वैगन उपलब्ध न होने के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं। कोयला क्षेत्रों से हमारे ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले का परिवहन किया जा रहा है। भटिंडा और रोपड़ में हमारे दोनों ताप विद्युत संयंत्र बन्द होने वाले हैं क्योंकि कोयला बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्योंकि वैगनों की अत्यधिक कमी के कारण कोयला प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यदि यहां बिजली पैदा नहीं की जाती है तो धान की बुवाई नहीं होगी तथा यदि धान की बुवाई नहीं होगी तो अगले मौसम में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न की कमी हो जाएगी।

इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि पंजाब के लिए वैगन उपलब्ध किए जाएं।

इसके साथ-साथ पंजाब में हमारे पास भंडारण सुविधा उपलब्ध नहीं है। पिछले मौसम में आया गेहूं पहले ही भंडारों में रखा हुआ है। हमारे पास नई आ रही गेहूं की फसल का भंडार करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। हम एअर स्ट्रिप का प्रयोग कर रहे हैं। हम सभी उपलब्ध रिक्त स्थानों का उपयोग कर रहे हैं। एक महीने में बरसात का मौसम आ रहा है तथा गेहूं की सम्पूर्ण फसल बर्बाद हो जाएगी।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री और सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि वह इस गम्भीर समस्या को देखें तथा हमें वैगन उपलब्ध करायें ताकि हम कोयला प्राप्त कर सकें। ये वैगन वापिस खाली नहीं जाएंगे। ये वैगन पूरे देश में गेहूं ले जाएंगे। मैं आपका तथा सदन का सहयोग चाहता हूं

क्योंकि राज्य के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है तथा इसमें राज्य की मदद की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश बी. पाटील (सांगली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सुगर के रेकार्ड से ज्यादा प्रोडक्शन होने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अनुमान है कि सुगर का 148 लाख टन प्रोडक्शन होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा होगा। गत वर्ष का 168 लाख टन सुगर का स्टॉक उपलब्ध है और सरकार यह चाहती है कि 5 लाख टन सुगर और इम्पोर्ट की जाए। जो फार्मर्स गन्ना पैदा करते हैं उनके लिए गन्ने के किफायती दाम होने चाहिए।

जब ज्यादा प्रोडक्शन होता है और साढ़े तीन करोड़ फार्मर्स इससे जुड़े हुए हैं तो मैं चाहता हूं कि सुगर का एक्सपोर्ट होना चाहिए। हम 5 लाख टन सुगर का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हालांकि 5 लाख टन सुगर इस वक्त इम्पोर्ट की जा चुकी है। सुगर एक सैंसिटिव कमोडिटी है और इससे लगभग साढ़े तीन करोड़ फार्मर्स जुड़े हुए हैं, उन्हें राहत देने के बारे में भी सरकार को सोचना है। सैंसिटिव कमोडिटीज होने के कारण आपने देखा होगा कि सुगर साईकल पैदा होता है। लास्ट ईयर हमारे देश में 96 लाख टन शुगर की पैदावार हुई और 20 लाख टन शुगर हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ा। इसलिए जहां हमें फार्मर्स को रैम्यूनरेटिव प्राइस देना चाहिए वहां जितनी ज्यादा शुगर हम बाहर निर्यात करेंगे उससे हमें फौरेन एक्सचेंज भी काफी अच्छी मात्रा में मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार को इम्पोर्ट रोकना चाहिए और अधिक से अधिक शुगर एक्सपोर्ट करने पर जोर देना चाहिए, यही मेरी सरकार से विनती है। यही सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, ग्रीष्म कार्यक्रम के कारण इंडियन एअर लाइंस द्वारा शुरू किए गए उड़ान कार्यक्रम से असम, मणिपुर और कुछ अन्य राज्यों के लोगों को असुविधा हो रही है। उनकी मुख्य शिकायत यह है कि गुवाहटी को इम्फाल से गुवाहटी और गुवाहटी से इम्फाल तक के उड़ान कार्यक्रम से अलग कर दिया गया है। यदि इम्फाल के लोग गुवाहटी जाना चाहते हैं, उन्हें कलकत्ता जाना पड़ता है और वहां से गुवाहटी जाते हैं। इसी प्रकार, यदि गुवाहटी के लोग इम्फाल जाना चाहते हैं तो उन्हें भी कलकत्ता होकर ही जाना पड़ता है। यह गम्भीर समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। गुवाहटी इस क्षेत्र के मध्य में होने के कारण मणिपुर, असम, त्रिपुरा और नागालैण्ड राज्यों की कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समस्याएं वहां हैं। इसलिए, इन राज्यों के लोगों को सरकारी कार्य, शिक्षा, उपचार अथवा अन्य कई व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए गुवाहटी जाना पड़ता है। उड़ान कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि इससे लोगों को अत्यधिक शिकायतें हो रही हैं। इसलिए मैं नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को देखें और उड़ान कार्यक्रम दोबारा बनाएं ताकि गुवाहटी और इम्फाल के लोगों को गुवाहटी या इम्फाल, जहां भी जाना हो, जाने के लिए सीधी संबद्ध उड़ान सुविधा मिल सके।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : स्पीकर साहब, इस ऐवान में, जब दिल्ली में पैट्रोल की किल्लत हो चुकी थी तो उस वक्त विशाखापट्टनम से, आंध्र प्रदेश से पैट्रोल मंगाया गया था लेकिन आज यह हाल है कि पिछले चार दिनों से हैदराबाद में किसी भी पैट्रोल पम्प पर डीजल और आयल नहीं मिल रहा है। यह कोई इंसाफ नहीं है कि डीजल और ऑयल शुमाल के लोगों को दिया जाए और जुनूब के लोग जहां से वह आ रहा है मुसीबत भुगतता रहें। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब यहां बयान दें और बताएं कि आखिर कब तक हमें पैट्रोल और ऑयल मिलेगा क्योंकि इसके बिना बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग अपनी मुलाजमत को नहीं जा सकते और पूरे हैदराबाद का कारोबार ठप्प होकर रह गया है लेकिन मिनिस्टर साहब इस तरफ तवज्जह नहीं दे रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि शुमाल के लोगों को ही पूरा पैट्रोल और डीजल मिले और हम जुनूब के लोग मुसीबत भुगतते रहें। चार दिनों से मेरे पास टेलिफोन और तार आ रहे हैं कि इस मुसीबत से हमें निजात दिलाइए, हम परेशान हाल में हैं। यदि कोई बीमार है तो उसके ले जाने को कोई जरिया नहीं है। अगर कम से कम आप पहले से इत्तला दे देते तो लोग पैट्रोल का स्टाक कर लेते लेकिन आज हालत इन्तहाई खतरनाक हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इसका इंतजाम करें।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : माननीय सदस्य, ने ठीक ही बताया है, स्थिति बहुत गम्भीर होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति यही है तथा आंध्र प्रदेश में किसान भी डीजल और पेट्रोल की कमी से परेशान हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, पिछले दो से तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन एल पी टी स्थापित करके पूरे देश में दूरदर्शन नेटवर्क का पर्याप्त विस्तार किया गया है। किन्तु यह दुख की बात है कि कई एल पी टी कार्य नहीं कर रहे हैं तथा इसका कारण अपेक्षित तकनीकी कर्मचारियों को नहीं लगाया जाना है। जैसाकि हम जानते हैं कि इन एल पी टी को चलाने के लिए लगभग 11,000 लोगों को तैनात किया जाना अपेक्षित है। इन पदों की स्वीकृति नहीं दी गयी है क्योंकि वित्त मंत्रालय ने कुछ आपत्तियां उठायी हैं। लोगों के बीच अत्यधिक असंतोष और नाराजगी क्योंकि एल पी टी स्थापित किए हुए दो तीन वर्ष हो चुके हैं किन्तु कर्मचारी न होने के कारण ये कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक ओर सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा दूसरी ओर वित्त मंत्रालय के बीच मतभेद दूर किया जाना चाहिए तथा इन लोगों को भर्ती करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। बेरोजगार लोग उपलब्ध हैं। किन्तु उचित निर्णय न लिए जाने के कारण यह सब हो रहा है।

महोदय, मैं, आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या को हल करें तथा यह देखें कि अपेक्षित कार्मिक तत्काल तैनात किए जाएं तथा इन एल पी टी को कार्यात्मक बनाया जाए।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज जिस बिन्दु की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं, मैं समझता हूं कि इस बिन्दु पर पूरा सदन एकमत होगा और आपकी भी सहमति होगी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी समाप्त करने और क्षेत्रीय भाषाओं को लागू करने के लिए गत कई वर्षों से संघ लोग सेवा आयोग के गेट पर धरना दिया जा रहा है और धरने के साथ पिछले वर्ष भू. पू. राष्ट्रपति स्व. ज्ञानी जैल सिंह , भू. पू. प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा उनके साथ-साथ करीब 100 सांसदों ने धरने पर बैठने का काम किया और सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि संघ लोक सेवा आयोग

द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जाए और क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा ली जाए।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में दिनांक 18 जनवरी, 1968 को पारित किया गया संकल्प जिसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने और हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को लागू करने की बात कही गई है, वह आज भी सरकार के ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहूंगा कि डैमोक्रेसी बहुमत के आधार पर चलती है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग जो ट्रेझरी बैंचों पर बैठे हुए हैं, वे समझते हैं कि उनके साथ अधिक एम. पी. जीत कर आए हैं और बहुमत उनके साथ है। मैं समझता हूं कि इस बिन्दु पर यदि आज सदन में सहमति लें, तो पूरा सदन इस पर एकमत होगा। चाहे हाथ उठा कर पूछा जाए या वोटिंग करवा कर पूछा जाए, तो इस बात पर सारा सदन एकमत होगा कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जाए और क्षेत्रीय भाषाओं को लागू किया जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल इस पर वक्तव्य दे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री चेतन पी.एस. चौहान (अमरोहा) : सभापति महोदय, मैं बड़े दुख के साथ दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डी डी सी ए) के खेदजनक कार्य की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। डी डी सी ए कम्पनी रजिस्ट्रार के पास एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत हैं। दिल्ली में इसे क्रिकेट खेलने और इसे बढ़ावा देने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा पट्टे पर भूमि दी गयी है। किन्तु अधिकारियों ने फिरोजशाह कोटला मैदान नामक मैदान का उचित प्रबन्ध नहीं किया तथा इसका दुरुपयोग किया है। संघ का उपयोग क्रिकेट के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। क्लब सचिव लाखों रुपये लगाकर चलचित्र बना रहा है। दूसरी ओर संघ की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि भविष्य में हमारे कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

डी डी सी ए खन्नाओं की व्यक्तिगत जागीर के रूप में चल रही है। खन्नाओं के चाचा, भतीजे माननीय सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारी सदस्य हैं। यह संघ एक विभाजित घर के समान है। दो गुटों की आपसी लड़ाई से डी डी सी ए बर्बाद हो गया है। कभी-कभी दो दल क्षेत्ररक्षण (फील्डिंग) के लिए उतारे जाते हैं जिससे मैच रद्द हो जाते हैं। पिछले वर्षों के लिए लेखा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तथा उनकी लेखा परीक्षा नहीं की गयी है; पिछले तीन वर्षों से कंपनी कानून द्वारा अपेक्षित वार्षिक आम बैठक नहीं हुई; तथा इसी प्रकार इस अवधि के लिए पदाधिकारियों का चुनाव भी नहीं कराया गया है। पिछले वर्षों में फर्जी वोटों के आधार पर चुनाव हुए हैं। उपर्युक्त सभी कदाचारों के कारण किसी उपर्युक्त स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उन खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों, जो क्रिकेट मैच खेलने और देखने आते हैं, को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। मैं विधि मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय से यह मांग करता हूं कि वे डी डी सी ए के विद्यमान प्रबन्धन द्वारा सुविधाओं के अकुशल प्रबन्ध और दुरूप्रयोग की जांच करायें। यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच का कार्य सौंपा जाए।

महोदय, युवा कार्य एवं खेल विभाग मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे इस समस्या को अच्छी प्रकार जानते हैं। खिलाड़ी इससे बहुत अधिक जुड़े हैं। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड ने कोई अन्तर्राष्ट्रीय मैच करने के लिए डी डी सी ए पर रोक लगा दी है। दिल्ली के लोगों की यह बहुत बड़ी क्षति है। मैं चाहता हूं कि मंत्री इस संबंध में कुछ उत्तर दें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : इस समय मैं केवल यह कह सकता हूं कि इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु क्योंकि माननीय सदस्य ने सदन में इस प्रश्न को उठाया है, हम अवश्य ही इस मामले को देखेंगे तथा यह देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं। इन दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपदों में डायरिया का प्रकोप बहुत हो गया है। गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर आदि करीब-करीब हर 10 गांवों में से एक गांव में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। गाजीपुर में तो अभी 9 लोगों की मृत्यु हो गयी है और लगभग 2 हजार लोग बीमार हैं। इसी प्रकार वाराणसी में भी 3 लोगों की मृत्यु हो गयी है और 1 हजार से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहां पर दवाओं का भारी अभाव है। जो आवश्यक दवाएं हैं, वे भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, बनारस में एक शिव प्रसाद गुप्त नाम का अस्पताल है जोकि वहां के पूर्वांचलों में अतयंत प्रसिद्ध व प्रमुख अस्पताल है। इस अस्पताल की हालत भी बहुत दयनीय है। पूर्वांचल का यह अत्यंत प्रसिद्ध अस्पताल 4-5 करोड़ लोगों के बीच में एकमात्र अस्पताल है। इससे वे बहुत आशाएं रखते हैं कि उनको इससे सुरक्षा मिलेगी लेकिन अब यह अस्पताल गंदगी का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। डाक्टर भी खुले आम कदाचार पर तुल गए हैं। दवाएं बाहर से मंगाई जा रही हैं। वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार जो दवाएं दे रही हैं, वे स्टाक में रहते हुए भी बाहर बेची जा रही हैं। जब अखबारों में इसके बारे में आया कि वहां पर काफी लोग डायरिया से पीड़ित हैं तो परसों मैं वहां गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि वहां डाक्टर मौजूद नहीं है। सीएमईएस भी वहां मौजूद नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। पता नहीं वे मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट-की दवाखाना का मामला है। यह इसमें कुछ नहीं कर सकते।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वे उत्तर प्रदेश सरकार को लिखें और कहें कि वहां के लोगों की जीवन की रक्षा हो।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बुरा न मानें तो हमें कुछ और सूचना प्राप्त होने दो तब इसके बारे में बात करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : आप हमें उठाने दीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि यह मामला दो देशों के बीच संबंधों से संबंधित है तो भी हमें इसे अपर्याप्त सूचना के आधार पर नहीं उठाना चाहिए।

श्री रवि राय : इसलिए तो मैं कह रहा हूं। मैं आपको कहूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं होती।

श्री रवि राय : हमको लगता है कि यह हाऊस में उठना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता क्या यह सूचना पर्याप्त है और क्या हम इसके आधार पर कोई राय कायम कर सकते हैं। हमें कुछ और इन्तजार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इसके बारे में तहकीकात करके सदन में बताएं। ···· **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बुरा न माने तो हमें एक दिन इन्तजार करना चाहिए।

श्री रवि राय : महोदय, ठीक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आप देखें, हम कैसे सहयोग दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस वारे में कोई सन्देह नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मुझे बड़े दुख के साथ यह विषय बार-बार सदन में उठाना पड़ता है और मैं चाहता हूं कि श्री वी.सी. शुक्ला जी अपनी फाईल वंद करके इसको सुन लें लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे अनुरोध के बाद भी उनका ध्यान अपनी फाईल पर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के ऊपर अपना जो निर्णय दिया है उससे सभी जानते हैं कि देश में इस आरक्षण को लागू करने में काफी कठिनाई पैदा हो रही है। खासतौर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो सरकारी कर्मचारी हैं या दूसरे सार्वजनिक विभागों में काम करते हैं, उनके प्रमोशन पर बैन हो गया है और कहा गया है कि 5 साल के बाद उनका प्रमोशन नहीं हो पायेगा। यह एक सिद्धांतक निर्णय हुआ। इससे देश भर में काफी शोर मचा। इस सदन में बार-बार यह सवाल उठाया गया है कि जो सुविधा उनको संविधान के लागू होने के बाद से मिल रही थी, वे अब उनसे छीनी जा रही है।

इस पर सदन में एक राय थी कि इसमें सुधार लाना चाहिए। सरकार ने इस पर कई बार वक्तव्य दिए कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है सिवाए इसके कि कुछ जी. ओस चले गए जिनका पालन नहीं हो रहा और सरकार ने किया भी नहीं। इस तरह से आरक्षण की सीमा बांधने से बहुत कठिनाई हुई और इसी सदन में उस कठिनाई को दूर करने के लिए केवल एक राज्य तमिलनाडु ने संसद में कानून पास किया। लेकिन वह अपर्याप्त है, वह केवल एक राज्य तक सीमित रह गया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए दो बार समाज कल्याण मंत्री ने सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाई और दोनों बार सिवाए बी.जे.पी. के, सबकी एक राय थी कि इसी सत्र सदन में संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि जो परेशानी हो रही है, उसे दूर किया जा सके। दूसरा, 50 फीसदी सीमा को भी बढ़ाया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया लेकिन मध्य प्रदेश में 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं दिया जा सकता क्योंकि वहां उनको जनसंख्या के मुताबिक दिया गया है। यद्यपि पिछड़े वर्ग की आबादी 42 फीसदी है और 50 फीसदी सीमा होने के कारण उनको 27 फीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

इसी प्रकार से कई जगहों पर उन लोगों को भी आरक्षण दिया गया है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सन्तान हैं, विकलांग हैं या पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं। 27 फीसदी आरक्षण देने से उनका आरक्षण भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए यह सबके हित में है कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और आरक्षण को लागू करने में जो परेशानी हो रही है, उसे दूर किया जाना चाहिए। इसी सरकार ने यह भी कहा कि उच्च जातियों में जो गरीब लोग हैं, उनको भी 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। लेकिन लोगों की राय है कि उच्च वर्ग में जो गरीब लोग हैं, आरक्षण का कुछ प्रतिशत उनको भी देना चाहिए ताकि उनके साथ भी न्याय हो सके। लेकिन 50 प्रतिशत की सीमा रहते हुए ये दोनों काम नहीं हो रहे हैं।

समाज कल्याण मंत्रालय मंत्री ने पटना में प्रैस कॉन्फ्रेंस करके वक्तव्य दिया कि संविधान में यह संशोधन इसी सत्र में लाया जाएगा। श्रीमती मारग्रेट आल्वा ने राज्य सभा में बयान देते हुए कहा कि इस पर हम एक नैशनल कनसैन्सस या ऑल पार्टी कनसैन्सस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक यह नहीं बन जाएगा, हम इस पर कोई कदम नहीं उठाएंगे। आपने बार-बार कहा कि जब कोई मंत्री कुछ कहता है तो उसे सरकार की तरफ से कहना चाहिए। दो मंत्री अलग-अलग बयान दें, एक-दूसरे में विरोधाभास हो, यह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस बात की मांग कर रहा हूं।

हमने यह भी कहा कि 27 प्रतिशत में जो अति पिछड़े लोग हैं, उनकी जनसंख्या को देखते हुए उनका भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उनकी दशा बहुत दयनीय है, वे भी दलितों के समान आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

मैं मांग करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न को गंभीरता से ले और संसदीय कार्य मंत्री अपनी सरकार की तरफ से इसी सदन में एक संविधान संशोधन लाएं ताकि उन कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, कल शून्यकाल के दौरान मेरे और सोमनाथ जी में जो नोक-झोंक हुई, उसके लिए मुझे बहुत खेद है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वाजपेयी जी, ऐसा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे अपने पर संयम रखना चाहिए था।

लेकिन शायद बाहर जो तापमान बढ़ रहा है, उसका मेरे ऊपर भी असर हुआ। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे दिल में उनके लिए बड़ी इज्जत है। वे पार्टी के नेता हैं, बहुत बड़े वकील हैं। कभी मुझे मुकदमे में फंसना पड़ा तो उनके पास जाना चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मेरा ख्याल था कि जो अड़चन थी वह दूर कर दी जाएगी लेकिन उन्होंने इसका लाभ नहीं उठाया। मैं इसे स्वीकार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप एक दूसरे को भली-भांति समझते हैं। मैं समझता हूं कि आप दोनों में कोई गलतफहमी नहीं हो सकती।

[हिन्दी]

आपके बारे में उनके मन में भी नहीं हो सकती।

[अनुवाद]

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे विचार ये सभी जानते हैं कि मैं इनका आदर करता हूं। यद्यपि वह गलत लोगों के साथ हैं, मैं उनका आदर करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यह उनका भी बड़प्पन था।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि अपनी ही बात हो रही है ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा व्यक्तिगत सम्मान असीमित है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि कम्पनी की बात हो रही है तो फिर चटर्जी बाबू को मिलाकर जो कम्पनी है, मेरा उससे मतभेद है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका विषय मेरे पास है और जब कभी आप सरकार द्वारा बनाए जाने वाले कानून पर बोलना चाहते हैं तो हम इस प्रकार की बातों के लिए अनुमति नहीं देते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के रूप में सभा के समक्ष विधान ला सकते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अतः मेरी यह कठिनाई है।

श्री राम नाईक : जी नहीं, महोदय, यदि आप मुझे अनुमति देंगे तभी मैं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से ऐसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले हैं जब तक सभा में सभी दलों के बीच सर्वसम्मति नहीं होती, हम समस्या हल नहीं कर पाएंगे। सम्भवतः हम समस्या को जटिल बना रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने अब जो भी कहा है निश्चित रूप से सम्माननीय है और यदि सभी दल इसे कार्यान्वित करने को सहमत हैं, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर भी यदि आप इस बात पर बल दे रहे हैं कि ऐसा सरकार द्वारा किया जाना चाहिए; यह कानून सरकार द्वारा पारित किया जाना चाहिए, मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा किया जा सकता है ?

श्री राम नाईक : मैंने कहा था कि ऐसा उचित ढंग से किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि अतः उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। अभी हाल ही में, मंडल आयोग के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी की गई थी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहने का अर्थ है कि यदि आप चाहते हैं तो आपको सभा में गैर सरकारी विधेयक लाने का अवसर प्राप्त है।

श्री राम नाईक : मुद्दा यह नहीं है। महोदय, उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है और उस बारे में हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं और हम अपने विचार रखना चाहेंगे।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : उस निर्णय में प्रधान मंत्री के लिए निदेश दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसे प्रधान मंत्री के लिए निदेश नहीं कहा जा सकता। इसे सरकार के लिए निदेश कहा जा सकता है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : यह प्रधान मंत्री जी के माध्यम से सरकार के लिए निदेश है। क्या मैं उन्हीं शब्दों को पढ़ सकता हूं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम नाईक : महोदय, हम सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण निर्णय की ओर दिलाना चाहते हैं जोकि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है ताकि सरकार उस पर कार्यवाही कर सके।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही जटिल मामला है। हमारे अपने क्षेत्राधिकार हैं, न्यायपालिका के अपने क्षेत्राधिकार हैं, विधायिका के अपने क्षेत्राधिकार हैं; कार्यपालिका के अपने क्षेत्राधिकार हैं; क्या हम एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में प्रवेश कर रहे हैं अथवा नहीं; और क्या ऐसा करना होगा अथवा नहीं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : इस बारे में हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये सभी ऐसी जटिल बातें हैं जिनके बारे में जब तक कि मैं सम्पूर्ण निर्णय को पढ़ न लूं अपनी राय नहीं दे सकता। मैं विभिन्न स्वतंत्र निकायों के बीच संबंधों को जटिल नहीं बनाना चाहता।

श्री राम नाईक : हम केवल यह चाहेंगे कि सरकार को निर्णय का अध्ययन करना चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। एक समान सिविल संहिता बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण मामला है जिसपर उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। इससे पहले शाहबानों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में जब परिवर्तन किया गया था, देश को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अतः, अब सरकार को इसका भलीभांति अध्ययन करना चाहिए और इसका उचित हल निकालना चाहिए; और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक समान सिविल संहिता तैयार की जाए। **(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढ़ा : अभी-अभी आपने संविधान संशोधन के एक मामले की अनुमति दी है। शीर्ष न्यायालय के न्यायिक निर्णय में यह कहा

गया है कि चालीस वर्ष बीत चुके हैं; एक के बाद एक सरकार आई हैं लेकिन अनुच्छेद 44 के अंतर्गत इस निदेश··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार किसी कानून में परिवर्तन करना चाहती है अथवा किसी कानून में संशोधन करना चाहती है अथवा यदि सभा किसी कानून में परिवर्तन चाहती है अथवा किसी कानून में संशोधन करना चाहती है, तो वे ऐसा कर सकती हैं। लेकिन यह किस तरीके से किया जाए, ऐसा कब किया जाए, इसे किस प्रकार करना होगा और क्या ऐसा सर्वसम्मति आदि तैयार करके करना होगा। उन मामलों पर विचार करना होगा।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, हम केवल सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री राम नाईक : जब उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया कि सरकार को अगस्त, 1995 से पहले एक शपथ-पत्र दाखिल करना चाहिए तो हम निश्चित रूप से उस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि आप करते हैं उसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन नियमों में प्रावधान हैं जिसका आप सभा के समक्ष गैर सरकारी विधेयक लाने में प्रयोग कर सकते हैं।

श्री राम नाईक : यह निर्णय 10 मई को आया।

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है—उच्चतम न्यायालय ने उसमें अनेक बार कहा है कि "हम प्रधान मंत्री के माध्यम से सरकार को निर्देश दे देते हैं" "प्रधान मंत्री" शब्दों का प्रयोग किया गया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और यदि मुझे ठीक से याद है तो इस पर एक बार सभा में बारीकी से चर्चा की गई थी और इस मुद्दे पर सभी पक्षों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। शहाबुद्दीन ने विचार रखे थे और मैं समझता हूं आपमें से कुछ ने विचार रखे थे और सत्तापक्ष से भी उन्होंने विचार रखे थे। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसकी उचित तरीके से जांच की जाए। केवल तभी सभा के अन्दर और बाहर हर प्रकार विचारों में सर्वसम्मति हो सकेगी और यह अच्छी बात है। यह देश और देश की एकता के हित में होगा। अन्यथा, गलत सन्देश जाने देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय का यह कहना उचित है कि यदि निदेशालय सिद्धान्तों में कुछ कहा गया है तो इसकी जांच की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने थोड़ी देर पहले श्री चन्द्रजीत यादव जी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्पन्न परिस्थिति पर चर्चा करने की इजाजत दी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने मांग की कि सरकार संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी संशोधित करे। अब रिजर्वेशन का मामला और सिविल कोड का मामला अलग-अलग कैसे है। यह जरा आप मुझे समझा दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चूंकि आरक्षण का मामला संविधान में पहले ही है। लेकिन सिविल संहिता इसमें विद्यमान नहीं है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह उसमें नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : एक समान सिविल संहिता प्रचलित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : न्यायाधीश जीवन रेड्डी ने निर्णय दिया है। यह तीसरा निर्णय है और हम कहना नहीं चाहते···

अध्यक्ष महोदय : लेकिन सभा के समक्ष गैर सरकारी विधेयक लाने से आपको कौन रोकता है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोढ़ा जी मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। आप, जो कानून के बारे में जानते हैं तथा जो कानून की व्याख्या कर सकते हैं, को गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक लाने से कौन रोकता है ?

श्री गुमान मल लोढ़ा : किसी को संशोधन लाने से कौन रोकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार को कुछ करने के लिए विवश नहीं कर सकते। आप स्वयं इसे कर सकते हैं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, हम सरकार को विवश नहीं कर रहे हैं। महोदय, विचारों में भिन्नता हो सकती है। आरक्षण मुद्दे पर विचारों में भिन्नता है तथा समान नागरिक संहिता पर भी विचारों में भिन्नता हो सकती है। हम केवल यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अब उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 40 वर्ष बीत गए हैं। एक के बाद एक सरकार आई और चली गई। किन्तु अनुच्छेद 44 उपयोग नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं जानते हैं कि देश में किस प्रकार की स्थिति व्याप्त थी, जब हिन्दू संहिता विधेयक पारित किया गया था कितना शोर-शराबा हुआ था तथा किसने हिन्दू संहिता विधेयक का विरोध किया था। हमें इतिहास को भी याद रखना होगा।

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, यह पारित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अब कोई राम मोहन राय नहीं है। **(व्यवधान)** इस समय, हम बहस नहीं कर रहे हैं। हम केवल यह कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है। उन्होंने सरकार के माध्यम से प्रधान मंत्री से यह अनुरोध किया है कि उन्हें अनुच्छेद 44 अवश्य उपयोग करना चाहिए तथा समान सिविल संहिता बनानी चाहिए। उन्होंने यह निदेश भी दिया है कि निश्चित तारीख तक शपथ पत्र दाखिल किया जाना चाहिए। सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ? महोदय, उस निर्णय में किसी समुदाय के दाखिल होने का प्रश्न नहीं है। अब जो कहा गया है, यह यह है कि अनुच्छेद 44 का उपयोग नहीं हो रहा है, इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इसलिए, उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 44 के अनुसरण में एक समान सिविल संहिता बनायी जानी चाहिए क्योंकि वे इस्लाम धर्म अपनाकर एक हिन्दू द्वारा

दूसरी शादी करके एक महिला को गाली देने एवं उसका शोषण करने तथा महिला के प्रति अत्याचारों का मामला देख रहे थे। उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया के जरिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस्लाम धर्म अपनाकर महिलाओं पर इस प्रकार के अत्याचारों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उस निर्णय में इसका मुख्य रूप से उल्लेख किया गया था।

हम जो कह रहे हैं वह यह है कि वास्तव में भारत सरकार को निर्णय के बाद इस मामले की जानकारी है तथा उन्हें सर्वसम्मति जाननी चाहिए जैसा कि उन्होंने आरक्षण मुद्दे में किया था। जैसाकि आपने ठीक ही कहा है कि उन्हें बिना किसी आंशका के बहुत अच्छे वातावरण में बैठक बुलानी चाहिए और जिसमें किसी प्रकार की गरमागरमी पैदा न हो। सही दिशा में सोचने वाले व्यक्ति को इसमें आगे आना चाहिए तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार समान सिविल संहिता बनानी चाहिए। हम बस इतना ही चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, युनिफार्म सिविल कोड का मामला जो रिटायर्ड जज साहब उठा रहे हैं, वे इस सदन के सदस्य हैं। इसमें मकसद दूसरा है और मकसद यह है कि युनिफार्म सिविल कोड का मैटर इन्होंने उठाया है और स्पीकार साहब कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं इसको प्राइवेट मैम्बर बिल के माध्यम से इसको लाते हैं। मेरा दिमाग भी परेशान है और यह बात नहीं है कि हम भी इसको नहीं लाना चाहते हैं। अगर आप लाते, तो हम लोग इस बारे में सोचते और कहते कि बेहतरीन व इन्टेलेक्चुयल आदमी की तरफ से युनिफार्म सिविल कोड बिल आया है। हम लोग उसको पढ़ते और नरसिंह राव जी कहते कि आप इसको एक्सैप्ट कीजिए। आप हिन्दुस्तान के अन्दर सिर्फ प्रौपेगेंडा करने के लिए यह काम करना चाहते हैं। ... **(व्यवधान)** सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैं क्या नहीं जानता हूं, मैं भी जानता हूं। हम तो चाहते हैं, परेशानी से नहीं डरते हैं। बी. जे. पी. अगर चाहती है, तो उस बिल को सामने लाकर रखे और हम लोग उसकी सपोर्ट करेंगे। अगर सरकार नहीं कर रही है, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है और कहा जा रहा है कि सरकार इसको करे। ... **(व्यवधान)** टैम्पोरेरी मत कीजिए। जज साहब आप और बम्बई के राम नाईक जी बैठ कर एक बेहतरीन युनिफार्म सिविल कोड बनायें। एक बात यह भी है कि जो क्रिमिनल कोड है, वह तो सब पर लागू है। मियां जी लोगों पर भी लागू है। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार सऊदी अरब में क्रिमिनल कोड है, वही मुसलमानों पर लागू हो। इसलिए जहां छोड़िएगा, वही हाथ काट दिया जाएगा। औरत को छेड़िए तो स्टोनिंग करके मार दिया जाएगा।

[अनुवाद]

यदि आप इस प्रकार के विधेयक लाएंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। वह सभी के लिए समान होगा।

[हिन्दी]

राजीव जी के जमाने में हमें एक डैलीगेशन का हैड बनाकर हमें सऊदी अरब भेजा गया था। वहां हम टी वी पर देखे कि औरत का इतना हाथ छोड़कर बॉडी कोई हिस्सा नहीं दिखा सकते हैं।

[अनुवाद]

मैं चाहता हूं इस प्रकार के मामले यहां लाए जाएं ... **(व्यवधान)** जी हां, मैं चाहता हूं।

[हिन्दी]

बेहतरीन सिविल कोड को मानने से कोई इन्कार नहीं कर रहा है। आप क्या चाहते हैं कि जैसे टी वी पर दिखाते हैं, वैसा ही सब देखें। मैं भी युनिफार्म सिविल कोड चाहता हूं और हमको लगता है कि वाजपेयी जी भी इसको स्पोर्ट करते होंगे।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दो पहलू हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी ने निर्णय पढ़ा है ?

श्री गुलाम मल लोढ़ा : मैंने इसे पढ़ा है। मेरे पास इसकी एक प्रति भी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने इसे पढ़ा होगा। मेरे विचार में हमें निर्णय को पढ़े बिना इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि आप जानते हैं मुख्य बात यह है कि हमें प्रति प्राप्त नहीं हुई है लेकिन हम इसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस पर विचार करके अपनी राय देंगे। किन्तु जहां तक मेरा संबंध है, मैं एक लड़की को जानता हूं, जो इस मामले में शामिल है तथा उसने उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया था। वह कलकत्ता की रहने वाली है। उसके पति ने उसको छोड़ दिया था तथा उसने दोबारा शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया। अब इसका निराकरण कर दिया गया है। यह बहुत अच्छी बात है तथा स्वागत योग्य बात है। हम सबने वास्तविक रूप से निर्णय का समर्थन किया है। यह एक पहलू है।

दूसरा पहलू समान सिविल संहिता के बारे में है। अब उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश सरकार को दिए हैं, सरकार को तदनुसार न्यायालय को उत्तर देना चाहिए। हम यह देख रहे हैं कि भारतीय के रूप में देश में हमारे लिए समान सिविल संहिता का यह मुद्दा देश में भावावेश का मुद्दा बन रहा है तथा समान सिविल संहिता के संबंध में आपको कोई कदम बढ़ाने के लिए आज यह जानना आवश्यक है कि समान सिविल संहिता का अर्थ क्या है। कुछ लोगों में मैंने एक डर की भावना पाई है। यह ऐसी बात है जो धर्म-विरोधी है। किन्तु यह धर्म-विरोधी नहीं है। यह पूरे समाज के लाभ के लिए होनी चाहिए। इस आशय का कोई अभियान नहीं चलाया गया है कि यह किस रूप में होनी चाहिए। जिन लोगों को इन सबके बारे में जानकारी है वे लोग क्यों नहीं कहते कि समान सिविल संहिता के ये रूप हो सकते हैं ? जो हिन्दु के लिए अच्छा है मुस्लिम के लिए भी अच्छा होना चाहिए तथा जो मुस्लिमों के लिए अच्छा है वह हिन्दुओं के लिए भी अच्छा होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि अन्तर क्या है। यह हो सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ऊंची आवाज में कोई मांग करती है तो इस पर कुछ लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्वाग्रह से मुक्त है, अपने दिमाग को खुला रखे ताकि प्रत्येक व्यक्ति पूरी बातों के संबंध में जान सके। मैं समझता हूं समान सिविल संहिता के बारे में कोई भय नहीं होना चाहिए। सभी भारतीयों के लिए सभी अच्छी बातों को कानून बनाने के लिए लिया जाए। मैं इस विचार का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस विचार का समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : माननीय सैफुद्दीन जी ने जो बात बताई हैं उसमें मैं अपनी बात को बहुत कमजोर आवाज में रखने की कोशिश करूंगा। देश में ऐसे कई विषय हैं जैसे मंडल कमीशन की रिकोमेंडेशंस हैं, कश्मीर का मामला है वैसे ही यह कॉमन सिविल कोड की बात है जिसके बारे में देश में सहमति बनाना बड़ा आवश्यक है। यह विषय बीजेपी के सदस्यों ने यहां उठाया है इसलिए उसके परिणाम भयावह होंगे, इस प्रकार के दोहरे मापदंड से ऐसे विषयों को नहीं देखना चाहिए और देश भी नहीं देखेगा। इसलिए यूनिफार्म सिविल कोड के बारे में जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशें ने यह कहा है कि इसकी ओर सरकार को देखना चाहिए। इसके बारे में सरकार की क्या मंशा है वह उनको अगस्त महीने तक अपना एफीडेविट देकर बताना चाहिए। आज हम यहां पर यह जानना चाहते हैं कि इसके बारे में सरकार की क्या मंशा है, वह सदन को बताएं ? आप 25 अगस्त को क्या बताने वाले हैं, वह भी बताएं ? वास्तव में देश में एकता लाने का यही एक रास्ता है, इससे ही देश में एकता आएगी। सभी महिलाएं संगठित होंगी और यह जो अन्याय 50 प्रतिशत महिलाओं पर होने वाला है इसलिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। हम देश में सहमति बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके बारे में सरकार को अपना पहला कदम उठाना चाहिए और वह पहला कदम सरकार को एफिडेविट देकर करना चाहिए। इसके बारे में सरकार क्या करना चाहती है यह भी सदन को बताना चाहिए, यही हमारी मांग है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक नोटिस दिया है जिसमें उच्चतम न्यायालय के उस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति मांगी है, जिसमें संविधान में अनुच्छेद-44 के संबंध में सरकार को निदेश दिया गया है।

महोदय, वास्तव में इसमें हमें इस वास्ताविकता की ओर ध्यान देना होगा कि यह केवल कहा ही नहीं जा रहा है कि समान सिविल संहिता लायी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने विधि सचिव को निदेश दिया है कि जिम्मेवार अधिकारी का शपथपत्र दाखिल करें। जिसमें भारत के नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों तथा किए गए प्रयासों का उल्लेख हो।

महोदय, पत्रकार के रूप में मैं पिछले तीस वर्षों से इसके लिए जिहाद करता रहा हूं तथा इसलिए, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस मामले पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, दुख की बात यह है कि संविधान लागू होने के 45 वर्षों के बाद भी कोई समान सिविल संहिता नहीं बनी है। वास्तव में, इस मामले में सरकार की असफलता का दस वर्ष पहले अर्थात् 1985 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचूड की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के एक पांच सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा विख्यात शाहबानों मामले में निर्भीक और पक्षपात रहित दिए गए निर्णय कं दौरान पता चला था। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने तो यहां तक कहा था कि यह खेद का विषय है कि अनुच्छेद 44 "अप्रचलित नियम बनकर रह गया" है तथा उन्होंने आगे कहा था इसके लिए शुरूवात करनी होगी सुधारक की भूमिका अनिवार्य रूप से न्यायालयों को निभानी होगी समान सिविल संहिता से उन कानूनों के प्रति असमान निष्ठा, जिसमें परस्पर विरोधी विचार धाराएं हैं को दूर करके राष्ट्रीय एकता में मदद मिलेगी।"

महोदय, 10 वर्ष पहले यह निर्णय दिया गया था तथा अब हमारे पास दूसरा निर्णय है। किन्तु कुछ नहीं हो रहा है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर अधिकांश कठिनाई तथा यदि मैं कहूं भ्रान्ति व्यापक अज्ञानता और इन मामलों में गहराई तक जाने की सामान्य अरुचि के कारण उत्पन्न हुई है। महोदय, इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 35, जो अब अनुच्छेद 44 है, के संबंध में वाद-विवाद के दौरान संविधान सभा में जो कुछ कहा गया वह विशेष रूप से भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की पुनरावृति है। महोदय, इस वादविवाद में कुछ मुस्लिम सदस्यों ने पहले बहस की थी कि प्रत्येक समुदाय और समूह को अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानून का पालन करने का अधिकार है, जो कि उनके धर्म और संस्कृति का एक भाग था। इसके आगे उन्होंने कहा था कि एक समान सिविल संहिता से संविधान के अनुच्छेद 19 जिसमें "अतःकरण की स्वतन्त्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने" की व्यवस्था की गई है, में विरोधाभास से इस अनुच्छेद की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी।

महोदय, मैं सदन को डा. अम्बेडर के विचारों से अवगत कराना चाहता हूं क्योंकि मेरे विचार में ये भ्रान्ति को दूर करने तथा हमें जानकारी देने में मददगार होंगे। विशेषतः डा. अम्बेडकर मामले की गहराई तक गए तथा उन्होंने दो टिप्पणियां कीं। पहली, उन्होंने कहा कि मुस्लिम परस्पर लॉ अपरिवर्तनीय है तथा पूरे भारत में एक समान है जबकि संशोधनों (मुस्लिम सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए) में इसके विपरीत बताया गया है। उन्होंने कहा था और मैं उद्धृत करता हूं।

> "मेरे अधिकांश मित्र जिन्होंने इस संशोधन के सम्बन्ध में अपने विचार रखे, वे यह बिल्कुल भूल गए हैं कि वर्ष 1935 तक उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रान्त शरीयत कानून का विषय नहीं था। यहां उत्तराधिकार के मामले में तथा अन्य मामलों में हिन्दू कानून का पालन किया गया तथा इससे भी बढ़कर वर्ष 1939 में केन्द्रीय विधानमंडल को उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रान्त के मुस्लिमों के लिए हिन्दू कानून के उपयोग को रद्द करना पड़ा था और उनके लिए शरीयत कानून लागू करना पड़ा था। इतना ही नहीं वर्ष 1937 तक शेष भारत में, विभिन्न भागों में जैसे संयुक्त प्रान्तों, केन्द्रीय प्रान्तों और बम्बई में उत्तराधिकार के मामले में मुस्लिम काफी हद तक हिन्दू कानून द्वारा अधिशासित किए गए थे। उत्तरी मालाबार में मरूमक्काथायम कानून सभी पर, न केवल हिन्दुओं पर बल्कि मुस्लिमों पर भी लागू किया जाता है। मरुमक्काथायम कानून, कानून का मातृ प्रधान रूप है तथा कानून का पितृ प्रधान रूप नहीं है।"

दूसरा मुद्दा जो डा. अम्बेडकर ने उठाया था वह यह है कि उन्होंने सदस्यों को निम्नानुसार आश्वासन दिया था और यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि यहां उपस्थित मेरे सभी साथी इसे ध्यानपूर्वक सुने तथा मैं उद्धृत करता हूं :

> "मैं जानता हूं उन्होंने अनुच्छेद 35 जो अब अनुच्छेद 44 है को बहुत अधिक पढ़ा है"—"जिसमें केवल यह व्यवस्था है कि राज्य देश के नागरिकों के लिए सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि संहिता बनने के बाद राज्य इसे सभी नागरिकों पर लागू करेगा केवल इसलिए कि वे नागरिक हैं। यह पूरी तरह संभव है कि भावी संसद शुरूवात करके यह व्यवस्था कर सकती है कि यह संहिता केवल उन लोगों पर लागू होगी जो यह घोषणा करते हैं कि वे इसका पालन करने के लिए तैयार हैं ताकि प्रारंभिक चरणों में इस

संहिता का उपयोग पूरी तरह से स्वैच्छिक हो। संसद किसी ऐसे तरीके से इसका आधार ढूंढ सकती है। यह तरीका कोई नया नहीं है। यह तरीका सन् 1937 के शरीयत अधिनियम में उस समय अंगीकृत किया गया था जब यह पश्चिमोत्तर सीमांत प्रान्त को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में लागू किया गया था। कानून के अनुसार यहां एक शरीयत कानून है जो मुसलमानों पर लागू होना चाहिए परन्तु कोई मुसलमान जो यह चाहता हो कि उसके लिए शरीयत अधिनियम बाध्यकर होना चाहिए, उसे राज्य में अधिकारी के पास जाकर एक घोषणा करनी चाहिए कि वह शरीयत को मानने के लिए बाध्य होने का इच्छुक है और उसकी घोषणा के बाद कानून उसे तथा उसके उत्तराधिकारियों को बाध्य कर देगा।"

महोदय, अब मैं समाप्त कर रहा हूं। हम यहां से जाते कहां हैं ? मेरे विचार से अब सरकार को भी डा. अम्बेडकर द्वारा दी गई विवेकपूर्ण और व्यावहारिक सलाह मान लेनी चाहिए। हम बाबा साहब में विश्वास करते हैं या नहीं करते। भारत तथा इसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के लिए धीरे-धीरे अविलम्ब स्वीकार करने हेतु स्वैच्छिक समान सिविल संहिता ही ठीक है न कि इसे अनिवार्य रूप से लागू करना। तब मुसलमानों के पास सोच विचार करने के बाद यह विकल्प होगा कि वे या तो उदार हों और समान सिविल संहिता स्वीकार करें या वे मुस्लिम विधि से ही मार्गनिर्देशित होते रहें। महोदय, मेरे विचार से किसी भी समुदाय को प्रगतिशील विधान में बाधा नहीं डालने दी जानी चाहिए, विशेषरूप से उस समय जब कि वह स्वैच्छिक हो जिसका उद्देश्य किसी पर मनमाने रूप से कोई मत अथवा जीवन पद्धति थोपना न हो।

संविधान के अनुच्छेद 44 में दिए गए निदेशक तत्व लागू करने में तथा देश को वास्तविक धर्मनिरपेक्षवाद तथा राष्ट्रीय अखण्डता की ओर ले जाने में पहले ही बहुमूल्य समय गंवा दिया गया है।

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्द्रजीत जी द्वारा बताया गया है, कि एक बार यह स्वैच्छिक हो जाए तो सभी मुसलमान इसे स्वीकार कर लेंगे। किन्तु यदि इसे अनिवार्य बनाने का प्रयास किया गया तो यह सभी समुदायों के लिए बहुत ही अन्यायपूर्ण और अनुचित होगा क्योंकि सभी समुदायों के अपने-अपने कानून हैं और खासतौर पर मुसलमान तो शरीयत अधिनियम से ही मार्गनिर्देशित, नियंत्रित होते हैं और उनका इसमें ही दृढ़ विश्वास होता है।

महोदय, ऐसा इसलिए है कि इस समान सिविल संहिता की किसी भी प्रकार से स्वैच्छिक स्थिति नहीं हो सकती। श्री इन्द्रजीत ने अत्यधिक जोर देकर उल्लेख किया कि चाहे जो बयान या चाहे जो घोषणा अम्बेडकर जी द्वारा की गई हो, हम भी इस प्रकार के विचारों का स्वागत करते हैं कि यदि यह स्वैच्छिक है और यह मुस्लिम या किसी अन्य समुदाय पर निर्भर करता है। यदि वे इसे स्वीकार करने और यह घोषणा करने कि कौन से कानून स्वीकार्य होंगे और कौन से कानून स्वीकार्य नहीं होंगे, की स्थिति में हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

परन्तु दूसरे पक्ष के लोग, जो एक समान सिविल संहिता अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह तो बहुत बड़ा अन्याय है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जब तक एक सी विचारधारा, एक जैसे लोग, एक से सिद्धान्त, एक से जीवन सिद्धान्त, एक सी सांस्कृतिक धरोहर और ऐसी ही सारी बातें नहीं होंगी तब तक इस प्रकार की एक समान सिविल संहिता चाहे यह संसद द्वारा तैयार की गई हो, समुचित रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती। यदि सभी पक्ष के सभी सदस्य ऐसी एक समान सिविल संहिता तैयार करने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देश में आक्रोश न भड़के और इस प्रकार के कानून को लागू करते हुए किसी भी वर्ग के लोगों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप संविधान के अनुच्छेद 44 तथा संविधान की राज्य की नीति निर्देशक तत्व लागू करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु जब इसे किसी भी समुदाय पर जिनकी विशेष प्रकार की संस्कृति है और विशेष प्रकार के अपने मत हैं और अलग-अलग सिद्धांत हैं, थोपने का प्रयास किया जा रहा है तो समस्या पैदा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : हमें समझना चाहिए कि यह एक बहुत जटिल मुद्दा है। हमें फिजूल के बयान नहीं देने चाहिए। इसे थोपने की कौन कोशिश कर रहा है ?

डा. मुमताज अंसारी : यह मेरा सुझाव है। आपने जो भी सुझाव दिया है, मैं तो उसे ही स्पष्ट कर रहा हूं। मैं कोई भ्रम पैदा नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमें ऐसी धारणा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए कि कोई इसे थोपने की कोशिश कर रहा है।

डा. मुमताज अंसारी : कोई ऐसी समान सिविल संहिता तैयार हो सकती है जोकि स्वैच्छिक हो।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं इस सदन से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि मुद्दा इतना आसान नहीं है जितना कि यह लगता है। यह एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। जहां तक वोट बैंक का संबंध है, दुर्भाग्य से ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है कि एक समान सिविल संहिता के समर्थक लोग मुसलमानों के विरोधी हैं और जो इस संहिता के विरोध में हैं वे मुसलमानों को फुसला रहे हैं। प्रथमतः इसे भूल जाना चाहिए।

पहले इस सिविल संहिता का स्वैच्छिक स्वरूप हमारे सामने लाया जाना चाहिए और हमें निष्पक्ष होकर इस पर विचार करना होगा। इसमें अनेक पेचीदगियां हैं। हिन्दू उत्तराधिकार विधि तथा हिन्दू विवाह विधि मुस्लिम उत्तराधिकार विधि तथा मुस्लिम विवाह विधि से बिल्कुल भिन्न है। विवाह और उत्तराधिकार की सम्पूर्ण धारणा ही अलग-अलग हैं एक वकील होने के नाते मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी पर एक समान सिविल संहिता लागू करना बहुत ही कठिन होगा।

अब मैं संवैधानिक मुद्दा उठाना चाहता हूं। इन वर्षों में कोई भी सरकार इस कार्य को शुरू करने का प्रयास नहीं कर सकी है। इस बीच गैर-कांग्रेसी सरकारें भी सत्ता में रहीं। जनता सरकार के समय न केवल बल्कि जनसंघ सभी उसमें थे। इसे लागू करने के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। यहां तक कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार इसे लागू नहीं कर सकी। चन्द्रशेखर की सरकार ने इसे लागू नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि जहां तक एक समान सिविल संहिता अपनाने का प्रश्न है उसमें व्यावहारिक कठिनाइयां हैं और यह एक राजनैतिक निर्णय होगा।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह विषय कभी भी प्रत्यक्ष रूप से मुद्दा नहीं रहा। इसके समक्ष एक अलग मुद्दा था। किन्तु किसी न किसी प्रकार

उसने इस मामले पर अपनी टिप्पणीयां दीं। यह न्यायालय सर्वोच्च है और हम उसकी ऐसा करने की योग्यता या उसकी शक्ति पर टिप्पणी नहीं कर सकते। वह कुछ भी कह सकता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि हमारे संविधान में शक्तियों के प्रथक्करण की व्यवस्था है और उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि हम किसी न किसी प्रकार से इन सीमाओं का उल्लघंन कर रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है जो चुने हुए प्रतिनिधियों और चुनी हुई सरकारों द्वारा निर्णीत होना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि न्यायपालिका अपना मत दे सकती है। किन्तु मेरा विचार है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता कि अमुक कानून सरकार द्वारा इस अमुक तारीख को पारित किए जाएं। अनुरोध किया जा सकता है और विचार व्यक्त किया जा सकता है कि कुछ विचार किया जाए अथवा यह एक ऐसा विषय है जो अनेक वर्षों से लम्बित पड़ा हुआ है।

1.00 म.प.

श्री लोढ़ा के पास सही निर्णय है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने केवल समाचार पत्र में पढ़ा है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह एक अनुरोध मात्र है।

श्री शरद दिघे : "अनुरोध" शब्द प्रयुक्त किया गया है। निर्देश कहीं भी नहीं है। इसलिए, इसे निदेश के रूप में समझा जाए।

अध्यक्ष महोदय : दिघे जी, मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने यह बहुत सही और सावधानी के साथ कहा है। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री शरद दिघे : जी, हां। इसीलिए हमारा ध्यान केवल इस ओर दिलाया गया कि इन सभी वर्षों में अनुच्छेद 44 ऐसे ही पड़ा हुआ है। कृपया इसे उठाया जाए। किन्तु यह हमारा काम है, कार्यपालिका को निर्णय लेना होगा क्योंकि यह राजनीतिक विषय है। क्या इस समय मामले पर आगे कार्यवाही करना या न करना उचित होगा कि नहीं।

ये मेरे विनम्र निवेदन हैं।

श्री उमराव सिंह : मैं श्री दिघे से सहमत हूं। यह बहुत पेचीदा मामला है। इसके दो पहलू हैं। एक है पुनर्विवाह और दूसरा है सिविल संहिता का संहिताकरण।

जहां तक इस्लाम में धर्मान्तरण करके पुनर्विवाह का सवाल है, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है और ऐसे विवाह को अमान्य माना है। इसलिए किसी कानून की जरूरत नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय अपने आप में एक कानून है।

हमारे यहां तीन प्रकार की सिविल संहिताएं हैं। पहली है हिन्दू विधि, दूसरी है मुस्लिम विधि और तीसरी है प्रथा संबंधी विधि जोकि पंजाब में प्राचीन काल से चली आ रही है।

मैं समझता हूं कि मेरे भा.ज.पा. के मित्र नहीं समझ पा रहे हैं कि जो सुझाव वे दे रहे हैं उसका आशय क्या है। जहां तक अनुसूचित जातियों में अस्पृश्यता का संबंध है, यह केवल हिन्दू विधि के तहत अनुमेय है और उन्हें संविधान के तहत सभी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। इसलिए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार वही अधिकार ईसाई और इस्लाम में धर्मान्तरित हुए अनुसूचित जातियों के लोगों को भी देने को तैयार हैं क्योंकि समान सिविल संहिता के तहत एक ही वर्ग के लोगों के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।

उच्चतम न्यायालय ने काफी शक्ति प्रदान की हुई है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इसकी तह में जाएगी और राष्ट्रीय स्तर पर सही समय पर सर्वसम्मति से निर्णय लेगी।

इस समय, विभिन्न समुदायों से संबंधित बहुत से ज्वलन्त मुद्दे हैं और हम भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं बना पाए हैं। पहले तो हमें सभी समुदायों को एक समुदाय और एक राष्ट्र, एक देश के रूप में बांधना होगा, और केवल तभी हम इस संहिता के बारे में सोच सकते हैं।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह एक अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा है और मैं महसूस करता हूं कि जब मैं इस विषय पर बोलूंगा तो मुझे अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि मेरी चिन्ता का, सदन की चिन्ता का और पूरे राष्ट्र की चिन्ता का विषय देश का व्यापक हित होना चाहिए। यहां तक की संविधान के निर्माता भी संविधान के अनुच्छेद 44 के प्रति अति सतर्क रहे हैं। जिसमें केवल यह कहा गया है : "राज्य एक राष्ट्रीय सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।"

अध्यक्ष महोदय : महत्वपूर्ण शब्द "प्रयास" है।

श्री ए. चार्ल्स : जी, हां। संविधान के निर्माता कोई मामूली व्यक्ति नहीं थें फिर भी वे यह कहने में हिचकिचाते थे कि राज्य में एक समान सिविल संहिता होगी। मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण मुद्दा है।

[अनुवाद]

किसी राष्ट्र के लिए 50 वर्ष बहुत अधिक नहीं होते हैं। कुछ चिन्ता के साथ मैं यह कहता हूं, एक दिन जब कश्मीर के संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा चल रही थी मैं भाजपा में अपने मित्रों से यह जानना चाहता था कि संविधान के अनुच्छेद 370 के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है, अब जब राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में एक विशेष अनुच्छेद 44 के संबंध में वे अत्युत्सुक हैं कि राज्य इसे अवश्य लागू करेगा। उनकी क्या प्रतिक्रिया है ? संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में उनकी प्रतिबद्धता क्या है ? कश्मीर जल रहा है और यहां से क्या संकेत जाने चाहिए ? क्या मैं भाजपा के माननीय सदस्यों, विशेषकर भूतपूर्व न्यायमूर्ति लोढ़ा से यह जान सकता हूं कि अनुच्छेद 370 के बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ? क्या आप इसे रद्द करने के पक्ष में हैं या आप इसे रखना चाहते हैं जबकि देश जल रहा है और जब राज्य संविधान से अलग हट रहा है ?

संविधान का एक अन्य अनुच्छेद यह कहता है कि यह देखना सरकार का कर्त्तव्य होगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जोखिम वाले व्यवसायों में न लगाए जाएं। ग्यारह मिलियन बच्चे बेसहारा हैं। वे फुटपाथ पर रहते हैं। इनमें से 20 लाख बच्चे अभी भी जोखिम वाले व्यवसायों—दरी उद्योग, कोयला खानों, माचिस उद्योग और अन्य अनेक उद्योगों में लगे हुए हैं। क्या इस सभा में इस देश के इन ग्यारह मिलियन अभागे बच्चों के भाग्य के बारे में कोई सार्थक चर्चा हुई है ? मेरी चिन्ता उन बच्चों के बारे में है। इसलिए समान सिविल संहिता लाने का प्रयास करने से पूर्व हमें समुदाय के कुछ हिस्सों—बच्चों, विकलांगों, निरक्षरों आदि की वास्तविक पीड़ा को देखना चाहिए। पहले हम उनके प्रति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करें। मैं यह कहता

हूं कि मैं समान सिविल संहिता का समर्थक हूं परन्तु जब यह स्वैच्छिक हो तथा जब सभी समुदाय इसमें एक साथ शामिल हों। इसलिए, मैं समझता हूं वर्तमान स्थिति में जब देश के सामने अनेक समस्याएं हैं इस माननीय सभा को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे देश के लिए दूसरी समस्या उत्पन्न हो। मैं उस पक्ष के सदस्यों से यह प्रार्थना भी करता हूं कि वे देश के भविष्य तथा देश की एकता और अखण्डता के प्रति बहुत सतर्क रहें।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : महोदय, मैं एक अपेक्षाकृत छोटा मुद्दा उठाना चाहता हूं कि विवाह तथा उससे सम्बन्धित मामलों के संबंध में हमारे पास पहले से ही विशेष विवाह अधिनियम है जिसका कोई भी भारतीय नागरिक चाहे वह किसी समुदाय का हो यदि वह अपने पर्सनल लॉ को न अपनाना चाहे अनुसरण कर सकता है। उदाहरणार्थ, मेरे अपने बारे में यह सत्य है कि मैंने स्वैच्छापूर्वक हिन्दू कानून को स्वीकार नहीं किया और हिन्दू परिवार में जन्म लेने के बावजूद विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह किया और इसलिए मेरे व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास चाहे जो हों, मेरा विवाह तथा उससे सम्बन्धित अन्य सभी मामले एक सिविल संहिता द्वारा शासित होते हैं जो कि विशेष विवाह अधिनियम है। चूंकि समान सिविल संहिता के बारे में अधिकांश आन्दोलन विवाह, तालाक तथा उत्तराधिकार के संबंध में है। मैं सभा के विचारार्थ यह कहना चाहता हूं कि विवाह तथा विवाह से सम्बन्धित मामलों के इस सीमित क्षेत्र में हमारे पास पहले से ही एक सिविल संहिता है जिसका कोई भी भारतीय नागरिक, यदि चाहे तो स्वेच्छा से अनुसरण कर सकता है।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, एक समान सिविल संहिता बनाए जाने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भारत सरकार द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए बशर्ते कि यह समाज के सभी वर्गों को स्वीकार्य हो। इसका स्त्रियों पर अत्याचार तथा उनके साथ धोखाधड़ी रोकने में उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। इसका मनमाने ढंग से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। आपने बहुत सावधानीपूर्वक अपनी बात कही है।

वह सही हैं क्योंकि हिन्दू कानून 5000 वर्षों से भी अधिक पुराना है, ईसाई कानून 2 हजार वर्ष पुराना है तथा मुस्लिम कानून लगभग 1400 वर्ष पुराना है। हम उन्हें एक में मिलाकर एक समान सिविल संहिता बनाना चाहते हैं। यह कितना कठिन होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मेरे साथी सैफुद्दीन चौधरी इस विषय पर हमारे विचारों के बारे में पहले ही बोल चुके हैं। मैं एक महिला की हैसियत से एक या दो बातें उसमें जोड़ना चाहती हूं क्योंकि हमारे देश में स्वतंत्रता पूर्व के महिला आन्दोलनों में भी समान सिविल संहिता की मांग की गई थी। तथापि, यह इसलिए था क्योंकि प्रत्येक कानून में चाहे हिन्दूओं का अपना कानून हो या मुसलमानों का अपना कानून हो या ईसाइयों का अपना कानून हो, हम एक हद तक पाते हैं कि विवाह, उत्तराधिकार आदि कतिपय ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। और यही कारण है कि स्त्रियां समान सिविल संहिता के पक्ष में रही हैं। विशेषकर वामपंथी महिला आन्दोलन से राष्ट्रवादी महिला आन्दोलन में इसका समर्थन किया गया है।

महोदय, तथापि, मैं यह कहना चाहूंगी कि समान सिविल संहिता को केवल संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है बल्कि इसे नीचे से, इससे प्रभावित व्यक्तियों के स्तर से, समुदाय के भीतर से लागू करना होगा। उनकी सहमति को ध्यान में रखना होगा। एक विशेष मुद्दा जो हम उठाते रहे हैं वह यह है कि हम बहुत छोटी चीज से जैसे विवाह के पंजीकरण से इसे शुरू कर सकते हैं। यह ऐसी चीज है जिससे कुछ हद तक महिला अधिकारों की रक्षा, उनकी गारण्टी होगी। परन्तु यह समान सिविल संहिता की दिशा में एक कदम होगा। अतः मेरा विचार है कि यद्यपि हम इससे सहमत हैं कि एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। जिसका सहारा व्यक्ति उस स्थिति में ले सकें जब उन्हें उनके अपने कानून में न्याय न मिले, ...

श्री सैफुद्दीन चौधरी : और तालाक कानूनी प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : हां, यह ठीक है। जब तक ऐसा है, हमारे विचार में समुदायों मे मतैक्य उत्पन्न करके कदम-दर-कदम ढंग से इसे तैयार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, आमतौर से अपनी राय किसी ऐसे विषय पर सदन में नहीं देते, मगर आज आपने इस विषय के महत्व और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए सलाह दी है और मैं आपकी सलाह की कद्र करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसी कोई सलाह नहीं दी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं समझता हूं कि आपने संकेत भी बहुत अच्छे ढंग से किया है कि एक कानून 5000 साल से चला आ रहा है, एक 2000 साल से चला आ रहा है और एक 1400 साल पुराना है। इतने समय से लोग जिस बात को मानते रहे हैं, उसमें परिवर्तन करना है, तो लोगों को विश्वास में लेकर, एक वातावरण बनाकर, इस तरह से करना चाहिए कि उससे समस्या सुलझने के बजाए कहीं उलझ न जाए। अगर हम किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो उसको हासिल करने के लिए हमारे काम का तरीका, हमारी रणनीति और हमारा व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि उसकी पेचीदगी बढ़नी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा देश और हमारा समाज बड़ा पेचीदा समाज है और यह बात आज से नहीं है, संविधान बनाते हुए इस पर विस्तृत चर्चा भी हुई और उस वक्त चर्चा करने के बाद एक व्यवस्था की गई और जब से न्यायालयों ने अपना मत दिया है, तब से यह सार्वजनिक बहस का मुद्दा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इस्लाम धर्म में जो पर्सनल लॉ का कानून है, वाजपेयी जी जानते हैं, लखनऊ से इनका वैसे भी गहरा रिश्ता है और वहां के ये प्रतिनिधि भी हैं, अली मियां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं और वह हमारे देश में नहीं, पूरी इस्लामी दुनिया में जाने माने उलेमा हैं और बड़े भारी विद्वान हैं। शरीयत और हदीस पर उनके विचार की कद्र सारी दुनिया में होती है। स्वयं मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड में इस बात की चर्चा हो रही है। इस पर कई बैठकें हो चुकी हैं कि क्या आज के जमाने को देखते हुए, आज की जरूरतों को देखते हुए, हमारे समाज की स्थिति को देखते हुए, महिलाओं की स्थिति को देखते हुए क्या इसमें कोई तरमीम की आवश्यकता है। अगर है तो किस तरह से की जा सकती है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है। अच्छा होगा कि लोग इस पर विचार करें और जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं ...।

अध्यक्ष महोदय : शायद सुप्रीम कोर्ट में जो एक प्रश्न उठा था, उसको

दुरूस्त करने के संबंध में ज्यादा लिखा होगा। मैंने ज्यादा देखा नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : ठीक कहा आपने। उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि आपकी सलाह बेहतर है कि इसके ऊपर लोगों को और चर्चा करने दी जाए और सरकार को इस पर हम मजबूर नहीं कर सकते कि जल्दी में कोई कदम उठाए। ठीक है, कदम उठाया जाना चाहिए कि समाज को प्रगति की तरफ ले जाएं, जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा हो। तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि हमारे देश में न्यायसंगत और मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित समाज बने। तो सामाजिक न्याय वही है। इसलिए समता, सम्मान और न्याय के आधार पर इसे बनना चाहिए। इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा हुई यह अच्छा ही हुआ। इस चर्चा के बाद अगर सर्वसम्मति से या सहमति के आधार पर कोई चीज निकलती है तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र जीत : अध्यक्ष महोदय, गोवा में समान सिविल संहिता है। यह सभी पर लागू होती है। हम उसे देख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जब यह चर्चा आरम्भ की गयी तो शायद आपके मन में कुछ आशंकाएं थीं, जिस तरह से चर्चा चली आ रही है वह ठीक है और एक विचार करने के ढंग के रूप में सारा प्रश्न उपस्थित करने की कोशिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जैसा कहा गया है कि मुख्य रूप से फैसला इस बात को लेकर है कि जो दो शादियां करना चाहते हैं वे धर्म परिवर्तन को औजार बनाते हैं और पहली पत्नी को छोड़ देते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। यह अपने में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके कारण भी तनाव पैदा हुआ करते हैं।

मुझे दिल्ली का एक मामला मालूम है, विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और छोड़ने के लिए उन्हें कोई कानूनी आड़ लेने की जरूरत थी और उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तथा शादी कर ली। अब इसमें इस्लाम का दोष नहीं है, हमारे मुस्लिम भाई इस सवाल से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था थी जिसके कारण मन में यह भाव पैदा होता था कि व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है। इसलिए फैसला अच्छा हुआ है।

जहां तक कोमन सिविल कोड का सवाल है, संविधान परिषद् में इस सवाल पर बहुत बहस हुई थी। डॉ. अम्बेडकर को अभी श्री इंद्रजीत ने उद्धृत किया और हमारे यहां भी यह मामला बहुत वर्षों से उठाया जा रहा है। श्री मणिशंकर अय्यर ने ठीक कहा कि एक स्पेशल मैरिज लॉ बना हुआ है और जो चाहे उसके अंतर्गत शादी कर सकता है। मुस्लिम देशों में भी पर्सनल लॉ में संशोधन किया जा रहा है। वक्त के तकाजे को सुना जा रहा है, महिलाओं की आवाज पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे यहां यह मामला थोड़ा सा कॉम्प्लैक्स इसलिए है कि हर सवाल यहां एक तो वोट की राजनीति से जुड़ जाता है और दूसरे माइनोरिटी-मैजोरिटी के चक्कर में फंस जाता है। अब महिलाएं 50 फीसदी हैं। उनके साथ न्याय होना चाहिए। मुस्लिम देश भी इस तरफ जा रहे हैं, हम अगर जाना चाहें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए लेकिन मैं उस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि सऊदी अरबिया का ··(व्यवधान)··

श्री अब्दुल गफूर (गोपालगंज) : हम आपकी ही बात कह रहे थे। वाजपेयी जी, हिन्दू-मुस्लिम, यह आपकी तरफ से निकला है। इसलिए मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, मैं तो आपसे ज्यादा पसंद करता हूं लेकिन कंपीटिशन क्यों नही होता है। अगर आप सऊदी अरबिया में जाएं और किसी लड़की को ऐसे कर दीजिए तो आपकी गर्दन दबा देंगे, यह समझ लीजिए और यदि रैप वगैरह में पकड़े गए तो ले जाकर स्टोनिंग करेंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि इस किस्म का सवाल आए।

जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो एक हिन्दू डॉक्टर थे। बदकिस्मती से यह रेकॉर्ड में है। वे अपनी हिन्दू वाइफ को छोड़ना चाहते थे और उसकी दूसरी बहन से शादी करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि वे फुलवारी शरीफ गए और उन्होंने अपना नाम अब्दुल गफूर रख लिया तथा उसकी बहन से शादी कर ली। इस चीज को हमको रोकना चाहिए। आप बोलेंगे तो लोग समझेंगे कि बी.जे.पी. के हैं और हम बोलेंगे तो हमको कोई ऐसा नहीं समझेगा। इसलिए मैं आपसे कहूं कि आप बी.जे.पी के हैं और आपको हमसे डर लगता है, हमको आपसे डर नहीं लगता।

आपको हमसे डर लगता है। लोग कहेंगे कि वाजपेयी जी बी.जे.पी के हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। इस मामले में हम आपसे हन्ड्रेड टाइम आगे बढ़ना चाहते हैं। आप समझ लीजिए कि उसने मेरा नाम रख लिया और जिस बीवी से पहले शादी की थी, उसकी बहन से शादी कर ली। फिर वह मेरे पास आया। हमने देखा कि उसने यह क्या किया है। यदि हिन्दू रहता तो शादी नहीं कर सकता था, आप इसे समझिए। हमने उस रोज अपनी जिन्दगी में जान-बूझ कर नहीं बल्कि यह फैसला किया कि जाने दो, मुसलमान होकर जब शादी कर ली। मेरी तबीयत नहीं मानती थी कि हिन्दू से कन्वर्ट करने के कारण उसे सजा दी जाये। वह हिन्द से कन्वर्ट होने के कारण बच गया। आप ही बताईये, यह कोई मामूली खेल नहीं है। मैं खुद परेशान था कि उस औरत के साथ ज्यादती हुई है।

अभी यहां शाहबानो का जिक्र किया गया, कंट्री में बड़ी चर्चा हुई लेकिन शाहबानो की उम्र शायद 60-70 साल की थी और उसके 4-5 लड़के थे। उस बुड्ढे वकील ने उसे डाईवोर्स कर दिया। उससे कंट्री में कोई बावेला नहीं मचा। लड़के तो उसके थे ही, लेकिन हम समझते हैं कि यह उसकी ज्यादती थी क्योंकि वे दोनों 60 साल तक एक साथ रहे और बुढ़ापे में उसे शौक लगा। ये सब चीजें गलत हैं। हम तो वाजपेयी जी से 10 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं क्या कह रहा था, बिल्कुल भूल ही गया। यहां दो शादियों का क्या सवाल है, मेरी तो एक शादी भी नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी थी, चार्ल्स साहब यहां नहीं हैं, उन्होंने यहां संविधान के आर्टिकल 370 का उल्लेख किया था। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि वे संविधान परिषद की कार्यवाही पढ़ें—

[अनुवाद]

अनुच्छेद 370 को अस्थायी अनुच्छेद के रूप में शामिल किया गया था।

[हिन्दी]

अब उसे परमानेंट बनाने की कोशिश हो रही है इसलिए हमारा विरोध हो रहा है मगर दोनों मामलों में कोई साम्य नहीं है। मैं समझता

हूं कि यूनिफार्म सिविल कोड के मामले पर चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से रिक्वैस्ट की है, डायरेक्टिव नहीं दिया है और जैसा लोढ़ा जी ने बताया, हमने जजमेंट देखा है, सुप्रीम कोर्ट की रिक्वैस्ट के अनुसार, एक सीमा के भीतर, सरकार को अपनी राय, अपना दृष्टिकोण सामने रखना है। वह सबकी सलाह से उस दृष्टिकोण को बनाने की तैयारी करें। उसके बाद जो कुछ सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहेगी, उस पर देश चर्चा करेगा और सुप्रीम कोर्ट भी चर्चा करेगा।

अध्यक्ष महोदय : राइट।

1.22 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अनिवार्य माध्यस्थम् (जेसीएम) पंचाट, 1991 का संदर्भ संख्या 1 के प्रतिक्षेपण के बारे में विवरण

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं अनिवार्य माध्यस्थम् (जेसीएम) पंचाट, 1991 का संदर्भ संख्या 1 के प्रतिक्षेपण के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-7591/95]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1)(एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए, संख्या एल.टी.-7592/95]

[अनुवाद]

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1)(एक) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अंतर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-7593/95]

(3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम 1956 की धारा 18 के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-7594/95]

1.24 म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

इकतालीसवां प्रतिवेदन

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.24½ म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

सोलहवां, सत्रहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री थाइल जॉन अंजलोज़ (अलेप्पी) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे

गए पत्रों संबंधी समिति ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) सभा पटल पर रखे गए पत्रों सबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन; और

(2) सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (दसवीं लोक सभा) के सातवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों का सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सत्रहवां प्रतिवेदन।

1.25 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) प्राकृतिक रबड़ का शुल्क मुक्त आयात रोकने की आवश्यकता

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर) : महोदय, यह बताया गया है कि भारत सरकार 50,000 टन प्राकृतिक रबड़ के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने जा रही है। इससे देश के उन रबड़ उत्पादकों में तहलका मच गया है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से देश की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया है। रबड़ बोर्ड के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1994-95 में 72,000 टन प्राकृतिक रबड़ स्टॉक में था। चालू वर्ष के दौरान 5,11,000 टन प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होने का अनुमान है। 20,000 टन प्राकृतिक रबड़ का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है और इस प्रकार वर्ष 1995-96 के दौरान कुल 6,03,000 टन प्राकृतिक रबड़ उपलब्ध होगी। भारतीय उद्योग की अनुमानित आवश्यकता केवल 5,24,000 टन है। वर्ष 1995-96 के अंत में लगभग 80,000 टन रबड़ का भंडार होगा। इस प्रकार अत्यधिक मात्रा में अतिरिक्त भंडार से प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में गिरावट आयेगी। प्राकृतिक रबड़ के आयात की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और रबड़ के आयात के लिए कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए जिससे रबड़ उत्पादकों को हानि हो। भारत सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वह इस मामले के संबंध में अपना विचार स्पष्ट करे।

(दो) शिमला में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को अधिक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और गर्मी के मौसम में यहां पर अधिक मात्रा में पर्यटक आते हैं। पानी के अभाव के कारण यहां के स्थानीय लोगों, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में भी पीने के पानी की भारी कमी है। इसके साथ नया शिमला, टूटू, जतोग इत्यादि स्थानों पर भी लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है क्योंकि शिमला की आबादी में आजादी के बाद काफी विस्तार हो गया है। राज्य सरकार ने इस पर काफी धन खर्च किया है, परन्तु आबादी बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति इस कार्य को पूरा करने में असमर्थ है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि शिमला को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए तथा सतलुज नदी के पानी को लिफ्ट करके शिमला की यह आवश्यकता पूरी की जाए ताकि यहां के स्थानीय लोगों, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की पीने के पानी की समस्या को हल किया जा सके।

[अनुवाद]

(तीन) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा चंडीगढ़-लेह और चंडीगढ़-दिल्ली उड़ानों को पुनः चालू किये जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, इंडियन एयर लाइन्स ने अपने सर्किट से चंडीगढ़-दिल्ली-चडीगढ़ उड़ानों को रद्द करने के बाद अब चंडीगढ़ और लेह के बीच उड़ान भरने वाली अपनी एकमात्र साप्ताहिक उड़ान को इस तथ्य के बावजूद कि पिछले वर्ष चंडीगढ़ को निर्धारित लक्ष्य से 50 प्रतिशत से अधिक लाभ हुआ था रद्द कर दिया है।

इससे न केवल पंजाब और हरियाणा की राजधानी तथा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यालय इंडियन एयर लाइन्स की उड़ानों से वंचित हो गए हैं अपितु चंडीगढ़ और पंजाब के विभिन्न भागों से औषधियों, सब्जियों और अन्य अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। लेह-चंडीगढ़ उड़ान का लाभ लद्दाखी छात्र, भारत-तिब्बत सीमा पुलिसकर्मी, व्यवसायी और स्नातकोत्तर संस्थान में आपात चिकित्सा उपचार के लिए रोगी उठाते थे।

पं. नेहरू चंडीगढ़ को आदर्श शहर बनाना चाहते थे लेकिन आज यह शिमला के साथ-साथ, जहां इंडियन एयरलाइन्स का संपर्क नहीं है मात्र राजधानी बन कर रह गया है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह चंडीगढ़ और लेह तथा चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच उड़ानों को फिर से चालू करने के लिए तत्काल कदम उठाये।

(चार) चंदन की लकड़ी के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाने की आवश्यकता

श्री सी. पी. मुडलगिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : महोदय, चंदन की लकड़ी के चिप्स, टुकड़ों तथा चूरे के निर्यात पर 1-4-92 से प्रतिबंध लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, इन दिनों इसकी काफी अधिक तस्करी हो रही है।

कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सरकारें मृत वृक्षों की उनकी जड़ों, दरार वाले, खोखले और गांठदार लट्ठों, चिप्स, टुकड़ों और चूरे सहित नीलामी कर रही हैं और कई निर्यातकों ने उसे खरीदा था। हस्तशिल्प की नक्काशी के परिणामस्वरूप चिप्सों का चूरा और टुकड़े बेकार हो जाते हैं। उनका कोई अन्य लाभदायक उपयोग नहीं किया जा सकता। तेल निकालने की लागत की तुलना में तेल भी काफी कम प्राप्त होता है। हस्तशिल्प के उद्देश्य से स्थानीय कारीगरों द्वारा कुल मृत वृक्षों का केवल 5 प्रतिशत अंश का उपयोग किया जाता है, नीलामी में बेची गई लकड़ी का दस प्रतिशत अंश शराब कारखानों द्वारा आसवन हेतु खरीदा जाता है। इस प्रतिबंध के कारण चिप्स, चूरे तथा टुकड़ों की बिक्री के लिए कोई स्थानीय बाजार नहीं है। तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक की सरकारों को इसके अत्यधिक स्टॉक के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वर्तमान गोदाम चंदन की व्यर्थ लकड़ी से भरे पड़े हैं। केंद्र सरकार को भी इससे विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ रही है।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने एम.ई.पी. दरों पर 1500 मि. टन चंदन की लकड़ी के चिप्सों, टुकड़ों, चूरों, 1000 मि. टन 'स्पैट डस्ट फ्लेकों' और 500 मि. टन 'सैपवूड पाउडर' के निर्यात संबंधी प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें से 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को मिलेगी।

अतः मेरा वाणिज्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इसके निर्यात पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करें और खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत चंदन की लकड़ी के चिप्स, चूरे, जड़ों, गांठों और टुकड़ों का निर्यात करने की अनुमति प्रदान करें ताकि हम नया कीर्तिमान स्थापित कर सकें और विदेशी बाजार में चंदन की लकड़ी के निर्यात को प्रोत्साहित कर सकें। इससे न केवल देश की सहायता होगी अपितु कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों के चंदन व्यापारियों को दिवालिया होने से भी बचाया जा सकेगा।

[हिन्दी]

(पांच) राजस्थान के लाडनूं नगर में रसोई गैस की बिक्री का केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कास्वां (चुरु) : मेरे संसदीय क्षेत्र चुरु—राजस्थान के लाडनूं नगर में रसोई गैस की बिक्री केन्द्र खोलने की मांग वहां की जनता काफी समय से करती आ रही है। मैंने भी उक्त स्थिति से मंत्री महोदय को अवगत करवाया है। पचास हजार से भी अधिक आबादी वाला यह नगर रसोई गैस बिक्री केन्द्र खोलने के सभी मापदण्ड पूरा करता है। जैन विश्वभारती जैसी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थायें भी इसी स्थान पर स्थित हैं। कम्पनी द्वारा उक्त क्षेत्र का सर्वे भी करवाया जा चुका है। परन्तु खेद है कि जन-साधारण को यह सुविधा आज तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि लाडनूं नगर को रसोई गैस सुविधा अविलम्ब प्रदान करने की व्यवस्था करें।

(छः) उत्तर प्रदेश के कैराना, मुजफ्फरनगर में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए केन्द्रीय योजनाओं को कार्यान्वित करने की आवश्यकता

श्री नरेश कुमार बालियान (मुजफ्फरनगर) : मेरे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरनगर के कैराना में कृष्णा तथा हिण्डन नदी के मध्य भाग जो बुढ़ाना से प्रारम्भ होता है, में पानी का स्तर बहुत गहरे तक पहुंच गया है। नलकूप मात्र दो तीन घंटे चलते हैं। पीने के पानी का भी अभाव है। अभी गर्मी प्रारम्भ ही हुई है। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, पानी का भी अभाव खतरनाक स्तर पर पहुंचेगा।

केन्द्र सरकार ने कई बार इस क्षेत्र की जलपूर्ति हेतु योजनाएं बनाई, किन्तु कोई भी योजना पूरी नहीं हुई।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त क्षेत्र की गम्भीर जल समस्या के समाधान के लिए नई योजना प्रारम्भ करें जिससे किसानों को खेती के लिए और आम लोगों के लिए पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

(सात) सोन-बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सोन नहर के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति देने और इसको कार्यान्वित करने हेतु समुचित धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : श्रीमन् बिहार राज्य में डिहरी से सटे इन्द्रपुरी में सोन बैराज सिंचाई परियोजना है। यह सिंचाई परियोजना देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना से बिहार राज्य के रोहतास, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, पटना, नवादा जिलों की करीब 24 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। इस योजना का निर्माण 1875 में किया गया था। यह योजना 120 वर्ष पुरानी हो गयी है। इसकी सभी नहरों की बाजुएं कट-छट कर बर्बाद हो गई हैं। फलस्वरूप सिंचाई के लिए पूरे पानी का बहाव इन नहरों में नहीं हो पाता है। सोन के ऊपरी भाग में बाडसागर, मध्यप्रदेश और रिहन्ड बांध उत्तर प्रदेश में बन जाने के कारण बरसात कम होने पर पानी कम मिलता है। अधिक वर्षा होने से इस इलाके के किसानों को बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना करना पड़ता है। किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, किसान तबाह हो जाते हैं। बड़ी भारी राष्ट्रीय क्षति होती है। इस योजना के आधुनिकीकरण के लिए बिहार सरकार ने भारत सरकार को प्रस्ताव तीन-चार वर्ष पहले भेजा था। वह प्रस्ताव अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है। इस योजना को भरपूर पानी देने के लिए कदवन जलाशय योजना की स्वीकृति है, कार्य अधर में लटका है। ऐसा प्रतीत होता है कि सोन नहर आधुनिकीकरण बिना बिहार राज्य के उपरोक्त जिले वीरान हो जायेंगे। किसानों के समक्ष बड़ा भारी संकट आने की सम्भावना है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस योजना के आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त धन देकर यथाशीघ्र पूरा कराया जाये और वर्षों से लम्बित इसके पूरक योजना कदवन जलाशय का भी निर्माण कराने का काम पूरा किया जाए।

(आठ) बिहार के जहानाबाद जिले में बेहतर टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिले में एम.ए.आर.आर., पी.सी.ओ. में कई टेलीफोन उपकरण विनिर्माणी खराबी के कारण शुरू में ही अप्रभावी हो गए हैं जिसके कारण जिले के कई स्थान दूरभाष व्यवस्था से वंचित हो गए।

कुर्था प्रखंड जहानाबाद जिले का महत्वपूर्ण प्रखंड है लेकिन वहां पर एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध नहीं है।

स्व. प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में सभी पंचायतों को दूरभाष से जोड़ने का प्रयत्न किया गया था जिसके तहत जहानाबाद जिले में नया टेलीफोन उपकरण लगाया गया। लेकिन यह सुविधा निर्बल वर्ग के लोगों को उपलब्ध नहीं है।

जहानाबाद जिला उग्रवाद प्रभावित संवेदनशील जिला है जिसके कारण वहां की सभी पंचायतों में एस.टी.डी. सुविधा दूरभाष व्यवस्था होनी चाहिए।

अतः सरकार से आग्रह है कि जहानाबाद एवं पटना जिले के सभी क्षेत्रों में बन्द पड़े टेलीफोन उपकरणों को चालू किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.35 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.35 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.35 म.प. तक स्थगित हुई।

2.40 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.40 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्य महोदय पीठासीन हुए)

सामान्य बजट 1995-96 अनुदानों की मांगें–जारी

(एक) संचार मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : हम संचार मंत्रालय की अनुदानों के मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए कुल 5 घंटे और 30 मिनट का समय आबंटित किया गया है। प्रत्येक राजनैतिक दल के लिए उसकी संख्या के अनुसार निम्नलिखित समय आबंटित किया गया है।

कांग्रेस–2 घंटे 28 मिनट

भा.ज.पा.–26 मिनट

भा.कम्यू.पा.–21 मिनट

जनता दल–13 मिनट इत्यादि।

कुछ राजनैतिक दलों ने दो या तीन नाम दिए हैं और कुछ ने केवल एक नाम दिया है। अतः आबंटित समय उन सदस्यों के बीच बांटना होगा जो बोलने के इच्छुक हैं अथवा वे एक अथवा दो व्यक्तियों के नाम दे दें ताकि वे इसमें भाग ले सकें। इस पर वाद-विवाद 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात् 5 बजे माननीय सदस्य सभा में आएंगे। अतः मुझे इस सभा का सहयोग चाहिए।

श्री प्रेम धूमल आपने 40 मिनट का समय ले लिया है। आपको कितना समय चाहिए ?

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : महोदय, मुझे केवल पांच मिनट चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : हमारी बारी कब आएगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धूमल के बाद, कांग्रेस और केवल तभी उसी उचित क्रम से हम आ सकते हैं।

भा.कम्यु.पा. (मार्क्सवादी) में, हमारे पास श्री रूपचन्द पाल, श्री सत्यगोपाल मिश्र, श्रीमती सुशीला गोपालन, श्री पूर्ण चन्द्र मलिक और श्री हाराधन राय के नाम हैं। अतः आबंटित समय बहुत ही कम है।

एक माननीय सदस्य : भा.ज.पा. ने कितना समय लिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण पांच मिनट के अन्दर समाप्त कर देंगे।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था कि संचार मंत्रालय की एक दुकानदार जैसी स्थिति है। महानगर टेलीफोन निगम पूरी तरह से अपना काम करने में असफल रहा है। कर्मचारी और अधिकारी उपभोक्ता को स्वामी नहीं बल्कि अपना दास मानते हैं। टेलीफोन अगर खराब हो जाये तो ठीक करने में जैसे बहुत बड़ा उपकार कर रहे हों। महीनों तक टेलीफोन ठीक नहीं करते हैं। 5 परसेंट सेवा शुल्क बढ़ा कर उपभोक्ता पर अधिक बोझा डाला गया है। टेलीफोन बिल अगर देर से जमा कराये जायें तो पैनल्टी लगती है। न्यायालय का निर्णय है कि अगर 15 दिन तक किसी का टेलीफोन खराब रहा है तो उपभोक्ता से किराया नहीं लिया जायेगा बल्कि उसे हर्जाना दिया जायेगा, इसके बारे में विभाग बिल्कुल चुप है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, विभाग टेलीफोन बिल कलैक्ट करने में भी असफल रहा है। आउट स्टैंडिंग बिल्स के एमाउन्ट को आप सुनकर हैरान होंगे, 12 करोड़, 83 लाख, 87 हजार रुपये बकाया है। विभाग का जोर इस राशि को कलैक्ट करने में नहीं है, लेकिन साधारण उपभोक्ता को तंग किया जा रहा है। ओवर-बिलिंग की शिकायत संसद सदस्यों से लेकर साधारण उपभोक्ता लगातार कर रहे हैं। फोन कोई और करता है और बिल किसी और को आ जाता है। ऐसे कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? कैसे हो रही है, कुछ भी नहीं बताया जाता है। कहा जाता है कि कम्प्युट्राइजेशन कर दिया गया है, इसलिए बिल में गड़बड़ी नहीं होगी। महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली का ही एक टेलीफोन नम्बर 647-0386 है। इस उपभोक्ता की शिकायत विभाग के पास है। इनका एक बिल 13 जनवरी, 1995 का है। इस कम्प्युट्रीकृत बिल में दिखाया गया है कि 9 बजकर 59 मिनट पर लगभग 11.37 मिनट की एक काल विदेश में की गई। इसका मतलब यह कि यह काल कम से कम 10 बजकर 10 मिनट तक चली होगी। लेकिन इसी बिल में दस बजे ही एक और काल तीन मिनट की दिखाई गई है। मंत्री महोदय क्या इसको स्पष्ट करेंगे कि एक ही बिल में एक ही समय पर दो विदेशी काल कैसे हो सकती है। यह मेरे पास स्पष्ट प्रमाण है कि इनका विभाग किस तरह के काम कर रहा है और कम्प्युट्राइजेशन असफल हो गया है।

केवल मात्र संचार विभाग से ही लोग परेशान नहीं हैं, डाक विभाग में भी पत्र देर से मिलते हैं। तार भी कार्यक्रमों की सूचना के बाद मिलते हैं। इसके अलावा मनीऑर्डर में कमीशन भी अधिक लिया जा रहा है और वे भी समय पर नहीं मिलते हैं। गरीब आदमी गांव मनीऑर्डर भेजता है, लेकिन गांव में समय पर मनीऑर्डर नहीं मिलते हैं। इसकी शिकायत भी विभाग के पास हैं। इस संदर्भ में मैं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को कोट नहीं कर रहा हूं। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि मनीऑर्डर्स की शिकायतें बहुत ज्यादा हैं और समिति ने यह भी रिकमैंड किया है कि मनीऑर्डर पर चार्ज कम किया जाए। जब कभी विभाग में डाक की देरी की शिकायत ध्यान में लाई जाती है, तो कहा जाता है कि नववर्ष और दीवाली के कारण काम बढ़ गया है, इसलिए देरी हो गई है। मैं पूछता हूं, क्या विभाग को पहले पूर्वानुमान नहीं था कि नववर्ष और दीवाली का मौसम आने वाला है और उसमें काम बढ़ेगा, तो किस तरह से आदमियों को लगाकर या ओवर-टाइम देकर डाक को सुव्यवस्थित करके लोगों तक पहुंचाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात है, जो आपके विभाग में देखी गई है और वह चिन्ताजनक भी है। विभाग में गैर योजना व्यय में वृद्धि होती जा रही है और विभाग के विकास का काम रुक गया है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सं. 15, पृ. 4 और पैरा 13 में स्पष्ट लिखा गया है कि 1992-93, 1993-94, 1994-95 पोस्टल नेटवर्क के विस्तार के लिए बजट में जो दिया गया है, उसको खर्च नहीं कर सके हैं। 1993-94 में 80 विभागीय डाकघर खोलने का उद्देश्य रखा गया था, लेकिन मात्र 48 खुले हैं। 1994-95 में डिपार्टमेंटल पोस्ट आफिस मात्र 11 परसेंट खुले हैं। इसी प्रकार एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्टल आफिस 80 परसेंट खोलने की बात रखी गई थी, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय आप सुनकर हैरान होंगे कि जो टारगेट 100 या 150

खोलने का रखा था, इसमें उपलब्धि मात्र 17 है।

[अनुवाद]

और स्थायी समिति ने टिप्पणी की, 'यह काफी कम है'।

[हिन्दी]

किसी विभाग के बारे में यह टिप्पणी काफी गंभीर है। डाकिया एक-मात्र ऐसा कर्मचारी है जो सरकार को रिप्रेजंट करता है, जिसका गांव में रोज लोगों के साथ सीधा संपर्क होता है। यह दुख की बात है कि आज भी 52 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में यह बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त विभागीय पोस्ट ऑफिस खोलने का जो टारगेट था वह 3600 का था। इसको भी कम कर दिया गया है, और डाक घर खोले नहीं जा रहे हैं। जो पैसा मिलता है उसका भी उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। 300 करोड़ के करीब इनका घाटा हर वर्ष पोस्ट कार्ड, इनलैंड और दूसरे कारणों से होता है। पोस्ट कार्ड की कास्ट 1 रुपया 57 पैसे बताई गई है और वह 15 पैसे में बिकता है। ठीक है, आप गरीब आदमी के लिए यह सहुलियत दे रहे हैं लेकिन एक मांग लगातार हर तरफ से आ रही है जैसे टेलीविजन पर जो क्विज होते हैं वहां जो पोस्ट कोर्ड जाते हैं वे भी 15 पैसे वाले ही होते हैं। क्या उसके लिए आप इसका मूल्य नहीं बढ़ा सकते हैं ? क्या उसके लिए एक नये किस्म का कार्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता ?

महोदय, मैं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 15 में पेज नं. 6 पर पैराग्राफ 22 की आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं,

[अनुवाद]

इस समिति के बहुमूल्य सुझावों पर तत्काल कार्यवाही न करने के कारण राजकोष में भारी हानि हुई है। समिति डाक विभाग की इस भारी चूक को गम्भीरता से लेती है।

[हिन्दी]

ऐसी जितनी रिपोर्टें और टिप्पणियां हैं, पता नहीं लगता है स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी विभाग चुस्त क्यों नहीं हो पा रहा है। इन्होंने स्पीड पोस्ट सर्विस प्रारम्भ की, उसका मुकाबला कुरियर से हो रहा है। इससे प्राइवेट कुरियर को बिजनेस मिलता है। इनका काम दिन-प्रति-दिन बढ़ रहा है और स्पीड पोस्ट का काम घट रहा है।

महोदय, एक समस्या अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की है जिसके साथ सारा सदन सहमत होगा। पोस्टल विभाग एकमात्र ऐसा विभाग है जिसमें अंग्रेजों के टाइम में एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स थे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी, इनके कारण यह विभाग चलता है। सुन कर हैरान होंगे कि जितने कर्मचारी पोस्टल डिपार्टमेंट में हैं उससे ज्यादा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं जो डाक पहुंचाते हैं। अपने घर का कमरा डाकखाने के दफ्तर के लिए फ्री देते हैं, लेकिन उनको बहुत कम पैसा दिया जाता है। सेवा शर्तों में सुधार नहीं हो रहा है। ग्रेचुअटी का अमाउंट भी सीमित कर दिया है उससे अधिक नहीं दे रहे हैं। महोदय, सबसे विचित्र बात यह है कि दिसम्बर, 93 में इनकी देशव्यापी हड़ताल हुई, तब मंत्री महोदय ने इनको बात करने के लिए बुलाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके पैसे नहीं काटे जाएंगे, लेकिन एक गरीब कर्मचारी, जो 300 से 600 रुपये तक तनख्वाह पाता है उनको आश्वासन के बावजूद भी पैसे नहीं दिए गए। मंत्री जी के आश्वासनों के पूरा न होने के कारण वे दुखी हैं।

महोदय, इस विभाग में एक विचित्र बात है, वह यह है कि कर्मचारियों की संख्या घट रही है और अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है। वह इस कारण से है कि टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन होता जा रहा है। मेरे और भी मित्रों ने बोलना है इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यहां नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। हमें कहा गया कि टेलीफोन एडवायजरी कमेटी, पोस्टल एडवायजरी कमेटी बनेगी उसमें सांसद होंगे। बहुत सारे सांसदों की लगातार शिकायतें हैं कि उनके क्षेत्र में या तो कमेटियां बनी नहीं और अगर बनी तो सांसदो को पूछा नहीं गया। पीसीओ का भी यही कहा गया कि कमेटियां बनेंगी और उसमें सांसदों की राय ली जाएगी। पीसीओ जितने दिए जा रहे हैं उनके बारे में किसी सांसद से पूछा नहीं गया। हमने जब कभी सिफारिश की तो उसमें से आज तक एक भी पीसीओ सैंक्शन नहीं हुआ। लेकिन कुछ नॉन-एग्जिसटेंस टाइप के नेता हैं उनके पता नहीं कहां-कहां से पत्र आते हैं, उनके कहने से 15-15 पीसीओ एकदम इकट्ठे सैंक्शन हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस सांसद के क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज का उद्घाटन होता है, उस सांसद को सूचना ही नहीं दी जाती। यह सब क्या हो रहा है, किस तरह से यह विभाग काम कर रहा है। आलोचना को केवल मात्र कड़वा मान लिया जाए और यह सोच लिया जाए कि आगे से इनको बुलाना ही नहीं चाहिए, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश में पैदा हो रही है। सांसद द्वारा जो नीतियां पास की जाती हैं, उनको लागू नहीं किया जाता। मंत्री पूरे देश का होता है, लेकिन आज यह परंपरा हो रही है कि जो मंत्री बनता है वह देश का या प्रदेश का नहीं, बल्कि अपने चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह जाता है। यदि कोई रेल मंत्री बनता है। तो वह यह सोचता है कि किस तरह से अपने चुनाव क्षेत्र में अधिक रेल सुविधा पहुंचाई जाए। यदि कोई संचार मंत्री बनता है तो वह भी अपने क्षेत्र को ही देखता है। इस संबंध में मैं बाईबल की एक बात याद दिलाना चाहता हूं, बाईबल में लिखा हुआ है कि यदि आपका पड़ौसी खुश होगा तो ठीक रहेगा, तो कम से कम अपने पड़ौसी की कांस्टीट्वेंसी का तो ध्यान रखिए, वहां पर तो ठीक काम करिए। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की तो बात छोड़िए, यदि आप अपने पड़ौसी को ही खुश नहीं रख सकेंगे तो विभाग का काम कैसे चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो भी मंत्री बने, वह पूरे देश की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर नीति निर्धारण करे और उसी प्रकार से सारे काम हों। आज जो स्थिति दूरसंचार विभाग की है, बहुत से कार्य विदेशी हाथों में देने के कारण देश की सुविधा को खतरा पैदा हो गया है, सेवाओं की स्थिति दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है। नए डाकघर खोलने की मांग आने पर संसाधनों की कमी बता कर मना कर दिया जाता है और दूसरी तरफ इसी कार्य के लिए दिए गए धन का पूरा उपयोग नहीं किया जाता। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं किस प्रकार से संचार मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन कर सकता हूं ? इसलिए संचार मंत्रालय की मांगों के जो प्रस्ताव आए हैं, उनका मैं अपनी पार्टी की तरफ से विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि विभाग की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संचार मंत्रालय के संबंध में वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। **(व्यवधान)**

महोदय, इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहुत समय के बाद इस सभा में चर्चा की जा रही है और मुझे न केवल पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार की बल्कि इस सरकार के 1991 में कार्यभार संभालने के बाद उसकी उपलब्धियों की पुनरीक्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह समस्याओं को समझने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के इस महत्वपूर्ण साधन के अधिकतम उपभोग करने के हमारे प्रयास में जिस प्रकार हमने चुनौतियों का सामना किया उसकी प्रशंसा करने का भी अवसर है।

जैसाकि आप सभी जानते हैं कि मंत्रालय में दो मुख्य विभाग हैं। एक अधिक आकर्षक, अधिक पारदर्शी, बहुत बड़ा और लाभप्रद दूरसंचार विभाग है और दूसरा काफी पुराना डाक विभाग है जोकि न तो अधिक आकर्षक है, कम पारदर्शी और दुर्भाग्यवश हानिकर विभाग है। यह विभाग प्रशासनिक रूप से सरकारी क्षेत्र के छः उपक्रमों और दूरसंचार की छः कम्पनियों, जोकि विभागीय तौर पर चलाई जाए, पर नियंत्रण भी रखता है। यह विभाग देश में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की योजना के लिए भी जिम्मेदार है। यह विभाग योजना, समन्वय और निगरानी की देखरेख भी करता है।

लेकिन आज जब हम संचार मंत्रालय की बात करते हैं, हम सामान्यतः केवल दूरसंचार विभाग की बात करते हैं और हमारा आशय अब विभाग से इतना नहीं होता है। यदि आप देश में दूरसंचार के विकास को देखें तो इसे मुख्यतः तीन चरणों में बांटा जा सकता है। जबसे इस देश में दूरसंचार का प्रारम्भ हुआ है स्वतंत्रता से लेकर 1980 तक प्रथम चरण था। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, देश में केवल 86,000 टेलीफोन थे।

2.59 म.प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

हमने युवा, गतिशील, दूरदर्शी नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में इन महत्वपूर्ण आधारभूत संसाधनों के महत्व को समझा।

स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में दूरसंचार विभाग ने दूसरे चरण में प्रवेश किया। उन्हें इसके लिए अत्यधिक धनराशि प्राप्त हुई; नीति संबंधी परिवर्तन किए गए; उदारीकरण शुरू किया गया। नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए टेलीकॉम उपकरण, ई. पी. बी. एक्स प्रणाली और छोटे एक्सचेंजों को बनाने के लिए पहली बार गैर-सरकारी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया। इसमें पहुंच को विश्वव्यापी बनाने पर बल दिया गया था और हम इस नीति के परिणाम देश में फैले सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या से देख सकते हैं। श्री राजीव गांधी ने स्वदेशी अनुसंधान और विकास उद्योग को भी बढ़ावा दिया था। जब उन्होंने टेलीमेटिक्स विभाग के लिए केन्द्र, 'सी-डाट' को शुरू करके उसके लिए उदारता से धनराशि दी थी। और उसी के परिणामस्वरूप जब कभी ग्रामीण दूरभाष केंन्द्र का उद्घाटन किया जाता है यह सी-डाट केन्द्र होता है जिसका डिजाइन और विकास पूरी तरह भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया गया और जिनका निर्माण भारतीय कम्पनियों द्वारा किया गया। इस नीति के परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि टेलीकॉम सेवा में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है। इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की स्थापना से नेटवर्क काफी हद तक स्वचालित हो गया है। हमारे पास बटन दबाने वाले दूरभाष सैट और ई.पी.बी. एक्स उपकरणों जैसे विकल्प हैं जोकि अनेक स्वदेशी निर्माताओं के पास उपलब्ध हैं। अनेक केन्द्रों पर एस.टी.डी. सुविधा का विस्तार किया गया है और सम्पूर्ण देश में केन्द्रों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। प्रतीक्षा सूची में धीरे-धीरे कमी आई है और त्रुटि प्रभारों को कम करने के नये 3 टियर ढ़ाचे से टेलिकॉम नेटवर्क के उपयोग को बेहतर बना दिया है। जब इतना सब प्राप्त कर लिया गया है, तो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बल अवश्य दिया जाना चाहिए कि यह सब बिना बजटीय समर्थन के हुआ है; यह पूर्वतः स्व-वित्त-पोषित है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि विश्व में टेलीकॉम सेवाओं की लागत सम्भवतः सभी जगह से सब से कम है। महोदय, जब सरकार ने सदन में सत्ता संभाली, तब व्याप्त आर्थिक परिस्थिति के कारण सरकार को नई आर्थिक नीति लाने की आवश्यकता हुई जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी बनाने और सीधे विदेशी निवेश को व्यापक रूप से आमंत्रित करने की व्यवस्था थी। महोदय, इस नीति के अनुसार अत्यधिक आधुनिक टेलीकॉम नेटवर्क की आवश्यकता है। अब, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने मई, 1994 में नई टेलीकॉम नीति की घोषणा की और चार महीने के बाद, इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए मार्गनिर्देश जारी किये गए। टेलीकॉम नीति की बात जिसे मैं भारतीय टेलीकॉम उद्योग का चरण-तीन मानता हूं, की महत्वपूर्ण बात मूल सेवाओं तथा मूल्य वर्धित उपक्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्रों को लाने का निर्णय के बारे में है। भारत में टेलीकॉम व्यवस्था जनसंख्या के अनुसार बहुत ही कम है। हाल ही में, 1995 में यह व्यवस्था सौ व्यक्तियों के लिए एक दूरभाष अथवा एक प्रतिशत के शानदार आंकड़े तक पहुंच गई है। लेकिन यदि आप विश्व औसत के दस प्रतिशत से इसकी तुलना करते हैं तो यह बहुत ही कम है। यह पाकिस्तान की तुलना में भी कम है जहां प्रति सौ व्यक्तियों के लिए दो दूरभाष हैं अथवा मलेशिया में प्रति सौ व्यक्तियों के लिए 13 दूरभाष हैं। अतः सरकार ने विश्वव्यापी सेवा की बजाय विश्व तक पहुंचने पर बल देने का निर्णय लिया है क्योंकि निकट भविष्य में हम प्रति सौ व्यक्तियों के लिए 70 से 80 दूरभाष के स्तर पर नहीं पहुंच सकते।

महोदय, अतः 1997 तक मांग के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन देने के लक्ष्य को प्राप्त करने की मांग करते समय नई टेलीकॉम नीति में भारत में विश्व स्तर की टेलीकॉम नेटवर्क और टेलीकॉम सेवा व्यवस्था स्थापित करने की मांग की गई है। इसमें शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उचित लागत पर मूल टेलीकॉम सुविधा दिये जाने की मांग की गई है। इसमें भारत को राष्ट्र की सुरक्षा को संकट में डाले बिना टेलीकॉम उपकरणों के बड़ी संख्या में निर्माण के लिए आधार तैयार करने की भी मांग की गई है। लेकिन यह सब दो वर्ष की अल्प अवधि में प्राप्त कर पाने के लिए संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि संसाधनों की कमी के कारण आठवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को भी कम किया जा रहा है। इसीलिए टेलीकॉम क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निजी पूंजी को आमंत्रित करने के मुख्य निर्णय से हमारे टेलीकॉम इतिहास का तीसरा घटक प्रारंभ हुआ। लेकिन सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्रों का प्रवेश करने को तो आसान है लेकिन होता नहीं। निर्माण एकक में विदेशी भागीदारी लाना काफी आसान है लेकिन सर्विस क्षेत्र के लिए इतना आसान नहीं है। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसे सूचना युग ठीक ही कहा गया है, कम्प्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है।

[अनुवाद]

यह आवश्यक नहीं है कि उद्योगों और औद्योगिक युग के लिए लागू

प्रतिमान सूचना युग की सेवाओं के लिए अच्छे हों। परम्परागत रूप से दूरसंचार का पूरे विश्व में एकाधिकार है, अधिकांशतः या तो राज्य का एकाधिकार है या कुछ अपवादिक मामलों में जैसा कि संयुक्त राज्य में है, निजी एकाधिकार है। किन्तु पिछले 25 वर्षों से प्रौद्योगिकी में हो रहे तेजी से परिवर्तन में एकाधिकार असम्भव हो गया है चाहे यह राज्य हो या निजी एकाधिकार हो ताकि परिवर्तनों के साथ-साथ चला जा सके। दूरसंचार सेवाओं की मूल प्रकृति भी आवश्यक रूप से विश्वव्यापी बन गयी है। जब राष्ट्रीय दूरसंचार कम्पनी देश-विदेश में जाती हैं और देश-विदेश में जाना यदि वे सरकार के एकाधिकार में नहीं है उनके लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि देश-विदेश के लोग राज्य-नियन्त्रित कम्पनी से घबराते हैं। इसलिए पूरे संसार में एकाधिकार को खत्म करने, राज्य के बड़े एकाधिकार को खत्म करके छोटी कम्पनियों को देने और दूरसंचार को निजी क्षेत्रों को देने की ओर लोगों का झुकाव है।

वर्ष 1984 में, श्रीमती मारगेट थेचर ने ब्रिटिश दूरसंचार को निजी क्षेत्रों को सौंप दिया था, पर यह बिना कुरबानी नहीं हुआ, इससे 90,000 लोगों का रोजगार छिन गया। लेकिन वे इससे बाहर निकल आये हैं और अब ब्रिटिश दूरसंचार का निजीकरण एक उदाहरण है कि विनियन्त्रण किस प्रकार किया जाना चाहिए। वर्ष 1984 में ही ए टी और टी जोकि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा निजी एकाधिकार क्षेत्र था, संयुक्त राज्य अमेरिका के एन्टी ट्रस्ट, एन्टी-मोनोपाली कानून के कारण छः या सात क्षेत्रीय कम्पनियों में विभक्त हो गया था। आज, संसार का तीसरी-चौथी दूरसंचार एकाधिकार कम्पनियां, फ्रांस दूरसंचार और जर्मनी की डेयूटसची दूरसंचार कम्पनियों के विनियन्त्रण और निजीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें अनेक परिवर्तन भी होने जा रहे हैं। भारत में, हम ऐसी ही प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं।

महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने इस चर्चा में लगभग एक घण्टे का समय लिया है।

सभापति महोदय : आज, हमारे पास समय कम है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, हमें भी उतना ही समय दिया जाना चाहिए जितना कि भारतीय जनता पार्टी ने लिया है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय पांच बजे उत्तर देंगे। गुलेटिन छः बजे है तथा कई दलों को समय दिया जाना है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : किन्तु आपने जितना समय भारतीय जनता पार्टी को दिया है उतना ही समय हमें दिया जाना चाहिए। मैं कांग्रेस दल से बोलने वाला पहला व्यक्ति हूं।

सभापति महोदय : कांग्रेस ने इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए 14 नाम दिए हैं।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, मेरे विचार में कई लोग यहां नहीं हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : हम ऐसी प्रक्रिया अपना रहे हैं तथा निजीकरण की इस प्रक्रिया ने निर्णय लेने में विलम्ब के कारण, कभी-कभी नीति मार्ग निर्देशों में अचानक परिवर्तन करने के कारण कुछ निराशा उत्पन्न की है या यह आरोप है कि प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। यह भी आरोप है कि सरकार स्वयं मुख्य संचालक तथा नियन्त्रण प्राधिकरण सरकारी संचालकों की तरफदारी करता है; शहरी बनाम ग्रामीण पर वाद-विवाद हुआ है; सामाजिक उत्तरदायित्वों बनाम लाभ के बारे में, नियन्त्रण तन्त्र के बारे में, प्रवेश मार्गनिर्देशों के बारे में, सरकारी संचालकों का पुनर्गठन करने के बारे में वाद-विवाद हुआ है। निजी संचालकों को कितनी विदेशी इक्विटी की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए, इसके बारे में भी वाद-विवाद हुआ है। कितना भौगोलिक क्षेत्र निजी आपरेटरों को दिया जाना चाहिए, इसके बारे में भी वाद-विवाद हुआ है।

महोदय, यह एक नया अनुभव है। प्रत्येक देश को इस दुखदायी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र द्वारा लगाए गए सभी आरोपों और शिकायतों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। कुछ गल्तियां हो सकती हैं। निर्णय में कुछ गल्तियां भी संभव हैं। किन्तु हम अभी सीख रहे हैं। हम हमेशा सीखते रहते हैं, गल्तियों को सुधारते रहते हैं।

मैं दूरसंचार विभाग की, न केवल एक वर्ष की बल्कि मार्च, 1991 से, हुई उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं। मार्च, 1991 के आंकड़े उपलब्ध हैं। हमने जून में कार्यभार संभाला था तथा मार्च से जून के बीच कुछ विशेष नहीं हुआ था। वास्तव में इसमें कमी आयी है। यदि हम कुछ मुख्य आंकड़े लेते हैं तो वर्ष 1991 में सीधी एक्सचेंज लाइन 50.7 लाख थी। आज 98 लाख सीधी एक्सचेंज लाइन हैं। यह चार वर्षों में लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि है। अब नेटवर्क में वृद्धि की दर पर ध्यान दें। वर्ष 1991 के दौरान हम प्रतिवर्ष 4.85 लाख लाइनें लगा रहे थे। पिछले वर्ष हमने 17 लाख लाइनें लगाई हैं जोकि चार गुना से भी अधिक है। जहां तक राजस्व का संबंध है, वर्ष 1991 में यह 4,447 करोड़ रुपये था। आज 1994 में, तीन वर्ष बाद यह लगभग दो गुना अर्थात् 8,205 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 1991 में जो 1,405 करोड़ रुपये का लाभ था, वह भी लगभग दोगुना होकर 2,535 करोड़ रुपये हो गया है।

हम नेटवर्क में सुधार करने के लिए भी अत्यधिक व्यय कर रहे हैं। हमने वर्ष 1991 में 2,772 करोड़ रुपये का निवेश किया तथा वर्ष 1993-94 में 5,580 करोड़ रुपये का निवेश किया है जोकि पहले किए गए निवेश से दोगुना है। पहली बार प्रतिक्षा सूची लम्बी नहीं हो रही है इसके मुकाबले यह कम हो रही है। 'तत्काल' की श्रेणी में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है क्योंकि 'तत्काल' वह श्रेणी है जो लाभ प्राप्त करने वाली यूनिटों को दी जाती है। यदि कोई कनेक्शन तत्काल चाहिए तो उन्हें बड़ी मात्रा में धनराशि का भुगतान करना पड़ता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि एक एक्सचेंज लाइन लगाने में 47,000 रुपये की लागत आती है।

अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार का विषय लेता हूं। 1.9 लाख ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक टेलीफोन हैं। यदि आप वर्ष 1993 में हुई वृद्धि को देखें तो 33,000 नये पंचायत टेलीफोन लगाए गए। पिछले वर्ष यह संख्या और अधिक थी, जब 47,000 ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लगाए गए। इस प्रकार, ग्रामीण नेटवर्क में तेजी से विस्तार हो रहा है। देश व्यापक एस. टी. डी. नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। लगभग 4,800 केन्द्र हैं। सभी जिला मुख्यालय, अधिकांश तहसील और उप-प्रभागीय मुख्यालय एस. टी. डी. नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अब अधिकांश बड़े गांव भी एस. टी. डी. नेटवर्क से जुड़े हैं।

यह प्रणाली पूर्णतया इलैक्ट्रोनिक होती जा रही है। पिछले वर्ष 71 प्रतिशत

प्रणाली इलैक्ट्रोनिक की गयी थी। कार्यकुशलता भी बढ़ गयी है। दस वर्ष पहले 1,000 लाइनें चलाने के लिए 118 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी। आज वर्ष 1994-95 में 1,000 टेलीफोन लाइनों को चलाने अथवा संचालन के लिए केवल 49 लोगों की आवश्यकता पड़ती है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : श्री चव्हाण आप वार्षिक रिपोर्ट सभा पटल पर पुनः क्यों नहीं रख देते।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : इन चार वर्षों की उपलब्धियों पर बल दिया जाना चाहिए क्योंकि किसी अन्य विभाग ने 100 प्रतिशत निष्पादन स्तर प्राप्त नहीं किया है, तीन या चार वर्षों की छोटी अवधि में सभी सुविधाओं को दोगुनी कर दिया गया है तथा जैसाकि मैंने पहले बताया है कि यह सब कुछ विना किसी बाह्य सहायता तथा बजट सहयोग के प्राप्त किया गया है। किन्तु हम और तेजी से विकास करना चाहते हैं। इसलिए, नई टेलीफोन नीति में वर्ष 1997 तक मांगते ही टेलीफोन देने की गारंटी दी गयी है। अगले दो वर्षों में आठवीं योजना लक्ष्य से अधिक 2.5 मिलियन और टेलीफोन लगाने की मांग की गयी है। चार लाख गांवों को जोड़ा जाना है तथा प्रत्येक 500 निवासियों के लिए एक पी. सी. ओ. दिया जाना है। इसके लिए धनराशि की आवश्यकता है। प्राक्कलनों के अनुसार 23,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है।

मार्गनिर्देशों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीति निर्णय यह है कि दूरसंचार नियामक अधिकरण बनाया जाएगा।

इस अधिकरण को अब मंत्रीमंडल ने स्वीकृति दे दी है किन्तु अभी विधायी प्रक्रिया शुरू की जानी है—इस निकाय को स्थापित करने के लिए टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन करना होगा।

महोदय, दो क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ है। सबसे पहले हमने निजी क्षेत्र को मूल्यवर्धित सेवा क्षेत्र में आने दिया। निविदाएं दी गईं, निविदाओं से संबंधित समस्याएं थीं; न्यायालय के मामले थे, किन्तु किसी तरह हमने इस कठिन समस्या का सामना किया तथा अनेक मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र ने कार्य शुरू कर दिया। वी-सेट टर्मिनलों के जरिये रेडियो पेजिंग, मोबाइल सेल्लुलर टेलीफोन, डाटा कम्युनिकेशन जैसी ये सेवाएं पहले शुरू हो गयी हैं।

अब हम निजी क्षेत्र को मूल दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश करा रहे हैं। हमने यह निर्णय लिया है कि सर्किल एक भौगोलिक एकक होगा। इसे छोटा करना संभव नहीं होगा क्योंकि तब यह बहुत अधिक अधिकारी तन्त्र के समान हो जाएगा। यदि सेकेन्डरी स्वीचिंग एरिया को स्वीकृति प्रदान की जाती है तो इसमें बहुत अधिक लिखित कार्य करना पड़ेगा। अब बेईमान रात्रि में भाग जाने वाले आपरेटरों का प्रवेश रोकने के काफी उपाय हैं। प्रारम्भ में समस्या थी। निविदा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करने वाले कुछ लोग आगे नहीं आए क्योंकि उनमें निजी नेटवर्क चलाने की आवश्यक क्षमता नहीं थी। अब, प्रवेशक की अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रवेश मार्गनिर्देशों की शर्तें पर्याप्त सुरक्षित हैं। अब, प्रवेशक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आपरेटर को पांच लाख लाइनों के नेटवर्क पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। उसके पास कम से कम निबल धनराशि होनी चाहिए ताकि यह बड़ी सक्षम कम्पनी बन सके।

विदेश ईक्विटी की अनुमति 49 प्रतिशत तक दी गई है। यद्यपि इस बारे में काफी कहा गया है कि क्या ईक्विटी भागीदारी 49 प्रतिशत होनी चाहिए या कम। कुछ लोग 25 प्रतिशत की वकालत करते हैं; कुछ ने 40 प्रतिशत का सुझाव दिया है लेकिन मुद्दा यह है कि हमें विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के बीच सन्तुलन रखना है जोकि इतनी कम विदेशी भागीदारी से तो आ नहीं सकता और हमें सारा नियन्त्रण विदेशी संचालकों के हाथ भी नहीं देना है। मैं समझता हूं कि 49 प्रतिशत भागीदारी की अनुमति देने से भी उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसमें ऐसी भी शर्तें हैं कि नेटवर्क का 10 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में लगाना होगा। ऐसी क्षुब्धकारी खबरें भी हैं कि इस शर्त को हटाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि किसी भी हाल में यह शर्त हटनी नहीं चाहिए। इसको कायम रखना ही होगा। एक और चिन्ता की बात भी है कि अब निविदा शर्तों में गैर सरकारी संचालकों को लाभकारी इंटर सर्कल ट्रंक ट्रैफिक की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसा भी सुनने में आया है कि इस शर्त को भी हटाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय कड़ा रुख अपनाएं और इस समय लाभकारी इंटर-सर्कल ट्रंक रूटों को निजी क्षेत्र को नहीं सौंपे। इसकी बाद में पुनरीक्षा की जा सकती है।

महोदय, निविदा प्रक्रिया की स्पष्टता के बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। शिकायतें मिली हैं कि जो निर्धारित मानदण्ड हैं उनको कितना महत्व दिया जा रहा है इस बात को सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है। मैं समझता हूं कि जो मानदण्ड निर्धारित किए जा रहे हैं उनको दिए जा रहे महत्व के बारे में सार्वजनिक रूप से बताये जाने की मांग करना हर प्रकार से उचित है। उसे ही अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। निःसन्देह हम चाहेंगे कि देशी निर्माण क्षमता रखने वाली पार्टी को अधिक महत्व दिया जाये। हम निश्चय ही ऐसी पार्टी को पसन्द करेंगे जो ज्यादा अनुभवी हो और उसे महत्व दिया जाना चाहिये। हम निश्चय ही किसी ऐसी बड़ी कम्पनी को महत्व देना चाहेंगे जिसका एक सफल कंपनी के रूप में कार्य करने का रिकार्ड रहा हो बजाए इसके कि गैर-जिम्मेदार संचालकों को महत्व दिया जाये। मूल्यवर्धित सेवाओं के क्षेत्र में हमारे पिछले अनुभव बड़े कड़ुवे रहे हैं जहां किसी संचालक ने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इसे किसी दूसरी कम्पनी को बेच दिया। ऐसा फिर न होने दिया जाये।

महोदय, इस संबंध में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथारिटी) की प्रमुख भूमिका होगी। बेहतर तो यह था कि पहले दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का गठन कर लिया जाता और तब हम निविदा प्रक्रिया शुरू करते। हमने ऐसा नहीं किया। दूरसंचार नीति की घोषणा के बाद हमने लगभग एक साल तक प्रतीक्षा की कि मंत्रिमंडल द्वारा दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को स्वीकृति मिल जाये। अभी भी सांविधिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। भारतीय तार अधिनियम में संशोधन किया जाना होगा। एक मांग यह है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय होना चाहिये। किन्तु भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण संसद के विधायी अधिनियम अर्थात् संशोधित भारतीय तार अधिनियम से शक्तियां प्राप्त करके भारतीय तार अधिनियम में संशोधन करके विधायी प्रक्रिया द्वारा सांविधिक निकाय बन जायेगा। यह संशोधन अतिशीघ्र किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं कुछ मिनट और लूंगा। समस्या उस समय आएगी जब भारत सरकार नियामक प्राधिकरण के साथ ही संचालक एजेन्सी का कार्य भी करेगी। इसलिए पुनर्गठन का प्रश्न सामने आता है। ऐसी अनेक समितियां हैं जो दूरसंचार प्रचालन के पुनर्गठन के लिए बनाई गई थी। एक अथरिय नाम की समिति थी जिसे रद्द कर दिया गया। इस समिति की एक भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। केवल कुछ अखबारों में यह खबर छपी थी कि सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। एक अन्य गुप्ता समिति नामक समिति थी। हमें नहीं पता कि उस समिति ने क्या कहा था। समाचार पत्रों के

समाचार यह कहते हैं कि समिति ने यह सिफारिश की थी कि नीति निर्माता तंत्र और विभागीय संचालक एजेंसियों को पृथक-पृथक कर दिया जाना चाहिए।

संचालन के लिए वे भारतीय दूरसंचार नाम का एक नया निकाय बनाना चाहते हैं किन्तु यह तो एक सरकारी उपक्रम ही रहेगी न कि कम्पनी। मैं समझता हूं कि हमें दूरसंचार विभाग (डी.ओ.डी.) के संचालन भाग का निगमीकरण करके चार क्षेत्रीय निगमों या एक बड़े निगम में बदलने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटिड का अनुभव कोई खास बुरा नहीं है। यह निकाय लाभ कमा रहा है। तब हम समान स्तरों पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे क्योंकि एक तरफ तो हम इसे भारत सरकार या भारत सरकार तंत्र नामतः भारतीय दूरसंचार के अन्तर्गत रखेंगे जोकि आयकर अदा नहीं किया करेगा जबकि दूसरी ओर एक निजी क्षेत्र की कम्पनी को निगमित कर अदा करना ही पड़ेगा। इसका समाधान कैसे किया जाएगा, यह तो केवल समय ही बताएगा।

मूल्य वर्धित सेवा क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठेके दिए जा चुके हैं। कुछ सेवाएं शुरू भी हो गई हैं। यह एक सकारात्मक बात है। मुख्य सुझावों में से एक जोकि मैं इस बारे में देना चाहूंगा कि मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि विभाग पहले ही इस दिशा में सोच रहा है—कि कपड़ा उपकर, अनुसंधान एवं विकास उपकर या शक्कर विकास उपकर की तरह ही दूरसंचार उपकर होना चाहिए और इसे सामाजिक दायित्व के रूप में सभी निजी संस्थाओं (प्राईवेट पार्टीज) से वसूल किया जाना चाहिए। आप इसे दो प्रतिशत या तीन प्रतिशत कर सकते हैं लेकिन एक दूरसंचार उपकर जरूर होना चाहिए जिससे ग्रामीण नेटवर्क का वित्तपोषण हो सकेगा।

दूसरे उद्योग आदि जैसी लाभ और राजस्व में बढ़ोत्तरी करने वाली सस्थाओं द्वारा मांगी गई टेलीफोन लाइन और एक आवासीय टेलीफोन लाइन, जोकि जरूरी नहीं है कि राजस्व कमाएं ही, देने में अन्तर रखा जाना चाहिए। आवासीय लाइनों को कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि मान्यताप्राप्त औद्योगिक क्षेत्र में चल रही किसी भी औद्योगिक इकाई या एफ.आई.पी.वी. द्वारा स्वीकृत किसी भी इकाई या किसी भी शतप्रतिशत ई.ओ.यू. को बिना तत्काल शुल्क लिए तत्काल की श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

अब मैं एक अन्य विभाग जिसका नाम डाक विभाग है, के बारे में कहना चाहूंगा। समय की कमी के कारण मैं डाक विभाग के बारे में अधिक विस्तार से नहीं बोलूंगा। डाक विभाग मंत्रालय का एक दूसरा प्रमुख विभाग है। वास्तव में, यह विभाग दूरसंचार विभाग से बड़ा है किन्तु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं यह अपना आकर्षण खोता जा रहा है। खाकी वर्दी पहने डाकिया केन्द्रीय सरकार का विभाग होने का सबूत देता है जिससे कि हमारी करीब-करीब 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता देखती है। मुझे नहीं लगता कि विश्व के किसी अन्य देश में इतना विशाल डाक नेटवर्क है। यह डाकिया हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक है।

यह विभाग, जिसकी जनवरी 1985 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा स्थापना की गई थी, भारतीय डाक अधिनियम के तहत कार्य करता है, आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। पूरे देश में केवल 1.53 लाख डाकघर हैं जिनमें से 89 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि 52 प्रतिशत गांवों में अभी तक डाक सुविधाएं नहीं हैं। वर्तमान डाक शुल्क वास्तविकता से इतना परे है कि डाक विभाग (डी.ओ.पी.) को 207 करोड़ रुपये की हानि हुई है जोकि पिछले वर्ष 92 करोड़ था। डाक सुविधा के लिए लिए जा रहे प्रभार और वितरण पर आ रहे खर्च के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

कार्ड रूपी पत्रों तथा पोस्ट कोर्डों पर राजसहायता काफी है। इन्हें राज-सहायता देना गलत नहीं है लेकिन पोस्ट कार्ड को दी गई राजसहायता लगभग 89 प्रतिशत है। एक पन्द्रह पैसे वाले पोस्ट कार्ड की कीमत 20 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी और विभाग को इसकी कीमत 1.57 रुपये पड़ती है मूल्य निर्धारण प्रणाली की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। मेरे विचार में हम नहीं चाहेंगे कि मूल्यों में परिवर्तन न किया जाए। इनमें मामूली वृद्धि के पीछे एक तर्क है। मैं यह नहीं कहता कि इसे बढ़ाकर 1.50 रुपये कर दिया जाए किन्तु डाक शुल्क व्यवस्था की निश्चित रूप से पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

भाजपा के मेरे एक साथी ने टी.वी. पोस्ट कार्ड या प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड के बारे में उल्लेख किया है। यह एक वास्तविक मांग है और डाक विभाग इस पर विचार कर रहा है। प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड की कीमत 1.00 रुपया होनी चाहिए क्योंकि यह एक लाटरी के रूप में है। इसके लिए एक रुपया वसूलना गलत नहीं है। परन्तु हमें यह भी देखना होगा कि डाक विभाग घाटे में न जाए क्योंकि इससे डाक नेटवर्क का विकास रुक जाएगा।

कर्मचारियों को कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं है। ऐसे विभागेत्तर संचालकों की भी बहुत बड़ी संख्या है जिन्हें बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूं। **(व्यवधान)** इसमें कुछ वास्तविकता होनी चाहिए। हमने बीस वर्ष पूर्व कीमत निर्धारित की थी। यदि आप पोस्ट कार्ड को निशुल्क भी कर दें, तो भी इससे केवल 10 या 20 करोड़ रुपये का घाटा और बढ़ेगा। इसे 1.50 रुपये का हो जाने दें या 2.00 रुपये का भी होने दें तो भी कुछ गलत नहीं है। मैं इसका समर्थत करूंगा।

सरकार ने डाक विभाग में आधुनिकीकरण की शुरूआत के लिए कुछ कदम उठाएं हैं। काउंटरों पर कम्प्यूटर लगाए गए हैं। मुंबई में स्वचालित पत्र विलगन मशीनें लगाने का भी प्रयास किया गया है।

[अनुवाद]

एक मद्रास में लगाई जा रही है। सेवाएं बेहतर हैं। कुल मिलाकर ये सेवा विभाग हैं। लोग डाक का वितरण जल्दी चाहते हैं। लोग बेहतर सेवा चाहते हैं। मंत्री द्वारा किया गया नया परिवर्तन—इसके लिए उन्हें बधायी दी जानी चाहिए—यह पंचायत संचार सेवा योजना है, जिसमें पंचायतों को उस कर्मचारी को नियुक्त करने का उत्तरदायित्व दिया जाएगा जो डाक सेवा का वितरण करेगा। एक तरीके से यह निजीकरण है किन्तु मैं समझता हूं यह सकारात्मक रूप में निजीकरण है क्योंकि इससे लाखों शिक्षित लड़कों और लड़कियों को रोजगार मिलेगा। सभी पंचायतों में डाक सेवा प्रदान की जाएगी।

लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने नया डाकघर खोलने की मांग की है। यदि हम कटौती प्रस्ताव देखें तो हम यह पायेंगे कि अधिकांश लोग डाक सेवाओं का विस्तार चाहते हैं। किन्तु धनराशि कहां से आयेगी। वित्त मंत्री कोई धनराशि नहीं दे रहे हैं। समय आ गया है कि हम शुल्कदर (टैरिफ) की स्थिति की पुनरीक्षा करें ताकि उन क्षेत्रों में नये डाकघर खोले जा सके, जिनमें इनकी अधिक आवश्यकता है।

महोदय, मैं डाक विभाग के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मैं केवल दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। यह विभाग एजेन्सी कमीशन आधार पर अनेक कार्य शुरू करता है। किन्तु कमीशन में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह सबसे अधिक फैला हुआ नेटवर्क है। किसी के पास भी ऐसा फैला हुआ नेटवर्क नहीं है किन्तु कोई इस ओर ध्यान देने का इच्छुक नहीं है। इस आधारभूत ढांचे के सृजन और रखरखाव के लिए बहुत धनराशि खर्च होती है। यह विभाग जीवन बीमा योजना, बैंकिंग सेवायें, महिला समृद्धि योजना चला रहा है। अनेक समाजोन्मुखी योजना चलायी जा रही हैं। किन्तु उसके लिए उन्हें पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है।

स्पीड पोस्ट लाभकारी सेवा है। अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। मैं ठीक कह रहा हूं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में आपरेटर अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं क्योंकि अधिनियम उन्हें पत्र वितरण की स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। हमें असलियत जाननी चाहिए तथा उन्हें वैध बनाया जाना चाहिए ताकि स्पीड पोस्ट के क्षेत्र में उचित प्रतियोगिता बनी रहे। डाक विभाग इससे लगभग 50 करोड़ रुपये अर्जित कर रहा है। स्पीड पोस्ट सेवा के लिए डाक विभाग को अलग कम्पनी बनाने का भी एक मामला है।

महोदय, मैं महाराष्ट्र में डाकघरों की संख्या के बारे में बताना चाहता हूं। यह आश्चर्यजनक है कि महाराष्ट्र सबसे अधिक उद्योग धंधों वाला और प्रगतिशील राज्य है तथा यह राज्य राजस्व विभाग को सबसे अधिक राजस्व देता है। बड़ा राज्य होने के बावजूद इसमें बहुत कम डाकघर हैं। डाकघरों की कम संख्या की दृष्टि से राजस्थान और मध्यप्रदेश के बाद इसका तीसरा नम्बर है। महाराष्ट्र में 25 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में एक डाकघर है जो केरल की तुलना में बहुत कम है। केरल में 7.72 वर्ग कि.मी. पर एक डाकघर है, तमिलनाडु में 10.67 वर्ग कि.मी पर एक डाकघर है, उत्तर प्रदेश में 14.69 वर्ग कि.मी. पर एक डाकघर है अथवा बिहार में 14.70 वर्ग कि. मी. पर एक डाकघर है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे महाराष्ट्र में डाकघरों की संख्या में वृद्धि करें ताकि डाकघरों की संख्या इतनी कम नहीं रहे। ··**(व्यवधान)**·· नहीं यह वर्ग कि.मी. है। जनघनता भी बहुत कम है। यदि आप बिहार और उत्तर प्रदेश की जनघनता देखें, मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन यह ठीक नहीं है।

अन्त में, मैं उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में बताना चाहता हूं जो विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं। छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो सामान्यता लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किन्तु उनमें से कुछ, विशेष रूप से इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज तथा हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स अप्रयुक्त और पुराने हो गए हैं। वे केवल संचार विभाग के आदेशों पर चल रहे हैं। आधुनिक प्रतियोगी विश्व का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त रूप से उनका नवीनीकरण किया जाना है।

एक उदाहरण यह है कि यदि आप वार्षिक रिपोर्ट देखें तो आप पायेंगे कि एच.टी.एल. ने वर्ष 1993 में 80 करोड़ रुपये की बिक्री की थी। यदि आप वर्ष 1994-95 के पहले आठ महीनों की बिक्री देखें तो केवल सात करोड़ रुपये थी। इसलिए वर्ष 1993 में 80 करोड़ रुपये की कुल बिक्री की तुलना में आठ महीने में केवल सात करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। पहले आठ महीनों के दौरान सात करोड़ रुपये की बिक्री पर 5.83 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। इसका मतलब यह है कि सभी आदेश अंतिम तारीख को दिए गए थे, जो एक प्रकार से पुस्तिका में प्रविष्टि के लिए की गयी व्यवस्था मात्र है तथा विभाग आपरेटरों पर दबाव डालता है कि वे कम्पनी के पास जो कुछ भी उपलब्ध है कि उसे खरीद लें ताकि लेखा पुस्तिका को ठीक किया जा सके।

आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा रिपोर्ट देखें एच.टी.एल की कुल आय का 80 प्रतिशत विविध देनदारियां थीं। यह अच्छी स्थिति नहीं है।

एक और मामला है। टी.सी.आई.एल, जो पर्याप्त रूप से अच्छा कार्य कर रही है, का काफी समय से कोई अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक नहीं है। कम्पनी को अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के बिना रखना तथा अस्थाई अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति न करना, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी को रुग्ण कम्पनी बनाना है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जहां कहीं फाइल है, उसे तत्काल स्वीकृत कर दें—चाहे यह मंत्रिमंडल के पास है अथवा—चाहे यह नियुक्ति समिति के पास है। कोई कारण नहीं है, कि जो कम्पनी कार्य कर रही है, उसे इतने लम्बे समय तक बिना अध्यक्ष के रहने दिया जाए।

अब मैं अनुसंधान और विकास पर व्यय के बारे में बात करना चाहता हूं। पृष्ठ 49 पर एक हैरानी उत्पन्न करने वाला आंकड़ा दिया गया है। इसमें विभाग के कुल वित्त के संबंध में दिया गया है। 6094 करोड़ रुपये प्राप्त करने पर, अनुसंधान और विकास व्यय 4 करोड़ रुपये दिखाया गया है जोकि 0.01 प्रतिशत से भी कम है। मैं नहीं जानता यह आंकड़ा ठीक है अथवा नहीं। इसका कारण यह है कि सी-डोट जैसे विभागों को सरकार द्वारा उदारता से धनराशि दी जा रही है। मैं नहीं जानता यह आंकड़ा किससे संबंधित है। जो मुद्दा मैं उठा रहा हूं वह यह है कि हमें अन्य उद्यमों में भी और अधिक धनराशि व्यय करनी होगी ताकि हम उनको अद्यतन रख सकें।

अन्त में, मैं यह दोहराना चाहता हूं कि दूरसंचार की आधारभूत संरचनाएं सामाजिक-आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय अखण्डता में एक महत्वपूर्ण औजार के समान है। पर्याप्त निवेश के बिना इस महत्वपूर्ण औजार से समाज को होने वाला लाभ कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंचेगा।

श्री सामपितरोरा की यह राय थी कि इस शताब्दी के अन्त तक दूरसंचार का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार बन जाएगा। महोदय, इसके लिए निजी पूंजी देशी और विदेशी दोनों को आमंत्रण देने की आवश्यकता है। किन्तु सरकार को बेईमान विदेशी अभिकरणों के बारे में, देशी निवेश की सुरक्षा करने के बारे में, सामाजिक उत्तरदायित्वों के बारे में तथा अलाभकारी ग्रामीण क्षेत्रों को आधारभूत दूरसंचार की व्यवस्था करने के बारे में बहुत सावधान रहना पड़ेगा। सरकार को निर्माण करने वाले एककों के साथ संबंध बनाए रखने के बारे में दूरसंचार विभाग में कार्य की प्रकृति परिवर्तित होने के बारे में भी सावधान रहना पड़ेगा। यह एक चुनौती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस चुनौती का सामना अच्छी प्रकार कर सकेगी तथा पिछले चार वर्षों के दौरान की गयी तीव्र प्रगति को उसी प्रकार जारी रख सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं संचार मंत्रालय भी अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, मुझे खुशी है कि मंत्री ने हमें पत्र लिखा था। उन्होंने दूरसंचार तथा डाक विभागों के कार्यकरण के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताया था। उनके कहे को मैं उद्धृत करती हूं :

"आज एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क भारत में है जिसमें लगभग 17.69 लाख दूरभाष की क्षमता वाले लगभग 19,420 दूरभाषा केन्द्र हैं।"

तत्पश्चात् उन्होंने यह कहा जिसे मैं उद्धृत करती हूं :

"विश्व का औसत 14 प्रतिशत है। हमारा औसत केवल 1 प्रतिशत है। इसलिए हमें अपने कार्यक्रम में तेजी लानी होगी।"

परन्तु दूरसंचार तथा डाक विभागों के कार्यकरण में महत्वपूर्ण सुधार किस प्रकार हुआ ? कर्मचारियों ने सिद्ध कर दिया है कि वे इस देश के लोगों को अच्छी सेवा दे सकते हैं। इसलिए दूरसंचार सेवा में गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने की क्या आवश्यकता थी ? क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार हमारा केवल योजना के दौरान 75 लाख टेलीफोन लगाने के लक्ष्य को रखने का विचार था। परन्तु जब प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले थे, इसमें भारी परिवर्तन किया गया। उन्होंने आकलन किया और 100 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया। क्या यह वर्तमान स्थिति से मेल खाता है ? वास्तव में यह मेल नहीं खाता है क्योंकि पहले तीन वर्षों में 35 लाख टेलीफोन कनेक्शन दिए गए। तदुपरान्त पिछले वर्ष यद्यपि हमारा लक्ष्य 14 लाख का था, हम 17.76 लाख कनेक्शन देने में समर्थ हुए। टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची केवल 22 लाख है। इसलिए आपने यह परिकल्पना कैसे की कि 1997 से पूर्व योजना अवधि के दौरान हम 100 लाख का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। आपने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह बहुराष्ट्रीय तथा विदेशी कम्पनियों के प्रवेश को अनुमति देने के लिए सुविधा का मामला है। आगामी वर्षों में 15 या 20 लाख और टेलीफोन कनेक्शनों की आवश्यकता है। दूरसंचार विभाग द्वारा इस प्रतीक्षा सूची को भी खत्म किया जा सकता है। विभाग के कार्यकरण में सुधार लाया जा सकता है। वास्तव में इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है क्योंकि विभाग को कोई बजटीय समर्थन नहीं दिया जाता है। तब भी यह ठीक ढंग से कार्य कर रहा है। इसका विकास हो रहा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज भी हम यह नहीं कह सकते कि हम प्रतीक्षा सूची खत्म करने में समर्थ नहीं होंगे। पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। 23,000 करोड़ रुपये धनराशि की गणना गलत है। वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। हम जनता से ऋण ले सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने जब धनराशि जुटाने का प्रयास किया था तो जनता ने 7,000 करोड़ रुपये का वादा किया था। कोंकण रेलवे ने भी ऋण लिया था। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? इस मूलभूत दूरसंचार सेवा में गैर-सरकारी कम्पनियों को अनुमति देने की जरूरत कहां है। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह देश के लिए हानिकारक होगा। "भारत में पंजीकृत गैर-सरकारी कम्पनियां लाइसेंस के तहत 15 वर्षों के लिए विद्यमान दूरसंचार विभाग नेटवर्क को नेटवर्क प्रदान करने में समर्थ होंगी। विदेशी इक्विटी को 49 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए। परन्तु नियंत्रण हमारा रहेगा। लम्बी दूरी की तथा अन्तर्राष्ट्रीय कालें दूरसंचार विभाग के पास रहेंगी।" परन्तु अब इसमें छूट दी जा रही है। अनेक रियायतें दी गई हैं। इसका परिणाम क्या होगा ?

यह घोषणा की गई थी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का (टी.आर.ए.आई.) गठन किया जाएगा। परन्तु इसका गठन नहीं किया गया। उपरोक्त नीति के आधार पर नियामक प्राधिकरण के गठन से पूर्व भारतीय कम्पनियों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। भारतीय कम्पनियों को उन्हें एकमात्र रूप से लाइसेंस न देने के आधार पर दिल्ली, मुम्बई, एम.टी.एन.एल. तथा अन्य क्षेत्रों सहित बीस दूरसंचार सर्किलों में टेलीफोन सेवाएं प्रदान करनी होंगी। निविदाएं खुलने की तिथि 30-3-95 निर्धारित की गई थी। परन्तु यह आश्चर्यजनक है कि निविदाएं खुलने से पूर्व ही भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु के गौण स्विचिंग क्षेत्र—कोयम्बटूर, सलेम, इरोड तथा धर्मपुरी को यू. एस. वेस्ट इण्डिया लिमिटेड, दूरसंचार द्वारा नियंत्रित गैर-सरकारी कम्पनी को सौंपने का निर्णय जल्दबाजी में ले लिया गया। मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि निविदाएं खुलने से पूर्व ही इसे एक अमेरिकी गैर-सरकारी कम्पनी को सौपने की क्या आवश्यकता थी। चूंकि आप हड़बड़ी में हैं इसलिए दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के गठन से पूर्व अथवा यहां तक कि निविदाओं के खुलने से पूर्व ही आप इसे एक अमेरिकी कम्पनी को दे रहे हैं। इसकी क्या आवश्यकता है ? कम्पनी को छः हफ्ते पूर्व आशय पत्र दिया जा चुका है। यह नहीं पता है कि निबंधन और शर्तें क्या हैं। यह केवल संयोग नहीं है कि आशय पत्र अमेरिकी वाणिज्य सचिव रोनाल्ड ब्राउन की दिल्ली यात्रा के दौरान दिया गया। इसलिए यह अवसर पूर्व नियोजित था और उन्हें खुश करने के लिए था।

जब प्रधान मंत्री ने अमेरिका का दौरा किया उसके तुरन्त पूर्व दूरसंचार नीति की घोषणा की गई। इसी तरह जब श्री रोनाल्ड ब्राउन यहां आए चार सेकन्डरी स्विचिंग क्षेत्र यू. एस. वेस्ट कम्पनी को दिए गए। इसलिए, विकास के लिए, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा से लेकर यू. एस. वेस्ट इंटरनेशनल को वर्तमान आशय पत्र देने तक, निर्णय झूठे आधार पर तथा बिना किसी वाद-विवाद और परामर्श के लिए गए। आपने यह गणना कैसे की है कि 100 लाख कनेक्शन की जरूरत होगी ? इसकी आवश्यकता नहीं है। यह गणना आपने केवल विदेशियों की सुविधा के लिए की है।

भारतीय दूरसंचार की विकास दर 17 प्रतिशत थी। यदि समुचित देखभाल की जाए तो इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। स्थानीय काल की कम दर के बावजूद एक दिन में लगभग 8 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व आता है। हमारी दर केवल 1 रुपया या 1.25 रुपये है। यदि गैर-सरकारी कम्पनियां आती हैं तो भी क्या यह इतनी ही रहेंगी ? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शहरी क्षेत्र में एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए आप 47,000 रुपये खर्च करते हैं। गांवों में आप जहां तक मुझे याद है 1,25,000 रुपये या 1,35,000 रुपये व्यय करते हैं। इसलिए इतनी धनराशि खर्च करने पर क्या गैर-सरकारी कम्पनियां इतना टैरिफ बनाए रख सकेंगी ? यह इस समय से तीन गुना या उससे भी अधिक होगा। तब कितने लोग वास्तव में टेलीफोन का प्रयोग करेंगे ?

मांग किए जाने पर आप टेलीफोन दे सकते हैं क्योंकि अनेक व्यक्ति जो टेलीफोन का उपयोग कर रहे हैं वे यह कहेंगे कि वे टेलीफोन नहीं चाहते हैं। वर्तमान 3,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क 10,000 रुपये या 30,000 रुपये तक हो जाएगा। तब आम आदमी का क्या होगा। क्या वह टेलीफोन का उपयोग करने में समर्थ होगा ?

इस राष्ट्र की सुरक्षा का क्या होगा ? केवल मुट्ठी भर राष्ट्रों ने ही अपनी मूल टेलीफोन सेवाओं का निजीकरण किया है। जिन देशों ने निजीकरण किया है वहां टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतिशतता 30 से 40 तक है। हमारे यहां केवल एक प्रतिशत है और हम निजीकरण कर रहे हैं। इसका औचित्य क्या है ? किसी भी देश ने जहां टेलीफोनों के कनेक्शनों की प्रतिशतता इतनी कम है, कभी भी इस प्रकार टेलीफोन सेवाएं गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं सौंपी हैं। अन्य देशों ने मुख्यतया राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण दूरसंचार के निजीकरण पर विचार भी नहीं किया है। अमेरिका ने 20 प्रतिशत विदेशी स्वामित्व की सीमा निर्धारित कर दी है। ऐसा क्यों है ? यूरोपियन इकॉनॉमिक

कम्युनिटी (ई. ई. सी.) देश को सामान्यतया विदेशी स्वामित्व की अनुमति ही नहीं देते हैं। हमारे यहां 49 प्रतिशत विदेशी ईक्विटी है जैसा कि भारत ने निर्णय लिया है और यह अमेरिकावासियों को सम्पूर्ण नियंत्रण सौंपने के समतुल्य होगा। वास्तव में यह अत्यन्त हानिकर है। वास्तव में इन सेवाओं में गैर-सरकारी कम्पनियों का प्रवेश अनावश्यक है और इससे देश की प्रगति नहीं होगी। वास्तव में इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

मंत्री महोदय ने हमें परामर्शदात्री समिति में बताया है कि वे समुचित सुरक्षोपाय करेंगे। हम प्रतिदिन कौन से सुरक्षा उपाय देखते हैं ? हमारे देश में क्या हो रहा है ? सभी मूल टेलीफोन सेवाएं दे देने के बाद देश का क्या होगा ? इसे गैर-सरकारी क्षेत्र को दे देने के बाद देश का भविष्य क्या होगा ? इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

अब गैर-सरकारी भारतीय कम्पनियों को भी यह ठेका लेने की अनुमति दी गई है परन्तु सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को यह अनुमति नहीं दी गई है। गैर-सरकारी कम्पनियां मूल टेलीफोन सेवाओं के लिए निविदाओं में भाग लेंगी। यहां तक कि यह कहा जाता है कि भारतीय कम्पनियों को लाइसेंस दिए जाएंगे परन्तु शर्त यह है कि उन्हें 5 लाख टेलीफोनों के प्रचालन का अनुभव अवश्य होना चाहिए उन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की दया पर छोड़ दिया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसी भारतीय कम्पनी होगी जिसे 5 लाख टेलीफोनों के प्रचालन का अनुभव है। किस भारतीय कम्पनी को इस प्रकार का अनुभव होगा ? इसलिए, वे चाहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आगे आएं और भागीदारी में शामिल हों। कुछ कम्पनियां जिनमें मंत्रियों के रिश्तेदार तथा मित्र हैं वे कम्पनियां भागीदारी में शामिल होंगी। परन्तु देश का क्या होगा ? और क्या होने जा रहा है ? उनको ऐसी शर्त क्यों रखनी चाहिए ? यहां तक कि हमारी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को आने की अनुमति नहीं है। मैं इस मामले में विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

इससे रोजगार की सुरक्षा भी नहीं रहेगी। ब्रिटेन में तथा अन्य कुछ देशों में जहां, दूरसंचार का निजीकरण हुआ है, हजारों कर्मकारों की छंटनी की गई है। इसलिए अनुभव यह है। हमारी भी यही नियति होगी। आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के इशारों पर नाच रहे हैं जो देश के हित में नहीं है।

डाक विभाग के बारे में आपने कहा है कि 1,52,815 डाकघर देश में हैं। देश में डाक-तार कर्मचारियों का क्या अनुभव रहा है ? इसमें छः लाख से अधिक कर्मचारी हैं। वे क्या काम कर रहे हैं ? वे न केवल डाक-तार सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि वे बचत बैंक सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। वे कितना काम कर रहे हैं ? वे डाक बीमा, डाक बचत, सैनिक पेंशन तथा अन्य अनेक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बांड तथा अन्य सेवाएं भी वे देते हैं। वर्ष 1993 से 1994 तक 7 हजार करोड़ रुपये तक की बचत में वृद्धि हुई। इस समय बचत खातों तथा बांडों में बकाया धनराशि कितनी है ? यह लगभग 67 हजार कुछ करोड़ रुपये है। वे अनेक कार्य कर रहे हैं। उन्हें मिल क्या रहा है ? इन सभी सेवाओं के लिए उन्हें केवल 72 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। जोकि एक प्रतिशत है। सोशल आडिट पैनल ने इसकी प्रशंसा की है। संचार मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति ने इस बात की सराहना की है कि देश की डाक प्रणाली में आज लगभग कुल 100 मिलियन खाते हैं तथा किसी न किसी रूप में लगभग 56,000 करोड़ रुपये की बचत की जाती है। यह धनराशि देश में बैंकिंग प्रणाली द्वारा की जाने वाली बचत का लगभग एक-तिहाई है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंश पर दिया जाने वाला बोनस जीवन बीमा निगम द्वारा दिए जाने वाले बोनस से अधिक है।

स्पेशल आडिट पैनल की टिप्पणियों के सम्बन्ध में समिति ने कहा था कि यदि डाक विभाग की इन विभिन्न एजेंसी सेवाओं के लिए समुचित क्षतिपूर्ति की जाती है तथा वित्त मंत्रालय द्वारा इसे मान्यता दी जाती है केवल तभी डाक सेवाओं में कुछ निवेश की आशा की जा सकती है।

प्रत्येक व्यक्ति डाक सेवाओं के बारे में शिकायत करता है। इस समिति ने सिफारिश की थी कि डाक विभाग के कार्य का मूल्यांकन किए बिना कोई और वित्तीय सेवाएं इसे वास्तव में नहीं दी जानी चाहिए।

परन्तु अब यह 'महिला समृद्धि योजना' भी डाक विभाग को दे दी गई है। क्या आप उस समिति की रिपोर्ट का आदर करते हैं जिसे आपने नियुक्त किया था ? आप उन्हें कितने प्रतिशत दे रहे हैं ? बैंकिंग क्षेत्र पर विचार कीजिए। आप वहां कितना व्यय कर रहे हैं ? परन्तु इन लोगों को आप नगण्य धनराशि दे रहे हैं। आधे से अधिक कर्मचारी केवल 450 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये या इसी तरह पा रहे हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि विभागेतर व्यक्ति कम धन पा रहे हैं। मंत्री जी कहेंगे 'नहीं' और अधिकारी भी हमसे कहेंगे 'ओह 800 रुपये'। ऐसे लोग हैं जो 800 रुपये या 900 रुपये पा रहे हैं। इसकी प्रतिशतता क्या है ? यह दो या तीन प्रतिशत है। दूसरों को कम मजदूरी मिल रही है। उन्होंने हड़ताल की और उसके बाद कुछ वादे किए गए थे। क्या किया गया ? डेढ़ वर्षों बाद उन्होंने विभागेतर समिति (ईडी कमेटी) का गठन किया। विभागेतर समिति डेढ़ वर्ष बाद बनाई गई। जब आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा विदेशी कम्पनियों की सहायता करना चाहते हैं तो आप शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही करते हैं। परन्तु इन गरीब विभागेतर कर्मचारियों के लिए, जो देश की गाढ़े में सहायता कर रहे हैं, समिति का गठन करने में डेढ़ वर्ष लगे।

मेरे पास समय नहीं है अन्यथा अनेक बातें कहने को हैं। वास्तव में उस समय क्या समझौता हुआ था ? विभागेतर समिति के विचारणीय विषयों को संघ (फेडरेशन) के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाएगा। विचारणीय विषयों में यह कहा गया था कि समिति यूनियन की विभागेतर एजेंटों से सम्बन्धित सभी मांगों की जांच करेगी तथा समिति से विशेषतया विभागेतर एजेंटों को पेंशन की स्वीकृति सम्बन्धी मांगों की जांच करने तथा उन पर सिफारिशें करने को कहा जाएगा। विभागेतर समिति बनाते समय क्या आपने इसे उन विचारणीय विषयों में शामिल किया ? सभापति महोदय, कितना अन्याय हुआ ? तीन लाख लोग देश में इतना काम कर रहे हैं तथा देश के लिए इतना अधिक कमा रहे हैं। बैंकिंग वित्त के एक-तिहाई के बराबर वे देश में जमा कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है ? यहां तक कि पेंशन योजना को विचारार्थ विषयों में शामिल नहीं किया गया है जिस पर कि वे सहमत हो गए थे कि इसे शामिल किया जाएगा। ऐसा उन्होंने डेढ़ साल बाद किया।

डाक विभाग का कार्य-निष्पादन अच्छा क्यों नहीं है ? यदि यह खराब है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने रेलगाड़ियों में छंटाई बन्द कर दी। रेलगाड़ियों में छंटाई बन्द कर दी गई तथा अनेक रेलवे डाक सेवाएं (आर. एम. एस.) बन्द की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या आर. एम. एस. में रेस्टोरेशन आफ सार्टिंग सेक्शन के अन्तर्गत जुलाई, 1987 में नियुक्त की गई संचार सम्बन्धी संसदीय परामर्शदात्री समिति की उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, यदि हां तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई या किए जाने का प्रस्ताव है। इसका उत्तर यह था, "यह मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है"। मैंने अपना प्रश्न 1991 में पूछा था और मुझे 1995 में

उत्तर मिला। तब भी उत्तर यह है कि "यह सरकार के सक्रिय विचाराधीन है"। क्या आपको शर्म नहीं आती ? मैं इस सरकार से पूछता हूं। क्या उन्हें ऐसा कहते शर्म नहीं आती ? संसदीय परामर्शदात्री समिति की उपसमिति द्वारा इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चार वर्ष बाद भी उन्होंनं कोई निर्णय नहीं लिया है। वह निर्णय नहीं लेंगे क्योंकि कारण आप जानते हैं।

उन्होंने पंचायत सेवा योजना के तहत देश में बेरोजगार युवकों के लिए 300 रुपये का वायदा किया है। वायदा क्या है ? अनेक अन्य एजेंसी सेवाएं हैं। अपने अन्य काम हैं। उन्हें भुगतान किया जाएगा और आपको 1000 रुपये मिलेंगे। अब विभागेतर कर्मचारी एजेंसी सेवाएं, डाक विभाग का कार्य तथा प्रत्येक कार्य कर रहे हैं। आप उन्हें 1000 रुपये क्यों नहीं दे सकते जिसका आपने युवकों से वायदा किया है ? इस प्रकार यह बेरोजगार युवकों को धोखा देना है। आपके विभाग में बंधुआ मजदूर हैं और उन्हें कर्मचारी नहीं माना जा रहा है। आप कहते हैं वे विभागेतर कर्मचारी हैं। स्वतन्त्रता के इतने वर्षों पश्चात् मैं कहता हूं संचार सेवा रक्षा का एक भाग है। आप इसे समझिए। अब मूल टेलीफोन सुविधाओं का निजीकरण किया जा रहा है और इसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दिया जा रहा है। इससे देश का भविष्य भी तबाह हो जाएगा। देश की सुरक्षा खतरे में है।

मैं सत्ता दल के सदस्यों से पूछता हूं कि क्या वे खतरों के प्रति सचेत थे ? क्या सत्ता पक्ष के लोगों में कोई देशभक्त नहीं है जो इसके विरुद्ध लड़ सके ? वे शान्त कैसे रह सकते हैं जब देश का भविष्य दांव पर लगा है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्रीमती सुशीला गोपालन : बाहर लोग सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। सभी कर्मकार, किसान, व्यवसायी, स्त्रियां, वैज्ञानिकों तथा कलाकारों के सभी वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति सरकार की नीतियों के विरुद्ध है और यदि सरकार बदलाव नहीं लाती है तो इसे बदल दिया जाएगा। यह निश्चित है। उन राज्यों के लोगों ने जहां चुनाव हुए हैं, रास्ता दिखा दिया है। मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त करती हूं।

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, मैं संचार मंत्रालय की इन अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं क्योंकि संचार मंत्रालय द्वारा तैयार की गई नीति सन्तोषजनक नहीं है और देश में दूरसंचार से संबंधित स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। जहां तक दूरसंचार तंत्र का सवाल है, हम अन्य उन्नत व विकसित देशों की तुलना में पिछड़े हुए हैं।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि दूरसंचार एक महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधा है और जहां तक हमारी आर्थिक प्रगति और हमारे निर्यात का सम्बन्ध है वे भी बहुत हद तक इस दूरसंचार विभाग की इन मूलभूत सुविधाओं पर ही निर्भर हैं। किन्तु हमारे सत्ता पक्ष के विभिन्न सदस्यों द्वारा जो महिमा गाई गई है और जो प्रशंसा की गई है मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा एक वर्ष पूर्व राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा की गई थी और बहुत ही लुभावने लक्ष्य निर्धारित किए गऐ थे तथा विभिन्न दलों के विभिन्न सदस्यों को इनसे अवगत कराया गया था। इसकी घोषणा विशाल जनसमूह के बीच संवाददाता सम्मेलन में भी की गई थी। सभा में सभी दलों ने भी इसका स्वागत किया था। किन्तु माननीय मंत्री जी द्वारा घोषित दूरसंचार नीति चाहे जो हो और इसमें चाहे जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हों, चाहे जो उद्देश्य रखे गए हों, 31 मार्च, 1997 तक इनके प्राप्त होने की आशा नहीं है।

सर्वप्रथम, मंत्री महोदय द्वारा, देश के विभिन्न भागों में कम से कम 10 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से ढाई मिलियन कनेक्शन निजी क्षेत्र द्वारा दिए जाने थे और साढ़े सात मिलियन कनेक्शन दूरसंचार विभाग द्वारा दिए जाने थे। किन्तु अभी मुश्किल से दो वर्ष बीते होंगे कि सरकार ने बड़े ऊंचे स्वर में घोषणा की कि इस लक्ष्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्राप्त कर लिया जाएगा जोकि 31 मार्च, 1997 को पूरी होने जा रही है—और वास्तविकता यह है कि दूरसंचार विभाग द्वारा केवल साढ़े तीन मिलियन टेलीफोन कनेक्शन ही दिए जा सके हैं। शेष 6.4 मिलियन कनेक्शन दो वर्षों में किस प्रकार दिए जाएंगे ? इसमें अत्यधिक संदेह है। संचार मंत्रालय चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मुझे संदेह है कि संचार मंत्रालय इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। मंत्री महोदय चाहे जितनी कोशिश कर लें, निजीकरण या विश्वव्यापीकरण कर लें तथा जो भी तरीका अपना लें, इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी।

इसी प्रकार एक और बात की घोषणा माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई थी कि 6 लाख गांवों को दूरभाषों के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। परन्तु अब तक मुश्किल से 1.8 लाख गांवों को ही दूरभाषों द्वारा जोड़ा गया है। जहां तक वर्ष 1994-95 में टेलीफोन कनेक्शन देने का संबंध है, दूरसंचार विभाग अभी तक 3500 गांवों को ही शामिल कर पाया है तो छह लाख गांवों को कैसे जोड़ा जाएगा।

4.00 म. प.

माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस सम्माननीय सदन के समक्ष यह घोषणा और यह वायदा कैसे कर लिया गया ? ये सब झूठे साबित हो रहे हैं। किसी भी आश्वासन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कोई भी लक्ष्य पूरा या प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार, भारत की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में तीसरा लक्ष्य यह रखा गया था कि निजी क्षेत्र 23000 करोड़ रुपये लगाएगा। निजी क्षेत्र कम से कम 23000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करेगा। किन्तु आपके भरसक प्रयास के बावजूद भी ये लक्ष्य पूरे होते नहीं दिखते। मैं समझता हूं मुश्किल से 23000 करोड़ रुपये का एक भाग ही निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जाएगा। इसलिए आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा।

जहां तक आपके द्वारा दिए गए आश्वासनों, तैयार और घोषित की गई नीतियों का संबंध है, आपको अपने लक्ष्यों में भारी कटौती करनी पड़ेगी। आपको अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा और आपको अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को भी बदलना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे होने वाले नहीं हैं। ये केवल खोखले आश्वासन हैं और यह खोखले आश्वासन किसी भी प्रकार पूरे होने वाले नहीं हैं।

इसी प्रकार, नयी दूरसंचार नीति में अनेकानेक प्रयास किए गए हैं। उनमें से एक यह है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी; यह एक तीन सदस्यीय स्वायत्तशासी संगठन होगा। किन्तु जहां तक इस भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का सवाल है यह बहुत विस्तृत है क्योंकि यह मूल्यों और मानक पर नियंत्रण रखेगा और हमारे यहां के उपभोक्ताओं को विश्व स्तर के मानक प्रदान करने की कोशिश करेगा। जहां तक उपभोक्ताओं के हितों का सवाल है यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ज्यादा बिल आने, काल की कीमत और मानक बनाए रखने तथा अन्य सुविधाओं पर भी निगरानी रखेगा। इन सब पर यह नियामक प्राधिकरण ही ध्यान देगा।

इसी प्रकार, प्रदाताओं की संख्या बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि एक सर्किल में एक सेवा प्रदाता को लाइसेंस दिया जाएगा जिससे दूरसंचार विभाग के साथ प्रतियोगिता रहेगी। कुछ विवाद भी हो सकते हैं। आने वाले समय में यदि विवाद होते हैं तो उन्हें सुलझाना भी इस भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का कर्त्तव्य और जिम्मेदारी होगी। तीन सदस्यीय निकाय इन सब कार्यों को नहीं कर सकता। इसमें उपभोक्ताओं, श्रमिकों, सामाजिक संगठनों, सरकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए क्योंकि यह एक प्रतिनिधिक निकाय होना चाहिए। जब तक यह निकाय प्रतिनिधिक नहीं बन जाता है तब तक यह सभी संबद्ध पार्टियों और लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता भले ही मंत्री महोदय कितने ही प्रयास क्यों न कर लें।

इसी प्रकार, इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा कतिपय कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें अधिकतम 49 प्रतिशत की विदेशी भागीदारी होगी। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत अच्छा कदम है। विदेशी शेयर धारक बहुसंख्यक नहीं बल्कि अल्पसंख्या में होंगे। 51 प्रतिशत शेयर देशवासियों के होंगे। अतः शेयरों की बहुसंख्या पर उन्हीं का नियंत्रण होगा जोकि एक बहुत अच्छी बात है। परन्तु इसी समय मैं यहां यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह दूरसंचार विभाग एक अति संवेदी विभाग है और दूरसंचार का क्षेत्र एक संवेदनशील क्षेत्र है। एक बार विदेशी भागीदारी शुरू हो गई तो सुरक्षा के पहलू पर भी ध्यान देना होगा। माननीय मंत्री महोदय को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी फर्मों से ही निविदाएं आमंत्रित की जाएं जो अत्यधिक लोकप्रिय तथा सुनामी हों।

4.05 म. प.

(श्री पीटर जी. मरबनिआंग पीठासीन हुए)

केवल तभी उन्हें देश में आने की अनुमति दी जानी चाहिए। अन्यथा आपकी सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी और देश पर कभी भी खतरा मंडरा सकता है क्योंकि यह एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है।

इसी प्रकार, निजीकरण में भी उनकी बहुत रुचि है। उसका हम स्वागत करते हैं। उनकी रुचि केवल निजीकरण में ही नहीं है बल्कि उनकी रुचि तो विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, बाधीकरण और न जाने किस-किस में हैं। यहां तक कि बकरी को बाधिन में तब्दील कर दिया जाएगा। ये कदम बहुत प्रशंसनीय हैं किन्तु इसके साथ ही हमें उन कामगारों के हितों का भी ख्याल रखना है जिन्हें निजीकरण के परिणामस्वरूप रोजगार से निकाल दिया जाएगा। मैं सरकार को सावधान करना चाहूंगा कि यदि किसी कामगार को नौकरी से निकाला गया तो न तो दूसरे कामगार चुप रहेंगे और न ही यूनियनें, इन कामगारों पर आश्रित लोग, श्रमिकों के हितैषी चुप रहेंगे। उनके सामने अनेक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और तब वे उन समस्याओं को सुलझाने की स्थिति में नहीं होंगे।

मैं जनता दल से हूं और जनता दल तन-मन से पूरी तरह आरक्षण नीति में विश्वास करता है चाहे वह निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, विदेशी क्षेत्र हो, विदेश संचार हो, दूरसंचार हो या फिर कोई भी क्यों न हो। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के बहुत कम अवसर हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में हम दिन-प्रतिदिन रोजगार के अवसरों को खोते जा रहे हैं। मैं इसे गम्भीरता से लेता हूं कि इस आरक्षण नीति को निजी क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए।

जहां तक बिहार का सवाल है, वह सभी तरह से पिछड़ा हुआ है। परन्तु जहां तक खनिज संसाधनों, वन संसाधनों और अन्य संसाधनों का सवाल है वहां इन संसाधनों के खजाने भरे पड़े हैं।

[अनुवाद]

परन्तु इन संसाधनों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे अन्य अनेक पिछड़े राज्य भी हैं, जैसा कि मेरे मित्र बता रहे हैं, यह पिछड़े हुए हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं (व्यवधान) चूंकि हमें केन्द्र से पर्याप्त धनराशि नहीं मिल रही है, इसी कारण हम पिछड़े हुए हैं। जहां तक इन राज्यों का संबंध है, बुनियादी सुविधाएं अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए तथा दूरसंचार विभाग को इन राज्यों की ओर और अधिक ध्यान देना चाहिए।

मेरे मित्र श्री देवेन्द्र जी ने, जो इस सभा में जनता दल के मुख्य सचेतक हैं, ने बताया है कि एम. ए. आर. प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। आप यह मानें या न मानें, किन्तु आपकी एम. ए. आर. प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। यह प्रणाली पंचायत स्तर तक ले जानी होगी। यह प्रणाली स्थापित की जा चुकी है, केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा माइक्रोवेव टावर्स खड़े किए जा चुके हैं। यह सभी यहां देखे जा सकते हैं। परन्तु जहां तक कार्य और कुशलता का संबंध है, कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

झंझारपुर में एक केन्द्र है, जो हमारे आदरणीय मित्र श्री देवेन्द्र जी का निर्वाचन क्षेत्र है, जिसकी क्षमता छः यू. एच. एफ. है। इसकी क्षमता सोलह यू. एच. एफ. तक अवश्य बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि मांग बढ़ रही है। क्षमता मांग के अनुरूप होनी चाहिए।

जहां तक मेरे मित्र श्री राजेश कुमार का संबंध है, वह गया और बोधगया के रहने वाले हैं जोकि आकर्षणीय सुन्दर तथा तीर्थस्थल हैं। विश्व के सभी कोनों से पर्यटक यहां आते हैं। वहां एक केन्द्र स्थापित किया गया था परन्तु अभी तक इसे चालू नहीं किया गया है।

जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोडरमा का संबंध है यह भी बहुत पिछड़ा हुआ है। मैंने माननीय मंत्री जी से अनेक बार अनुरोध किया कि वहां एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। वहां दूरभाष केन्द्र स्थापित किए जाने की भी आवश्यकता है। एक केन्द्र जो हजारीबाग—जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, में कार्य कर रहा था—को कर्मचारियों ने जला डाला था। सासाराम में—जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है तथा जो हमारे आदरणीय मित्र श्री छेदी पासवान का निर्वाचन क्षेत्र है—वहां एक सर्किल आफिस बनाया गया है; परन्तु इसका भी अभी उद्घाटन नहीं किया गया है और यहां भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। जहां तक कोडरमा का सवाल है वहां झुमरी तलैया—जोकि अत्यधिक सजीव चित्रों वाला तथा सुन्दर स्थान है, जहां बांध तथा अनेक खूबसूरत स्थान हैं। परन्तु दूरसंचार विभाग उधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी प्रकार हजारीबाग में माइक्रोवेव प्रणाली को कर्मचारियों ने फूंक डाला था। मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी लापरवाह व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। यह कहा जाता है कि जहां तक हस्तचालित एक्सचेंज का संबंध है वहां भ्रष्टाचार की बहुत गुंजाइश है तथा कर्मचारी घूस ले सकते हैं। परन्तु यदि माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित हो जाए तो उसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है और यदि गुंजाइश हो भी तो कम है तथा इसीलिए लोग इन सभी कदाचारों का सहारा लेते हैं।

मैं आपके जरिए माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन सभी

पहलुओं पर अवश्य ध्यान दिया जाए तथा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति दुबारा बनाई जाए। आपके लक्ष्य भी दुबारा निर्धारित किए जाएं तथा उनकी जांच की जाए। इसी प्रकार आरक्षण नीति तथा अन्य नीतियों की ठीक प्रकार से तथा सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मेरा नाम पुकारने के लिए धन्यवाद।

मैं संचार मंत्रालय से सम्बन्धित मांग सं. 13 तथा 14 का पुरजोर समर्थन करती हूं। मुझे अफसोस है कि मुझे मिलने वाले कम समय में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए मेरे पास आदिशेषन की तरह हजार जीभें नहीं हैं।

मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं जो नरसिंह राव सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

मैं पहले डाक विभाग के बारे में बोलना चाहती हूं। मैं वर्ष 1995-96 के लिए पंचायत डाक सेवा केन्द्र के लिए 1000, इलेक्ट्रानिक मनी ट्रांसफर सिस्टम के विस्तार के हेतु 49, स्पीड पोस्ट हेतु ट्रैक एण्ड ट्रेस सिस्टम के लिए 20, डाकघरों के आधुनिकीकरण के लिए 500, मल्टीपरपज काउन्टिंग मशीन के लिए 1000, विभागेतर शाखा डाकघर का जिला उप-डाकघर के रूप में उन्नयन के लिए 150 केन्द्र तथा लेटर बाक्स की संख्या के लिए 26,000 का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मंत्रालय को बधाई देती हूं।

हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में 23.12 वर्ग किमी. क्षेत्र के लिए तथा शहरी क्षेत्र में 316 वर्ग किमी. क्षेत्र के लिए एक डाकघर है। अन्य शब्दों में गांवों में 4,612 लोग तथा शहरों में 12,924 लोग डाकघर की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हमारी डाक सेवा विश्व के सभी देशों में सबसे सस्ती है। मुझे मुम्बई में देश की प्रथम आटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किए जाने का वास्तव में गर्व है जो अप्रैल, 1993 में चालू किया गया तथा जो निश्चित रूप से सितम्बर, 1995 में मद्रास में भी स्थापित कर दिया जाएगा। 1991 में केवल 22 डाकघर स्वचालित थे। परन्तु अब स्वचालित डाकघरों की संख्या बढ़कर 657 हो गई है। अब तक डाक टिकटों की बिक्री को छोड़कर पूर्ण स्वचालित काउन्टर वाले 53 डाकघर देश में कार्य कर रहे हैं। क्या मैं और अधिक डाकघर स्वचालित बनाने के लिए मंत्रालय के लक्ष्य हेतु उसे बधाई दे सकती हूं ताकि पूर्णतया स्वचालित डाकघरों की संख्या अगले वर्ष के अन्त तक 500 हो जाए।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने 1994 की सियोल कांग्रेस तथा 1991 की वाशिंगटन कांग्रेस में अपने इस निर्णय को दोहराया था कि उपभोक्ताओं की देखभाल उनका आदर्श वाक्य है। मेरे विचार में भारत शीर्ष से प्राप्त कुशल मार्गदर्शन में उपभोक्तओं को अधिकतम संतोष प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। वास्तव में यह एअरलाइनों, रेलवे, रोडवेज, शिपिंग आदि की कार्य-कुशलता पर निर्भर करता है। इसलिए, मैं पत्र एकत्र करने, छंटाई, संप्रेषण, गन्तव्य स्थल पर अन्तिम छंटाई तथा बांटने आदि विभिन्न कार्यों तथा अन्य मंत्रालयों और विभागों से सम्बन्धित सेवाओं जैसे डाकघर बचत बैंक, महिला समृद्धि योजना, डाक जीवन बीमा, पासपोर्ट आवेदन पत्र की बिक्री, लाइसेंस-धारी स्टाम्प विक्रेता आदि में लगे सभी व्यक्तियों को बधाई देती हूं।

मैं मीट्रिक चैनल, राजधानी चैनल, बिजनेस चैनल तथा एक्सप्रेस पार्सल सर्विस जिन्हें क्रमशः 2-4-1994, 16-5-1994, 1-7-1994 तथा 1-12-1994 से शुरू किया गया था, के विचार की सराहना करती हूं तथा माननीय मंत्री महोदय से अन्य योजनाओं के बारे में और जानना चाहती हूं। 1994 के अन्त में अर्थात 16-12-1994 को माननीय प्रधान मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव ने उपग्रह मनीआर्डर सेवा राष्ट्र को समर्पित की। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि देश के कम से कम 75 स्थानों में यह सुविधा वी. एस. ए. टी. नेटवर्क द्वारा उपलब्ध होगी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय हाइब्रिड मेल सर्विस के बारे में और अधिक बताएंगे जिसका उन्होंने 14-1-1995 को उद्घाटन किया था। इन सभी सुविधाओं के बारे में मैं मंत्री से और अधिक जानना चाहती हूं ताकि हमारा देश भी भारत सरकार के शुरू किए गए उद्यमों के बारे में जान सके।

महोदय, डाक विभाग में विभागेतर कर्मचारियों को नियंत्रित करने पर जोर दिया जा रहा है। चूंकि 'एक पद-एक पेंशन' रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध एक संवेदनशील मुद्दा है, विभागेतर कर्मचारियों को नियंत्रित करना डाक विभाग के समक्ष दयनीय है। इसलिए भी, डाक विभाग में रिक्तियों को भर करके हम विभाग की कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं तथा अधिक कार्य-भार के कारण कर्मचारियों की शिकायतें कम कर सकते हैं।

[अनुवाद]

इस संदर्भ में, मैं महिला समृद्धि योजना में कार्यरत एजेंटों की दयनीय स्थिति के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। भारत में नौकरी की चाह रखने वाली लाखों महिलाएं, निश्चित रूप से मिलने वाली कमीशन से प्रेरित होकर ग्रामीण महिलाओं में आत्म-निर्भरता और आर्थिक स्वतन्त्रता बढ़ाने में आश्चर्यजनक कार्य कर रही हैं। महिला समृद्धि योजना हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 2 अक्तूबर, 1993 को चलाई गई थी और मार्च, 1994 के अन्त तक 9,15,07,250 रुपये की कुल जमा राशि सहित 729041 खाते खोले गए हैं। जैसे पानी की एक-एक बूंद से महासागर बन जाता है, वैसे ही 4 रुपये की आरंभिक जमा राशि से अथवा इसके गुणज से इतने करोड़ रुपये बन जाते हैं। मैं जमाकर्ताओं और एजेंटों (निवेदकों) दोनों को बधाई देते हुए यह सिफारिश करना चाहती हूं कि उन एजेंटों को और अधिक सुविधा दी जानी चाहिए जिन्हें धनराशि को डाकघर में सुपुर्द करने और कारोबार संबंधी अन्य लेन-देन करने के लिए डाकघरों के बरामदों में कई-कई घण्टों तक लगातार खड़े रहना पड़ता है। और उन्हें नेशनल सर्विस स्कीम के एजेंटों की भांति कमीशन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है।

महोदय, यदि मैं स्टाफ वेलफेयर के लिए हॉलीडे होम्स और खेलकूद तथा उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने वाले 'एफीशियन्सी ब्यूरो' के कार्यकरण का उल्लेख नहीं करता हूं तो यह मेरी गल्ती होगी। लेकिन मैं यहां डाक सेवा के संबंध में कम बोलने के लिए विवश हूं क्योंकि मुझे यह आशंका है कि संभवतः मुझे दूरसंचार के बारे में बोलने के लिए पर्याप्त समय न मिले। इसलिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोडुंगलुर के निकट पथायाकड़, जो डाक प्राधिकारियों के अनुसार, केवल वित्तीय बाधाओं के कारण स्थानीय लोगों का अभी भी बरसों पुराना सपना है में एक नया डाकघर खोलने की विनम्र याचना के साथ मैं अब दूरसंचार की बात पर आती हूं। और मैं यथाशीघ्र अपनी बात पूरी करूंगी।

महोदय, हम गृहणियां सामान्यतः चावल बनाते समय पूरी तरह तैयार चावल में से चावल के एक दाने को दबाकर यह देखती हैं कि चावल पूरी तरह से बने हैं या नहीं। इसी तरह, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक विकास से, जोकि माननीय मंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, देश भर में दूरसंचार द्वारा प्राप्त की गई आश्चर्यजनक उपलब्धियों से भली-भांति परिचित हूं। हमारे एक माननीय सहयोगी ने पहले जो उल्लेख किया है कि वे केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं, यह उसके बिल्कुल विपरीत

है। मुझे इसकी ऊंचे स्वर में घोषणा करते हुए खुशी है क्योंकि केरल में मेरा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से काफी दूर है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस समय 30 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंज हैं जो 1991 से पहले लगभग 10 थे। मेरे जिले के प्रत्येक एक्सचेंज में अब एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 1991 से पहले स्थिति यह नहीं थी। इसलिए मैं सरकार की इस नीति के लिए उसको धन्यवाद देती हूं कि यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रतीक्षा सूची नए एक्सचेंज खोलने के लिए पर्याप्त है तो 5 किमी. की दूरी पर एक नया टेलीफोन स्थापित किया जा सकता है।

मैं सच्ची श्रद्धा से, अपने युवा, ओजस्वी, सक्रिय, उत्साही स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की मधुर स्मृति में साष्टांग प्रणाम कर रही हूं जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता और समझदारी से करोड़ों टेलीफोन उपभोक्ताओं तथा आवेदकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ओर टेलीफोन सुविधाएं आसानी से सुलभ कराने हेतु एक आधार तैयार किया और इस प्रकार देश की महान सेवा की।

हमारे वर्तमान संचार मंत्री इस स्थिति का सामना करते हुए हमारे माननीय प्रधान मंत्री के सफल मार्गदर्शन के तहत टेलीफोन उपभोक्ताओं को सन्तुष्ट करने का गरसक प्रयास कर रहे हैं।

इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं अथवा मेरा राज्य अथवा संपूर्ण देश पूर्णतः संतुष्ट है। पूरी तरह संतुष्टि कभी नहीं हो सकती। मैं तो केवल इस बात का उल्लेख कर रही थी कि हमने थोड़े समय में ही काफी कुछ पा लिया है और उसके लिए मंत्रालय की प्रशंसा की जानी चाहिए।

मेरे अनुभव से, हमारे माननीय संचार मंत्री द्वारा न्यायसंगत आवश्यकताओं को उच्च वरीयता दी जाती है। इससे मुझे इस वर्ष केरल के लिए 710 करोड़ रुपये की राशि मांगने का हौंसला मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि यह राशि केरल को आबंटित की जाती है तो इस वर्ष सभी उत्तरदायित्व निभाए जा सकेंगे। मैं राशि बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बता रही हूं। यदि ऐसा होता तो मैंने 1000 करोड़ रुपये की मांग की होती। केरल में प्रतीक्षा सूची सबसे लंबी है। हमारा छोटा-सा राज्य 3.4 लाख नये टेलीफोन कनेक्शनों के आवेदकों के साथ पंक्ति में सबसे आगे था। सूची में दूसरे नम्बर के राज्य में केवल 2.1 लाख आवेदक हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, केरल में प्रतिवर्ष कुल एक लाख नए टेलीफोन कनेक्शनों के प्रार्थना पत्र आ रहे हैं। इसलिए वर्ष 1997 तक हम और दो लाख आवेदकों की आशा कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान 3.4 लाख और दो लाख आवेदन पत्र—जिनकी आगामी दो वर्षों में प्राप्त होने की आशा है—से कुल 5.47 लाख आवेदन पत्र हो जाएंगे। हमारी नई टेलीफोन नीति के अनुसार, यदि हमें वर्ष 1997 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन देने की स्थिति लानी है तो अकेले केरल में हमें इस वर्ष तीन लाख उपकरण प्रदान करने होंगे। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि इस वर्ष केरल के लिए 710 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की जाए।

अन्य राज्यों की तुलना में केरल में विदेशों से तीन से चार गुना अधिक टेलीफोन आते हैं। इस प्रकार केरल, विदेश संचार निगम लि., जिसे पहले ओवरसीज कम्युनिकेशन्स सर्विसेज के नाम से जाना जाता था, के राजस्व में वृद्धि करने में सहायता कर रहा है। इस निगम की लाभप्रदता विदेशों से आने वाले टेलीफोनों पर निर्भर करती है और यदि इस निगम द्वारा अर्जित राजस्व का एक भाग केरल को दिया जाता है तो यह राशि केरल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी अधिक होगी। जैसाकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि विदेशों से आने वाले टेलीफोनों द्वारा अर्जित राजस्व से हिस्सा प्राप्त करना संभव नहीं है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अप्रवासी भारतीयों, जो मूलतः केरल के निवासी हैं, से हमारे देश की आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, यदि उस राज्य में और अधिक दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इससे भी मेरी बात को समर्थन मिलता है कि इस वर्ष केरल के लिए 710 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की जाए।

मैं माननीय मंत्री जी का केरल में पिछले वर्ष मुख्य अभियंता (सिविल) के नेतृत्व में एक पृथक सिविल स्कंध की स्थापना करने के लिए आभारी हूं। इससे पूर्व हमें मद्रास में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने के लिए अतिरिक्त धन, शक्ति और समय लगाना पड़ता था। अब हमें आशा है कि विशेष रूप से केरल के लिए एक मुख्य अभियंता (इलैक्ट्रिकल) दिया जाएगा। पहले मद्रास में कार्यालय स्थापित कर हमारे राज्य के विद्युत संबंधी कार्यों पर नियंत्रण करना उपयुक्त था। लेकिन अब स्थिति काफी बदल गई है। इसलिए केरल के लिए मुख्य अभियंता (इलैक्ट्रिकल) की आवश्यकता न्यायोचित है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे सहज अनुरोध पर सकारात्मक कार्यवाही करेंगे ताकि केरल में सभी इलैक्ट्रिकल और इलेक्ट्रो-मेकेनिकल सेवाओं यथा एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट, अग्निशमन आदि की आयोजना, डिजाइनिंग और कार्यनिष्पादन और अधिक सरल ढंग से किया जा सके।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में विशेष रूप से मूथाहुन्नम, श्रीमूलानगरम, मंजाप्रा, वल्लाकुन्नु और श्रीनारायणापुरम में नए प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों को आरम्भ करने के संबंध में काफी चिंतित हूं। मैं मलक्कापारा को छोड़कर अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों के बारे में कुछ नहीं कह रही हूं। लेकिन मलक्कापारा, जो तमिलनाडु में उपरी शोलायार से 5 किमी. नीचे है, और जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, सबसे निकटतम शहर चलाकुडी से 90 किमी. दूर है। मलक्कापारा में यहां तक कि स्थानीय पुलिस स्टेशन के लिए भी टेलीफोन की सुविधा नहीं है। इस स्थान पर किसी प्रकार की टैक्सी अथवा आटोरिक्शा सेवाएं आदि भी नहीं हैं। हजारों मजदूर और जनजातीय लोग बाहर की दुनिया से बेखबर होकर वहां रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे मलक्कापारा में रहने वाल भाई-बहनों पर दयादृष्टि डालें और वहां पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुछ करें ताकि वे लोग भी कम से कम बाहर की दुनिया को अपनी आवश्यकताएं बता सकें।

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि संसद सदस्यों के लिए दिल्ली तथा निर्वाचन क्षेत्र के फोन के लिए प्रति वर्ष 50,000 निःशुल्क कालें विशेष रूप से केरल के संसद सदस्यों के लिए काफी कम हैं। एक वर्ष में 50,000 कालों का अर्थ है—एक माह में लगभग 4,000 कालें। महोदय, केरल राजधानी से काफी दूर है। मान लीजिए, यदि हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हों और हमें यह संदेश मिलता है कि किसी अभागे अप्रवासी भारतीय का विदेश में निधन हो गया है। परिवारगण दिवंगत व्यक्ति के अवशेष प्राप्त करने की जल्दी में होते हैं। तब वे क्या करेंगे ? वे सामान्यतः संसद सदस्यों से संपर्क करते हैं। उनकी आकुलता को कम करने के लिए संसद सदस्य को विदेश मंत्रालय के कार्यालय में टेलीफोन पर लंबी बात करनी पड़ेगी। केरल से दिल्ली टेलीफोन पर बात करने में प्रति सेकंड दो रुपये लगते हैं। उत्तर भारतीय सम्भवतः उन व्यक्तियों, स्थानों और घरों जैसे कुंजलिकुट्टी, थिरुरगंडी, मनंथवाड़ी, पादिनजराकुलायिंकरायल आदि के नामों से परिचित नहीं हो सकते। इसलिए हमें उन्हें तीन बार अथवा अधिक बार दोहराना पड़ता

है। हमें उसके स्थानीय पते तथा विदेशी पते के प्रत्येक शब्द की वर्तनी और वे सभी ब्यौरे जो वे चाहते हैं देने पड़ते हैं। इससे एक बार की गई टेलीफोन बातचीत ही एक हजार स्थानीय कालों के बराबर हो जाएगी।

शायद मृतक रिश्तेदार विदेश से भी समाचार जानने को उत्सुक होंगे। हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसका सब कुछ उजड़ गया है क्योंकि हो सकता है असमय मृत्यु को प्राप्त मृतक ही उन सबका सहारा रहा हो, ऐसी स्थिति में जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमें उनकी ऐसी सभी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेंगी।

इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि एक वर्ष में 50,000 काल बहुत कम हैं। मैं आशा करती हूं कि जन संचार माध्यमों से जुड़े लोग भी मेरे अनुरोध की सच्चाई को समझ गए होंगे और उन्हें इसमें कुछ अनुचित नहीं लगेगा।

दूरसंचार विभाग और इसके अधीनस्थ संबंधित विभागों की बात करें तो मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हालांकि हम पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचे हैं परन्तु गत वर्षों की तुलना में हमने काफी प्रगति की है जैसे कि आई. आई. आई. लि., एच. टी. एल. के. लि., वी. एस. एन. लि., टी. सी. आई. एल. तथा इसके संयुक्त उद्यम टी. टी. एल., आई. सी. एस. आई. एल., टी. बी. एल. ओ. टी. एस., टी. सी. आई. एल. सांडी कम्पनी लि. और महानगर टेलीफोन निगम लि. हमारे देश को अद्भुत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए राह खोलने वाली राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994, वर्ष 1997 तक अनुरोध पर टेलीफोन की संभाव्यता की सुविधा प्रदान करती है। कल विपक्ष की ओर से प्रारंभिक वक्ता मेरे माननीय साथी ने कहा था कि पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें केवल 25 लाख टेलीफोन कनेक्शनों की जरूरत है। उन्होंने संसदीय स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में दिए आंकड़ों की मदद से यह बताना चाहा था कि हम अपनी संचार लाइनों से पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और हम कम से कम 21 लाख और टेलीफोन दे सकते हैं। उन्होंने आश्चर्यजनक निष्कर्ष दे डाला कि उस समय की प्रतिक्षा सूची में मात्र 3 लाख लोग होंगे। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि इस बात को मान लें कि संचार संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 17वें प्रतियेदन को प्रस्तुत करने के बाद इस देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोई भी टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन नहीं करेगा। जैसाकि मैंने पहले कहा है, हमारे अकेले छोटे से केरल राज्य में अनुमानतः प्रतिवर्ष एक लाख नए आवेदनकर्ता होते हैं। इसलिए मैं सरकार की नीति का पूर्णतः समर्थन करता हूं और मैं इस सच्चाई से वाकिफ हूं कि कुल संसाधनों में 25,000 करोड़ रुपये की कमी है जिन्हें अपनी ओर से जुटाने के बारे में हमारा देश सपने में भी नहीं सोच सकता। सरकार की सैल्युलर मोबाईल टेलीफोन सेवा, रेडियो पेजिंग सेवा, इलेक्ट्रोनिक मेल, वीडियोटेक्स सेवा, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, वायस मेल, आडियोटेक्स सेवा, यू. एस. ए. टी. प्रयुक्त 64 के. बी. पी. एस. डेटा सेवा जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने की योजनाओं को अनपढ़ लोगों तक का समर्थन मिल रहा है। हालांकि भारत का एक आम नागरिक इन तकनीकी बारीकियों के बारे में कुछ नहीं जानता पर वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि उसका देश ई-10बी, नई प्रौद्योगिकी (मान्यकरण सहित) नई प्रौद्योगिकी (अमान्य), सी-डोट मैक्स-1, आई. सी. पी. और छोटे तथा मझौले एक्सचेंजों के जरिये लाभान्वित होता है और वह साधारणतः इस तथ्य से भी सहमत है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नए कार्यक्रमों का समर्थन करना उसका कर्तव्य है। एक अनपढ़ भारतीय ग्रामीण ने इस सच्चाई का अनुभव कर लिया है कि उसका पुत्र या पुत्री उससे विदेश से फोन पर ऐसे बात कर रहा होता है जैसे कि वह पास के कमरे से बोल रहा हो।

इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मुझे कटौती प्रस्तावों के बारे में कहने दें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकतर कटौती प्रस्ताव केवल नाम के लिए कटौती प्रस्ताव हैं। मेरे पास अनेक कटौती प्रस्तावों की सूची है। यहां तक कि स्थानीय संसद सदस्यों तथा स्थानीय ग्राहकों को उनके इलाकों में हाथ से चलने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने और उनका विस्तार करने के मामले में दूरसंचार विभाग द्वारा उन्हें समायोजित करने में इस विभाग की असफलता भी कटौती प्रस्ताव के रूप में हमारे सामने आ रही है। मेरा विनम्र विचार है कि यदि सांसद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की रोजमर्रा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें तो ऐसी चूक कभी नहीं होगी और हम अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकते हैं। इसलिए मैं, भविष्य में कटौती प्रस्ताव लाने वालों को अपनी मांगों को इस ढंग से प्रस्तुत न करने की प्रार्थना करती हूं और मांग संख्या 13 और 14 का पुनः समर्थन करती हूं तथा मंत्रालय को धन्यवाद देती हूं। आपकी अनुमति से अपनी सीट पर बैठती हूं।

सभापति महोदय : अब श्री तेज नारायण सिंह बोलेंगे।

वह यहां नहीं हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : महोदय, मैं बोलना चाहूंगा। मेरा नाम सूची में दूसरा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, चूंकि श्री तेज नारायण सिंह को बाहर जाना पड़ गया है इसलिए मेरे दल की तरफ से श्री विजय कुमार यादव बोलेंगे। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : पहले श्री दत्तात्रेय बंडारू को अपनी बात पूरी करने दें। उसके बाद आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : माननीय सभापति महोदय, टेलीकम्युनिकेशन की जो डिमांड ऑफ ग्रान्टस हैं, उसका मैं समर्थन इसलिए नहीं करता क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो टारगेट दिए गए थे, उस टारगेट के एचीवमेंट में 50 प्रतिशत तक भी उन्होंने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमें बताया गया है कि 1997 तक ऑन डिमांड टेलीफोन दिए जाएंगे और हर गांव की पंचायत में भी पब्लिक कॉल आफिस भी लगेंगे। साथ ही साथ पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जितने शहर हैं, उन शहरों में भी एस. टी. डी. की फैसिलिटी भी पूरी कर देंगे तथा इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज आने के बाद जितने भी मैनुअल एक्सचेंज हैं, वे सब इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदले जाएंगे। ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन आज मेरी जानकारी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि 50 प्रतिशत भी आपने पूरे नहीं किए। इसलिए मैं इन डिमांड आफ ग्रान्टस का समर्थन नहीं करता।

आज हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों के अन्दर भी टेलीफोन की बहुत जरूरत है। आज टेलीकम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। यह देश में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है। आज हमारी स्थिति यह है कि

अगर हम अमरीका से हैदराबाद बात करते हैं, तो वह फोन बहुत क्लीयर सुनाई देता है, लेकिन जब हम अपने क्षेत्र हैदराबाद से कहीं आसपास बात करते हैं तो आवाज बहुत कम सुनाई देती है। अमरीका से, इंग्लैण्ड से, पंजाब से जब हम बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं आसपास से ही बात कर रहे हैं। इसका क्या कारण है ? क्या यही एफीशेंसी है ? हमने करोड़ों रुपये लगाकर यह जो व्यवस्था की है, उसके बावजूद भी हमारी एफीशेंसी खराब है। आपने अप्रैल 1992 से मार्च 1997 तक बहुत से आंकड़े दिए हैं। आपने बताया है कि 1 करोड़ लाइन ऑन डिमांड बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। बाद में जरूर नेशनल टेलीफोन पॉलिसी एनाउंस की गयी। इसमें वेल्यू एडेड सर्विस है। वेल्यू एडेड सर्विस में पहली बात यह है कि उसमें सैलुलर फोन हैं और उसके बाद रेडियो पेजिंग है। इन दोनों के अलावा इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सेलुलर फोन केवल 4 मैट्रोपोलिटन सिटी में हैं जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ये फोन इन चारों सिटी में ही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि आप कम से कम पूरे देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं, उनमें सेलुलर फोन की व्यवस्था कराएं। साथ ही साथ जितने भी राजधानी केन्द्र हैं, उनमें भी इसको महत्व देना चाहिए।

दूसरा जो रेडियो पेजिंग है, वह केवल दिल्ली और बाम्बे में ही है, बाकी शहरों में नहीं है। मैं आपसे यही मांग करता हूं कि हैदराबाद और जितनी भी स्टेट कैपीटल हैं, उनमें इसको लागू करने के लिए आप कोशिश कीजिए। यह बहुत जरूरी है। आज हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना में

[अनुवाद]

हमने दूरसंचार विभाग में 32,500 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया है और इसके बावजूद भी हमें इस देश में अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए 23,000 करोड़ रुपये की और

[हिन्दी]

आज उसमें भी प्राईवेटाईजेशन का मामला आ गया। सरकार ने ज्वाइंट वैन्चर का जो टैन्डर कॉल किया है, उसमें बहुत कमियां हैं जिसके कारण आज भी टैन्डर पॉलिसी पूरी नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से हिन्दुस्तान की रैपुटेशन गिर रही है। इसके लिए दो-चार महीने नहीं, कम से कम दो साल का समय होना चाहिए। आज ब्रिटेन और न्यूजीलैंड इस देश में आने के लिए तैयार नहीं हैं। मंत्री जी एक्सटैन्शन देते जा रहे हैं। प्राईवेटाईजेशन तो ठीक है लेकिन साथ ही मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि टेलीफोन डिपार्टमैंट में दस साल से कोई रिक्रूटमैंट नहीं हो पाई है।

मार्डनाईजेशन और कम्प्यूटराईजेशन के नाम पर कम्पीटीशन बहुत अच्छी बात है लेकिन इससे अनइम्प्लॉयमैंट बढ़ती जा रही हैं। हजारों-करोड़ों रुपये इनवैस्ट करने के बाद भी दस साल में एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिली है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां मैनुअल लैवल पर काम हो सकता है वहां उससे ही काम किया जाना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हो जाने के बाद भी दिन-प्रतिदिन ऐफीशैन्सी कम होती जा रही है। ओवर बिलिंग की बहुत प्रॉबल्म है। आज लोग एस.टी.डी. लगवाने में डरते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों के गल्फ कंट्री में रिश्तेदार नहीं हैं, उनके पास भी वहां का टेलीफोन बिल आ जाता है। इसका क्या कारण है, यह मंत्री जी जानते हैं। राजेश पायलट जी ने दिल्ली में एक रैकेट पकड़ा था। आज हर शहर में पैरलल टेलीफोन एक्सचेंज चल रहे हैं। जिसको टेलीफोन का लाभ मिलना चाहिए, उसे नहीं मिल रहा है, डिपार्टमैंट वाले उनके टेलीफोन कनैक्शन काट देते हैं और जिनको नहीं मिलना चाहिए, वे इसका फायदा उठा रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विज़िलैंस डिपार्टमैंट सख्त होना चाहिए, विज़िलैंस डिपार्टमैंट को डायरैक्ट डी.ओ.टी. से कंट्रोल किया जाना चाहिए। विज़िलैंस डिपार्टमैंट को जी.एम. के हाथ में नहीं रखा जाना चाहिए।

आज विज़िलैंस डिपार्टमैंट को पूरा केन्द्रीकृत करके दिल्ली में डी.ओ. टी. के अन्दर ले आइये।

अभी जो आपका डिफाल्ट चल रहा है, वह कैबल फाल्ट की वजह से है। हैदराबाद शहर में सुख राम जी आए, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने आकर 72,000 टेलीफोन लाइनों के टेलीफोन एक्सचेंज का वहां उद्घाटन किया, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि मार्च के अन्दर 72,000 फोन देंगे, ऐसा कहकर प्रधान मंत्री जी के साथ इनोग्रेशन हो गया, लेकिन आज भी 50 परसेण्ट फोन मेरे शहर के अन्दर लोगों के नहीं आ पाये हैं।

4.45 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसका कारण क्या है कि केबल फाल्ट है, केबल नहीं मिलता। जितना आप लिब्रलाइजेशन कर रहे हैं, जितना आप उसको नीचे स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वह नहीं हो पा रहा है और आज डी.ओ.टी. के पास 70,000 फोन लगाने के लिए वहां पर केबल नहीं है तो आपने वहां 70,000 फोन देने का एनाउंस क्यों किया, वहां डेट क्यों दी ? टेलीफोन लगाए नहीं जाते, कनैक्शंस दिए नहीं जाते, इसलिए कि केबल फाल्ट है। आज केबल को परचेज करने में हर एकाउण्ट्स डिपार्टमैंट के अन्दर हर राज्य के अन्दर आप करोड़ों रुपये की राशि खर्च करते जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक सैक्टर कम्पनी में आज जो केबल प्रोड्यूस करते हैं, उसको आप नहीं खरीदते हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर आज हिन्दुस्तान केबल्स कम्पनी है, लेकिन हिन्दुस्तान केबल्स से केबल खरीदने के लिए आपका डी.ओ.टी तैयार नहीं है। बल्कि प्राइवेट कम्पनियों से केबल खरीदकर वह सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा रहा है। मंत्री महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ध्यान देकर हमारी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में बना हुआ जो केबल है, उस केबल को परचेंज करके उसको ज्यादा से ज्यादा काम में लाने का प्रयास करें। साथ ही साथ एक ही कम्पनी के साथ केबल परचेंज करने की नीति आप बन्द कर दीजिए। मेरे क्षेत्र के अन्दर केवल एक ही कम्पनी से पूरे एक लाख टेलीफोन का केबल खरीदा गया। हमारे बार-बार टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी में बोलने के बावजूद भी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। तो आप केबल के अन्दर भी क्वालिटी को लाने के लिए मोनोपली को तोड़कर बाकी लोगों को मौका दीजिए।

इसके साथ ही अनएम्पलायड लोगों को एस.टी.डी. फोन कनैक्शंस दिऐ जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले जो कामर्शियल लोगों को कनैक्शंस दिए गए हैं, आज टेलीफोन एक्सचेंज की जो कैपेसिटी है, उसमें कम से कम 5-6 परसेण्ट कनैक्शंस एस.टी.डी/ आई.एस.डी. अनएम्प्लायड यूथ को देना चाहिए, लेकिन आप इस नियम को कहीं भी लागू नहीं कर पा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 6 बजे गिलोटिन लागू होगा। मैं समझता हूं कि उससे पहले आप अच्छे-अच्छे मुद्दे उठा ही लेंगे और सरकार के उत्तर भी सुनने चाहेंगे। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

लेकिन एस.टी.डी./आई.एस.डी. की पांच परसेण्ट फोन देने की जो फैसिलिटी है, इससे बहुत से नौजवानों को, जो आज अनएम्पलायड हैं, हैण्डीकैप्ट हैं, यूथ हैं, उनके लिए जितने परसेण्ट फोन आपके एक्ट के अन्दर देने चाहिए, वह भी आज आप नहीं दे पा रहे हैं।

इसके साथ ही ओ.वाई.टी. का आपने 15,000 रुपये डिपाजिट फिक्स कर दिया। पहले यह 8,000 रुपये था, उसको अब आपने 15,000 रुपये कर दिया। जनरल टेलीफोन पर पहले जो डिपाजिट एक हजार रुपये था, आपने उसको बढ़ाकर तीन हजार रुपये कर दिया। आज कोई मामूली आदमी, मिडिल क्लास आदमी भी तीन हजार रुपये डिपाजिट करके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो जनरल कनैक्शन का पुराना एक हजार रुपया था, नान ओ.वाई.टी. फोन को एक हजार कर दीजिए और इसके साथ ही 15,000 रुपये की बजाय 8,000 रुपये ही डिपाजिट करने की मैं आपसे मांग करता हूं।

मेरी एक और महत्वपूर्ण बात है, जो बड़े-बड़े शहर हैं, खासकर हमारा हैदराबाद सिटी अब बड़ा शहर बन गया है, उसका टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट एरिया 50 किलोमीटर रेडियस में हो गया है तो उसका जो एक्रास इण्डस्ट्रियल एरिया है, उसमें आप एस.टी.डी. फैसिलिटी को बदलकर जनरल फोन, लोकल फोन में करने की कोशिश करें। इसके अलावा हमारे जो भी कैपीटल सिटीज हैं, उनमें लोकल काल का रेडियस एरिया 50 किलोमीटर बनाने से अच्छा रहेगा यह मैं मांग करता हूं। अन्त में मैं 199, 197, 183, 185 और फोनोग्राम सर्विसेज के बारे में कहना चाहूंगा कि यह सर्विसेज हमको बहुत परेशान करती हैं। हम 197 करते हैं तो उसमें एक अच्छा संगीत आता है और तीन बार वह ऐंगेज आकर चला जाता है।

अध्यक्ष महोदय : बंडारू जी, कांस्टीट्वेंसी के बारे में नहीं बोला जाता है, हिन्दुस्तान के बारे में बोला जाता है। कांस्टीट्वेंसी के बारे में आप उनको एक लैटर लिख दीजिए।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : कभी-कभी 197 पर फोनोग्राम बुक कराने पर उसका रिसपॉन्स नहीं मिलता है। इसकी वजह से हमारी फ्लाइट निकल जाती है और हमें काफी परेशानी होती है।

अध्यक्ष महोदय : आप शेष प्वाइंट्स लिख कर दे देना।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : अन्य मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों को संसद में नहीं उठाया गया है। आप 6 बजे गिलोटिन लागू करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप सदस्यों को उनके कटौती प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को नियम और कानून के अनुसार सही समय पर उठाएं। मैं उसी समय बताऊंगा कि क्या किया जा सकता है; उससे पहले नहीं।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, संचार मंत्रालय का काम इतना त्रुटिपूर्ण है कि इसकी मांगों का समर्थन करना इंसाफ नहीं होगा। मैं आपको एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं। एम.पीज. को जो गैस कनैक्शन मिलते हैं, उसके बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने दिसम्बर 1994 को एक टेलीफोन कनैक्शन जॉन थॉमस को देने के बारे में लिखा। वह दिल्ली का रहने वाला है। उसे आज तक टेलीफोन कनैक्शन नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मैटर इस समय नहीं उठाए जाते हैं। आप मिनिस्टर साहब को लैटर लिखिए। यहां पॉलिसी मैटर के बारे में बोलिए। एक-एक आदमी को टेलीफोन देने के बारे में यहां चर्चा करेंगे तो ठीक नहीं होगा।

श्री विजय कुमार यादव : मैं इसके बारे में मंत्री जी को दो बार पत्र लिख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे मैटर यहां रेज नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी की वकालत कर रहे हैं।

श्री विजय कुमार यादव : मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। मैंने इसके बारे में प्रधान मंत्री जी को भी पत्र लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : आप प्वाइंट पर आ जाए।

श्री विजय कुमार यादव : आज खास तौर पर गांवों में डाकघरों की बहुत आवश्यकता है। जो क्राइटीरिया नए डाकघर खोलने के लिए तय किया गया है, उसकी वजह से काफी लोगों को तकलीफ होती है। जहां डाकघर खोला जाना चाहिए, वहां डाकघर खोला नहीं जा रहा है। बहुत पहले वाले क्राइटीरिया में आहिस्ता-आहिस्ता तबदीली आई है। जो गांव तमाम क्राइटीरिया को पूरा करते हैं, वहां डाकघर नहीं खोले जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूं कि नए डाकघर खोले जाने का जो क्राइटीरिया है, उसमें तबदीली लायी जाए। जो गांव अधिक से अधिक आबादी को कवर करें, उन गांवों में आप डाकघर खोलें। डाकघर के कर्मचारी लम्बे अरसे से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे पूरी की जाएं। उनकी बहुत सी मांगे लम्बित हैं। उनके काम और जिम्मेदारी को देखते हुए चाहे उनके वेतन का सवाल हो या सहूलियतों का सवाल हो, उन पर विचार करना चाहिए और उन्हें वाजिब हक देना चाहिए।

डाकघरों में स्टाफ की कमी है। बहुत से डाकघरों में काम बहुत बढ़ गया है और कर्मचारियों पर काम का बोझा बढ़ गया है। उनके ऊपर तरह-तरह की जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं लेकिन स्टाफ नहीं बढ़ाया जा रहा है। इससे आम लोगों को काफी दिक्कत होती है। इसके लिए कोई आधार बनाया जाना चाहिए। डाकघरों में प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

पहले टेलीफोन विलासिता की वस्तु मानी जाती थी। अब यह जीवन की आवश्यक वस्तु बन गया है लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन की दर को बढ़ा कर तीन हजार रुपये कर दिया है। इससे साधारण लोगों को बहुत मुश्किल होती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन की दर को घटाया जाए।

आम जनता और खासतौर से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वे इसको लगा सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसके रेट को कम किया जाए।

निजीकरण की बात भी हो रही है, इससे सीधे कर्मचारियों की भरती पर असर पड़ता है। मैं समझता हूं कि सरकार ने इसको एक पॉलिसी के रूप में निर्धारित किया है और ज्यादातर जो इन्डस्ट्रीज हैं या जो इन्स्ट्चुशन्स हैं, उनको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस मामले में भी मंत्री जी को विचार करना चाहिए कि इससे कर्मचारियों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। बेरोजगारी दूर करने के लिए पे-कॉल-फोन की व्यवस्था की गई है, जिससे बेरोजगार लोगों की रोजी-रोटी का जरिया बन सके। लेकिन हमें मालूम हुआ है कि इसको देने में भी टालमटोल किया जा रहा है। इसको प्राप्त करने के लिए जो लोग दरख्वास्त देते हैं, उनको इसका लाभ मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं समझता हूं कि इस सुविधा को देने में तो सरकार को फायदा ही फायदा है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस सुविधा को देने में सरकार क्यों आना-कानी कर रही है।

पोस्ट डिपार्टमेंट का बड़ा खर्चा पोस्ट आफिसेस खोलने के लिए कार्यालयों पर किया जा रहा है। मेरा यह सुझाव है कि बारी-बारी करके यदि अपने आफिसेस बनाएं जाएं, तो किराए में जो बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है, वह बच सकती है। एक फायदा यह भी होगा कि किराए के लिए जो मकान लिए जाते हैं, उनको लेने में जो सरकारी पैसे का दुरूपयोग होता है, वह भी बच सकता है। वैसे तो पोस्ट आफिसेस की बहाली आदि के स्टैंडर्ड नियम हैं, लेकिन फिर भी इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं कोई स्पैसिफिक उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। ऐसे कोई गाइडलाइन्स या रूल्स बनाए जाने चाहिए और यदि हम कोई इस बारे में जानकारी सरकार को देते हैं, तो उस पर सरकार द्वारा वाजिब कार्यवाही की जानी चाहिए। इसलिए कम से कम इन मामलों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, उसको दूर करने की बात कही जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि दो-तीन सवाल जो मैंने उठाए, उन पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री याइमा सिंह जी कृपया बहुत संक्षेप में और मुद्दे पर ही बोलें।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह टिप्पणी करते हुए दुख हो रहा है कि जब तक संचार मंत्रालय देश के दूर-दराज और सूदूर इलाकों में संचार सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा तब तक लोग सजग नहीं होंगे। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि लाखों लोग ऐसे हैं जो टेलीफोन कनेक्शनों की पंक्ति में लगे अपनी बारी का इन्तजार कर रहे हैं। सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि लोगों की मांग पूरी कर सके, जोकि बहुत जरूरी है।

हम सरकार की प्रशंसा करते हैं कि वह संचार संबंधी राष्ट्रीय नीति बना रही है। लेकिन जहां तक उन नीतियों को लागू करने का सवाल है, इस संबंध में न तो सरकार तत्पर है और न ही गंभीर। यह मेरी टिप्पणी है। मेरा सुझाव है कि उसके लिए परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाए। हमारे यहां राष्ट्रीय स्तर की संसदीय परामर्शदात्री समितियां हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह की परामर्शदात्री समितियां राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हों और यदि संभव हो तो जिला स्तर पर भी हों। जिससे कि ये समितियां मंत्रालय को कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के बारे में सलाह दे सकें।

5.00 म.प.

इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं; और राज्य स्तर पर सलाहकार समितियां हैं। किन्तु क्षेत्रीय स्तर पर न तो कोई परामर्शदात्री समिति है और न ही कोई सलाहकार समिति। ऐसी समितियां राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में बहुत ही उपयोगी होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन समितियों का गठन किया जाए। इन समितियों का गठन करते समय दलगत रवैया न अपनाया जाए। केवल सत्तारूढ़ सदस्यों को ही इन समितियों का सदस्य न बनाया जाए। इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा हालांकि आपने निर्वाचन क्षेत्रों का उदाहरण देने से मना किया है। कृपया इसे अपवाद समझें। मणिपुर राज्य के लिए एक सलाहकार समिति है। हालांकि मैं इम्फाल के प्रतिनिधि के रूप में इस सभा में मणिपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे उस परामर्शदात्री समिति का सदस्य नहीं बनाया गया क्योंकि मैं समझता हूं कि यदि मुझे उस सलाहकार समिति का परामर्शदात्री समिति का सदस्य बना दिया जाए तो मुझे बहुत सी कमियों का पता लग जाएगा और मैं भ्रष्टता को उजागर करक दूंगा। इस बारे में मैं मंत्री जी को दो बार लिख चुका हूं किन्तु उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं इम्फाल से हूं और आन्तरिक मणिपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं, और वहां एक सलाहकार समिति है किन्तु मैं उसका सदस्य नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं के लिए इस सभा में तर्क नहीं दे सकते। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, अब मैं डाक सेवाओं पर आता हूं। सेवाओं के मामले में स्पीड पोस्ट की सेवाएं अच्छी नहीं हैं। हालांकि शुरूआत में स्पीड पोस्ट की सेवा अच्छी थी किन्तु अब वैसी नहीं रही और अब डाक देरी से पहुंचती है। निजी कूरियर सेवा कहीं अच्छी सेवाएं दे रही है। इसलिए हमें डाक सेवाओं में सुधार करना होगा। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

इसके पश्चात् मैं टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के बारे में कहना चाहता हूं कि इन एक्सचेजों को जोड़ने में समन्वय का अभाव है जिससे उनके सामने कठिनाईयां आ रही हैं। इन्हें ग्राहकों के लाभ के लिए प्रदान करने लायक बनाना बहुत कठिन कार्य है। इसी प्रकार दूरदराज के इलाकों में शाखा कार्यालयों के बीच समन्वय नहीं है जिसके कारण देश में दूरदराज के इलाकों में स्थिति इन शाखा कार्यालयों से लोग ज्यादा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अतः टेलीफोन एक्सचेंज ऐसे हों जो सेवाएं दे सकें। टेलीफोन एक्सचेंज केवल स्थापित भर किए गए हैं जोकि देश के हित में नहीं है।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जिलों में एस.टी.डी. टेलीफोन कनेक्शन देने के बारे में अनेक आश्वासन दे चुके हैं। किन्तु केवल झूठी आशाएं ही दी गई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। अन्य राज्यों के बारे में मैं नहीं जानता किन्तु मणिपुर के बहुत से जिले हैं जहां ये सुविधाएं नहीं हैं और ऐसी सुविधाएं उन इलाकों में उपलब्ध नहीं है। थोड़े से शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री राव जी कृपया केवल पांच मिनट तक ही बोलें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडुडे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे दिए गए थोड़े से समय में मैं कुछेक बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सर्वप्रथम, डाक

विभाग के बारे में इस विभाग के विस्तार, आधुनिकीकरण और यांत्रिकरण करने हेतु इसे कोई ज्यादा सहायता नहीं दी गई है। डाक विभाग का कहना है कि वह घाटा उठा रहा है परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि यह घाटा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के काम न करने के कारण नहीं हैं। जो मैं महसूस करता हूं वह यह है कि डाक विभाग में काम करने वाले लोग इसी प्रकार के अन्य विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वालों के मुकावले अपने काम को अधिक लगन से करते हैं। घाटे का एक मुख्य कारण है पोस्ट कार्ड की बहुत कम कीमत का होना। यह केवल हमारे ही देश में है कि हम केवल 15 पैसे में कोई संदेश कन्याकुमारी से कश्मीर भेज सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वर्ष 1985-93 की अवधि के दौरान आधुनिकीकरण और यांत्रिकीकरण के लिए जवकि 112 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे आपके विभाग ने केवल 22 करोड़ रुपये ही खर्च किए। इससे पता चलता है कि डाक सेवा नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने के प्रति कितना सजग है।

लाखों विभागेत्तर कर्मचारी इस बलवती आशा के साथ काम कर रहे हैं कि उनकी सेवाएं नियमित हो जाएंगी और निकट भविष्य में कभी न कभी उनके अच्छे दिन आएंगे और कुछ ही दिन पहले एक समिति तो गठित की गई है, किन्तु बहुत देरी से। परन्तु मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार मानवीय तरीका और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए और उन विभागेत्तर कर्मचारियों को सर्वाधिक प्राथमिकता दे जोकि पंचायत सेवा योजना स्कीम के अन्तर्गत उसी विभाग में काम कर रहे हैं। किसी नए आदमी को मौका देने के बजाय आप पहला मौका विभागेत्तर किसी ऐसे कर्मचारी को दे सकते हैं जो उसी इलाके का हो और आपके ही विभाग में अनेक वर्षों से काम कर रहा हो।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा संचार क्षेत्र के बारे में है। यद्यपि यह महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं में से एक है। मैं स्वीर्गीय श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजली देता हूं जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से हमारे देश को दूरसंचार के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय नक्शे पर लाने का प्रयास किया। श्री साम पितरोदा की सक्रिय इंजीनियरी से दूरमिति के विकास के केन्द्र विकसित करने के अनेक प्रयास किए गए हैं तथा उन्होंने एक्सचेंज विकसित किए हैं, 10,000 लाइनों से 30,000 लाइनों तक के अनेक छोटे बड़े एक्सचेंज विकसित किए हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, जो 1994 में घोषित की गयी थी, के कारण श्री राजीव गांधी के दूरदर्शिता को बड़ा धक्का लगेगा। श्री राजीव गांधी ने कहा था कि इस दूरसंचार क्षेत्र की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए हमारे देश को अपनी स्वदेशी क्षमताओं में आत्मनिर्भर होना चाहिए। आपके द्वारा इस नीति की घोषणा किए जाने से पूर्व भलीभांति चर्चा नहीं हुई थी। मैं अपने से पूर्व के वक्ताओं की बात को दोहराना नहीं चाहता कि आपने प्रधान मंत्री महोदय के संयुक्त राज्य अमरीका के दौरे की पूर्व संध्या को इसकी घोषणा की थी। मेरा कहना है कि हम विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के विरुद्ध नहीं हैं। जहां तक रेडियो पेजिंग, सेल्लुलर मोबाइल टेलीफोन या डाटा सर्विसीज और ऐसी अन्य सामानों जैसी मूल्य वाली सेवाओं का संबंध है, हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किन्तु मूल सेवाओं के संबंध में मैं महसूस करता हूं कि उन्हें इसमें प्रवेश की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि दूरसंचार विभाग हमारे उन घरेलू स्वदेशी उत्पादकों की उपेक्षा कर रहा है जिन्होंने सी-डाट से लाइसेंस लिए हैं। आपके विभाग ने वर्ष 1993-94 में केवल आठ लाख लाइनों का और वर्ष 1994-95 के दौरान नवम्बर तक छः लाख लाइनों का ही आदेश दिया किन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आपने वर्ष 1992-93 में पांच लाख लाइनों का आदेश दिया तथा सितम्बर, 1994 तक 17 लाख लाइने दी। हमारे स्वदेशी यूनिटों के साथ इस सौतेले व्यवहार के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। वे स्थापित नहीं रह पायेंगे। इस संबंध में, मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। पहले इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मूल्य बहुत अधिक थे किन्तु अब उन्होंने इन्हें कम कर दिया है। अब ऐसी स्थिति आ गयी है जबकि मूल्य न्यूनतम हो गए हैं और निकट भविष्य में हमारी कई घरेलू यूनिटों के बन्द हो जाने की संभावना है। उस स्थिति में ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, जिन्होंने अस्थायी तौर पर अपने मूल्य कम कर दिए हैं, दोबारा अपने मूल्य बढ़ा देंगी जिससे इस देश के लोगों को अधिक कीमतें देनी पड़ेंगी।

मैं टेलीकॉम रेगुलेट्री आथर्टी आफ इंडिया स्थापित करने के निर्णय का स्वागत करता हूं और मैं लम्बी दूरी के परिवहन तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन में विदेशी कम्पनियों को स्वीकृति न देने के सरकार के निर्णय का भी समर्थन करता हूं।

मंत्री महोदय से मेरा सुझाव है कि इस समय, भारतीय रेल का अपना स्वयं का नेटवर्क है। आपके दूरसंचार विभाग और भारतीय रेल के बीच समन्वय करने से आपके दूरसंचार विभाग को फायदा होगा, आप लम्बी दूरी के परिवहन के संबंध में अपने प्रयासों को बढ़ा सकेंगे तथा न्यूनतम पूंजी निवेश से आप यह सब कर सकेंगे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह सभी स्थानों में अधिक एसटीडी, पीसीओ उपलब्ध कराए क्योंकि वे वास्तव में शारीरिक रूप से विकलांग, बेरोजगार लोगों, स्त्रियों तथा गरीब लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं।

दूसरा सुझाव है कि कृपया अधिक काउंटर खोलने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। अब, यह हो रहा है कि अधिकांश एक्सचेंज स्वचालित या इलैक्ट्रोनिक हैं। इसलिए बड़ी संख्या में क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्राहक 180, 181, 197 या 199 नम्बर तथा इसी प्रकार के अन्य नम्बर के डायल करते हैं। इन नम्बरों के लिए काउंटरों में और वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करने वाले काउंटरों की संख्या बहुत कम है। अपने शहर विजयवाड़ा में मैंने इसे व्यवहारिक रूप से अनुभव किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय और दूरसंचार विभाग को सुझाव देता हूं कि वे यह देखने के तत्काल उपाय करें कि ग्राहकों से धनराशि लेने के लिए और काउंटर खोले जाए।

महोदय, भारतीय तार अधिनियम, 1885 का संशोधन काफी समय से विलंबित है। इस अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि दूरसंचार विभाग को हमारे राष्ट्रीय हित को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस प्रकार आप कार्य कर रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि दूरसंचार विभाग विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पक्ष में है।

[अनुवाद]

इसलिए कृपया गौर करें कि हमारी देशी क्षमताओं में दखल न दिया जाए जिससे कि हमारे लोग हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी औजारों का उत्पादन कर सकेंगे।

संक्षेप में इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : महोदय, हमारे दल को

बोलने का अवसर नहीं दिया गया। ए.आई.ए.डी.एम.के. को बोलने का अवसर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि हम 6 बजे गिलोटिन करते हैं। यदि आप सरकार की बात सुनना चाहते हैं तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए वरना आप बोलते रहिए और वे मूकदर्शक बने बैठे रहेंगे। आप कौन सी बात पसन्द करेंगे ?

(व्यवधान)

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा · · **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : हमारे दल की ओर से किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए वरना मंत्री जी जवाब नहीं दे सकेंगे। मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखता हूं · · ·

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है इसलिए मैंने सभी सभापति से सदस्यों को प्रसंग अनुकूल बात करने को कहने को कहा था।

(व्यवधान)

श्री सुख राम : आप चिन्ता न करें। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। · · **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं इसका अवसर दूंगा। आप व्यवस्था का प्रश्न उठाएं।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद : यहां पर हर दल के आधार पर भाषण करने के लिए पुकारा गया। समता पार्टी की ओर से हमारा नाम था। मुझे अवसर नहीं दिया गया। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं व्यवस्था दे दूं तो आपको सिर्फ एक या दो मिनट मिलेंगे। दो मिनट से आगे आपको समय नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसी बात न करें अन्यथा मेरे लिए सभा का संचालन करना कठिन होगा।

[हिन्दी]

आप बोलते रहिए।

[अनुवाद]

मैं आपको और बोलने के लिए एक क्षण की भी अनुमति नहीं दूंगा। मैं बिना उत्तर के ही इसे सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

[हिन्दी]

आप बोलते जाइये। गवर्नमेंट के रिप्लाई के बगैर उसको वोट करना पड़ेगा। आप कौन सा प्रफर करते हैं मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री हरि केवल प्रसाद : आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आपको दो मिनट का समय दिया।

[अनुवाद]

मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बाधाई देता हूं। संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर यहां चर्चा हो रही है। देश के गांवों में झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से लेकर शहरों में रहने वाले लोगों तक फैली संचार प्रणाली को विदेशी कम्पनीज और निजी कम्पनीज को सौंपने का जो षड़यंत्र रचा जा रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक संचार प्रणाली फैली हुई है। गांव में जो डाकिया डाक देने का काम करता है उसकी जिंदगी के साथ मंत्री जी ने खिलवाड़ किया है और उसकी समस्या की तरफ कोई ध्यान देने का काम नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी कम से कम जो डाक वितरण करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी जो एसोसिएशन है, उनकी जो जायज मांगें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए।

संचार विभाग के अंदर जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी एक बड़ी जमात है। हम सदन में दलितों को आरक्षण देने की, पिछड़ों को आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनकी हर जगह उपेक्षा हो रही है। यही स्थिति इस विभाग में भी है। मैं चाहूंगा कि आपने जो अब तक उनकी उपेक्षा की है, उसको अब बंद करें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। आपका विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि मैंने दो पत्र मंत्री जी को लिखे · ·

अध्यक्ष महोदय : चिट्ठी के लिए हाउस नहीं है।

श्री हरि केवल प्रसाद : इस विभाग में कितना भ्रष्टाचार है, यह मैं बताना चाहता हूं। मैंने जो पत्र लिखा उसका उत्तर मंत्री जी ने देना उचित नहीं समझा। मैंने पत्र में लिखा था कि दिल्ली डाक विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्या उसकी सीवीआई से जांच करायेंगे ? दिल्ली परिमंडल में जो अधिकारी हैं वे अपने बेटों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर शोषण कर रहे हैं और कमीशन लेते हैं। कमीशन में पकड़ा गया जो सामान विदेश जा रहा था, मंत्री जी ने उसको नजरअंदाज कर दिया।

13 मई को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सांसदों की प्रदेश के मुख्य महा-प्रबंधक के साथ बैठक हुई। हमने उनसे पूछा कि देवरिया जनपद, पड़रौना जनपद, बलिया जनपद जोकि सबसे उपेक्षित इलाका है, किस नियम के तहत आपने देवरिया को मंडल नहीं बनाया तो उन्होंने सभी के बीच कहा कि हमने नियम का पालन किया है। लेकिन नियम कौन सा है और कहां से आदेश आया तो पता लगा कि दिल्ली से आया है। यह मेरा मंत्री जी

पर आरोप है, वे यहां बैठे हुए हैं, हमारे पड़रीना जिले, देवरिया जिले के लोग 250 किलोमीटर दूर अपने काम के लिए मऊ में आयेंगे · · ·

अध्यक्ष महोदय : आपका समय खत्म हो गया है, आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

अब महिला सदस्य बोलेगी। कृपया आप बैठ जाएं। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री हरि केवल प्रसाद : · · ·(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री प्रमथेश मुखर्जी (बहरामपुर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप व्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं तो कृपया पहले नियम को उद्धृत करें। किस नियम का उल्लघंन हुआ है ?

डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम (तिरूचेंगोड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने दूरसंचार की प्रगति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को सभा में प्रस्तुत करने का मौका दिया।

संचार मंत्रालय में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र दूरसंचार का क्षेत्र है क्योंकि हमारा भविष्य इसी पर निर्भर है। मैं वर्तमान दूरसंचार प्रणाली के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं क्योंकि आजकल इसकी स्थिति बहुत असंतोषजनक है। टेलीफोन अधिकारियों की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है फलस्वरूप टेलीफोन उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम उचित रखरखाव और कमियों को दूर कर कम से कम ब्रेक डाउन वाली विश्वसनीय सेवा की आशा करते हैं। यदि कोई उपभोक्ता खराब सेवा की शिकायत करता है तो इसे दूर नहीं किया जाता। और खरावी ठीक करने वाली सेवा मृत प्रायः है। तब वह कहां शिकायत करेगा ? सभी राज्यों में यही शिकायत है कि खराबी दूर करने वाली सेवा सही काम नहीं कर रही है। इसके अलावा हरेक उपभोक्ता को एक वर्ष में कम से कम एक बार तो नकली बिल मिलेगा ही। यदि कोई उपभोक्ता 500/- रुपये माहवार का भुगतान कर रहा है तो कम से कम एक वर्ष में एक बार उसे 5000/- रुपये का बिल मिल ही जाएगा। इसका विकल्प कोई नहीं होने से उपभोक्ता को बिल का भुगतान करना ही पड़ेगा वरना दूरसंचार विभाग वाले कनेक्शन काट देंगे। इसलिए उपभोक्ता कहीं और न जाकर उपभोक्ता न्यायालय में जाता है। यह इसलिए कि उपभोक्ता न्यायालयों में अधिकांश मामले टेलीफोन बिलों के ही होते हैं। टूटीकोरिन तमिलनाडु का एक प्रमुख बन्दरगाह वाला शहर है। वहां टेलेक्स, फैक्स, एस.टी.डी. सेवाएं उपलब्ध हैं परन्तु वे सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं क्योंकि वहां कोई इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज नहीं है। आयात करने वाले और निर्यात करने वाले अधिकांशतः टेलेक्स, फैक्स और एस.टी.डी. पर ही निर्भर करते हैं। यदि ये प्रणालियां सही ढंग से काम करें तो उन्हें लाभ होगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस बन्दरगाह वाले शहर की संचार क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को समझें और एक इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज शुरू करने की व्यवस्था करें जिससे देश में औद्योगिक विकास को उचित बढ़ावा मिले। इसी प्रकार तिरुप्पूर का मामला है, हालांकि वहां एक अतिरिक्त एक्सचेंज खोल दिया गया है तो भी हजारों लोग प्रतीक्षा सूची में इन्तजार कर रहे हैं। यदि सरकार नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अतिरिक्त इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने में विशेष रुचि लेती है तो हम तमिलनाडुवासी आपके बहुत आभारी होंगे।

नयी संचार नीति के शुरू होने से भारतीय दूरसंचार विस्तार के लिए तैयार है। इसलिए इससे बड़ी आशाएं हैं। किन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कड़ी प्रतियोगिता के सामने भारतीय कम्पनियों का टिक पाना कठिन हो जाएगा। भारतीय निर्माताओं के लिए यह एक खतरा है। नयी दूरसंचार नीति का उद्देश्य है कि आठवीं योजना के दौरान प्रतीक्षा सूची को पूरा करके 1997 तक मांग पर टेलीफोन दे दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : इसका अर्थ यह हुआ कि नौंवी योजना में पहले से ही स्थापित किए गए एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने के लिए उपकरणों की आवश्यकता को छोड़कर बड़ी क्षमता वाले एक्सचेंजों की कम ही जरूरत होगी।

ऐसी अल्पावधि की जरूरत के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उपकरणों के निर्माण के लिए स्थापित करना इन कम्पनियों का कम व्यावसायिक होना सिद्ध होता है। एक तरफ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं जिनके पास क्रयादेश तो हैं परन्तु निर्माण की सुविधाएं नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ सी-डोट निर्माता हैं जिसकी एक ही पाली में बहुत सा निर्माण करने की क्षमता है परन्तु उसके पास कोई आदेश नहीं है। दूसरा कार्य यह किया गया है कि सी-डोट निर्माताओं द्वारा चालित कम क्षमता की दस हजार लाइनों को अनारक्षित कर दिया है और इसे विदेशी कम्पनियों के लिए खोल दिया है। इससे इन कम्पनियों को मिलने वाले आदेश और कम भी हो जाएंगे। प्रश्न यह है कि सरकार को इससे लाभ होगा ? क्या सी-डोट प्रौद्योगिकी पुरानी और अयोग्य है। कदापि नहीं। तथापि यह प्रौद्योगिकी भारत के लिए पूरी तरह सही है और इन कम्पनियों को यमन, नाईजीरिया तथा रूस आदि से निर्यात हेतु अच्छे प्रत्युत्तर मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें, अन्यथा आपके वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : महोदय, बस एक मिनट में, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। जैसाकि पहले बताया था कि चुनिन्दा क्षेत्र ऐसे हैं जहां गैर सरकारी पार्टियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से निश्चय ही कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे ग्राम और शहर में दूरसंचार संबंधी स्वभाविक विकास तथा भारत के सभी गांवों में टेलीफोन उपलब्ध कराने के लक्ष्य और देश के सम्पूर्ण विकास के लिए सरकार के दिए गए आश्वासन और वायदे गड़बड़ा जाएंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि दूरसंचार विभाग में टेलीफोन के तार चोरी होते रहते हैं, हजारों टेलीफोन लम्बे समय तक खराब रहते हैं लेकिन उनको दुरूस्त करने के लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। जहां तक बम्बई महानगर टेलीफोन निगम और दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम का सवाल है, इनको पब्लिक अंडरटेकिंग्स नहीं बनाया गया है, इसकी अवधि कभी एक साल और

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की गयी।

कभी छः महीनों के लिए बढ़ा दी जाती है। आखिर यह सरकार की कौन सी नीति है ? कर्मचारियों की सेवा शर्तें तय नहीं हुई हैं। आखिर यह स्थिति कब तक चलती रहेगी ? बम्बई में मुलन्द में 715 केबल जलने से 48 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आखिर यह आग कैसे लगी ?

अध्यक्ष महोदय, मुम्बई और दिल्ली में टेलीफोन कब तक उपलब्ध हो जाएंगे, मैं यह जानकारी चाहता हूं। अभी कहा गया कि इस महीने में पिछले अक्टूबर तक की वेटिंग लिस्ट खत्म हो गई है, लेकिन वह अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैं मांग करता हूं कि अक्टूबर में बुक किये टेलीफोन अब तक मिलने चाहिए। जो ऑन डिमाण्ड टेलीफोन उपलब्ध करवाने की बात है, यह नीति सरकार अपनाने वाली है या नहीं ?

मुम्बई में पोस्ट ऑफिस के लिए और टेलीफोन लगाने के लिए बहुत जगह खाली हैं, मगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है। वहां पोस्ट ऑफिसों की संख्या बढ़ानी चाहिए और उनका अधिक इस्तेमाल होना चाहिए। कर्मचारियों को सोसाइटी बनाने के लिए भी सुविधा मिलनी चाहिए। आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिसों की संख्या बढ़ानी चाहिए। नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया में सैटेलाइट कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। मुम्बई में जहां मराठी के बिना कोई बात नहीं करता, केन्द्र सरकार का रूल है कि क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा वहां नहीं होता है। यह सारे देश में होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनको सम्मान मिलना चाहिए। जो सर्विस दी जाती है उसमें भी प्रायोरिटी देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब आप बोल सकते हैं। मंत्री महोदय आप अपना वक्तव्य इस प्रकार समाप्त करें ताकि सदस्यों को अपनी मांगें प्रस्तुत करने के लिए पांच-सात मिनट का समय मिल जाए।

श्री सुख राम : चूंकि आपने समय कम कर दिया है मैं संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मैंने मालूम करने की कोशिश की कि कम्युनिकेशन की डिमाण्ड कब से इस सदन में नहीं हुई है। मैं भी दस-बारह साल से सदन में हूं और मैं माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण मंत्रालय समझकर इस पर चर्चा की। जिन सदस्यों ने इसकी सराहना की उनका तो मैं आभारी हूं ही, मगर जिन्होंने कुछ टीका-टिप्पणी की, उससे ऐसा लगता है कि शायद मैं इस अरसे में अपनी नीति आपको ठीक से नहीं बता सका या अखबारों के माध्यम से आपको पता नहीं चल सका। हालांकि मैंने कोशिश की कि जब पिछले साल कैबिनेट से यह पॉलिसी अप्रूव हुई थी और सदन के पटल पर रखी गई, उसमें कई प्रश्न भी आए जिनके उत्तर भी आए और मैं समझा कि जो नीति सरकार ने बनाई है उसका माननीय सदन में अप्रूवल हुआ है। अब चूंकि समय कम है, यहां 179 कट मोशन्स हैं, जिसमें 47 पॉलिसी से संबंधित हैं और बाकी अपने-अपने इलाकों के बारे में सदस्यों की कुछ शिकायतें हैं। जो ऐसी शिकायतें हैं, जिनके बारे में सदस्यों ने मेरा ध्यान दिलाया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं और उसके बारे में मैं लिखकर उनको जवाब दूंगा। जो नीति-संबंधी बातें हैं, उन्हीं के बारे में मैं यहां निवेदन करूंगा।

हमारे सामने एक प्रश्न है। टेलीकम्युनिकेशन्स एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण इनफ्रास्ट्रक्चर है जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो अर्थ नीतियों में उदारीकरण किया, अन्तर्राष्ट्रीय पॉलिसी में उदारीकरण किया, यह उसी का फल है, वरना तकरीबन सात-आठ सालों से यह सुना जा रहा था कि टेलीकॉम पॉलिसी आएगी मगर वह नहीं आई। इसका श्रेय हमारे प्रधान मंत्री को जाता है कि आखिर यह टेलीकॉम पॉलिसी आई है और जिसकी सराहना हमारे देश में ही नहीं, बल्कि सारे संसार में होती हैं। और अध्यक्ष जी, जो यूनिक फिचर इसमें है वह मेरे ध्यान में किसी देश में नहीं है। इस देश में प्राइवेटाइजेशन का जो काम्पिटीटिव एन्वायरमेंट आ रहा है, हमारे यहां टेलीकम्युनिकेशन विभाग में 5 लाख के करीब कर्मचारी व अधिकारी हैं जो इसके विरुद्ध थे। मैंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में तब तक बात नहीं कही जब तक मैंने उनसे बातचीत नहीं की। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि कोई भी रिट्रेंचमेंट नहीं होगी और मैं उन सारी यूनियनों और फैडरेशन का आभारी हूं, हालांकि कहीं-कहीं राजनीति को लाने की कोशिश की जाती है वह नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे अर्थ क्षेत्र का सबसे बड़ा सैक्टर है। हमें इसको राजनीति से बाहर रखना चाहिए। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इसमें सहयोग दिया और शांतिमय तरीके से परिवर्तन इस देश में हो रहा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि और यूनिक फिचर है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम दाखिल हुए तो 0.5 प्रतिशत की टेलीफोन डेंसिटी थी और अब हमने एक प्रतिशत से आगे किया है। चीन, पाकिस्तान और मलेशिया हमसे आगे हैं। कुछ विकासशील देश भी हमसे आगे हैं। हम एक प्रतिशत से ज्यादा पीछे हैं और उसके साथ-साथ उसका पोटेंशियल क्या है ? 90 लाख लोग पिछले यर्प वैटिंग लिस्ट में थे और हमने 17.5 लाख डाइरेक्ट लाईन दीं। हमें थोड़ा अफसोस स्टैण्डिंग कमेटी की कुछ टिप्पणियों पर है। मैं स्टैण्डिंग कमेटी का सम्मान करता हूं, ऑफिसियली हमें मिला नहीं। एक्शन टेकन रिपोर्ट तो देंगे लेकिन उन्होंने लिखा कि शायद रुपया भी इस्तेमाल नहीं हो सका और जो लक्ष्य रखा था उससे भी पीछे रहे। क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं आपको इतना कह देता हूं कि सिर्फ 1992-93 में 20 करोड़ रुपये कम खर्च हुए थे। वह भी टैक्निकल मिसटेक है। खर्चा हो गया, मगर किस मद में उसको रखना था वह नहीं हुआ। उसके अलावा हमारा जो एक्चुअल एचिवमेंट है वह लक्ष्य से ज्यादा है और जो फण्ड्स का अलोकेशन है वह भी हमने किया हुआ है। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि यह हाईली कैपिटल और टैक्नोलोजी इंटेंसिव सैक्टर हैं, इसमें 47 हजार रुपये एक लाईन लगाने में खर्चा आता है और जब आप गांवों में पी. सी. ओ. देते हैं तो उसके लिए 1 लाख 25 हजार रुपये का खर्चा आता है। हमने टेलीकॉम पॉलिसी में रखा है कि 1997 के अंत तक हम इसको ऑन डिमाण्ड करेंगे और उसके साथ-साथ जो हमारे 6 लाख 4 हजार गांव हैं उनमें टेलीफोन की व्यवस्था करनी है और वर्ल्ड स्टेण्डर्ड के मुताबिक नई तकनीक लानी है। यह हमको वर्ल्ड स्टेण्डर्ड का करना है, यह हमारा लक्ष्य है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमने आपको एक बात कही थी कि 1994 तक इस देश में जो मैनुअल ऑपरेटेड एक्सचेंज हैं वे सब खत्म होंगे। हमने किया है, 1994 में खत्म किया। हमने आपको एक बात कही थी कि हमारे देश में 20,000

एक्सचेंज हैं और उन सबमें 1997 तक एस. टी. डी. सुविधा हम देंगे। आज सारे डिस्ट्रिक्ट, तहसील हैड-क्वार्टर्स में मैं जानता हूं कि कहीं 98 प्रतिशत है तो कहीं 75 प्रतिशत है। मैं आपको आंकड़ों से सारी बात बताता लेकिन समय की कमी से मैं आपको इतना ही कह रहा हूं कि हम यह देंगे। मगर आज प्रश्न इस बात का है कि 30 लाख तो पिछली साल के थे और 17.5 लाख देने के बाद 20 लाख के ऊपर स्वीचिंग की जो हमने कैपेसिटी क्रिएट की उसके बावजूद भी 21.5 लाख के करीब हमारे पास वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई है और उसके साथ-साथ अगर 1991 की जनगणना को देखें तो इस देश में 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास के हैं, जिनके लिए टेलीफोन आज एक सपना है। अमीर लोगों के लिए तो बात अलग है लेकिन गरीब के लिए भी यह आवश्यकता है।

इस वास्ते अगर आप सारी वेटिंग लिस्ट को 1997 तक लिक्विडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 10 मिलियन लाईनों की आवश्यकता आठवीं पंचवर्षीय योजना में है और साढ़े सात मिलियन या 75 लाख लाईनों का लक्ष्य हमने रखा था, मगर उसके लिए हमें रुपया कितना मिला, रुपया हमने जैनरेट किया। हमें कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता बल्कि अपने इंटरनल रिसोर्सेज से हमने 75 परसेंट रुपया जैनरेट किया, हम जो लोन लेते हैं, कुछ उससे भी करते हैं। उसके साथ आठवीं पंचवर्षीय योजना का साढ़े सात हजार करोड़ रुपये का हमारा शॉर्टफाल था, उसके बाद अगर हमें 2.5 मिलियन लाईनें लगानी हैं तो उसके लिए 11750 हजार करोड़ रुपये चाहिए। अब इतना रुपया हमें कहां से मिलेगा, उसके लिए हमें बाहर की इन्वैस्टमेंट लेनी पड़ेगी।

अब मैं नहीं जानता, शायद आप ज्यादा जानते होंगे मगर चाईना बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैंने किसी से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और पिछले साल उनके मंत्री से भी मैं मिला था। उन्होंने कहा कि हर साल 10 मिलियन लाईनें लगाने का उनका लक्ष्य है और इस साल भी 10 मिलियन लाईनें उन्होंने लगायी हैं। आज हमारे सामने जितनी बड़ी मांग है, उसे हम अपने साधनों से पूरा नहीं कर सकते। इस वास्ते हमने दो चीजें कहीं हैं—टैक्नोलौजी और कैपिटल—न हमारे पास कैपिटल है और न हमारे पास टैक्नोलौजी है। आप समझ सकते हैं कि यदि 6 प्रतिशत के मीडैस्ट लेवल को हम एचीव करना चाहें तो उसके लिए 80 बिलियन डॉलर कैपिटल हमें चाहिए तभी हम उस मौडैस्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। सारे संसार का, वर्ल्ड का लेवल 10 प्रतिशत है। यह भी एक शायद कन्फ्यूजन है या हमारे समझाने में कोई कमी रही कि सिर्फ जो इंडियन कम्पनियां, इंडियन लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड हैं, वे ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, दूसरी कोई कम्पनी नहीं कर सकती है। मगर इसमें ऐसा है कि पहले कभी हमने प्राइवेटाईजेशन नहीं किया और यह बड़ा हाईली सौफिस्टिकेटिड सैक्टर है, यदि इसमें बिना एक्सपीरियेंस के लोगों को हम ले आयें तो उससे हमारे सामने काफी दिक्कत आएगी। इस वास्ते, बावजूद इसके कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रैशर था, लोगों का यह एक व्यू था कि अगर 51 प्रतिशत बाहर की कम्पनियों को नहीं दिया गया **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आर्डर इन द हाउस, प्लीज।

श्री सुख राम : एक व्यू यह था कि 51 प्रतिशत यदि बाहर की कम्पनियों को कैपिटल नहीं दिया जाता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने हमें कहा कि मैजोरिटी शेयर बाहर की कम्पनियों को नहीं देना है। उसके लिए 10 प्रतिशत मिनिमम है। उसमें जो हमने रखा है कि इतना किसी कम्पनी में होना चाहिए, अब यह इंडियन कम्पनी पर निर्भर है कि वह कितने प्रतिशत के ऊपर ज्वाईंट वैंचर में आती है, वह चाहे तो 15 प्रतिशत कर ले, चाहे 20 प्रतिशत कर ले या 39 प्रतिशत कर ले, वह उसी पर निर्भर है, मगर मैजोरिटी शेयर हमने सिर्फ इंडियन कम्पनी को दिया है।

उसके साथ-साथ एक बात यह कही गयी जो शायद एक भ्रम है। गांवों और शहरों में समानता लाने के लिए हमने टैंडर में एक कंडीशन रखी है कि जो भी टैंडर देगा उसे 10 प्रतिशत गांवों में काम करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मगर मैंने और कर दिया है कि हम उनको वेटेज देंगे जो 10 प्रतिशत से ज्यादा कोट करते हैं और यह भी कहा गया है कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अध्यक्ष जी, हमने तो बड़ा क्लीयर किया हुआ है। 70 परसेंट तो विड मनी पर होगा और 30 प्रतिशत मार्क्स जो रखे हुए हैं वे इसलिए हैं कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज से इक्विपमेंट परचेज करेंगे, उनको भी वेटेज रखा हुआ है। जो गांवों में 10 प्रतिशत से ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन देने का काम करेगा, उसको भी वेटेज रखा हुआ है। इसके अलावा जो 15 वर्ष का लाइसेंस है, अगर वह 10 वर्ष में पैसा दे देता है या एक-दो साल पहले दे देता है, तो उसको भी वेटेज देंगे। उसमें कोई ट्रांसपेरेसी न होने वाली बात नहीं है। 100 प्रतिशत ट्रांसपेरेसी हमने रखी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन चार महानगरों में आ गए होते, लेकिन कोर्ट में केस चले जाने के कारण वह काम रुका हुआ है। चार महानगरों में तो मोबाइल टेलीफोन बहुत जल्दी आने वाले हैं। मगर सारे देश में इस वर्ष के अन्त तक सैल्यूलर टेलीफोन की व्यवस्था भी हो जाएगी। जितनी वैल्यू एडेड सर्विसेस हैं वे भी इसमें आएंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया लाबी में इस प्रकार मत खड़े होइए। अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाइए। वह राष्ट्रीय नीति के बारे में बता रहे हैं। हमें उन्हें सुनना चाहिए।

[हिन्दी]

आपने कास्टीट्यूएंसी की बात कही। वे उस पर ध्यान देंगे। अब वे नैशनल पालिसी पर बोल रहे हैं।

श्री सुख राम : सर, तो जहां तक टेलीकम्युनिकेशन का ताल्लुक है, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अभी तो 28 प्रतिशत रैवेन्यू हुआ है, जो इस डिपार्टमेंट के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और आप बजट निकाल कर देख लीजिए, यह विभाग बजट एलोकेशन में पहले चौथे नंबर पर था, अब ओ. एन. जी. सी. के बाद पहले नंबर पर है। हमारे एक दोस्त ने कहा कि अपनी कांस्टीट्यूएंसी तक सीमित है। मुझे इसका बड़ा अफसोस है, वे मेरी यहां तो तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन मैं अखबार की कटिंग दिखा सकता हूं, मेरी तारीफ की है। किसी माननीय सदस्य से किसी वजह से कोई राजनीतिक मतभेद हो, उसके कारण उन्होंने ऐसा कहा, वह अलग बात है, लेकिन सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। मगर मांग इतनी बढ़ी है कि मेरे पास साधन कम हैं, परन्तु सारे देश में इन सुविधाओं का विस्तार हुआ है, यह बजट उसका साक्षी है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली सात पंचवर्षीय योजनाओं में आपके 57 लाख टेलीफोन लगे और आठवीं पंचवर्षीय योजना के सिर्फ पहले तीन वर्षों में ही हमने 40 लाख टेलीफोन लगा दिए हैं और बाकी दो वर्षों में 20 लाख टेलीफोन प्रति वर्ष लगाने का लक्ष्य है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता

हूं कि 20 लाख टेलीफोन इस वर्ष लगेंगे और इस वर्ष हम आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा ही नहीं करेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : आप गांवों में कुछ काम नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। यह आपको शोभा नहीं देता है।

श्री सुख राम : सर, दिनांक 31-12-1992 को पब्लिक टेलीफोन 11 प्रतिशत थे। इसमें हम 30 प्रतिशत से बढ़े हैं और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी गांव रहते हैं, उन सबमें दो वर्षों में यह सुविधा प्रदान कर दी जाए। ···**(व्यवधान)** उसी तरह से एक ओवर बिलिंग की शिकायत आई है। मैं मानता हूं कि शिकायतें हैं। ···**(व्यवधान)** मैं नहीं कहता कि शिकायतें नहीं हैं। ओवर बिलिंग की शिकायतें आई हैं और यह भी शिकायत आई है कि टाइम पर फोन नहीं लगते हैं। मैं इस बात को मानता हूं लेकिन उपभोक्ताओं को एक साल में 4 करोड़ बिल जाते हैं और उन 4 करोड़ में से जो शिकायतें हैं, वे 1 लाख 75 हजार 235 हैं जो कि परसेंटेज में 0.44 प्रतिशत हैं। उसी तरह से अब मैंने इंसट्रक्शन दी हैं कि माननीय सदस्यों को जो डी ओ टी टेलीफोन इशु होते हैं, वे 30 दिन के अन्दर लगा दिए जाएं। लेकिन कहीं कैपेसिटी नहीं है तो कहीं टेक्नीक नहीं है जिसकी वजह से यह नहीं हो पाता है। उसके लिए भी मैंने कहा है कि उनको भी रिप्लाई जाना चाहिए। ···**(व्यवधान)** मैं मानता हूं कि फिर भी शिकायतें हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि मैंने आपको पत्र लिखा था। मैंने अभी आपके एक प्रश्न के जवाब में कहा है कि पिछले एक साल में जो पत्र व्यवहार हुआ है, उसमें से 29 हजार पत्र मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के हैं जिनमें से मैंने 27 हजार पत्रों का जवाब दिया है। हो सकता है कि आपको पत्रों का जवाब देर से मिलता हो क्योंकि पत्र हजारों की तादाद में होते हैं। ···**(व्यवधान)** कोटा क्या अगर आपको टेलीफोन चाहिए तो वह भी मैं दूंगा। ···**(व्यवधान)** आप सुनने की कोशिश तो कीजिए। ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, यह सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और माननीय सदस्यों ने बहुत से प्वाइंट्स रेज़ किए हैं। उन सबका जवाब देना तो मुश्किल है लेकिन मैं पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पोस्टल डिपार्टमेंट का विस्तार सबसे बड़ा है, चाईना से भी बड़ा है। माननीय सदस्यों को बड़ी शिकायत थी कि हर गांव में पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। आपकी तरह मैं भी एक नुमाइंदे की हैसियत से इस बात को समझता हूं कि सब गांवों में पोस्ट ऑफिस होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि उसके लिए रुपया कहां से आएगा ? रुपया तो हमें वित्त मंत्रालय देता है। अगर वह हमें रुपया देगा तो हमें कोई एतराज नहीं है। ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : फालतू विभागीय कर्मचारियों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुख राम : मैं पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा था। मैं माननीय सदस्यों की भावना से बिल्कुल सहमत हूं कि हर गांव में पोस्ट ऑफिस होना चाहिए लेकिन प्रश्न यह है कि हमको जितना फंड प्लानिंग कमिशन और फाईनैंस मिनिस्ट्री ऐलॉट करती है, उसी के अनुसार कार्य करना होता है। 1994-95 में 600 ई. डी. बी. ओ. थे जिसकी जगह डेढ़ सौ मिलें और 200 के 80 मिलें। अब आप ही बताइए कि सारे देश में डेढ़ सौ को कहां-कहां बांटेंगे। इसलिए पंचायत सेवा योजना के माध्यम से मैंने पत्र लिखा हुआ है। मैंने यह भी निर्णय किया है कि हर पंचायत में पढ़े-लिखे बेकार नौजवानों को डाक देने के लिए 300 रुपये देंगे। ···**(व्यवधान)** डाक का काम पढ़ा-लिखा बेकार नौजवान करेगा और यदि मुमकिन हुआ तो जीवन बीमा योजना, जो देहाती लोगों के लिए ही है, का एजेंट भी वही बनेगा। ···**(व्यवधान)** पंचायतों में भी झगड़ा है कि प्रधान के घर में टेलीफोन लगा दिया, इसलिए पंचायत का टेलीफोन पढ़े-लिखे नौजवान को ही देंगे। ···**(व्यवधान)** लोकल कॉल के चार्जेस 80 पैसे हैं लेकिन पंचायत से हम 40 पैसे ही लेंगे। एस. टी. डी. के नॉर्मल चार्जेस का 50 प्रतिशत देंगे ताकि गांवों के गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो नौजवान टेलीफोन को औपरेट करेगा, उसे 20 से 25 प्रतिशत तक कमिशन देंगे ताकि उसे भी रोजगार मिल सके।

अभी यहां डाकखाने के बारे में शिकायत की गई। मैं कहना चाहता हूं कि 1992-93 में सारे देश में 1340 करोड़ डाक का वितरण हुआ। और उसमें जो शिकायत है, वह कितनी है, 0.005 प्रतिशत है। ठीक है ···**(व्यवधान)** मैं इस बात को मानता हूं कि जिसकी शिकायत हो गई, वह इस माननीय सदन में भी बात करेंगे। मगर ई. डी. एम्पलाइज के बारे में जो बात की है, अभी जो कमीशन बैठा हुआ है, चूंकि वह गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है, इस वास्ते···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय, कृपया अब हमें यह जान लेना चाहिए कि यहां पर जो कुछ हो रहा है उसे बाहर लोग देख रहे हैं। यह टी. वी. पर दिखाया जा रहा है। मंत्री महोदय, दूसरी बात यह है कि अब मुश्किल से पांच मिनट का समय बचा है। मुझे सभा में मतदान के लिए आपके मंत्रालय की मांगों को रखना है।

[हिन्दी]

श्री सुख राम : टाइम तो मुझे बहुत चाहिए, मगर चूंकि माननीय सदन को 6 बजे आपने···**(व्यवधान)** अभी तो मेरे बहुत से पाइण्ट्स हैं···**(व्यवधान)** मुझे आप पांच मिनट और दे दीजिए।···**(व्यवधान)** मैं अपनी बात खत्म करता हूं और डिमाण्ड्स हाउस के सामने रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय मेरे विचार से अब समय नहीं बचा है। मुझे सभा में मतदान के लिए मांगों को रखना है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम (सलेम) : मैं सभा के समक्ष व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में समय दूंगा। संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के लिए सदस्यों ने अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। क्या मैं सभा में मतदान के लिए सभी कटौती प्रस्तावों को रख दूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं चाहता हूं क्रम सं. 144 पर दिए गए कटौती प्रस्ताव को अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं चाहता हूं कि क्रम सं. 29, 30, 33 और 65 पर दिए गए कटौती प्रस्तावों को अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

श्री रूपचन्द्र पाल (हुगली) : क्रम सं. 78, 91, 92 और 116 पर दिए गए कटौती प्रस्तावों को अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं और बारी-बारी उठकर उस कटौती प्रस्ताव के बारे बताएं जिसे आप सभा में मतदान के लिए अलग से रखना चाहते हैं।

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : संख्या 3 और 4।

श्री सुदर्शन रायचौधरी (सीरमपुर) : संख्या 9।

6.00 म. प.

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप अपना नाम और कटौती प्रस्ताव की संख्या लिखवा दें ताकि मैं सभा में मतदान के लिए उन्हें उचित प्रकार से रख सकूं। ऐसा लगता है कि आप सब लोग चाहते हैं कि उन्हें सभा में मतदान के लिए अलग से रखा जाए। यह बहुत आश्चर्य की बात है किन्तु मैं उन्हें नोट करूंगा।

श्री सुदर्शन रायचौधरी : कटौती प्रस्ताव सं. 9।

श्री सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : कटौती प्रस्ताव सं. 124।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : कटौती प्रस्ताव सं. 107।

श्री हराधन राय (आसनसोल) : कटौती प्रस्ताव सं. 191, 196, 197 और 222।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि यदि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है तभी आप इसका उल्लेख करें। अन्यथा आपको पूरी रात यहां बैठना पड़ सकता है।

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : कटौती प्रस्ताव सं. 105 और 111।

डा. सुधीर राय (बर्दमान) : कटौती प्रस्ताव सं. 223।

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : कटौती प्रस्ताव सं. 105, 111, 115 और 122।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, आपकी अनुमति से डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय की ओर से—क्योंकि वह बोल नहीं सकते—मैं चाहता हूं कि कटौती प्रस्ताव सं. 60 और 63 सभा में मतदान के लिए अलग से रखे जाएं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव सं. 144 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

आज मशीन कार्य कर रही है। किन्तु हमारे मतदान शुरू करने से पहले कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाएं।

दीर्घाएं खाली होने तक मैं अनुदेश पढ़ता हूं।

कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कृपया कोई भी अपने स्थान से न उठे। श्री जोशी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

अब मैं उन अनुदेशों को पढ़ता हूं जिनका मशीन का उपयोग करने के लिए पालन किया जाना है। मैं इन अनुदेशों को दो बार पढ़ूंगा ताकि हमें पर्चियां एकत्र करने और मतों को गिनने की आवश्यकता न पड़े। मैं पहली बार पढ़ रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इन्टरफियर मत कीजिए। अगर आप करेंगे, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा।

[अनुवाद]

मत विभाजन शुरू करने से पहले प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाए और उस स्थान से ही प्रणाली को संचालित करे, मेरा विचार है आपने ऐसा किया है।

एक सदस्य को अपना वोट देने के लिए एक साथ दो बटन दबाने होंगे।

दबाए जाने वाले बटनों में एक बटन सदस्य के सामने बेंच की रेलिंग पर है। इसे वोट इनिटिएशन स्विच कहते हैं। अब, जो लोग बेंचों पर बैठे हैं, वह बटन बेंच के ऊपरी भाग के नीचे है।

प्रत्येक सदस्य को अपनी सीट के सामने लगे तीन दबाने वाले बटनों में से भी एक बटन को दबाना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कह रहा हूं, यदि आप इसे नहीं मानते हैं, वास्तव में मुझे बहुत दुख है। हमें एक-दूसरे को सहयोग देना चाहिए। अन्यथा मैं इसे बार-बार पढ़ता रहूंगा।

प्रत्येक सदस्य को अपनी सीट के सामने लगे तीन दबाने वाले बटनों में से भी एक बटन को दबाना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात न करें। कृपया मैं जो पढ़ रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनें, इससे उचित प्रकार से मतदान करने में आपको सहायता मिलेगी। मेरे वक्तव्य पढ़ने के बाद आप आपस में बातचीत का आनन्द उठा सकते हैं।

प्रत्येक सदस्य को अपनी सीट के सामने लगे तीन दबाने वाले बटनों में से भी एक बटन को दबाना है—'हां' के लिए हरा 'ए'—यदि आप प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं तो हरा बटन दबाएं—'नहीं' के लिए 'एन' तथा 'अनुपस्थित' के लिए 'ओ', अपनी इच्छा के अनुसार आप बटन दबा सकते हैं। मतदान प्रारम्भ स्विच तथा तीन दबाने वाले बटनों में से एक बटन को दस सेकण्ड तक एक साथ दबाना है जिससे दो तरीकों का पता चलता है, पहला कुल परिणाम प्रदर्शन बोर्ड पर उल्टी गिनती के द्वारा अर्थात 10, 9 ..... 0, दूसरा—दो श्रव्य अलार्मों की आवाज के बीच की अवधि। आप जब नंबर देखेंगे, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और आपको इन बटनों को दबाकर रखना होगा।

एक माननीय सदस्य : सफेद बटन का क्या करना है ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। वह पीला बटन है, सफेद नहीं ।

विभाजन की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है · ·

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें अन्यथा आप समझ नहीं पायेंगे और आप गलती करेंगे तथा आपको सारी रात यहां बैठे रहना पड़ेगा, पर्चियां एकत्र करते रहना पड़ेगा। इसका चुनाव आपको करना है।

विभाजन की वास्तविक प्रक्रिया पहले श्रव्य अलार्म होते ही शुरू हो जाएगी। सदस्यों को पहला श्रव्य अलार्म सुनने के बाद ही बटन दबाना चाहिए। अलार्म सुनने से पहले यदि आप बटन दबाते हैं तो इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि यह इलैक्ट्रोनिक है, अलार्म देने के बाद स्पंदन दर्ज किया जाना होता है। यदि आप इसे पहले दबा देते हैं तो यह दर्ज नहीं होगा। सदस्यों को पहला श्रव्य अलार्म सुनने के बाद ही बटन दबाना चाहिए। दस सेकन्ड बीत जाने के बाद जब श्रव्य अलार्म दूसरी बार बजे तब दबाये गए दोनों बटनों को छोड़ देना चाहिए।

क्या अब मैं आपको बहुत संक्षेप में फिर बताऊंगा ? जब आप अलार्म सुनें आप बटनों को दबा सकते हैं। दो बटन को दबाया जाना है जैसाकि आप पहले करते थे। मेज के ऊपरी भाग के नीचे एक बटन है और जो सदस्य दूसरी, तीसरी तथा अन्य बेन्चों पर बैठे हैं यह रेलिंग पर लगा हुआ है। आपको इसे दबाकर रखना होगा, इसके साथ-साथ अपनी इच्छा के अनुसार आपको या तो हरा या लाल या पीला बटन दबाकर रखना होगा—आपको इन दो बटनों को उस समय तक दबाकर रखना है जितने समय तक गिनती होगी। उसके बाद आप उनको छोड़ सकते हैं और तब मतदान रिकार्ड कर लिया जायेगा।

दीर्घायें खाली कर दी जायें—

दीर्घायें खाली हो गयी हैं। अब हम मतदान शुरू कर रहे हैं।

अब मैं श्री वसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव सं. 144 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि 'दूरसंचार विभाग' शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाये।"

[बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित गैर सरकारी क्षेत्र को देश की दूरसंचार सेवाओं में प्रवेश में असफलता से देश की आन्तरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।] (144)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

[विभाजन सं. 5] **[6.18 म.प.]**

पक्ष में

अंजलोज, श्री थाइल जान (अलप्पी)

अंसारी, डा. मुमताज (कोडरमा)

अब्दुल गफूर, श्री (गोपालगंज)

अशोकराज, श्री ए. (पेरम्बलूर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

*इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)

उम्मा रेड्डी वेंकटस्वरलु, प्रो. (तेनाली)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)

कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)

केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)

खां, श्री सुखेन्दु

गिरिजा देवी, श्रीमती (महाराजगंज)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गोपालन, श्रीमती सुशीला (चिरायिंकिल)

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव (वर्धा)

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

जनार्दनन, श्री एम.आर. कादम्बूर (तिरुनेलवेली)

जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जेना, श्री श्रीकान्त (कटक)

तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तोपदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दुबे, श्रीमती सरोज (इलाहाबाद)

धर्मभिक्षम, श्री (नालगोंडा)

नारायणन, श्री पी.जी. (गोविचेट्टिपालयम)

पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)

पटेल, श्री वृशिण (सीवान)

पाल, श्री रूपचन्द्र (हुगली)

पासवान, श्री छेदो (सासाराम)

पासवान, श्री राम विलास (रोसेड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

प्रकाश, श्री शशि (चेल)

*गलती से पक्ष में मत दिया।

प्रमाणिक, श्री आर.आर. (मथुरापुर)
प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बालयोगी, श्री जी.एम.सी. (अमालापुरम)
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)
मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मंडल, श्री सूरज (गोड्डा)
मरान्डी, श्री साईमन (राजमहल)
महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)
महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखर्जी, श्री प्रमथेश (बरहामपुर)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)
मुरुगेसन, डा. एन. (करूर)
मुरुमु, श्री रूपचन्द् (झाड़ग्राम)
मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस. (विशाखापटनम)
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)
मोल्लाह, श्री हन्नान (उलुबेरिया)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, डा. एस.पी. (सम्भल)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
युमनाम, श्री याइमा सिंह (आंतरिक मणिपुर)
रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला)
राजरविवर्मा, श्री बी. (पोल्लाची)
राजुलु, डा. आर.के.जी. (शिवकासी)
राजेन्द्रकुमार, श्री एल.एस.आर. (चिंगलपट्ट)
राजेश कुमार, श्री (गया)
राम, श्री प्रेमचन्द (नवादा)
रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू (पेरियाकुलम)
रामय्या, श्री बोल्ला बुल्ली (एलरू)
राय, श्री लाल बाबू (छपरा)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)
रायप्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
राव, श्री डी. वेंकटेश्वर (बापतला)
रेड्डी, श्री बी.एन. (मिरयालगुडा)
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)
वाइडे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)
शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)
शिवरामन, श्री एस. (ओट्टापलम)
सिंह, श्री मोहन (देवरिया)
सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
*सुब्बाराव, श्री थोटा (काकिनाडा)
सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)
सैकिया, श्री मुहीराम (नौगोंग)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सौन्दरम, डा. (श्रीमती) के.एस. (तिरुवेंगौड़)
हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी. (बेल्लीर)
अजित सिंह, श्री (बागपत)
अडईकलराज, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)
अन्तुले, श्री ए.आर. (कोलाबा)
अन्बारासु, श्री आर. (मद्रास मध्य)
अयूब खां, श्री (झुंझुनू)
अय्यर, श्री मणि शंकर (मईलादुतुराई)
अरुणाचलम, श्री एम. (टेन्कासी)
अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)

*गलती से पक्ष में मत दिया।

अहमद, श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

इम्चालम्वा, श्री (नागालैण्ड)

ईरानी, श्रीमती शीला एफ. (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)

उन्नीकृष्णन्, श्री के.पी. (बडागरा)

उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)

उमराव सिंह, श्री (जालन्धर)

उम्ब्रे, श्री लाईता (अरुणाचल पूर्वी)

ओडियार, श्री चनैया (दावणगेरे)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)

कहांडोले, श्री जेड.एम. (मालेगांव)

कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई उत्तरपूर्व)

कालियापेरुमल, श्री पी.पी. (कुड्डालौर)

काले, श्री शंकर राव दे. (कोपरगांव)

कुप्पुस्वामी, श्री सी.के. (कोयम्बटूर)

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन (सलेम)

कुरियन, प्रो. पी.जे. (मवेलीकारा)

कृष्ण कुमार, श्री एस. (क्विलोन)

कृष्ण स्वामी, श्री एम. (वान्डिवाशी)

केवल सिंह, श्री (भटिंडा)

कैनिथी, श्री विश्वनाथम (श्रीकाकुलम)

कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह (तरणतारण)

कोटला, श्री जय सूर्यप्रकाश रेड्डी (कुरनूल)

कोंताला, श्री रामकृष्ण (अनकापल्ली)

कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)

खां, श्री असलम शेर (बेतुल)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)

गगोंई, श्री तरुण (कलियाबोर)

गजपति, श्री गोपीनाथ (बरहामपुर)

गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)

गामीत, श्री छीतुभाई (माण्डवी)

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)

गालिब, श्री गुर चरण सिंह (लुधियाना)

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)

गिरीयप्पा, श्री सी.पी. मुडला (चित्रदुर्ग)

गुंडेयार, श्री विलासराव नागनाथराव (हिंगोली)

गुडाडिन्नी, श्री बी.के. (बीजापुर)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्री पेरुम्बुदूर)

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी. (कराड)

चाक्को, श्री पी.सी. (त्रिचूर)

चार्ल्स, श्री ए. (त्रिवेन्द्रम)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आनन्द)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)

चेन्नित्तला, श्री रमेश (कोट्टायम)

चौधरी, स्वैड्रन लीडर कमल (होशियारपुर)

चौधरी, डा. के.वी.आर. (राजामुन्दरी)

चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)

चौरे, श्री बापू हरि (धूलै)

जंगबीर सिंह, श्री (भिवानी)

जयमोहन, श्री ए. (तिरूपत्तूर)

जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)

जाखड़, श्री बलराम (सीकर)

जाफर शरीफ, श्री सी.के. (बंगलौर उत्तर)

जावाली, डा. बी.जी. (गुलबर्गा)

जीवनरत्नम, श्री आर. (अराकोनम)

झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

टिंडिवनाम, श्री के. राममूर्ति (टिंडिवनाम)

टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)

डेनिस, श्री एन. (नागरकोइल)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)

तंगकाबालु, श्री के.वी. (धर्मपुरी)

तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)

तिरिया, कुमारी सुशीला (मयूरभंज)
तोपनी, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)
थामस, प्रो. के.वी. (एरणाकुलम)
थिटे, श्री बापूसाहिब (बारामती)
थुंगन, श्री पी.के. (अरुणाचल पश्चिम)
थोरात, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)
दलबीर सिंह, श्री (शाहडोल)
दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह (संगरूर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दिघे, श्री शरद (मुम्बई-उत्तर मध्य)
दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)
देवरा, श्री मुरली (मुम्बई-दक्षिण)
देवराजन, श्री बी. (रसिपुरम)
देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)
नंदी, येल्लैया (सिद्दीपेट)
नवले, श्री विदुरा विठोबा (खेड़)
नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)
नायक, श्री जी. देवराय (कनारा)
नायक, श्री मृत्युंजय (फुलबनी)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
पांडियन, श्री डी. (मद्रास-उत्तर)
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बालसाड़)
पटेल, श्री प्रफुल (भंडारा)
पटेल, श्री हरिलाल ननजी (कच्छ)
डा. (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम)
पवार, डा. वसंत (नासिक)
पांजा, श्री अजित (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पाटील, श्री अनवरी बसवराज (कोप्पल)
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)
पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)
पाटील, श्री विजय एन. (इरनदोल)
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता (नान्देड़)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पात्र, डा. कार्तिकेश्वर (बालासौर)
पायलट, श्री राजेश (दौसा)
पाल, डा. देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
पालाचौला, श्री वी.आर. नायडू (खम्माम)
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (वोब्बिली)
पेरूमान, डा. पी. यल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराज नगर)
फर्नान्डीज, श्री ओस्कार (उदीपी)
फारूक, श्री एम.ओ.एच. (पांडिचेरी)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)
बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता-दक्षिण)
बरार, श्री जगमीत सिंह (फरीदकोट)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बूटा सिंह, श्री (जालौर)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)
भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)
भाटिया, श्री रघुन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)
मनफूल सिंह, श्री (बीकानेर)
मरबनिआंग, श्री पीटर जी. (शिलांग)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मल्लू, डा.आर. (नगर कुरनूल)
माडे गौडा, श्री जी. (माण्डया)
माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)
मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)
मुजाहिद श्री बी.एम. (धारवाड़-दक्षिण)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)
मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मेघे, श्री दत्ता (नागपुर)
मैथ्यू, श्री के.एम. (इदुक्की)
यादव, श्री रामलखन सिंह (आरा)
यादव, श्री राम शरण (खगरिया)
यादव, श्री सूर्यनारायण (सहरसा)
रथ, श्री रामचन्द्र (आसका)
राजेश्वरन, डा. वी. (रामानाथपुरम)
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)
राठवा, श्री एन.जे. (छोटा उदयपुर)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)
राम बाबू, श्री ए.जी.एस. (मदुरै)
राय, श्री राम निहोर (राबर्ट्सगंज)
राव, श्री जे. चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री. पी.वी. नरसिंह (नन्दयाल)
राव, राम सिंह कर्नल (महेन्द्रगढ़)
राव, श्री. वी. कृष्ण (चिक्बल्लापुर)
रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाड़ा)
राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
रेड्डय्या यादव, श्री के.पी. (मछलीपटनम)
रेड्डी, श्री आर. सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन (आदिलाबाद)
रेड्डी श्री ए. वेंकट (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा (ओंगोले)
रेड्डी, श्री वाई.एस. राजशेखर (कुडप्पा)
रोशन लाल, श्री (खुर्जा)
लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री (मुकुन्दपुरम)
वर्मा, श्री भवानी लाल (जांजगीर)
वर्मा, कुमारी विमला (सिवनी)
वर्मा, श्री शिव शरण (मछलीशहर)
वान्डाचार, श्री के.टी. (थंजावुर)
विलियम्स, मेजर जनरल आर.जी. (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)
शंकरानन्द, श्री बी. (चिकोडी)
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार (अमेठी)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)
शिगडा, श्री डी.बी. (दहानू)
शिवप्पा, श्री के.जी. (शिमोगा)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शल्के, श्री मारुति देवराम (अहमदनगर)
शैलजा, कुमारी (सिरसा)
श्री धारणा, डा. राजगोपालन (मद्रास दक्षिण)
संगमा, श्री पूर्णो ए. (सुरा)
सईद, श्री पी.एम. (लक्षद्वीप)
सम्बुचार्ला, श्री विजयराम राजू (पार्वतीपुरम)
सादुल, श्री धर्मण्णा मौंडय्या (शोलापुर)
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)
साय, श्री ए. प्रताप (राजमपेट)
सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
सिंगला, श्री संतराम (पटियाला)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिंदनाल, श्री एल.बी. (बेलगांव)
सिद्धार्थ, श्रीमती डी.के. तारादेवी (चिकमगलूर)
सिल्वेरा, डा.सी. (मिजोरम)
सिंह, श्री अभय प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री अर्जुन (सतना)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी (रायगढ़)
सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजमदंगांव)
सिंहदेव, श्री के.पी. (ढेंकानाल)
सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)

सोडी, श्री मानकूराम (बस्तर)

स्वामी, श्री जी. वेंकट (पेड्डापल्ली)

हरचन्द सिंह, श्री (रोपड़)

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जोरहाट)

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 96

विपक्ष में 218

कटौती प्रस्ताव संख्या 144 अस्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे द्वारा प्राप्त किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 29, 30, 33 और 65 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 29, 30, 33 और 65 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, आप चाहते थे कि आपका कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार आपने इसे प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैंने कल पर्ची भेजी थी।

अध्यक्ष महोदय : वह समय के अन्दर दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 78, 91, 92 और 116 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 78, 91, 92 और 116 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जितेन्द्र नाथ दास द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 3 और 4 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 3 और 4 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुदर्शन रायचौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया कटौती प्रस्ताव संख्या 9 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव सं. 9 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत किया गया कटौती प्रस्ताव संख्या 124 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 124 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अजय मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत किया गया कटौती प्रस्ताव सं. 107 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 107 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हाराधन राय द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 191, 196, 197 और 222 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 191, 196, 197 और 222 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रीमती गिरिजा देवी द्वारा प्रस्तुत किया गया कटौती प्रस्ताव संख्या 111 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 111 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा. सुधीर राय द्वारा प्रस्तुत किया गया कटौती प्रस्ताव संख्या 223 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव सं. 223 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सरोज दुबे, आपने अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। मैं इसे सभा में मतदान के लिए नहीं रख रहा हूं।

अब मैं डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत किया गया कटौती प्रस्ताव संख्या 60 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि डाक विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किए जाएं।"

[अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को समान वेतन और अन्य लाभ दिए जाने की आवश्यकता क्योंकि उनके कार्य और उत्तरदायित्व विभागीय कर्मचारियों के समान ही हैं।] (60)

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, हम मत-विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। दीर्घायें पहले ही खाली कर दी गई हैं।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती, सर्वश्री सुव्रत मुखर्जी, उद्धव वर्मन, हाराधन राय, डा. असीम बाला, राम चन्द्र डोम, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य, डा. सुधीर राय, श्री नवल किशोर राय।

विपक्ष में : सर्वश्री प्रतापराव बी. भोंसले, एम. जी. रेड्डी, जी. गंगा रेड्डी, संतोष मोहन देव, सुख राम, के. प्रधानी, सोमजीभाई डामोर, के. राममूर्ति, दिलीप सिंह भूरिया, डी. के. नायकर, नुरूल इस्लाम, वी. एस. विजयराघवन, श्रीमती के. पद्मश्री अनवर, श्री श्रवण कुमार पटेल, विश्वेश्वर भगत, शरत् पटनायक, श्रीमती संतोष चौधरी, सर्वश्री बालिन कुली, नाथूराम मिर्धा, इन्द्रजीत, डा. कृपासिंधु भोई, सर्वश्री गुलाम मोहम्मद खान, अरविन्द तुलसीराम काम्बले, सूरजभानु सोलंकी, थोटा सुब्बाराव, सुभाष चन्द्र नायक और श्री राम बदन।

प्रश्न यह है :

"कि डाक विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में से 100 रुपये कम किए जाएं।"

[अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को समान वेतन और अन्य लाभ दिए जाने की आवश्यकता क्योंकि उनके कार्य और उत्तरदायित्व विभागीय कर्मचारियों के समान ही हैं।] (60)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

[मत विभाजन संख्या-6] **[6.28 म.प.]**

पक्ष में

अंजलोज, श्री थाइल जान (अलप्पी)

अंसारी, डा. मुमताज (कोडरमा)

अशोकराज, श्री ए. (पैरम्बलूर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधी नगर)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उम्मारेड्डि वेंकटस्वरलु, प्रो. (तेनाली)

उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कठेरिया, श्री प्रभुदयाल (फिरोजाबाद)

कनौजिया, डा. जी.एल. (खीरी)

कनोडिया, श्री महेश (पाटन)

कालकादास, श्री (करोलबाग)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)

कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)

कुमारासामी, श्री पी. (पलाना)

कुसमरियां, श्री रामकृष्णा (दमोह)

केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)

खनोरिया, मेजर डी.डी. (कांगड़ा)

खां, श्री सुखेन्दु

गंगवार, डा. परशुराम (पीलीभीत)

गिरिजा देवी, श्रीमती (महाराजगंज)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गोपालन, श्रीमती सुशीला (चिरायिकिल)

गोहिल, डा. महावीर सिंह हरिसिंहजी (भावनगर)

गौडा, प्रो. के. वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव (वर्धा)

चक्रवती, प्रो. सुशान्त (हावड़ा)

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री रूद्रसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

चौहान, श्री चेतन पी.एस. (अमरोहा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

छटवाल, श्री सरताज सिंह (होशंगाबाद)

छोटे लाल, श्री (मोहनलाल गंज)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जनार्दनन, श्री एम.आर. कादम्बूर (तिरुनेलवेली)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जसवन्त सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)

जायनल, अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जेना, श्री श्रीकान्त (कटक)

जेस्वाणी, डा. खुशीराम डुंगरोमल (खेड़ा)

जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

टंडेल, श्री डी.जे. (दमन और दीव)

डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तोपदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)

तोमर, डा. रमेशचन्द (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (केसरगंज)

त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकंठा)

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र (वाराणसी)
द्रोण, श्री जगत बीर सिंह (कानपुर)
धर्ममिक्षम, श्री (नालगोंडा)
धूमल, प्रो. प्रेम (हमीरपुर)
नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
नारायणन, श्री पी. जी. (गोबिचेट्टिपालयम)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा. अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)
पटेल, श्री बृशिण (सीवान)
पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)
पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)
पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल (शाहबाद)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाण्डेय, श्री लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पासी, श्री बलराज (नैनीताल)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)
प्रकाश, श्री शशि (चेल)
प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)
प्रेम, श्री बी.एल. शर्मा (पूर्वी दिल्ली)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक (अकोला)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बसु, श्री वित्त (बारसाट)
बाला, डा. असीम (नवद्वीप)
बालयोगी, श्री जी.एम.सी. (अमालापुरम)
बालियान, श्री नरेश कुमार (मुजफ्फनगर)
बैरवा, श्री राम नारायण (टोंक)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मरान्डी, श्री साईमन (राजमहल)
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस. (तुमकुर)
महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)
महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
महेन्द्र कुमारी, श्रीमती (अलवर)
मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्होर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखर्जी, श्री प्रेमथेश (बरहामपुर)
मुखर्जी, श्री सुव्रत (रायगंज)
मुखोपध्याय, श्री अजय (कृशनगर)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुरूगेसन, डा. एन. (करूर)
मुरुमु, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)
मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस. (विशाखापटनम)
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)
मोल्लाह, श्री हन्नान (उलुबेरिया)
मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदौली)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, डा. एस.पी. (सम्भल)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
राजनारायण, श्री (बासगांव)
राजरविवर्मा, श्री बी. (पोल्लाची)
राजुलु, डा. आर.के.जी. (शिवकासी)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेन्द्रकुमार, श्री एल.एस.आर. (चिंगलपट्ट)
राजेश कुमार, श्री (गया)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राम, श्री प्रेमचन्द (नवादा)

राम सिंह, श्री (हरिद्वार)

राय, श्री एम. रामन्ना (कासरगोड़)

राय, श्री लाल बाबू (छपरा)

राय, डा. सुधीर (वर्दवान)

रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)

रायप्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री डी. वेंकटेश्वर (वापतला)

रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)

रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)

रावल, डा. लाल बहादुर (हाथरस)

रेड्डी, श्री बी.एन. (मिरयालगुडा)

लोढ़ा, श्री गुमान मल (पाली)

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)

वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (गोधरा)

वाइडे, श्री शोभनेाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

शर्मा, श्री जीवन (अल्मोड़ा)

शर्मा, श्री विश्वनाथ (हमीरपुर)

शाक्य, डा. महादीपक सिंह (एटा)

शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद (खलीलाबाद)

संघानी, श्री दिलीप भाई (अमरेली)

सरस्वती, श्री योगानन्द (भिंड)

सरोदे, डा. गुणवन्त रामभाऊ (जलगांव)

साक्षी जी, डा. (मथुरा)

सिंह, श्री अमर पाल (मेरठ)

सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)

सिंह, श्री बृजभूषण (गोण्डा)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरिया गंज)

सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)

सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)

सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)

सोरेन, श्री शिबू (दुमका)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)

स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)

हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी. (वेल्लौर)

अजित सिंह, श्री (बागपत)

अडईकलराज, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

अन्तुले, श्री ए.आर. (कोलाबा)

अन्वारासु, श्री (मद्रास मध्य)

अनवर, श्रीमती के. पद्मश्री (नेल्लौर)

अयूब खां, श्री (झुंझुनू)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मईलादुतुराई)

अरुणाचलम, श्री एम. (टेन्कासी)

अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)

अहमद, श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)

इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)

इम्वालम्बा, श्री (नागालैण्ड)

ईरानी, श्रीमती शीला एफ. (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)

इस्लाम, श्री नुरुल (धबरी)

उमराव, सिंह, श्री (जालन्धर)

उम्ब्रे, श्री लाईता (अरुणाचल पूर्वी)

ओडियार, श्री चनैया (दावणगेरे)

कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करेदुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)

कहांडोले, श्री जेड.एम. (मालेगांव)

कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई उत्तरपूर्व)

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम (उस्मानाबाद)

काले, श्री शंकर राव दे. (कोपरगांव)

कुप्पुस्वामी, श्री सी.के. (कोयम्बटूर)

कुरियन, प्रो. पी.जे. (मवेलीकारा)

कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)

कृष्ण कुमार, श्री एस. (क्विलोन)

कृष्ण स्वामी, श्री एम. (वान्डिवाशी)

केवल सिंह, श्री (भटिंडा)

कैनिथी, डा. विश्वनाथम (श्रीकाकुलम)

कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह (तरणतारण)

कोटला, श्री जय सूर्यप्रकाश रेड्डी (करनूल)

कोंताला, श्री रामकृष्ण (अनकापल्ली)

कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)

खां, श्री असलम शेर (बेतुल)

खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)

खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रुखाबाद)

गगोई, श्री तरुण (कलियाबोर)

गजपति, श्री गोपीनाथ (बरहामपुर)

गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)

गामीत, श्री छीतुभाई (माण्डवी)

गालिब, श्री गुर चरण सिंह (लुधियाना)

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)

गिरियप्पा, श्री सी.पी. मुडला (चित्रदुर्ग)

गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव (हिंगोली)

गुडाडिन्नी, श्री बी.के. (बीजापुर)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्री पेरुम्बुदूर)

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी. (कराड)

चाक्को, श्री पी.सी. (त्रिचूर)

चार्ल्स, श्री ए. (त्रिवेन्द्रम)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आनन्द)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरुपति)

चेन्नित्तला, श्री रमेश (कोट्टायम)

चौधरी, स्क्वैड्रन लीडर कमल (होशियारपुर)

चौधरी, डा. के.वी.आर. (राजामुन्दरी)

चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)

चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)

चौरे, श्री बापू हरि (धूलै)

जगवीर सिंह, श्री (भिवानी)

जयमोहन, श्री ए. (तिरूपत्तूर)

जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)

जाखड़, श्री बलराम (सीकर)

जाफर शरीफ, श्री सी.के. (बंगलौर उत्तर)

जावाली, डा.बी.जी. (गुलबर्गा)

जीवरत्नम, श्री आर. (अराकोनम)

झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

टिंडिवनाम, श्री के. राममूर्ति (टिंडिवनाम)

टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डेनिस, श्री एन. (नागरकोइल)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)

तंगकाबालु, श्री के.वी. (धर्मपुरी)

तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)

तिरिया, कुमारी सुशीला (मयूरभंज)

तोपनो, कुमारी फिडा (सुन्दरगढ़)

थामस, प्रो. के.वी. (एरणाकुलम)

थिटे, श्री बापूसाहिब (बारामती)

थुंगन, श्री पी.के. (अरुणाचल पश्चिम)

थोरात, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)

दलबीर सिंह, श्री (शाहडोल)

दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह (संगरूर)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दिघे, श्री शरद (मुम्बई-उत्तर मध्य)

दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)

देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई-दक्षिण)

देवराजन, श्री बी. (रसिपुरम)
देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)
नंदी, येल्लैया (सिद्दीपेट)
नवले, श्री विदुरा विठोबा (खेड़)
नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)
नायक, श्री जी. देवराय (कनारा)
नायक, श्री मृत्युंजय (फूलवनी)
नायकर, श्री डी.के. (धारवाड़ उत्तर)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
पटनायक, श्री शरत (बोलंगीर)
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (वालसाड़)
पटेल, श्री प्रफुल (भंडारा)
पटेल, श्री हरिलाल ननजी (कच्छ)
डा. (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम)
पवार, डा. वसंत (नासिक)
पांजा, श्री अजित (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पाटील, श्री अनवरी बसवराज (कोप्पल)
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)
पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)
पाटील, श्री विजय एन. (इरनदोल)
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता (नान्देड़)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पात्र, डा. कार्तिकेश्वर (बालासौर)
पायलट, श्री राजेश (दोसा)
पालाचौला, श्री वी.आर. नायडू (खम्माम)
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिली)
पेरुमान, डा. पी. वल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रधानी, श्री के. (नवरंगपुर)
प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराज नगर)
फर्नान्डीज, श्री ओस्कार (उदीपी)
फारुक, श्री एम.ओ.एच. (पांडिचेरी)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)
बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता-दक्षिण)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बूटा सिंह, श्री (जालौर)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)
भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भडाना, श्री अवतार सिंह (फारीदाबाद)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)
भोंसले, श्री प्रतापराव बी. (सतारा)
भोई, डा. कृपासिन्धु (सम्बलपुर)
मनफूल सिंह, श्री (बीकानेर)
मरबनिआंग, श्री पीटर जी. (शिलांग)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मल्लू, डा. आर. (नगर कुरनूल)
माडे गौडा, श्री जी. (माण्डया)
माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मीणा, श्री भेरुलाल (सलूम्बर)
मुजाहिद, श्री बी.एम. (धरवाड़-दक्षिण)
मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)
मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)
मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मैथ्यू, श्री के.एम. (इदुक्की)
यादव, श्री पप्पू
यादव, श्री रामलखन सिंह (आरा)
यादव, श्री राम शरण (खगरिया)
यादव, श्री सूर्यनारायण (सहरसा)
राजेश्वरन, डा. वी. (रामनाथपुरम)
राठवा, श्री एन.जे. (छोटा उदयपुर)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)
राम बाबू, श्री ए.जी.एस. (मदुरै)
राय, श्री राम निहोर (राबर्ट्सगंज)
राव, श्री जे. चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री पी.वी. नरसिंह (नन्दयाल)
राव, राम सिंह कर्नल (महेन्द्रगढ़)
राव, श्री वी. कृष्ण (चिक्वल्लापुर)
रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाड़ा)
राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
रेड्डय्या यादव, श्री के.पी. (मछलीपटनम)
रेड्डी, श्री आर. सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री ए. वेंकट (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा (ओंगोले)
रेड्डी, श्री एम.जी. (चित्तूर)
रेड्डी, श्री वाई.एस. राजशेखर (कुडप्पा)
रोशन लाल, श्री (खुर्जा)
लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री (मुकुन्दपुरम)
वर्मा, श्री भवानी लाल (जांजगीर)
वर्मा, कुमारी विमला (सिवनी)
वर्मा, श्री शिव चरण (मछलीशहर)
वान्डायार, श्री के.टी. (थंजावुर)
विजयराघवन, श्री वी.एस. (पालघाट)
विलियम्स, मेजर जनरल आर.जी. (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)
शंकरानन्द, श्री वी. (चिकोडी)
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार (अमेठी)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)
शिमडा, श्री डी.वी. (दहानू)
शिवरामन, श्री एस. (ओट्टापलम)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शैलजा, कुमारी (सिरसा)
श्रीधरण, डा. राजगोपालन (मद्रास दक्षिण)
संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)
सईद, श्री पी.एम. (लक्षद्वीप)
सत्रुचार्ला, श्री विजयराम राजू (पार्वतीपुरम)
सादुल, श्री धर्मण्णा मोंडय्या (शोलापुर)
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपर)
साय, श्री ए. प्रताप (राजमपेट)
सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगुसराय)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिदनाल, श्री एस.बी. (बेलगांव)
सिद्धार्थ, श्रीमती डी.के. तारादेवी (चिकमगलूर)
सिल्वेरा, डा. सी. (मिजोरम)
सिंह, श्री अभय प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री अर्जुन (सतना)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी (रायगढ़)
सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)
सिंहदेव, श्री के.पी. (ढैंकानाल)
सुख राम, श्री (मंडी)
सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुब्बाराव, श्री थोटा (काकिनाडा)
सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)
सोडी, श्री मानकूराम (बस्तर)
सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)
स्वामी, श्री जी. वेंकट (पेड्डापल्ली)
हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जोरहाट)

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 170

विपक्ष में : 224

कटौती प्रस्ताव संख्या 60 अस्वीकृत हुआ।

---

*पक्ष में : सूर्यनारायण सिंह, डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम सर्वश्री/सूरज मंडल, पूर्णचन्द मलिक, ब्रह्मानंद मंडल, एस.एम. लाल जान वाशा, उद्धव बर्मन, हाराधन राय, राजागोपाल नायडू, रामासामी, प्रो. आर.आर. प्रमाणिक, रामविलास पासवान, वसुदेव आचार्य, मोहन सिंह (देवरिया), श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य, सावित्री संतोष कुमार गंगवार, छेदी पासवान, नवल किशोर राय, वीरेन्द्र सिंह, श्रीमती विजयाराजे सिंधिया, सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, अन्ना जोशी, फूलचंद वर्मा, महंत अवैद्यनाथ, श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला, श्रीमती भावना चिखलिया, सर्वश्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, चन्दूभाई देशमुख, राजेन्द्र कुमार

—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे रखता हूं।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, पिछले मतदान जिसे स्कोर बोर्ड पर रिकार्ड किया गया था, में वस्तुतः इतनी अधिक गलतियां हैं कि लगभग 75 मत रिकार्ड नहीं किए गए थे।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उस मतदान पर आपत्ति कर रहे हैं तो मैं इसे सभा में मतदान के लिए पुनः रखूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं आपके निर्णय पर आपत्ति नहीं कर सकता। आप अभी भी यह देख सकते हैं कि कितने मत रिकार्ड नहीं किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह तो सब ठीक है लेकिन इन दोनों के बीच काफी अंतर है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, इतना अधिक अंतर इसलिए है क्योंकि काफी संख्या में मत रिकार्ड नहीं किए गए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि मैं इसे सभा में मतदान के लिए पुनः रखूं, तो मैं ऐसा भी करूंगा।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं नहीं समझता कि इसमें पूछने का कोई मुद्दा है इसे मतदान हेतु पुनः रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम यहां जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे आप जानते हैं—मैं पहले ही यह कह चुका हूं—वह यह कि "यह शुद्धि के अध्यधीन है।" हम पर्चियां इकट्ठी कर रहे हैं और यदि कोई गलती हुई है, तो हम इसे शुद्ध करेंगे।

श्रीमती विजयराजे सिंधिया (गुना) : लेकिन जब बोर्ड पर कुछ है ही नहीं तो आप इसकी जांच कैसे करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हमारे संसदीय कार्य मंत्री मेरी सहायता करने में संक्षम हैं, उन्हें मेरी सहायता करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती विजयराजे सिंधिया : हमें स्लिप दी ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपको बटन दबाना चाहिए था, स्लिप नहीं देनी थी।

श्रीमती विजयराजे सिंधिया : बटन दबाया, लेकिन आया नहीं।

कालम 280 का शेष

शर्मा, शिवलाल नागजीभाई वेकारिया, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी, सर्वश्री चन्द्रेश पटेल, द्वारकानाथ दास, दत्तात्रेय वंडारू, कुंजी लाल, आचार्य विश्वनाथ शास्त्री।

विपक्ष में : श्रीमती वसवा राजेश्वरी, सर्वश्री राम चंद्र रथ, डी. पांडियन, वेंकट कृष्ण रेड्डी कासु, जी गंगा रेड्डी, विलास मुत्तेमवार, दिलीप सिंह भूरिया, ए. इन्द्रकरन रेड्डी, श्रवण कुमार पटेल, विश्वेश्वर भगत, दत्ता मेघे, के.पी. उन्नीकृष्णन, उदयसिंहराव गायकवाड़, सज्जन कुमार, पी.पी. कालिया पेरुमल, सुभाषचन्द नायक और श्री राम बदन।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने बार-बार आपको कहा था कि मेरी बात बड़े गौर से सुनिए।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं और नेता लोग मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कृपया अपने सदस्यों से कहें कि वे शांत हो जाएं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मतदान के बाद हमें कार्यसूची के दूसरे मुद्दे को उठाना है। इस समय हम अनुदान की मांगों पर मतदान करने वाले हैं। मेरा अनुरोध है कि आप मुद्दे पर कार्यवाही करें और जिन अनुदान मांगों पर मतदान होना है उसके बारे में बताएं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, अब संसदीय कार्यमंत्री सत्ता पक्ष का मत प्रस्तुत के लिए खड़े हो गए हैं, क्या मुझे संक्षेप में, अपनी कठिनाई बताने की अनुमति दी जाएगी ? कठिनाई का कारण संभवतः यह है कि सदस्यों ने वे सभी बटन क्रमानुसार नहीं दबाए जो कि उन्हें दबाने चाहिए थे।

(व्यवधान)

महोदय, मैं जिस बात को कह रहा था क्या उसे पूरी कर सकता हूं ? तत्पश्चात् आपने अपने स्थान से परिणाम की घोषणा कर दी जिसमें संशोधन किया जाना था। उसके बाद पर्चियां बांटी गयीं और उससे पहले कि पर्चियां इकट्ठी करके गिनी जाएं और जो सुधार किए जाने हैं—जोड़ना है या बदलना है—आपको प्रस्तुत कर दी गई, इस प्रकार माननीय संसदीय कार्य मंत्री पूरे प्रकरण को आगे सरकाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं पूरी निष्पक्षता से संसदीय कार्यमंत्री जी के बारे में यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे याद दिलाया था कि सभा में किस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मंत्री जी अध्यक्ष महोदय को याद दिला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप भी मेरी सहायता कर सकते हैं और मंत्री महोदय भी मेरी सहायता कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि सभा की यह प्रथा है कि यदि मतदान के मुद्दे पर मत रिकार्ड करते समय चर्चित मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में दिए गए मतों में बहुत अन्तर हो तो मुद्दे के अध्यधीन की शर्त के साथ घोषणा की जाती है। और क्योंकि यहां तो 54 मतों का अन्तर है—जोकि बड़ा अन्तर है—और इसीलिए हमें उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ा जिसका कि पालन हम करते रहे हैं। इसके बावजूद जब मैंने आपसे कहा कि आप चाहें तो मतदान कर सकते हैं तो आपने कहा "नहीं"।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, हमने तो 'हां' कहा था।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैं अगले विषय पर आ गया और इस समय उस विषय को दुबारा नहीं उठाना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : हमने 'ना' नहीं कहा था। मैं पहली पंक्ति में था जहां कि कम से कम तीन मत रिकार्ड नहीं किए गए। जब मैंने मतदान मशीन के एक तिहाई हिस्से को देखा तो मैंने पाया

कि कम से कम 25 मत रिकार्ड नहीं किए गए थे। और इसलिए मैंने 'हां' कहा।

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, मैंने एक बार नहीं बल्कि दो तीन बार कहा था। अब मैं—मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को रखता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं समझता हूं कि सदस्यों को पर्चियां दी जाती रही हैं; कम से कम पर्चियां तो दी ही जानी चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : पर्चियां दी जाएंगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जरा चुप तो बैठिए। क्या ऐसा बार-बार उठकर करेंगे ?

[अनुवाद]

मैं उचित कार्यवाही कर सकता हूं। अब, बहुत हो गया। आडवाणी जी, आपको पूरा अधिकार है कि आप पर्चियों की मांग करें इसलिए आपको पर्चियां दी जाएंगी। अब, जब मत रिकार्ड हो चुके हैं तो उन मतों की फोटो प्रति उपलब्ध है इसलिए मतों की फोटो प्रति और पर्चियों की गिनती की जा सकती है। और चूंकि मैंने 'शुद्धि के अध्यधीन' कहा है इसलिए मेरी घोषणा भी 'शुद्धि के अध्यधीन' है। यदि कोई सदस्य गलती से मतदान के बाद पर्चा देता है तो इसका पता लगाया जा सकता है क्योंकि मशीन में रिकार्ड किए गए मतों की फोटो प्रति उपलब्ध है। मैं आशा करता हूं कि आपको पर्चियां दी जाएंगी और आप अपना मत रिकार्ड करेंगे।

डा. सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय, लगभग 97 मत रिकार्ड नहीं किए गए। हम 107 सदस्य हैं; केवल 70 मत रिकार्ड हुए हैं और 97 मत रिकार्ड नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य अपने मत रिकार्ड करना चाहते हैं उनको पर्चियां देने दें।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

मैंने पहले ही कहा था कि पर्चियां उन सदस्यों को दी जाएंगी जिन्होंने अपना मत रिकार्ड नहीं किया है और अब पर्चियां इकट्ठी करने के बाद उनका मिलान फोटो प्रति से किया जाएगा।

संशोधन करने के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा।

यह मतदान करने वाले सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे शुद्धि के लिए पर्चियां प्राप्त करें। कोई सदस्य, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, यदि पर्ची मांगता है, तो उसे पर्ची दी जाएगी और इन्हें इकट्ठा करने के पश्चात मतों की कुल संख्या को उस फोटो कापी से मिलाया जाएगा जोकि हमारे पास है और उसके बाद शुद्धि की जाएगी।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, यह पहले ही मशीन में रिकार्ड हो चुका है इसलिए इन लोगों को पर्चियां लिखने का मौका नहीं मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने ठीक कहा है। मैं आपकी सलाह मानूंगा। आप शत-प्रतिशत सही हैं।

इसकी जांच फोटो प्रति से की जाएगी। मैं समझता हूं कि सदस्यों को पर्चियां मिल गई हैं और उन्होंने वापस भी कर दी हैं। क्या उन्होंने ऐसा कर दिया है ?

मैं आशा करता हूं कि सभी पर्चियां इकट्ठी कर ली गई हैं। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं।

अब मैं संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप आपस में बातें करेंगे तो मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी जिससे आपको कठिनाई होगी।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : पर्चियां इकट्ठी करने के बाद हमें पर्चियों के अन्तर की जांच करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

अब मैं संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या, 13 तथा 14 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 6 में दिखायी गयी राजस्व संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1995-96 के लिए संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगें

मांग की संख्या	मांग का नाम	30-3-1995 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांगों की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3		4	
संचार मंत्रालय					
13	डाक विभाग	372,69,00,000	12,31,00,000	1863,43,00,000	61,56,00,000
14	दूरसंचार विभाग	1584,36,00,000	1159,17,00,000	7921,79,00,000	5795,82,00,000

श्री रंगराजन कुमारमंत्रालय (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां। आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी व्यवस्था का प्रश्न सुनुंगा। पहले तो मुझे वे यह दिखाएं कि संविधान के किस प्रावधान, नियम पुस्तिका के किस नियम, किस परिपाटी का उल्लघंन किया गया है। उसके बाद वे यह बताएं कि किस परिपाटी का उल्लघंन किया गया है और तब मैं उनकी व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका ध्यान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : संविधान के किस अनुच्छेद की ओर ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय आप मुझे उस नियम को देखने की भी अनुमति नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने आपको अनुमति दी है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि मैं आपका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 208 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नियम 208(1) में कहा गया है :

"अध्यक्ष, सभा नेता के परामर्श से अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए उतने दिन नियत करेगा जो लोक हित से सुसंगत हों।"

तत्पश्चात् नियम 208(2) में यह कहा गया है :

"अध्यक्ष, नियत दिनों के अंतिम दिन 17,00 बजे अथवा किसी ऐसे अन्य समय पर जो वह पहले से निश्चित कर दे अनुदानों की मांगों के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।"

अध्यक्ष महोदय : अच्छा हो आप "दो स्पीकर शैल" (अध्यक्ष यह करेगा) शब्दों को रेखांकित कर बोलें ताकि हमारे लिए रास्ता आसान हो जाए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब मैं अनुरोध करता हूं कि आप नियम 208(3) देखें, जिसमें यह कहा गया है :

"अनुदान की किसी मांग को कम करने के लिए प्रस्ताव पेश किए जा सकेंगे।"

तत्पश्चात, 208(4) में यह कहा गया है :

"अनुदान की किसी मांग को कम करने के प्रस्तावों में संशोधन की अनुज्ञा नहीं होगी।"

तत्पश्चात, 208(5) में यह कहा गया है :

"जब एक ही अनुदान की मांग से संबंधित कई प्रस्ताव दिए जाएं तब उन पर क्रम से चर्चा होगी जिसमें कि उन से संबंधित शीर्ष आय-व्ययक में दिए गए हों।"

अध्यक्ष महोदय, मैं एक नियम का संदर्भ देना चाहता हूं क्योंकि मेरे विचार से यह उस प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नियम 207 के अन्तर्गत बजट पर सामान्य चर्चा का प्रावधान है। दुर्भाग्यवश इस बार हमें सामान्य चर्चा के लिए आवंटित पूरा समय नहीं मिल सका जिसमें हम उस नियम के अन्तर्गत सिद्धांत के किसी प्रश्न, वित्तीय मामले या सरकार की सामान्य नीति की कोई भी प्रश्न उठाने की अनुमति मिलती। इसका कारण यह था कि समय कम था; क्योंकि उस अवधि के दौरान बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के कारण सभा में कार्य नहीं हो सका। वास्तव में, मैं उस बजट चर्चा में बोलना चाहता था। किन्तु उस समय मैं बोल नहीं सका। अब, मैं जो प्रश्न उठाना चाहता हूं वह यह है कि नियम 208 और नियम 209 के अन्तर्गत—जोकि अगला महत्वपूर्ण नियम है—निम्नलिखित किसी एक तरीके; (क), (ख) और (ग) से मांग की धनराशि कम करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। क्या मैं पृष्ठ 78 पर उपनियम (ग) की ओर माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं ? इसमें यह कहा गया है :

"कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए"—ऐसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिए जो भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हो, ऐसा प्रस्ताव "सांकेतिक कटौती" कहा जाएगा और उस पर चर्चा, प्रस्ताव में उल्लिखित विशेष शिकायत तक ही सीमित होगी।"

अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि इसे आपके ध्यान में लाना आवश्यक

है और आपके जरिए माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना आवश्यक है कि मैंने वास्तव में नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के संबंध में सांकेतिक कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है और यह मांग की है कि मैं जो शिकायत कर रहा हूं वह यह है कि पिछले चार वर्षों से मुद्रास्फीति के कारण वास्तविकता यह है कि · ·

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : वे अपने कटौती प्रस्ताव की विषय वस्तु नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें सभा के समक्ष नहीं रखा गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल और अन्य सदस्य कृपया उन्हें अपनी बात करने दें। मैं आपकी बात भी सुनुंगा।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। मैं जिस प्रश्न पर बल देना चाहता था वह यह है कि यह विशेष शिकायत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बंधित है। मेरा अनुरोध है कि पांच करोड़ परिवार जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं · ·

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मेरे विचार से यदि माननीय सदस्य उस प्रश्न पर बोलने के बहुत ही इच्छुक हैं तथा यदि वे बहुत ध्यान से नियम पुस्तिका पढ़ें तो उन्हें उस प्रश्न पर बोलने का अवसर मिल जाएगा।

कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु यदि आप उस बात को व्यवस्था का प्रश्न उठाकर कहना चाहें तो इसकी अनुमति नहीं है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं उस मुद्दे पर बोलने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी कुछ प्रयास कर रहा हूं, वह आपके जरिए सभा के ध्यान में लाने के लिए कर रहा हूं। वास्तव में मैंने नौ महत्वपूर्ण मुद्दों पर नौ सांकेतिक कटौती प्रस्ताव की सूचना दी थी। तथा मैं केवल मुद्दे को बताना चाहता हूं। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय महसूस करते हैं कि मुझे इसे शब्दशः पढ़ना चाहिए तो मैं इसे शब्दशः पढ़ दूंगा · ·

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं, जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, आप एक बहुत अच्छे वकील हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैं आपका आभारी हूं। किन्तु क्या मैं अपनी बात कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : और अन्य संसदीय कार्य भी देखते रहे हैं। इसलिए आप जानते हैं कि आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए नियमों का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार नहीं, अन्य तरीके से कर सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैंने सामान्य बजट का प्रश्न उठाया था। मैंने कहा था कि सामान्य बजट में इन शिकायतों को व्यक्त करने का एक तरीका है। मैंने यह भी उल्लेख किया कि हमें इसका अवसर नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसका अवसर दिया जाएगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं जानता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय यह कहना चाहते हैं कि वित्त विधेयक पेश किए जाने के बाद संभवतः मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा। किन्तु मैं उस समय जो पाबंदियां होंगी उनके बारे में भी जानता हूं। किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अध्यक्ष महोदय यह समझते हैं कि मुझे इस सभा को यह बताने का अधिकार भी नहीं है कि सांकेतिक कटौतियां क्या हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा का पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको अनुमति दे देता हूं तो मुझे उन सभी को अनुमति देनी पड़ेगी, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं · ·**(व्यवधान)**

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : पात्र जी, व्यवस्था के प्रश्न पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। मैं जानता हूं आप मेरी सहायता करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : एक बार आपने कहा था कि मुझे इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपकी कृपा होगी।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : किन्तु मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि ये सभी नौ कटौती प्रस्ताव राष्ट्रीय लोक महत्व के मामले हैं। ये गरीब, गरीबी की रेखा से नीचे गुजर करने वाले लोगों, कृषकों आदि से संबंधित हैं · · **(व्यवधान)** यह ठीक है। मुझे मत बोलने दीजिए। मैं इसके लिए तैयार हूं किन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि · · **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह बिल्कुल गलत बात है · · **(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या मैं मुख्य विषय पर बात कर सकता हूं ? · · **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट शांत रहिए। कृपया हम इस बात को समझें। कुमारमंगलम जी, मेरे विचार से, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। सभा में प्रत्येक सदस्य को ऐसा करने का अधिकार है और जब कभी भी ऐसा अवसर आएगा तो आपको अपनी बात बोलने की अनुमति दी जाएगी लेकिन जिस तरह से आप कटौती प्रस्तावों के रूप में अपनी बात कह रहे हैं, उस पर विचार नहीं किया जा सकता। ऐसे कई अवसर आएंगे जब ऐसा किया जा सकता है। लेकिन आपको मुझे वह नियम, कानूनी स्थिति बतानी होगी जिसके अंतर्गत आप ऐसा अभी इसी समय कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल बोलिए नहीं, क्योंकि यह विषय सिर्फ बोलने का नहीं है, समझने का भी है।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अपनी बात का उल्लेख करते हुए, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान नियम 208(2) की ओर पुनः आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझसे अनुरोध किया था कि मुझे "तुरन्त रखेगा" शब्द रेखांकित करना चाहिए। मैंने अपने मस्तिष्क में ऐसा

कर लिया है। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं आपका ध्यान अगली पंक्ति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा : "सभी को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न रखेगा", मैं दोहराता हूं, "सभी अवशिष्ट विषयों ..."

अध्यक्ष महोदय : क्या यह अवशिष्ट मामला है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या मैं उसका उत्तर दे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या कटौती प्रस्ताव अब अवशिष्ट है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : जी हां, क्योंकि मैंने सूचना दी है। क्या मैं, यदि आप मझे अनुमति दें तो कुछ क्षणों में इन विषयों की रूपरेखा को स्पष्ट कर सकता हूं ? अनुदानों की मांगों पर प्रस्ताव के रूप में चर्चा की जाती है। जब माननीय वित्त मंत्री इसे सदन के सभा पटल पर रखते हैं तो वे विभिन्न मंत्रालयों को भेजी गई अनुदानों की मांगों को संपूर्ण रूप में सभा पटल पर रखते हैं। और मामले पर विचार किया जाता है ठीक वैसे ही जैसा अपने संचार मंत्रालय के मामले में किया। चर्चा के अन्त में, प्रस्ताव में कहा जाता है कि, "इस राशि के लिए अनुदानों की इन मांगों के लिए प्रस्ताव इत्यादि।"

इसे प्रस्ताव कहते हैं। कटौती प्रस्ताव वास्तव में एक संशोधन है जिसमें कटौती करने का अनुरोध किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो क्या यह सदन के समक्ष कटौती प्रस्ताव होगा ?

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह अनुरोध कर सकता हूं कि मैं केवल यही चाहता हूं कि गिलोटिन की स्थिति में भी आप अनुदानों की मांगे प्रस्तुत करते हैं, ज्यों ही प्रस्ताव सदन के समक्ष लाया जाता है मुझे यह पूछने का अधिकार है कि अनुदानों की मांगों की कटौती हेतु मेरे संशोधन पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे वह नियम दिखाएं जो आपके दावे का समर्थन करता है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं यह समझता हूं कि मेरी सूचना अवशिष्ट है। माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही यह कह चुके हैं कि और कोई उपाए नहीं है लेकिन अब भी मैं, आपका जो विनिर्णय होगा, उसे स्वीकार करूंगा। लेकिन मेरे लिए इस बात को आपके ध्यान में लाना आवश्यक है। स्थिति यह है।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल सही है।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि इस समय मैं अपनी बात पर चाहे जितना भी बल क्यों न दूं, मैं आपके विपरीत अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय का पालन करूंगा ? **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह कह सकता हूं कि किसी भी अनुदान की मांग को कम करने के लिए प्रस्ताव पेश किए जा सकेंगे। ऐसा नियम 208(3) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इसलिए, मैं केवल नियम 208(3) के अंतर्गत अपना अधिकार चाहता हूं। मैं किसी प्रकार की चर्चा नहीं चाहता। मैं चर्चा के अपने अधिकार को छोड़ने को तैयार हूं क्योंकि गिलोटिन के बाद चर्चा समाप्त हो जाती है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि नियम 208(3) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से यह अधिकार प्राप्त है कि किसी अनुदान की मांग को कम करने के लिए प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। मैंने नौ कटौती प्रस्तावों की सूचना दी है। मेरा केवल तर्क यह है कि मैंने अपने पेश करने के अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है।

इसके विकल्प रूप में, यदि मैं यह कहना चाहूं, तो वास्तव में यह मेरे लिए आवश्यक है कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान कौल और शकधर के चौथे अंग्रेजी संस्करण के पृष्ठ सं. 699 की पहली पंक्ति की ओर आकर्षित करूं। इसमें कहा गया है कि :

> "तथापि समाचार में पहले से अधिसूचित अनुदानों की बकाया मांगों के निपटान का समय और तारीख सदन द्वारा परिवर्तित या बढ़ाए जा सकते हैं ताकि और अधिक मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा की जा सके।"

माननीय अध्यक्ष यह टिप्पणी देख सकते है कि वर्ष 1987 में ऐसा पूर्व उदाहरण है, जब अनुदानों की मांगों की चर्चा के लिए समय देने के वास्ते इसे विशेष रूप से परिवर्तित कर दिया गया था। महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस समय हम वास्तव में केवल दो मंत्रालयों अर्थात रक्षा और संचार पर ही चर्चा कर सके हैं। हम उन बहुत महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा नहीं कर सके जो भारत के अधिकांश लोगों से संबंधित हैं।

मेरे विचार से यह आवश्यक है कि थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। यदि आप राष्ट्रीय हित, गरीब और अन्यों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन के निर्णय की अनुमति भी नहीं दे सकते तो कम से कम हमें इतना समय तो दें ताकि इन मांगों पर चर्चा की जा सके। कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत गिलोटिन का प्रावधान है अर्थात ऐसा करने के लिए कानूनी प्रावधान है। अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम 1933 की धारा 42(ख) के अन्तर्गत, वित्त विधेयक को पेश करने या पुरःस्थापित करने के समय से 75 दिन के भीतर पारित किया जाना आवश्यक है। वह तारीख 29 मई है। हमने इस सभा में 23 मई नियत की है। हमारे पास छः दिन का समय है। माननीय अध्यक्ष से मैं यही मांग करता हूं कि कृपया कम से कम विद्युत, खाद्य या नागरिक आपूर्ति या किसी अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों, जिन पर मैंने सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव किया है, पर चर्चा की जाए और लोगों को हमारे विचारों की जानकारी होने दें तथा अन्य सदस्य हमारे विचार सुनें। अध्यक्ष महोदय ने ठीक ही कहा है कि मैं जो कहना चाहता हूं यह कहने का मौका नहीं है, किन्तु कहने के लिए निश्चित रूप से रास्ता है। अध्यक्ष महोदय ऐसा पूर्व उदाहरण है तथा समय भी है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि गिलोटिन की तारीख स्थापित क्यों न कर दी जाए ? इससे क्या होने जा रहा है ? इससे संसार समाप्त नहीं हो जाएगा **(व्यवधान)**। यह केवल वैकल्पिक अनुरोध है। मेरा पहला अनुरोध है कि यदि माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे मेरे सांकेतिक कटौती प्रस्ताव जिसे नियम 208(3) के अन्तर्गत पेश करने का अधिकार है पेश करने की अनुमति दें, तो मैं इसे पेश करूं, इस पर मतदान हो; और इस पर निर्णय लिया जाए।

श्री चन्दन कुमार चंसल : महोदय, कुमारमंगलम जी की बात सुनने के बाद मुझे बारिश की बूंद याद आ गई है ... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? ... **(व्यवधान)** क्या वे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ? ... **(व्यवधान)** वे व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं अपना अनुरोध कर रहा हूं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय मैं लूंगा। मैं कुछ सदस्यों की बात सुन सकता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप उनकी सहायता लेना चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : वे किस संबंध में अनुरोध कर रहे हैं। हम सब भी अनुरोध कर सकते हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं आपको भी अनुरोध करने की अनुमति दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई भी व्यवस्था का प्रश्न कर सकता है। क्या वे आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बंसल जी, कृपया बैठ जाएं। मेरे विचार से, कुमारमंगलम जी ने कुशलतापूर्वक अपना अनुरोध किया है। इस सदन के समक्ष इस मामले को निर्धारित समय में निपटाया जायेगा। कुमारमंगलम जी द्वारा कटौती प्रस्तावों—सांकेतिक कटौती प्रस्तावों, नीति संबंधी कटौती प्रस्तावों की बजाए सांकेतिक कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए सूचना दी गयी थी।

सदन में हम यह प्रक्रिया अपनाते हैं कि जब हम किसी मंत्रालय की चर्चा करते हैं तो सदस्यों को सभा पटल पर अधिकरियों को पर्चियां देते हुए अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। वास्तविकता यह है कि जब सदस्य द्वारा सभा पटल पर सूचना। पर्चियां दी जाती हैं तो उन्हें प्रस्तुत करने की आशा की जाती है। जब तक उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जाता, वे सदन के समक्ष नहीं रखे जाते। यदि कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष नहीं रखे जाते हैं, तो कटौती प्रस्तावों को निपटाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वे सदन के समक्ष नहीं रखे गए हैं। यह एक विधायी और तकनीकी विषय है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यही प्रथा है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरी बात आपने यह बिल्कुल सही की है कि सदन में मांगों पर चर्चा की जा सकती है और विगत में भी सदन में मांगों पर चर्चा की गई थी लेकिन विशेष मामलों में ही चर्चा की गई थी। जब किसी सदस्य की मृत्यु हो गई और सभा की बैठक जारी रखना संभव नहीं जान पड़ा या ऐसी ही कोई बात हो गई तथा कुछ अन्य मामलों में भी ऐसा ही किया गया है। परन्तु हमें उस नियम पर ध्यान देना चाहिए जिसका कि नियम पुस्तिका में इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मैं नियम 221 पढ़ रहा हूं जो इस प्रकार है :

> "इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अतिरिक्त अध्यक्ष ऐसी सब शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो समस्त वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के प्रयोजन के लिए जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य को निपटाने के लिए नियत समय सम्मिलित है, आवश्यक हों और जब इस तरह समय नियत किया जाए तो वह निश्चित समय पर ऐसे प्रक्रम या प्रक्रमों से संबंधित, जिनके लिए समय नियत किया गया हो, सब अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरंत रखेगा।"

इस नियम पुस्तिका में जो कहा गया है उसे यहां दोहराया गया है। नियम पुस्तिका में बताया गया है कि प्रत्येक विषय का निपटान किया जाएगा और इस बारे में नियम 208(2) में कहा गया है कि :

> "अध्यक्ष नियत दिनों के अन्तिम दिन 17.00 बजे अथवा किसी ऐसे अन्य समय पर जो वह पहले से निश्चित कर दे अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।"

अब यहां पर भी इसी बात को दोहराया गया है। यह बात दो बार कही गयी है। बल इस बात पर दिया गया है कि वित्तीय कार्य निश्चित किए गए समय में पूरा किया जाए। आपकी इस दलील से कि आपको अपने विचार रखने की अनुमति दी जाए, मैं समझ रहा हूं और जानता हूं कि एक वकील होने के नाते और संसदविद् होने के नाते आप यह जानते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है।

यदि आप विषय-वस्तु से हटकर इसकी बारीकियों की बात करेंगे, तो मैं भी तकनीकी दृष्टि से ही इसे हल करूंगा। यदि मैंने किसी सदस्य को अनुमति दे दी और गिलोटिन समय आगे बढ़ा दिया, तो मुझे अन्य सदस्यों को भी ऐसी अनुमति देनी पड़ेगी। इस प्रकार से जिस उद्देश्य और जिस सिद्धान्त के लिए यह नियम बनाया गया है वह अर्थहीन हो जाएगा।

7.00 म.प.

जब तक कि बहुत जरूरी न हो जाए या जब तक कि परिस्थितियां ऐसी न हो जाएं कि विधेयक को पारित करना उचित नहीं होगा, गिलोटिन के समय को आगे बढ़ाना उचित नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और यह कि आपको उचित समय पर सही ढंग से अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा, को ध्यान में रखते हुए आप खुद जान सकते हैं कि आपको अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा इस बारे में मुझे स्वयं आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं समझता कि मुझे आपकी दलील माननी चाहिए। क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री बंसल जी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समझता हूं कि आप अपनी व्यवस्था देने से पहले हमारी बात सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, अन्यथा मुझे गलत समझा जाएगा। महोदय, जब मैंने आपको सम्बोधित किया, 'महोदय' आप पूरी सभा का प्रतिनिधित्व करते हो; जब मैं 'माननीय अध्यक्ष जी' कहता हूं, तो इसका अर्थ है कि मैं अध्यक्ष के माध्यम से पूरी सभा को सम्बोधित कर रहा हूं। यही सामान्य प्रणाली है, जो मैंने लिखी है। मेरा निवेदन यह है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उस पर ध्यान न दिया जाए। यदि सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय 'ना' कहते हैं तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। मैंने अध्यक्ष की व्यवस्था को कभी भी चुनौती नहीं दी है। व्यवस्था के प्रति मेरे जो कुछ विचार होंगे, मेरे दिल में ही रहेंगे, मैं चुनौती नहीं दूंगा। एक बात मैं साफ-साफ कहता हूं कि मैंने आपको पूरी सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले "माननीय अध्यक्ष" के रूप में सम्बोधित किया है और यही प्रथा भी रही है। यह किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है यह एक संसद सदस्य हैं जो सभा में दलील दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहें तो मैं आपकी बात सुनूंगा। इस बात को नहीं सुनूंगा जिस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बंसल जी को भी अनुमति नहीं दी थी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, आपने खुद ही कहा है। मैं पृष्ठ संख्या 339 का हवाला दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं कराऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी जी प्रत्येक आर्थिक विषय पर मैं आपकी बात सुनूंगा। किन्तु विधि सम्बन्धी विषयों पर बोलने की अनुमति मैं आपको नहीं दूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरी बात तर्कपूर्ण है और मैं आपकी बात की पुष्टि करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनना चाहता था। उस पर आपत्ति की गई तो उसके पश्चात मैंने व्यवस्था दिया। मैं श्री बंसल जी को बोलने की अनुमति दे रहा था।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : जब हम सब लोगों की राय है तो ऐसे कैसे गुलोटिन हो सकता है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं, फिर भी बहस करना चाहते हैं तो मैं केवल वरिष्ठ सदस्यों की बात सुनूंगा, लेकिन तब भी यह ठीक नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने अच्छी तरह समझ लिया था कि मुझे सदस्यों की बात सुननी है। मैंने श्री बंसल जी की बात सुन ली थी। जब उस पर आपत्ति की गई तो मैंने कहा "मैं आपकी बात भी सुनूंगा" और तब मुझे बताया गया कि "यह आवश्यक नहीं है" तो उसके बाद मैंने अपनी व्यवस्था दे दी। लेकिन जब मैं अपनी व्यवस्था दे चुका तो आप कह रहे हैं कि यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वास्तव में ही आपकी बात सुनना चाहता था और आप सबकी बात सुनने के बाद ही व्यवस्था देना चाहता था और अब जबकि मैं व्यवस्था दे चुका हूं और आप अध्यक्ष के निर्णय पर चर्चा करते हैं तो संसद की प्रथा के अनुसार वह चलती ही रहेगी। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप अध्यक्ष से यह आशा नहीं कर सकते कि वह आपको अपनी व्यवस्था दिए जाने के कारण बताए। और यदि आप सकारण दी गई व्यवस्था पर अपनी टिप्पणियां देना चाहते हैं तो भी यह कार्यवाही चलती ही रहेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बेहद खेद है कि मुझे ऐसा कहना पड़ा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपकी व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इस बात की ओर आपका ध्यान खींच रहा हूं कि आपने क्या कहा था।

अध्यक्ष महोदय : बस कीजिए मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। यदि श्री कुमारमंगलम बोलना चाहें तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। सदस्यों को पता होना चाहिए कि यदि श्री नाईक विनियोग विधेयक और उन सभी विषयों पर जिन पर चर्चा नहीं की गयी है, बोलने की सूचना देते तो उन्हें विनियोग विधेयक पर चर्चा करते समय चर्चा की अनुमति दी जाती। जो नियम आपको बोलने की आजादी देते हैं आप उनका सहारा न लेकर आप पेचीदगी पैदा करके अपनी बात कहकर मुझसे व्यवस्था लेना चाहते हैं तो यह मैं पहले ही दे चुका हूं। मैं श्री नाईक को जिन विषयों पर वे बोलना चाहते हैं, अनुमति देता हूं। यही तरीका श्री कुमारमंगलम जी भी अपना सकते थे। अब जबकि उन्होंने वह तरीका नहीं अपनाया और मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं, तो मैं आशा करता हूं कि सभा उस बात पर जोर न देकर मेरे साथ सहयोग करेगी।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आपने एक हवाला दिया था कि असाधारण परिस्थितियों में आप सभा को निर्णय लेने की अनुमति देंगे। मैं श्री कौल तथा शकधर द्वारा लिखित "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" को (हिन्दी संस्करण) पढ़ रहा हूं जिसके पृष्ठ 677 पर कहा गया है :

> "कटौती प्रस्तावों की सूचना केवल विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा दी जाती है। सरकारी दल के सदस्य सामान्यतया ऐसी सूचनाएं नहीं देते। यह तो मंत्री परिषद की निन्दा या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें 'अविश्वास' का प्रस्ताव रखने वाली बात होगी।"

मैं आपका ध्यान इस खण्ड की ओर केवल इसलिए दिला रहा हूं आप इसे असाधारण स्थिति माने। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस समय आपको व्यवस्था के प्रश्न की दलील नहीं देनी चाहिए थी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि सदन का समय 6 बजे समाप्त होता है और उसके बाद समय बढ़ाया नहीं गया है। सदन का समय समाप्त होने के बाद सदन की जो भी कार्यवाही है,

[अनुवाद]

यह उचित नहीं है। सदन का समय बढ़ाया नहीं गया है। इसलिए जो कुछ हो रहा है वह नियमों से बाहर है। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह कहना है कि श्री राम नाईक का व्यवस्था का प्रश्न है। लेकिन चूंकि हम सब यहां पर बैठे हैं और जब हम 'नहीं' नहीं कहते हैं, तो यह समझा जाता है कि हम चर्चा जारी रखना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा भी चर्चा जारी रखना चाहेगी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं कटौती प्रस्ताव पर आपका विनिर्णय जानना चाहता हूं। यह दूसरे विषय से संबंधित है। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : मैं आपसे इस विषय पर विचार करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि ऐसी स्थिति पहली बार आई है। इससे पूर्व इस प्रकार की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी सही कह रहे थे और यहां तक कि 'कौल और शकधर' का भी काफी स्पष्ट रूप से यह कहना है कि विगत में ऐसे कई अवसर आएं हैं जब सभा में यह निर्णय लिया गया है कि · ·

अध्यक्ष महोदय : सभा से अभिप्राय पूरे सभा से है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : "पूरी सभा"। सभा में औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कि गिलोटिन आज समाप्त कर दिया जाए। **(व्यवधान)** इस बात का निर्णय सभा को लेने दें। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सभा को इस बात का निर्णय लेने दें। **(व्यवधान)** इसे मतदान के लिए रखना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास सभा में रखने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं औपचारिक रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। · ·**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। कृपया पहले बैठ जाइए। मुझे अपनी बात पूरी करने दें। मैं बोल रहा हूं। कृपया इस बात को समझें कि ऐसा करते समय आप दो बातें कर रहे हैं। पहले, आप विनिर्णय जानना चाहते थे, मैंने आपको विनिर्णय सुनाया। अब आप अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती दे रहे हैं। दूसरी बात, यदि श्री कुमारमंगलम वास्तव में इस विषय पर बोलना चाहते हैं तो मैं उन्हें विनियोग विधेयक के संबंध में बोलने की सूचना दिए बिना भी उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा। यदि वे वास्तव में बोलने के इच्छुक हैं तो मैं उन्हें विनियोग विधेयक पर बोलने की अनुमति दूंगा। लेकिन यदि वे इस तकनीकी विषय पर जोर देते हैं, तो मेरे विचार से, मैंने न्याय किया है और इस मुद्दे को उठाकर आप इसके कारणों से उलझने की बजाय अध्यक्ष द्वारा दिए गए विनिर्णय से उलझ रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको विनियोग विधेयक पर बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, आप यह कह रहे हैं कि आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे। मैंने इस बात की ओर सही ध्यान दिलाया था कि एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके लिए मुझे कटौती प्रस्ताव लाना पड़ा। विनियोग विधेयक पर बोलने और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में अंतर है। मैं यह अंतर जानता हूं। मुझे विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष महोदय भी इस बात को समझते हैं। इसलिए कृपया मुझसे यह मत कहिए कि मुझे विनियोग विधेयक पर बोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कुमारमंगलम जी, यदि आप तकनीकी और कानूनी मुद्दों पर नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। यदि सभा मेरे विनिर्णय को स्वीकार नहीं करना चाहती है, तो यह सभा पर निर्भर है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि विनियोग विधेयक क्या है · ·।

अध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष के कार्यवाही संचालन की दिशा को बदलने वाली बात है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं लीक से हटकर आपको अपनी बातें कह लेने देने की अनुमति दे रहा हूं।

लेकिन यदि आप अपनी बात बोलने की बजाय मेरे दिए हुए विनिर्णय पर ही विवाद करने पर बल दे रहे हैं तो यह एक प्रकार से अध्यक्ष के कार्यवाही संचालन की दिशा बदलना ही है। संक्षेप में मैं आपको यही बता रहा हूं। यदि आप सही बात नहीं समझ पा रहे हैं और केवल एक-दूसरे के दलों के खिलाफ बोलने में ही लगे हुए हैं, और आप अध्यक्ष के कार्यवाही संचालन की दिशा को भी बदलना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या मैं इसे स्पष्ट कर सकता हूं ? मैं अपनी बात बोलूंगा। लेकिन सांकेतिक कटौती एक भिन्न मुद्दा है। · ·**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय मैं एक दूसरे व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं उनका एक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ऐसा 1965 में हुआ था। मुझे यह पढ़ने दें।

अध्यक्ष महोदय : निर्मल कांति जी, मैं आपको इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप उसी बात को दोहरा रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा। इस मुद्दे पर बोलने नहीं दिया जाएगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मैं नियम 208, के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न कर रहा हूं · ·**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे निपटा दूंगा, आप चिंता न करें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इस नियम को वर्ष 1965 में अंतःस्थापित किया गया था। इससे पहले, नियम 208 में "· · अथवा किसी ऐसे अन्य समय पर जो वह पहले से निश्चित कर दे · ·" का प्रावधान नहीं था। इसे वर्ष 1965 में नियम में अंतःस्थापित किया गया था। इससे पहले यह समय निश्चित किया जाता था और यह स्वतः ही हो गया था। उसके बाद, जब इसकी व्यवस्था की अनुमति दी गई तो यह प्रावधान किया गया कि अध्यक्ष समय स्थगित कर सकता है।

जैसा कि कुमारमंगलम जी ने उल्लेख किया था, तब उनकी बात आती है कि गिलोटिन को केवल अध्यक्ष ही नहीं, सभा भी स्थगित कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रावधान कहां किया गया है ? मुझे वह नियम दिखाइये ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : नियम 208 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहां है ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : नियम 208 में इसका प्रावधान किया गया है। कौल और शकधर की पुस्तक भी उसी नियम के ही आधार पर तैयार की गई है जो आपको प्रक्रिया संबंधी जानकारी देती है। इससे पहले स्थिति

यह थी कि समय और तारीख स्वतः ही निश्चत की जाती थी। उसमें यह संशोधन किया गया कि अध्यक्ष को सभा के परामर्श से इसमें परिवर्तन करने का अधिकार है। तीसरी स्थिति यह है कि सभा स्वयं यह निर्णय ले सकती है—निःसंदेह अध्यक्ष सभा का भी प्रतिनिधित्व करता है कि गिलोटिन का समय परिवर्तित किया जाए। यही मैं पढ़ने जा रहा हूं :

"तथापि समाचार में पहले से अधिसूचित अनुदानों की बकाया मांगों के निपटान का समय और तारीख सदन द्वारा परिवर्तित या बढ़ायी जा सकती है ताकि और अधिक मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा की जा सके।"

मैं बहुत साधारण बात कह रहा हूं। उनके मस्तिष्क में विशेष मंत्रालय है। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि हम शेष सभी मंत्रालयों के लिए गिलोटिन लागू करने की बजाए उस मंत्रालय पर विचार करें और थोड़ी देर तक चर्चा करें तथा उसके बाद गिलोटिन लागू करें। इसीलिए हमने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि गिलोटिन को अभी लागू नहीं किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं। यह अलग मुद्दा है, मैं आपसे सहमत हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि आपने स्वयं हमें बताया है कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा होता है। असाधारण परिस्थिति के उदाहरण के रूप में मैं एक बार फिर पृष्ठ 639 का सन्दर्भ देना चाहता हूं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यह एक असाधारण बात है, जब सत्ता दल का कोई सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। यह उल्लेख किया गया है :

"कटौती प्रस्ताव की सूचना केवल विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा दी जाती है तथा सरकारी दल के सदस्य सामान्यतया ऐसी सूचनाएं नहीं देते हैं . . ."

सामान्य बात से परे यह एक अपवाद है :

"ऐसी सूचना देना निन्दा प्रस्ताव के लिए मतदान माना जाएगा . . ."

इसलिए यह सामान्य स्थिति न होकर असाधारण स्थिति बन जाती है। अतः आपसे सहमत होते हुए, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि गिलोटिन आस्थगित करने संबंधी उनके प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने गिलोटिन आस्थगित करने का प्रस्ताव किया था। मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले को लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस मुद्दे पर भी व्यवस्था दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे प्रस्तुत करें। मुझे जो कहना है वह मैं कह दूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस मामले में यह मात्र निर्मल जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त नहीं है। किन्तु 22 अप्रैल, 1987 को वास्तव में सभा ने निर्णय किया कि 12 मार्च के अपने पूर्व के निर्णय में आंशिक संशोधन करने से वर्ष 1987-88 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की सभी बकाया मांगों का निपटान किया जा सकेगा तथा 24 अप्रैल को 4.30 बजे (अपराह्न) में मतदान के लिए प्रस्तुत करने के बजाए 28 अप्रैल को सांय 6.00 बजे प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसीलिए सदन द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप गिलोटिन 4 दिन स्थगित किया गया।

अब इस मामले में भी मैं यह बताना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने भी जब गिलोटिन प्रभावी किए जाने से पहले ऐसे मंत्रालयों का चयन किया जिनके संबंध में चर्चा की जानी थी, तो विद्युत मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को उन मंत्रालयों में शामिल किया। किन्तु कुछ बातों से, जैसे चरारे-शरीफ त्रासदी या अन्य कुछ ऐसे मामलों से इसमें बाधा पड़ी। जिसके परिणामस्वरूप इन दो मंत्रालयों पर चर्चा नहीं की जा सकी। हमारे कुछ सदस्यों ने इन मंत्रालयों के संबंध में कटौती प्रस्ताव का उचित नोटिस दे रखा था। मैं इस सभा के अध्यक्ष के रूप में आपसे अपील करता हूं कि यह एक ऐसा धूसर क्षेत्र है, जिसके सन्दर्भ में केवल एक निर्णय 1942 में ही हुआ है जिसमें यह उल्लिखित है कि 'यदि मंत्रालयों पर सभा में चर्चा नहीं की जाती है और उन पर चर्चा समाप्त कर दी जाती है, तब उन मंत्रालयों से संबंधित कटौती प्रस्तावों को परिचालित नहीं किया जाएगा।'

अध्यक्ष महोदय : यह सही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह वर्ष 1942 में दी गई व्यवस्था है, और उसके बाद आज आपने जो निर्णय लिया है वह आने वाले समय में सभी के लिए उदाहरण होगा। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि श्री बंसल को आपत्ति थी, वह आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहे थे या कुछ कहना चाह रहे थे। इसलिए, आपने शीघ्र अपनी व्यवस्था दी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस स्थिति में, यहां अपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गयी है। श्री कुमारमंगलम सत्ता दल से संबंधित हैं तथा कौल और शकधर के सन्दर्भ के अनुसार "कटौती प्रस्तावों की सूचना केवल विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा दी जाती है, सरकारी दल के सदस्य सामान्यतया ऐसी सूचनाएं नहीं देते—निःसन्देह 'सामान्यतया'—यह तो मंत्रि परिषद की निन्दा या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें 'अविश्वास' का प्रस्ताव रखने वाली बात होगी।

अब इस स्थिति में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष को सभा की बात न सुनकर विधिवादिता या प्राविधिकता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार के मामले में यह मेरा आपसे नम्र अनुरोध है कि आज आप जो कहेंगे वह आने वाले समय में सभी के लिए एक उदाहरण होगा। इसलिए यदि आप उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों, कि इन दोनों मंत्रालय के संबंध में कटौती प्रस्तावों, जिन्हें गिलोटिन नहीं किया जाना था, को मतदान के लिए रखा जाए, क्योंकि इन पर चर्चा नहीं हो सकती। 'में' के सन्दर्भ मूल्य 'पार्लियामेन्ट प्रैक्टिस' के अनुसार 'गिलोटिन का अर्थ है कि कोई चर्चा होने नहीं जा रही है।' इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई मतदान नहीं होगा। वर्ष 1942 में तत्कालीन अध्यक्ष के निर्णय के कारण जिन मंत्रालयों पर चर्चा नहीं की गयी, उन मंत्रालयों के कटौती प्रस्तावों को भी मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। किन्तु आज उन दो मंत्रालयों, जिनका कार्य मंत्रणा समिति द्वारा चयन किया गया था, लेकिन उन पर चर्चा नहीं की जा सकी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि कोई सदस्य, जिसने कटौती प्रस्ताव का उचित नोटिस दिया है और इस पर मतदान के लिए जोर देना चाहता है—चर्चा के लिए नहीं—इसे मतदान के लिए प्रस्तुत करें और विकल्प के रूप में सभा को निर्णय लेने दें, क्या वह गिलोटिन को आगे बढ़ाना चाहता है या नहीं। हमारे पास ये दो विकल्प हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक-दो मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर आडवाणी जी अवश्य ही मुझे जानकारी देंगे। हमने निर्णय लिया था—मेरे विचार से बीस दिन पहले—कि कुछ मंत्रालयों पर चर्चा शुरू की जाएगी; रक्षा, विदेश, संचार और

विद्युत। अब कुछ परिस्थितियों के कारण इन मंत्रालयों पर चर्चा शुरू नहीं की जा सकी। अब से एक सप्ताह से अधिक समय से पहले सभी को यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि उन पर चर्चा नहीं हो सकती। अब अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करने या गिलोटिन अवधि के स्थगन का नोटिस देने से उन्हें कौन रोकता है, जो ऐसा करना चाहते हैं ? अब क्या बाधा है ? यदि अंतिम क्षण में इस प्रकार के कार्य को स्थगित करने के नोटिस को लिया जाता है, हमें इसके परिणाम की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अगले वर्ष, कोई भी सदस्य सभा के समक्ष आ सकता है और कह सकता है कि इसके कारण, कृपया आप इसे स्थगित कर दें और तब वह नोटिस दे सकता है।

अब यदि सभा में किसी माननीय सदस्य या माननीय सदस्यों के पास नोटिस पर विचार करने और इसे प्रस्तुत करने का समय नहीं होता, तो हम इस बात को मान लेते। किन्तु समय था, नोटिस प्रस्तुत नहीं किया गया; और अब यहां इस प्रकार की बात उठायी गयी है। यह केवल मंत्रालयों की मांगों में कटौती करने बारे में ही नहीं है।

अब, हम बहुत सावधानीपूर्वक नियम 209 पढ़ें और पता लगाएं कि ये कटौती प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत किए जाते हैं।

नियम 209 में बताया गया है :

"किसी मांग की राशि कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी ढंग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा;

(क) "कि मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए—मांग में अन्तर्निहित नीति से अनुमोदन प्रकट करने के लिए। ऐसा प्रस्ताव "नीति अनुमोदन कटौती" कहा जाएगा। ऐसे प्रस्ताव की सूचना देने वाला सदस्य उस नीति का ब्यौरा सुतथ्यतया दर्शायेगा जिस पर यह चर्चा करना चाहता है।"

अब हमें "चर्चा" शब्द पर ध्यान देना होगा और यह देखना होगा कि इस शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है।

"चर्चा, सूचना में उल्लिखित विशिष्ट बात या बातों तक ही सीमित रहेगी और सदस्य वैकल्पिक नीति का सुझाव दे सकेंगे;

(ख) 'कि मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी की जाए' जो की जा सकने वाली मितव्ययता का प्रतीक हो। ऐसी उल्लिखित राशि या तो मांग में से एकमुश्त घटाई जाने वाली राशि हो सकेगी या मांग की किसी मद का विलोपन अथवा उसमें घटाई जाने वाली राशि हो सकेगी। ऐसा प्रस्ताव "मितव्ययता कटौती" कहा जाएगा। सूचना में संक्षेप में और सुतथ्यतया वह विशेष विषय दर्शाया जाएगा, जिन पर चर्चा उठानी हो और भाषण इस बात की चर्चा करने के लिए ही सीमित होंगे कि मितव्ययता कैसे की जा सकती है।'

(ग) 'कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए'—ऐसी विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिए जो भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में हो, ऐसा प्रस्ताव "सांकेतिक कटौती" कहा जाएगा और उस पर चर्चा, प्रस्ताव में उल्लिखित विषेष शिकायत तक ही सीमित होगी।"

कृपया हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि मंत्रालयों द्वारा की गयी मांगों में न केवल कटौती के लिए इन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है बल्कि कटौती प्रस्तावों को तीन उद्देश्यों से प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। पहला, नीतियों की समालोचना करने; दूसरा यह देखना कि क्या आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है; और तीसरा, शिकायतों को विचारार्थ रखने। इसका उद्देश्य मांगों में कटौती करना नहीं है। किन्तु इसका उद्देश्य, विशिष्ट शर्तों, और नियत तरीके से कटौती प्रस्तावों में उल्लेख किए गए मामलों पर चर्चा करने के लिए सदस्यों को अनुमति देना है। इसलिए, यहां कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। चर्चा को ठीक प्रकार पारिभाषित करने की यह एक युक्ति है। यह ऐसी युक्ति नहीं है जिसका पालन इंग्लैंड और उन सभी देशों में किया जाता है, चर्चा की जाती है। संक्षेप में मैं यह कह रहा हूं कि नोटिस दिए बिना भी उन्हें विनियोजन विधेयक पर बोलने की अनुमति दे दी जाएगी। किन्तु माननीय सदस्य कहते हैं कि वह विनियोजन विधेयक पर बोलने के इच्छुक नहीं हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैंने यह नहीं कहा था। इसमें अन्तर है। वास्तव में मैंने इसे लिख लिया और रख लिया है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। ठीक है यदि मैंने आपको ठीक सुना है, तो यही बात है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे चुनौती देता हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, यदि मैं गलत हूं, मैं इसकी जांच कर लूंगा; और यदि मैं गलत हूं तो मैं इसे ठीक कर दूंगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैंने कहा था, "धन्यवाद"। किन्तु दोनो के बीच अन्तर है। कृपया इसे समझें।

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं सदस्यों को अपने विचार रखने की अनुमति दे रहा हूं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सूचनाओं पर चर्चा की जानी थी तो सूचनाएं क्यों नहीं दी गयी थीं। अब, अंतिम समय में जब हम गिलोटिन रखने जा रहे हैं या जब हम सभी मांगों को सभा के मतदान के लिए रखने जा रहे हैं, यदि आप प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, यदि आप समय पर सूचना नहीं देते हैं, यदि आप इस पर चर्चा करने का समय नहीं देते हैं तथा यदि आप मुझे अपने साथ और सरकार के साथ इस पर चर्चा करने नहीं देते हैं, तो ऐसा करने की आशा मुझसे कैसे कर सकते हैं ? यदि सरकार इस प्रक्रिया का पालन करती है, तो कठिनाई में पड़ जाएगी। इसलिए, इसमें कठिनाई हो सकती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि आपको इस पर जोर देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, सभा को इस पर निर्णय लेने दें **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मुद्दा है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले सूचना क्यों नहीं दी ? मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी से पूछ रहा हूं। आपने पहले सूचना क्यों नहीं दी ? आपने अंतिम क्षण पर सूचना क्यों दी ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने सोचा था कि आप कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आप इस बारे में इस प्रकार कैसे सोच सकते हैं ? यह ठीक नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह अंतिम क्षण पर ही आया था। इसलिए मैं अंतिम क्षण पर सूचना दे रहा हूं। सभा को इसपर निर्णय लेने दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, यह गलत है। मैं आपकी प्रत्येक बात का आदर करता हूं। मैं लीक से हटकर भी आपकी प्रत्येक बात का आदर करता हूं। किन्तु मैं ऐसा पूर्व उदाहरण नहीं दे सकता। कृपया इस बात को समझें कि गिलोटिन का विशेष अर्थ होता है और इसका प्रभाव राज्य सरकारों पर पड़ता है; यह आने वाली सरकार को भी प्रभावित करेगा। कृपया अब इन बातों पर ध्यान न दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, कृपया एक क्षण के लिए मेरी बता सुनें। मैं आपको नाराज नहीं कर रहा हूं। मेरा मुद्दा केवल यह है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नाराज नहीं हूं। मैं आपसे जोर देकर यह बात कह रहा हूं ताकि आप इसे समझ सकें।

श्री श्रीकान्त जेना : हमने सूचना पहले क्यों नहीं दी और हम अंतिम क्षण पर सूचना क्यों दे रहे हैं, आपका यह कहना शत-प्रतिशत सही है। महोदय, वास्तव में हमने सोचा था कि कम से कम···

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में आपका क्या विचार है।

श्री श्रीकान्त जेना : हमारा विचार था कि विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी, किन्तु इसी बीच चरारे-शरीफ का मुद्दा आ गया। यदि हम गिलोटिन कल लेते हैं तो कोई विशेष बात नहीं होगी। यदि आप सभा के मतदान को स्थगित करने का मुद्दा रखते हैं तो सभा में अधिकांश सदस्य इससे सहमत होंगे। मैं इस बात को आपके ध्यान में लाना चाहता था कि सभा के अधिकांश सदस्य स्थगन के पक्ष में हैं। अधिकांश सदस्य गिलोटिन को स्थगित कराना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निर्मल जी, जब भी आप आर्थिक कार्य पर बोलते हैं तो मैं इसे बहुत धैर्य से सुनता हूं। जब आप विधि पर बोलते हैं, तो आप मुझे आपके साथ चर्चा करने की अनुमति दें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वे एक अच्छे वकील नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। वह एक अच्छे वकील तो हैं ही बल्कि उससे अच्छे एक अर्थशास्त्री भी हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी सभा से गुजारिश है कि कृपया ऐसी बातें न करें। यदि आप अब सूचना देते हैं और उसे स्वीकृत नहीं किया जाता है और आप इसे अखबारों में छपवा देते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, कृपया सभा की राय ले लें। अधिकांश सदस्यों का मत है कि आज गिलोटिन नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : सदन में उपस्थित अधिकांश सदस्य गिलोटिन आस्थगित करने के पक्ष में हैं। तो इसमें गलत क्या है ? महोदय ये क्यों चिल्ला रहे हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया समझने की कोशिश करें कि इस सभा का अपना एक विशेष दर्जा है। हम सभी मंत्रालयों की मांगों पर विचार करने ही वाले हैं। यदि अब आप मेरे साथ सहयोग नहीं करते, तो यह ठीक नहीं है मामला गंभीर हो जाएगा और ऐसा करना सभा के हित में नहीं है। मैं उन वरिष्ठ सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा जो उस बात को समझते हैं, तथा जोकि दूर दृष्टा हैं और जो पलभर की जीत या ऐसी किसी चीज़ को कोई खास महत्व नहीं देते। कृपया इस बात को समझें। यदि ऐसा करना आवश्यक होता तो मैं ऐसा कर देता और मैंने कहा है कि यदि श्री कुमारमंगलम जी बोलना चाहते हैं तो मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे दूंगा। परन्तु यदि श्री कुमारमंगलम जी ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मुझे कानूनन विनिर्णय देना पड़ेगा। गिलोटिन की तारीख और समय सब का ही निर्धारित किया हुआ है। मैंने नेताओं से सलाह-मशविरा किया था और मैंने उस पर उस समय भी सलाह-मशविरा किया था जब यह सभा के समक्ष था। आप पहले भी आ सकते थे और यदि आप पहले आ जाते तो मैं निश्चय ही नेताओं की बैठक बुलाता और मैं ऐसा कर देता।

जी हां, सोमनाथ चटर्जी जी।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, सोमनाथ जी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, जो मामला आपने उठाया है उसके बारे में कौल एवं शकधर द्वारा लिखित पुस्तक से तीन पंक्तियां पढ़ता हूं, जो इस प्रकार हैं :-

"तथापि बकाया अनुदानों की मांगों के निपटान की तिथि और समय···"

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विकट स्थिति में नहीं पड़ना चाहता था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसमें लिखा है :

"तथापि, अधिक मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर सभा द्वारा चर्चा करने हेतु संसदीय समाचार में पहले से अधिसूचित बकाया अनुदानों की मांगों के निपटान के समय तथा तारीख में सभा द्वारा परिवर्तन और विस्तार किया जा सकता है।"

इसमें बताया गया है कि यदि हम सभी मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा हो चुकने के बावजूद कोई प्रस्ताव रखते हैं तो आप हमें प्रस्ताव रखने की अनुमति दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु ऐसे अंतिम समय पर आप कैसे प्रस्ताव ला सकते हैं ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं "कौल और शकधर" द्वारा लिखित पुस्तक से कुछ अंश पढ़ रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हां, सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक विषय है जिसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। हमने पहले कभी ऐसा मामला नहीं देखा। हमें इस सभा के काफी लम्बे समय से सदस्य रहने का विशेष मौका मिला है। क्या गिलोटिन के दौरान कटौती प्रस्ताव लाए जा सकते हैं या नहीं ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। इसलिए हरेक को सोचना चाहिए कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर विचार-विमर्श अपेक्षित है। मैं आपके निर्णय पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूं। कृपया मुझे गलत न समझें।

इसीलिए हमारा निवेदन यह है कि जहां तक गिलोटिन के लिए तारीख निश्चित करने का प्रश्न है तो, सम्माननीय सदन ने आपको इसका अधिकार दिया है। पहले कोई विकल्प ही नहीं था। यह करना ही पड़ता था। अध्यक्ष को तारीख में परिवर्तन करने की कोई शक्ति नहीं रह जाती। नियमों में संशोधन करके इसमें परिवर्तन किया गया है क्योंकि ऐसा समझा गया कि ऐसे अवसर आ सकते हैं जब निर्धारित तारीख में परिवर्तन करना पड़ सकता है। इसीलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय और अनिवार्य रूप से सदन को निःसन्देह रूप से सदन के संयुक्त विवेक से अथवा माननीय अध्यक्ष महोदय के विवेक से इसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है।

महोदय, इस बार यह वर्ष असाधारण वर्ष रहा है जब हम बड़ी मुश्किल से दूसरे महत्वपूर्ण मंत्रालय के संबंध में बहुत ही जल्दी में चर्चा समाप्त कर सके हैं। केवल एक ही मंत्रालय पर चर्चा की गई है और दूसरे मंत्रालय पर जैसाकि आपने देखा है, केवल एक ही दिन चर्चा की गई और यहां तक कि सुखराम जी, जो आज सभा का नेतृत्व अथवा उसे ग्रमित करने के लिए इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना चाहते थे, को पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हुई। वे अपनी बात कह नहीं सके।

इसीलिए, मुझे याद नहीं है—ऐसा हो सकता है, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है—जब स्वतंत्रता के बाद से किसी वर्ष में हम केवल दो मंत्रालयों पर, एक पर पूरी चर्चा और दूसरे पर जल्दी बाजी में चर्चा कर पाएं हों। इसलिए, इस मामले में हमारे पास चार-पांच दिन और हैं। जी हां, आप सही कह रहे हैं। कुछ समय के लिए विपक्षी दलों के अनुपस्थित रहने के कारण हम अपना कर्त्तव्य नहीं निभा पाए। लेकिन क्या ऐसा कोई पूर्वोदाहरण रखा जाएगा जो विपक्षी दल के अथवा भविष्य में आने वाले सभा के सदस्यों को वर्षों तक बांधे रखेगा ?

इसीलिए मैं आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा, मेरी अपील यह है कि थोड़ा बहुत समय और दिए जाने संबंधी इन अनुरोधों पर विचार करना आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है क्योंकि कैलेण्डर इसकी अनुमति देता है। दूसरी बात, यदि आप ऐसा समझते हैं कि यदि यह ऐसा मामला है जिस पर आप अभी निर्णय नहीं ले सकते थे आप निर्णय नहीं लेना चाहते और यदि इस का निर्णय सभा ने लेना है तो सभा को यह निर्णय लेने दें। मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम भावी पीढ़ियों के लिए भी निर्णय लेंगे क्योंकि आपका निर्णय आने वाले वर्षों पर भी लागू होगा और ठीक भी है कि इसे लागू रहना चाहिए।

महोदय, यदि आप गहराई से इसकी जांच करना चाहते हैं तो मैं आपके विचारार्थ 'मे' द्वारा रचित पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस का उल्लेख कर सकता हूं। गिलोटिन से संबंधित सभी प्रश्नों के संबंध में मतदान की अनुमति दी जाएगी लेकिन गिलोटिन का समय आने पर आप सदन में मतदान के लिए अनुदानों की मांगों को अलग-अलग नहीं रख सकते। उन पर साथ-साथ मतदान किया जाना होगा क्योंकि गिलोटिन का समय हो गया है।

खंडशः, मांगवार मतदान का प्रश्न ही नहीं है जैसाकि हमने पहले किया है। इसलिए, केवल यही किया जा सकता है कि कुछ प्रश्नों के संबंध में मतदान किए जाने की अनुमति दी जाए। प्रयुक्त सही भाषा यह है कि :

> "सदस्य इनमें से किसी भी प्रश्न के संबंध में मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन कोई संशोधन पेश नहीं किया जाए और न ही सदस्यों के लिए कुल राशि के उप-जोड़ के किसी भी अलग-अलग विषय के लिए मतदान करना संभव है।"

यह उद्धरण में की पुस्तक 'पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस' के 21वें संस्करण के पृष्ठ 707 से लिया गया है।

महोदय, यह एक ऐसी स्थिति है जिसका पूर्वोदाहरण नहीं है और न ही ऐसी स्थिति पहले कभी उत्पन्न हुई है। यह एक पूर्वोदाहरण बन जाएगा। सदस्य यह कहते हुए न जाएं कि "हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें ऐसा अवसर दिया गया है जिसके लिए यदि हमें एक या दो या तीन दिन और दिए जाते तो हम उसका बेहतर उपयोग कर सकते थे। महोदय, हमारे त्याग का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि सरकार की गतिविधियों और कार्य-निष्पादन के बारे में इस देश की जनता को और कोई अधिकार नहीं है। आखिकार यह लोकतंत्र "प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं" पर ही आधारित है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिनिधियों को इन मामलों पर चर्चा करने का उचित अवसर मिलेगा। यह कराधान से संबंधित मामले हैं, ये वे मामले हैं जिनपर कर लगाया गया है। हमें इस बात से संतुष्ट रहने दें, कि हम अपनी सक्षमता के अनुसार समय का सदुपयोग करने में सफल हुए हैं। महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया श्री सैफुद्दीन चौधरी और श्री श्रीकांत जेना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करें।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : माननीय सोमनाथ चटर्जी पूर्वोदाहरणों की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि विगत में हमने इतने कम मंत्रालयों पर कभी चर्चा नहीं की जैसाकि हमने इस बार की है। जहां तक मुझे याद है, यह शिकायत सदैव रही है। इसीलिए स्थायी समितियों का गठन किया गया है। स्थायी समितियों के गठन का उद्देश्य यह है कि यदि हम प्रत्येक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर सभा में चर्चा नहीं कर पाते तो स्थायी समितियां संबंधित मांगों पर पूरी चर्चा करेंगी। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि स्थायी समितियों के कितने प्रतिवेदन मंत्रियों द्वारा पढ़े जाते हैं और कितने प्रतिवेदनों पर उन्होंने कार्यवाही की है ?

श्री राम विलास पासवान : स्थायी समितियां एक तमाशा बनकर रह गई हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। इस सभा ने अपने विवेक से स्थायी समितियों का गठन करने का निर्णय लिया था और मैं महसूस करता हूं कि स्थायी समितियों में चर्चाएं काफी खुलकर होती हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाएं रखें। अभी तक मैंने विपक्ष

के सदस्यों के विचारों को सुना है। कृपया अब मुझे सत्तापक्ष के सदस्यों के विचारों को भी सुनने दें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए तर्कों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि माननीय अध्यक्ष चर्चा से बचने का प्रयास कर रहे हैं जबकि सदस्यों का यह विचार है कि यह उनका अधिकार है कि उन्हें चर्चा करने का अवसर प्रदान किया जाए। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि यह तर्क ही ठीक नहीं है। 28 अप्रैल को कार्यमंत्रणा समिति, जिसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था और इस सभा द्वारा भी उस निर्णय को स्वीकार किया गया था। कृपया मुझे उस निर्णय को उद्धृत करने की अनुमति प्रदान करें :

> "समिति ने यह भी सिफारिश की कि वर्ष 1995-96 के सामान्य बजट के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान बुधवार, 17 मई, 1995 को समाप्त किया जाए और अनुदानों की मांगों के संबंध में सभा अवशिष्ट मामलों के निपटान हेतु सभी आवश्यक, प्रश्नों को उस दिन 6 म.प. पर मतदान के लिए रखा जाएगा।"

यह निर्णय 28 अप्रैल, 1995 को लिया गया था। अब से कुछ मिनट पहले तक किसी भी माननीय सदस्य ने गिलोटिन की तारीख में परिवर्तन करने संबंधी इस मुद्दे को माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ नहीं उठाया है।

दूसरा, कार्यमंत्रणा समिति में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की चर्चा की जाने वाली अनुदानों की मांगों के बारे में वरीयता क्रम के संबंध में भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। इसलिए, वास्तव में यह कहना ठीक नहीं है कि बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय को और उस विशेष मंत्रालय की मांगों को प्रक्रिया के विभिन्न नियमों का पालन न करते हुए लिया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि एक तर्क दिया गया था कि वर्ष 1987 में गिलोटिन की तारीख परिवर्तित कर दी गयी थी। किन्तु ऐसे अन्य अवसर भी हैं जब ऐसा किया गया था, किन्तु निर्धारित समय पर जब गिलोटिन किया जाना था, अंतिम क्षण में यह कभी नहीं किया गया। जब भी गिलोटिन आस्थागित करने का निर्णय लिया गया था, यह निर्णय काफी पहले ले लिया गया था। इसलिए, ऐसे ढंग से इस मुद्दे को उठाना और यह कहना कि गरीबों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने से सभा को रोका जा रहा है, वास्तव में खेदजनक है। यह धारणा बनाना कि यदि कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाती है तभी भारत के गरीब लोगों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी अन्यथा नहीं, यह ऐसी बात है जो वास्तव में खेदजनक है। यह सभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। यह सभा भारत की जनता के कल्याण के लिए विचार-विमर्श करती है। यदि कुछ सदस्य यह दावा करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ही भारत की गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र अधिकारी हैं और उनका एकाधिकार है तो यह भारत की जनता को धोखा देना है। यह भारत की जनता पर गलत प्रभाव डालना है।

अध्यक्ष महोदय : हम एक कानूनी मुद्दे पर बात कर रहे हैं।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, इसलिए आपने जिस नियम का पहले उल्लेख किया है, मैं एक बार फिर नियम 221 का हवाला देना चाहता हूं, जिसमें यह बताया गया :

> "इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अतिरिक्त अध्यक्ष ऐसी सब शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो समस्त वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के प्रयोजन के लिए जिसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य को निपटाने के लिए नियत समय सम्मिलित है, आवश्यक हो और जब इस तरह समय नियत किया जाए तो वह रखेगा",
>
> महोदय, जैसाकि आपने "वह रखेगा" को रेखांकित करने के लिए कहा है, हमने इसे रेखांकित कर लिया है; "वह निश्चित समय पर रखेगा,
>
> महोदय, इस "निश्चित समय पर" को भी रेखांकित किया जाना चाहिए;
>
> "ऐसे प्रक्रम या प्रक्रमों से संबंधित, जिनके लिए समय नियत किया गया हो, सब अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा।"

महोदय, इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आज की कार्य सूची में सूचीबद्ध कार्यों को शुरू करें और यह धारणा कि माननीय अध्यक्ष सभा को इस मामले को शुरू करने से रोक रहे हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, जी नहीं, वे यह नहीं कह रहे हैं। आप उन बातों को क्यों कह रहे हैं जो उन्होंने नहीं कही हैं।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, क्षमा करें।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं नहीं समझता, उन्होंने अध्यक्ष के विरुद्ध कोई आरोप लगाया है। क्या उन्होंने ऐसा किया है ?

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यह कहते हैं, तब मैं इसे सभा के सम्मुख रख दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम आपका पूरा आदर करते हैं। यह आरोप क्या है ?

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, संसदीय कार्य राज्य मंत्री ऐसा खिन्न होकर कह रहे हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं आपकी बात सुनना चाहूंगा। यह धारणा नहीं बननी चाहिए कि मैं चर्चा में रुकावट डाल रहा हूं। यदि आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को उचित प्रकार व्यक्त करें। मेरा ऐसा विचार नहीं था कि वे यह आरोप लगा रहे हैं कि अध्यक्ष अनुमति नहीं दे रहे हैं।

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल सभा में हो रही बातों पर विचार करने का प्रयास कर रहा था। श्री कुमारमंगलम को अपनी व्यवस्था के प्रश्न उठाने और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उन सभी मुद्दों, जिन्हें दूसरी ओर बैठे माननीय सदस्य अब दोहरा रहे हैं, की अनुमति देकर आपने बहुत दयालुता और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। श्री कुमारमंगलम द्वारा प्रस्तुत किए

गए सभी मुद्दों को सुनने के बाद आपने स्पष्ट विनिर्णय दिया। उस विनिर्णय के बाद मेरा यह विचार था कि यह मामला समाप्त हो गया है और हम अगले मुद्दे को ले सकेंगे।

महोदय, विनिर्णय दिए जाने के बाद भी आपने बुद्धिमानी से आगे चर्चा करने की अनुमति दी। विपक्ष के कुछ माननीय नेता कुछ मुद्दों में श्री निर्मल कान्ति चटर्जी द्वारा उल्लेख किए गए कौल और शकधर से लिए गए कुछ उद्धरणों का सहारा ले रहे हैं। स्थिति के संबंध में मेरी जानकारी के अनुसार ये मुद्दें सन्दर्भ से अलग थे।

महोदय, स्थिति यह है कि आपने श्री कुमारमंगलम द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न को निपटा दिया है और श्री कुमारमंगलम इस सभा द्वारा मांगों पर विचार किए जाने से एक दिन पूर्व इस सभा को कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इस आशय कि वे सूचना क्यों नहीं दे सके, प्रमाणित नहीं कर सके, प्रमाणित करने में असफल रहे। इसलिए, महोदय, वह सभी दृष्टि से असफल रहे हैं। विपक्ष के माननीय नेता ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिसमें वे सभा और अध्यक्ष महोदय दोनों को कठिन परिस्थिति में फंसा रहे हैं। कार्यमंत्रणा समिति में उचित प्रक्रिया का पालन करके इन सब पर निर्णय ले लिया गया है। सभा ने कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है। आज के आदेश पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि गिलोटिन 6 बजे लागू किया जाएगा। ये सभी संभावित रूकावटें हैं जो सभा में रखी जा रही हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि चूंकि आपने स्पष्ट विनिर्णय दे दिया है, कृपया आप अगले मुद्दे को लें। कई नयी स्थिति पैदा करने की बात सभा या अध्यक्ष पर मत छोड़िए।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि हम चाहते है कि गिलोटिन स्थगित कर दिया जाए फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए नियमों में प्रावधान नहीं है। यह नियम 208(2) है, जिसे बार-बार यह उद्धरत किया गया है, जो हमें इसे स्थगित करने से रोकता है। मैं इसका दोबारा उद्धरत करना चाहता हूं और शब्द यह है :

> "अध्यक्ष नियत दिनों के अंतिम दिन 17.00 बजे अथवा अन्य समय पर जो पहले से निश्चित कर दे।"

हम "अध्यक्ष पहले से निश्चित कर दे" शब्द छोड़ रहे हैं। आप इसका बिल्कुल ठीक उद्धरण दे रहे थे, जब आपने कहा था कि आपके पास पहले कोई नहीं आया था। श्री आडवानी जी ऐसे मामले का हवाला दे रहे हैं जिसमें गिलोटिन से चार दिन पहले सभा ने गिलोटिन समय स्थगित करने का निर्णय लिया था। पहली बार यह एक मांग की जा रही है गिलोटिन को कैसे स्थगित किया जाए जबकि गिलोटिन वास्तव में लागू किया जाना है और नियम इसका प्रावधान नहीं है। श्री कुमारमंगलम जिस उप नियम (3) का उद्धरण दे रहे थे, वास्तव में क्रम में नहीं है। इसका क्रम पहले नियम 208(1) फिर नियम 208(3) और नियम 208(2) होना चाहिए जैसा क्रम अन्ततः अब है। यह अंतिम रूप से इस मामले को शुरू करने की भी रोक लगाता है। यह व्यवस्था का प्रश्न था जिसे मैं प्रारम्भ में उठा नहीं सका; अन्यथा यह सब चर्चा न हुई होती क्योंकि हमें सीधे गिलोटिन पर कार्यवाही करनी थी। यही मुझे कहना है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, हमें सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। माननीय सदस्य श्री प्रवीन डेका घायल हैं और वह बाहर मतदान शुरू होने का इन्तजार कर रहे हैं। वह स्ट्रेचर पर कई घंटे से बाहर इन्तंजार कर रहे हैं। वह स्वस्थ्य नहीं हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप मुझे सूचना दें। मैं इस पर निर्णय दूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमने पहले ही सूचना दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : सूचना कहां है ? यदि आप मुझे सूचना देते हैं, मैं इस पर निर्णय दे दूंगा। कृपया मुझे सूचना दें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने पहले ही सूचना दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सूचना देने का यही तरीका है ?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : सूचना अंतिम क्षण में लिखित रूप में दी जानी थी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत ही खेद है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर नोटिस इस तरीके से दिया गया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप इस प्रकार हमारा उपहास नहीं कर सकते। आपने कहा, आपको कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। हमें अंतिम क्षण में नोटिस देना था। आप विषय सूची पढ़ें। या सभा स्थगित कीजिए और हमें समय दीजिए **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप सभा स्थगित कीजिए और हमें समय दीजिए ताकि हम जा सकें इसे टाइप करा सकें।

अध्यक्ष महोदय : नियम में यह व्यवस्था है कि कोई भी नोटिस हो टाइप कराकर ही देना होता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किन्तु समय कहां था ? **(व्यवधान)** कृपया तकनीकी बातों पर जोर न दीजिए।

श्री गुमान मल लोढ़ा : आप सभा स्थगित कीजिए, तभी हम आपको टाइप किया हुआ नोटिस देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कर सकता।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको किसी तकनीकी मुद्दे पर नोटिस को अस्वीकार करने का अधिकार है। मैं आपसे अपील करता हूं कि जब सम्पूर्ण सभा कुछ चाहती है तो सभा की इच्छा अवश्य ही सर्वोच्च और प्रमुख होनी चाहिए।

महोदय, अनेक मत विभाजन और मतदान हो चुके हैं इस मुद्दे पर एक और मतदान करा लें ताकि सत्ता पक्ष के इरादे की जानकारी मिल सके। सदन की प्रधानता को तकनीकी बातों के आधार पर दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए। तकनीकी बातों से वास्तविक न्याय की अवहेलना कभी नहीं की जा सकती **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं नोटिस के संबंध में भी अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। मैं नियम सं. 187 पढ़ रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य इस मुद्दे के बारे में बहुत ही उत्सुक हैं। यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं अपने उन सभी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति दूं जिन पर आप चर्चा करना चाहते हैं। विनियोजन विधेयक पर मैं सदस्यों को इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। इस नोटिस पर मेरी व्यवस्था

यह है। नियम 187 में बताया गया है, "अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं" और मैं किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकता हूं "जो मेरी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आयोजित हो या इन नियमों का उल्लघंन हो।" अतः मैं इसको अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

7.53 म.प.

इस समय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री राम विलास पासवान, श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1995-96 के लिए कृषि मंत्रालय, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय आदि के संबंध में अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की अवशिष्ट मांगें मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित निम्नलिखित मांग संस्थाओं के सामने दिखाएं गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 6 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :

(एक) कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 4

(दो) रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 और 6

(तीन) नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 7 और 8

(चार) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9

(पांच) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10

(छह) वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12

(सात) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 22

(आठ) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23

(नौ) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24 से 26, 28, 29 और 31 से 36

(दस) खाद्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 37

(ग्यारह) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 38

(बारह) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 39 और 40

(तेरह) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 41 से 45 और 95 से 99

(चौदह) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 से 49

(पन्द्रह) उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 50 से 53

(सोलह) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 54 और 55

(सत्रह) श्रम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 56

(अठारह) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57, 58 और 60

(उन्नीस) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61

(बीस) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62

(इक्कीस) संसदीय कार्य मंत्रलय से संबंधित मांग संख्या 63

(बाईस) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64

(तेईस) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65

(चौबीस) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66 से 68

(पच्चीस) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69

(छब्बीस) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70 और 71

(सत्ताईस) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72 से 74

(अट्ठाइस) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 75

(उन्तीस) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76 से 78

(तीस) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 79

(इक्कीस) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 80 से 82

(बत्तीस) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 83

(तैंतीस) कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 84

(चौंतीस) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 85 और 86

(पैंतीस) इलेक्ट्रोनिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या 87

(छत्तीस) महासागर विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या 88

(सैंतीस) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 89

(अड़तीस) संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालयों, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित मांग संख्या 90, 91 और 93

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा की स्वीकृति वर्ष 1995-96 के लिए कृषि मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय और नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय आदि से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग की संख्या	मांग का नाम	30-3-1995 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांगों की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3		4	
	कृषि मंत्रालय				
1	कृषि	235,13,00,000	1,91,00,000	1175,65,00,000	9,53,00,000
2	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	37,16,00,000	50,87,00,000	185,78,00,000	254,35,00,000
3	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	91,48,00,000	...	457,38,00,000	
4	पशु पालन और डेयरी विभाग	47,80,00,000	32,59,00,000	238,96,00,000	162,98,00,000
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
5	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	18,78,00,000	4,04,00,000	93,63,00,000	20,20,00,000
6	उर्वरक विभाग	1063,72,00,000	40,85,00,000	5318,59,00,000	204,25,00,000
	नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय				
7	नागर विमानन विभाग	11,94,00,000	8,85,00,000	59,68,00,000	44,24,00,000
8	पर्यटन विभाग	15,41,00,000	2,74,00,000	77,04,00,000	13,71,00,000
	नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय				
9	नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	4,45,00,000	15,00,000	22,24,00,000	77,00,000
	कोयला मंत्रालय				
10.	कोयला मंत्रालय	29,21,00,000	74,36,00,000	146,03,00,000	371,83,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय				
11	वाणिज्य विभाग	105,89,00,000	14,42,00,000	529,42,00,000	72,08,00,000
12	पूर्ति विभाग	5,45,00,000		27,26,00,000	
	पर्यावरण और वन मंत्रालय				
22	पर्यावरण और वन मंत्रालय	71,39,00,000	1,19,00,000	356,91,00,000	5,92,00,000
	विदेश मंत्रालय				
23	विदेश मंत्रालय	191,81,00,000	7,84,00,000	759,07,00,000	39,21,00,000
	वित्त मंत्रालय				
24	आर्थिक कार्य विभाग	579,70,00,000	27,67,00,000	2898,51,00,000	138,32,00,000
25	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	112,96,00,000	59,99,00,000	564,81,00,000	299,94,00,000

1	2	3		4	
26	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	132,14,00,000	1053,96,00,000	660,70,00,000	1478,28,00,000
28	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरण	1416,46,00,000	79,17,00,000	7082,29,00,000	395,83,00,000
29	सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार		49,00,00,000		245,00,00,000
31	व्यय विभाग	2,28,00,000		11,39,00,000	
32	पेंशनें	165,94,00,000		829,71,00,000	
33	लेखा परीक्षा	66,85,00,000		334,23,00,000	...
34	राजस्व विभाग	52,44,00,000	89,00,000	86,16,00,000	4,47,00,000
35	प्रत्यक्ष कर	66,66,00,000	28,25,00,000	333,32,00,000	141,28,00,000
36	अप्रत्यक्ष कर	100,80,00,000	35,95,00,000	504,03,00,000	179,75,00,000
	खाद्य मंत्रालय				
37	खाद्य मंत्रालय	903,71,00,000	27,69,00,000	4518,57,00,000	138,44,00,000
	खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय				
38	खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	6,85,00,000	1,50,00,000	34,28,00,000	7,50,00,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय				
39	स्वास्थ्य विभाग	181,84,00,000	61,23,00,000	909,20,00,000	306,18,00,000
40	परिवार कल्याण विभाग	315,89,00,000	3,00,000	1579,47,00,000	12,00,000
	गृह मंत्रालय				
41	गृह मंत्रालय	47,38,00,000	2,70,00,000	236,93,00,000	13,50,00,000
42	मंत्रिमंडल	8,44,00,000		42,22,00,000	...
43	पुलिस	498,98,00,000	69,08,00,000	2494,90,00,000	345,43,00,000
44	गृह मंत्रालय का अन्य विभाग	62,24,00,000	32,74,00,000	311,24,00,000	163,71,00,000
45	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	39,15,00,000	41,56,00,000	195,77,00,000	207,81,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय				
46	शिक्षा विभाग	450,42,00,000	9,00,000	2252,13,00,000	45,00,000
47	युवा कार्य और खेल विभाग	21,78,00,000	34,00,000	108,89,00,000	1,73,00,000
48	संस्कृति विभाग	32,62,00,000		163,11,00,000	...
49	महिला और बाल विकास विभाग	129,15,00,000		645,74,00,000	...
	उद्योग मंत्रालय				
50	औद्योगिक विकास विभाग	130,43,00,000	23,00,000	652,17,00,000	1,14,00,000

1 2	3		4	
51 भारी उद्योग विभाग	3,33,00,000	39,92,00,000	16,68,00,000	199,63,00,000
52 सरकारी उद्यम विभाग	27,00,000		1,35,00,000	...
53 लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	109,17,00,000	50,89,00,000	545,86,00,000	254,45,00,000
सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
54 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	22,31,00,000	3,14,00,000	111,54,00,000	15,72,00,000
55 प्रसारण सेवाएं	215,50,00,000	50,36,00,000	1077,47,00,000	251,79,00,000
श्रम मंत्रालय				
56 श्रम मंत्रालय	94,63,00,000	18,00,000	473,16,00,000	92,00,000
विधि और न्याय मंत्रालय				
57 विधि और न्याय	58,60,00,000		293,02,00,000	
58 चुनाव आयोग	55,00,000		2,74,00,000	
60 कम्पनी कार्य विभाग	2,73,00,000	1,00,000	13,63,00,000	...
खान मंत्रालय				
61 खान मंत्रालय	28,09,00,000	4,83,00,000	140,44,00,000	24,14,00,000
गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय				
62 गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	37,39,00,000	4,01,00,000	186,94,00,000	20,04,00,000
संसदीय कार्य मंत्रालय				
63 संसदीय कार्य मंत्रालय	29,00,000		1,47,00,000	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
64 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	13,16,00,000	33,00,000	67,33,00,000	1,67,00,000
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
65 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	46,00,000	71,00,000	2,29,00,000	3,58,00,000
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
66 योजना	18,98,00,000	4,23,00,000	94,90,00,000	21,17,00,000
67 सांख्यिकी विभाग	11,49,00,000	96,00,000	57,44,00,000	4,81,00,000
68 कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	131,84,00,000		659,20,00,000	
विद्युत मंत्रालय				
69 विद्युत मंत्रालय	95,87,00,000	469,31,00,000	479,35,00,000	2346,53,00,000
ग्रामीण विकास मंत्रालय				
70 ग्रामीण विकास विभाग	2286,36,00,000		5431,80,00,000	

1	2	3		4	
71	बंजर भूमि विकास विभाग	7,80,00,000		42,48,00,000	...
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
72	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	64,31,00,000	6,00,00,000	321,56,00,000	29,97,00,000
73	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	67,01,00,000	1,50,00,000	335,03,00,000	7,49,00,000
74	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	16,09,00,000		80,43,00,000	
	इस्पात मंत्रालय				
75	इस्पात मंत्रालय	81,00,000	48,26,00,000	4,08,00,000	241,29,00,000
	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय				
76	जल-भूतल परिवहन	6,36,00,000	8,10,00,000	31,80,00,000	40,50,00,000
77	सड़कें	93,85,00,000	157,45,00,000	469,27,00,000	787,26,00,000
78	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	30,12,00,000	45,38,00,000	150,61,00,000	226,93,00,000
	वस्त्रोद्योग मंत्रालय				
79	वस्त्रोद्योग मंत्रालय	91,54,00,000	4,51,00,000	457,69,00,000	22,53,00,000
	शहरी विकास मंत्रालय				
80	शहरी विकास और आवास	85,77,00,000	32,93,00,000	428,87,00,000	164,67,00,000
81	लोक निर्माण कार्य	60,46,00,000	32,52,00,000	302,30,00,000	162,59,00,000
82	लेखन सामग्री और मुद्रण	23,51,00,000	92,00,000	117,58,00,000	4,58,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय				
83	जल संसाधन मंत्रालय	61,67,00,000	4,56,00,000	308,33,00,000	22,78,00,000
	कल्याण मंत्रालय				
84	कल्याण मंत्रालय	162,40,00,000	30,78,00,000	517,01,00,000	154,89,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग				
85	परमाणु ऊर्जा	98,56,00,000	111,12,00,000	492,82,00,000	555,61,00,000
86	न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	86,00,00,000	50,00,00,000	430,01,00,000	250,00,00,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग				
87	इलेक्ट्रानिकी विभाग	26,44,00,000	3,59,00,000	132,19,00,000	17,93,00,000
	महासागर विकास विभाग				
88	महासागर विकास विभाग	9,45,00,000	1,54,00,000	47,24,00,000	7,71,00,000
	अन्तरिक्ष विभाग				
89	अन्तरिक्ष विभाग	138,75,00,000	14,02,00,000	693,75,00,000	70,12,00,000
	संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग				
90.	लोक सभा	8,13,00,000		40,67,00,000	

1 2	3		4	
91 राज्य सभा	4,16,00,000		20,83,00,000	...
93 उपराष्ट्रपति का सचिवालय	6,00,000		33,00,000	
बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र				
95 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	49,43,00,000	29,41,00,000	247,15,00,000	147,03,00,000
96 दादरा और नागर हवेली	10,75,00,000	3,33,00,000	53,78,00,000	16,65,00,000
97 लक्षद्वीप	19,05,00,000	2,66,00,000	95,24,00,000	13,28,00,000
98 चंडीगढ़	56,54,00,000	11,03,00,000	282,69,00,000	55,14,00,000
99 दमन और दीव	9,45,00,000	2,48,00,000	47,27,00,000	12,40,00,000
जोड़ राजस्व/पूंजी	17886,02,00,000	5442,30,00,000	82712,58,00,000	23420,97,00,000

7.56 म.प.

विनियोग (संख्यांक–2) विधेयक,* 1995

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रकाशित स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं**

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*दिनांक 17-5-95 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत।

यदि कुमारमंगलम जी यहां पर उपस्थित हैं तो मैं उन्हें उन मुद्दों पर बोलने की अनुमति देना चाहता हूं जिन पर वे बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दो विषयों के बारे में आपको सूचना दी है। उसमें से एक विषय है कि आने वाले लोक सभा चुनावों में फोटो पहचान पत्र देने की ठीक प्रकार से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। लोक सभा के चुनाव कभी भी आ सकते हैं, अब भी आ सकते हैं, 15 दिन बाद भी आ सकते हैं, 19 तारीख के बाद भी आ सकते हैं लेकिन जब भी चुनाव आएं **(व्यवधान)** आपके वोट से भी आपकी सरकार टूट सकती है, इसकी चिन्ता मत कीजिए। मैं चाहता हूं कि जब चुनाव आएं, जिनके आने की संभावना दिखाई देती है क्योंकि जिस प्रकार यह सरकार काम कर रही है, उससे ऐसा ही लगता है, इसलिए मेरी पहली मांग है कि चुनाव ठीक तरह से होने चाहिए। चुनावों में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सबकी राय यह बनी है कि फोटो पहचान पत्र देने चाहिए। इस काम के लिए अब तक कई करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं लेकिन फोटो पहचान पत्र देने के बारे में आज जो स्थिति है, जब हम उस पर दृष्टि डालते हैं, कल ही सरकार की ओर से मेरे पास जानकारी आयी है, जिसके आधार पर हमें पता चलता है कि कुछ प्रदेशों में फोटो पहचान पत्र देने का काम शुरू ही नहीं हुआ है, ऐसे प्रदेशों में आन्ध्र प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। इनके अलावा कई प्रदेश ऐसे हैं, जिनमें फोटो पहचान पत्र देने के विषय में अभी तक आधा काम भी नहीं हुआ है और ऐसे प्रदेशों में बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल आते हैं।

सारे बड़े-बड़े प्रदेशों में फोटो पहचान पत्र देने का काम ठीक ढंग से या तो शुरू ही नहीं हुआ है या आधा भी पूरा नहीं हुआ है। यदि फोटो पहचान पत्र देने का काम पूरा नहीं होता है तो चुनावों में वही गड़बड़ियां चलेंगी, जिसके लिए हमने पैसा मंजूर किया है, वह काम नहीं होगा। इसलिए मेरी पहली मांग है कि फोटो पहचान पत्र देने का काम अक्टूबर तक पूरा

होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था केन्द्र सरकार को करनी चाहिए, राज्य सरकारों से कहना चाहिए और चुनाव आयोग के साथ भी इस बारे में चर्चा करनी चाहिए।

8.00 प.प.

अध्यक्ष जी, अभी-अभी महाराष्ट्र में और गुजरात में चुनाव हुए। उन चुनावों में एक दूसरी ही बात सामने आई और इस बात को मुरली देवरा जी कन्फर्म करेंगे कि वहां के लोगों को 1994 की सूची के आधार पर आईडेंटिटी कार्ड दिए गए और चुनाव 1995 की मतदाता सूची के आधार पर हुए। अब जिनके पास आईडेंटिटी कार्ड था, उनको मतदान का अधिकार ही नहीं था और जिनको मतदान का अधिकार था, उनके पास आईडेंटिटी कार्ड नहीं था। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो फोटो आईडेंटिटी कार्ड बनाए जाएं ये नयी सूची के आधार पर बनाए जाएं और उनके नामों को क्रास चैक किया जाए, ताकि उनके नाम कहीं छूट न जाएं। इससे उनके मतदान के अधिकार की रक्षा होगी। नहीं, तो जैसा महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में हुआ।

[अनुवाद]

चुनाव के समय वहां पूर्ण अव्यवस्था होगी।

[हिन्दी]

इसलिए यह मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें और चुनाव आयोग इस प्रकार का समन्वय करें कि ये कार्ड ठीक प्रकार से सभी मतदाताओं को अक्टूबर महीने तक मिलने चाहिए। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इसके बारे में अपनी भूमिका सूचित करें।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा विषय यह है कि इस बात पर अब अंतिम रूप से चर्चा हो जाए और वह बात यह है कि हमारे मुम्बई शहर का वरनैकुलर भाषा में मुम्बई नाम हो, जो इस समय अंग्रेजी में बाम्बे और हिन्दी में बम्बई बोला जाता है। इस प्रकार की स्थिति यहां रखी गई है और अन्त में यह स्थिति आई है कि पहले जब मैंने 1989 में यह बात छेड़ी थी, तो मेरे अकेले की ही बात उस वक्त आई थी, लेकिन अब चार-पांच दिन पहले, देवरा जी और शरद दिघे जी ने भी इसी बात को कहा और मेरी उस बात का समर्थन किया।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : अब स्टेट गवर्नमेंट ने प्रस्ताव पास किया है। इसलिए हमने उस बात को समर्थन दिया है।

श्री राम नाईक : यह बात ठीक है कि उस वक्त राज्य में कांग्रेस सरकार थी, और वह ऐसा प्रस्ताव नहीं लाई। अब वहां पर हमारी सरकार है और उसने इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है और यहां पर आपसे इस प्रकार की प्रार्थना करके वह प्रस्ताव भेजा है। यह अच्छी बात है कि आप हमारी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। ऐसा ही काम करें। आपके अतिरिक्त सैयद शहाबुद्दीन जी ने भी मेरी इस बात का समर्थन किया है। एक दिन केरल और तमिलनाडु के कई सदस्य थे, उन्होंने भी मेरी इस बात का समर्थन किया और उन्होंने महाराष्ट्र की जनता की इस मांग का समर्थन किया और माना कि बम्बई का नाम मुम्बई होना चाहिए और वहां बैठने वाले कई सदस्यों ने मेरी इस मांग को सही बताया।

अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर, 1994 में महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने फैसला दिया। गृह मंत्री जी के पास मैंने उस जजमेंट की कापी भी भेजी है। आपको उस प्रकार से मान लेना चाहिए। यह हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आगे चलकर बम्बई का नाम मुम्बई बोलना चाहिए। इस प्रकार का हाईकोर्ट ने डायरैक्शन दिया है। उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यह न्यायालय की अवहेलना होगी।

[हिन्दी]

हम चाहते हैं कि इस प्रकार का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मुझे यह कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार ने आपसे यह प्रार्थना की है, तो आपको उनकी प्रार्थना के आधार पर इस प्रकार का फैसला करना चाहिए। वैसे महाराष्ट्र सरकार को इस नाम के बदलने का वैधानिक अधिकार है। लीगल राइट है। जैसे केरल ने त्रिवेन्द्रम का नाम बदल कर तिरुअनन्तपुरम कर दिया। वैसे ही महाराष्ट्र सरकार भी अपने आप कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक सभ्यता के कारण वह प्रस्ताव पास करके आपके पास भेजा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस प्रार्थना को मानें और इस पर फैसला दें। इस बात पर हमने आप से बार-बार आग्रह किया है कि महाराष्ट्र की जनता की यह मांग है, उसके अनुसार काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार सभ्यता के नाते महाराष्ट्र की जनता की इस मांग का समर्थन करे और इसको आगे चलकर मुम्बई कर के बदल दें। अंग्रेजी में भी मुम्बई लिखा जाए और हिन्दी में भी मुम्बई लिखा जाए। इस बात को आप सम्मति दें और इस प्रकार का नोटिफिकेशन निकालें। यह मेरी मांग है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुमारमंगलम जी, आपने मुझे जो सूचना दी है, उसमें शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। फिर भी मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम (सलेम) : मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं इसे टाइप करा पाता।

अध्यक्ष महोदय : सूचना में यह बताया जाना चाहिए कि आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैंने यह बात कहने का प्रयास किया है। चूंकि यह जल्दी में लिखा गया था इसीलिए मैं यह सब नहीं कह सका। माननीय अध्यक्ष महोदय स्थिति को समझेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कुछ मुद्दे जो मैं आपके माध्यम से इस सभा के, माननीय प्रधान मंत्री जी के और मंत्रिपरिषद में केबिनेट मंत्रियों के ध्यान में लाना चाहता हूं, वे वास्तव में उन विषयों से संबंधित हैं जिनपर मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूं।

महोदय, इस सभा में, जब माननीय प्रधान मंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे तो मैंने यह महसूस करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में विद्यमान अंतर काफी कम है और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि वे यह देखने का

प्रयास करेंगे कि क्या किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर काफी व्यय किया जाता है, मध्यस्थों को काफी अधिक राजसहायता मिल सकती है जोकि वास्तव में उपभोक्ता को मिलनी चाहिए। मेरा यह मुद्दा उठाने, कि हम खाद्य संबंधी राजसहायता में वृद्धि करनी होगी, का यह भी एक प्रमुख कारण है। **(व्यवधान)** क्या आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊं ?

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर) : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैंने समझा कि आप मुझे कुछ बताने जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : माइक कार्य कर रहा है। किन्तु मुझे केवल शोर ही सुनाई दे रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जब हमने उर्वरकों पर राजसहायता में कमी की। किसानों के लिए बन रही स्थिति को देखते हुए हमें यह सुनिश्चित करना पड़ा कि उन्हें उचित समर्थन मूल्य मिले और इसलिए खरीद मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई। इसकी क्षतिपूर्ति हमें खाद्यान्नों पर राजसहायता देकर करनी पड़ी। इसके साथ-साथ ऐसी स्थिति आई कि चार वर्षों तक मुद्रास्फीति औसतन दो अंकों में रही। खाद्यान्नों पर राजसहायता के लिए बजट में 5,200 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान किया गया है और यह राशि बहुत अधिक प्रतीत होती है। परन्तु, अन्ततोगत्वा जब यह पता चलता है कि उपभोक्ता तक वास्तव में कितनी धनराशि पहुंची और आबंटित धनराशि तथा उपभोक्ता तक पहुंची धनराशि का अन्तर क्या है, तो मेरे विचार में हम सब इससे सहमत होंगे कि आम आदमी ही सर्वाधिक प्रभावित होता है। यदि हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.) और खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों को देखें तो यह पता चलता है कि खाने-पीने की वस्तुओं तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 48 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इससे चिन्तित हूं। इसका एक कारण है कि निम्न मध्यम वर्ग तथा गरीब व्यक्ति को इससे कठिनाई क्यों हो रही है। उन्नत देशों के विपरीत भारत में गरीब व्यक्तियों का 80 प्रतिशत व्यय अनिवार्यतः खाने-पीने की वस्तुओं पर होता है। जब भी खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो इससे वे वास्तव में बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। और इसीलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमें इसके लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि धनराशि कहीं गड़ी हुई वस्तु नहीं है। इसका अभाव है। विकासशील देश के लिए संसाधन जुटाना कठिन बात है। परन्तु हमें प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ेगी। और अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यह निवेदन है कि हमें यह करना चाहिए। आखिरकार यह हम सभी की सामान्य नीति है। इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। हमें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस बारे में कोई रास्ता निकालेंगे।

महोदय, मैं दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं जो मेरी समझ में हम सभी के लिए आवश्यक है और वह मुद्दा गरीबी उन्मूलन के बारे में है। आंकड़ों को देखकर हम सब बहुत संतुष्ट प्रतीत होते हैं। महोदय, इस वर्ष इस कार्यक्रम के लिए 7,700 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। पिछले वर्ष भी लगभग इतना ही आबंटन था। मुद्रास्फीति की 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति भी नहीं की गई। परन्तु सत्य यह है कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हम उसी स्तर पर हैं जब हम वर्ष 1989-90 में थे। जहां तक प्रतिशत का प्रश्न है हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। हम अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। और इससे भी अधिक हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली में व्याप्त अकुशलता तथा भ्रष्टाचार को भी हम सब ने स्वीकार कर लिया। पंचायती राज की आवश्यकता महसूस हुई। हमें ऐसा रास्ता खोजना पड़ा जिससे धनराशि लोगों तक सीधे पहुंचे। इसलिए हमने संविधान में संशोधन किया। जब हम यह समस्या जानते हैं और हमारी दशा चिन्ताजनक है, मेरा यह कहना नहीं था "15,000 करोड़ रुपये दीजिए", मैंने कहा था "कृपया इन 7,700 करोड़ रुपयों को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दीजिए।"

ठीक है, आप इसे 10,000 करोड़ रुपये नहीं कर सकते। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं ? कुछ अधिक दीजिए, कुछ सहायता दीजिए।

के.वी.आई.सी.—मैं बहुत जल्दी मैं इसे लूंगा। मैं बेरोजगारी कार्यक्रम की प्रशंसा करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री आर. अन्वारासु (मद्रास मध्य) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे बताने दीजिए। उन्होंने कुछ कटौती प्रस्तावों की सूचना दी है। अब विनियोग विधेयक में वह अपने कटौती प्रस्तावों के ब्यौरों के बारे में यहां बोलना चाहते हैं। मैं आपसे यह अपील और माननीय सदस्यों से भी यह अनुरोध करता हूं कि दो मिनट मेरी बात सुनें। इस माननीय सभा के सामने लगभग 3,222 कटौती प्रस्ताव लम्बित पड़े हुए हैं। किन्तु केवल हमारे मित्र श्री रंगराजन कुमारमंगलम द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों को ही इतना व्यापक प्रचार दिया गया। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपके विचार में किस नियम का उल्लंघन किया गया है ?

श्री आर. अन्वारासु : प्रक्रिया नियमों के नियम 334क का उल्लंघन करके अनावश्यक प्रचार किया गया। उन्होंने जनता के दिमाग में यह आतंक पैदा करके कि जैसे यहां अस्थिर सरकार हो और जैसे कि अर्थव्यवस्था बैठने वाली हो इसका अधिक प्रचार किया जोकि राष्ट्र के अहित में है।

महोदय, मैं इस सभा के समक्ष यह कहता हूं कि श्री नरसिंह राव के सक्षम नेतृत्व में सरकार सदा की तरह स्थिर है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अन्वारासु, इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अन्वारासु, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसको कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं है—मैंने व्यवस्था के एक प्रश्न की अनुमति दी है—इसको कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री आर. अन्वारासु : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री अन्वारासु, यदि आप अपने व्यवस्था के प्रश्न पर नहीं बोल रहे हैं तो इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। किस नियम का उल्लंघन हुआ है ?

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आर. अन्नारासु : प्रक्रिया नियम का नियम 334क।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या नियम है ?

श्री आर. अन्नारासु : मैं इसे पढ़ता हूं :

"किसी सूचना का विख्यापन किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह अध्यक्ष द्वारा गृहित न कर ली गई हो और सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो।

परन्तु किसी प्रश्न की सूचना का, उस दिन तक, कोई विख्यापन नहीं किया जाएगा जिस दिन उस प्रश्न का सभा में उत्तर दिया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : यह यहां किस प्रकार संगत है ?

श्री आर. अन्नारासु : उन्होंने सभी संसद सदस्यों को व्यक्तिगत पत्र तक भेजे हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यह गलत है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको अस्वीकृत करता हूं। कृपया बैठ जाइए। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री कुमारमंगलम जारी रखें।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं आगे कुछ कहने से पहले एक अनुरोध करता हूं। कतिपय व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैं और मुझे उनकी सूचना नहीं दी गई है। या तो इन आरोपों को हटाया जाए या मुझे समुचित सूचना दी जाए। मैं पूरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहिए। मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)*

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपत्ति करता हूं। तथ्यों को कार्यवाही वृत्तान्त में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए और जो कुछ हो रहा है बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि वे मुद्दों का सामना नहीं कर सक... तो उन्हें चरित्र हनन का प्रयास नहीं करना चाहिए। **(व्यवधान)**

महोदय, पत्रों द्वारा धमकियां दी जाती हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय उन धमकियों का पता है जो मुझे मिलती रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसे छोड़िए। मैंने आपको उन मुद्दों पर बोलने के लिए समय दिया है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल यह कहूंगा कि मैं यह देखकर प्रसन्न था कि के.वी.आई.सी. के प्रति माननीय वित्त मंत्री का यह दृष्टिकोण था कि हमें के.वी.आई.सी. का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि रोजगार के अवसर सृजित हों क्योंकि बड़े उद्योगों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। परन्तु मुझे यह देखकर धक्का लगा कि नाबार्ड के लिए केवल 1,000 करोड़ रुपये थे। वित्त मंत्री के बजट भाषण तथा विनियोग तरीकों से यह स्पष्ट रूप से लक्षित होता है कि उनकी सहानुभूति केवल शब्दों द्वारा होती है, जब धन की बात आती है तो वास्तव में वह कितनी धनराशि दे रहे हैं। आपके ध्यान में यह बात आएगी कि यह ऋण, वित्तीय योगदान आदि के जरिए है। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि धन दिया जाए। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि धन दीजिए। आखिर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अनुदान तथा राजसहायता देने हेतु के.वी.आई.सी. को 1500 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। यदि आप मांग को पूरी तरह पूरा नहीं कर सकते, आधी मांग पूरी कीजिए, इसे 35 प्रतिशत पूरा कीजिए, परन्तु वित्तीय संस्थाओं से नाबार्ड के लिए 1000 करोड़ रुपये के ऋण का क्या अर्थ है ? यदि हम चाहते हैं कि योजना चले, तो हमें इस हेतु धन देना चाहिए।

मैं एक कदम आगे जाना चाहता हूं। विद्युत क्षेत्र के सम्बन्ध में मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि भेल सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी है जिस पर हम सभी को गर्व है। यह सारे विश्व से निविदाएं लेती है और वास्तव में विदेशों में निविदाएं प्राप्त करती है। परन्तु जब हमारे देश की बात आती है, तो वहां प्राप्त स्पर्धात्मक बोली ही नहीं होती है। भेल के प्रबन्धकों ने यह बात की है कि वे वही उपस्कर, यहां तक कि प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बेहतर उपस्कर सप्लाई कर सकता है, इन्हें सारे विश्व में कोई भी परिक्षण कर सकता है और वे यह सिद्ध कर सकते हैं कि ये इसे तय मूल्य से 25-30 प्रतिशत कम पर दे सकते हैं। विदेशी कम्पनियां मूल्य क्यों बढ़ाती हैं ? इसलिए कि उन्हें 16 प्रतिशत लाभांश की गारण्टी है। जब इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभांश की उन्हें गारण्टी है तो, यदि 1:1 का ऋण-इक्विटी अनुपात विद्यमान है तो उन्हें लगभग 32 प्रतिशत लाभांश पड़ता है।

[अनुवाद]

यही समय है कि हम इसको समझें। जी हां, हमें विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं निश्चित रूप से यह कह रहा हूं कि यह हमारी योजनाओं का हिस्सा है। परन्तु विदेशी पूंजी निवेश राष्ट्रहित में होना चाहिए। जैसाकि पहले कहा जा चुका है हमें पारदर्शिता की जरूरत है। हम यह जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। जब तक हम पारदर्शिता नहीं लाएंगे तब तक लोग हम पर सन्देह करते रहेंगे। आखिरकार यह किसी दल, किसी मंत्री या किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं है बल्कि यह स्वयं लोकतांत्रिक प्रणाली की विश्वसनीयता का मामला है। मैं जो जिरह कर रहा हूं उसका कुल मिलाकर मतलब है कि हमें लोकतांत्रिक प्रणाली की विश्वसनीयता की रक्षा करने की जरूरत है।

मैंने सदन का काफी समय ले लिया है। मैं देख रहा हूं कि सदस्यों में सहनशक्ति का बहुत अभाव है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं, आप बोलते जाइये।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं केवल यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मैंने अपने सभी मुद्दों को विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न मंचों पर उठाया है। श्री नाईक साहब और थोड़े से अन्य सदस्यों के अलावा विपक्षी सदस्य यहां नहीं हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं उन्हें तहेदिल से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कोई बड़प्पन दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं बल्कि हाथ जोड़ कर यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं वे मुद्दे उठा रहा हूं जिन्हें आपको समझाना चाहिए क्योंकि यह मामला भारत के उन प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकांश लोगों जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए महत्व रखता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक के द्वारा सरकार को चार लाख, चार हजार, चार सौ इक्कीस करोड़ 66 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति इसकी मंजूरी के साथ मिल जाएगी। मेरा इसमें यह निवेदन है कि जैसे हम अपने परिवार में हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राथमिकताओं को तय करते हैं, इस विनियोग विधेयक में ऐसा नहीं किया गया और जो इस देश की सबसे जरूरी आवश्यकताएं थीं, उनकी पूर्ति न करते हुए, उनमें पैसा खर्च करने का प्रावधान न करते हुए कई ऐसे अनावश्यक कार्य हैं, जो बाद में भी किए जा सकते हैं, उसमें खर्च करने के बात को लेकर यह विनियोग विधेयक लाए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो चम्बल नदी के किनारे का बीहड़ वाला इलाका है, जिसमें लाखों एकड़ जमीन बीहड़ के रूप में पड़ी है, मेरे क्षेत्र में दमोह, छत्तरपुर और पन्ना जिलों के बीच सोनार नदी, ब्यारना नदी और कोपड़ा नदियां हैं जिन के किनारे बीहड़ हैं। आज भी वहां डकैती की समस्या है। वहां डकैती की समस्या पुनः प्रारम्भ हो रही है। यदि यह पैसा समतलीकरण करने के काम पर और भूमि को कृषि योग्य बनाने पर खर्च किया जाए तो निश्चित रूप से लाखों लोगों को काम मिल सकता है। जो अधूरी सिंचाई योजनाएं पड़ी हुई हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपको बोलने का कनसैशन दे चुका हूं। अब आप बैठ जाएं।

श्री रामकृष्ण कुसमरिया : यदि प्रधान मंत्री महोदय इस विनियोग विधेयक के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों को इसमें शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से भारत का भला होगा।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : महोदय, जहां तक बम्बई शहर को मराठी, हिन्दी, अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं में मुम्बई नाम दिए जाने के बारे में माननीय सदस्य श्री राम नाईक द्वारा उठाए गए प्रश्न का संबंध है, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय का उद्धरण दिया है और उसकी प्रति भी मुझे दी है जिसमें राजभाषा के प्रश्न पर और इसका अनुवाद कैसे होना चाहिए, के संबंध में निर्णय लिया गया है। मैं इस मामले के गुण-दोषों की चर्चा नहीं करना चाहता। परन्तु अब यह मामला उच्चतम न्यायालय में चला गया है। उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

श्री राम नाईक : किसने दायर की है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह विशेष अनुमति याचिका किसने दायर की है ?

श्री एस.बी. चव्हाण : यह तो मैं नहीं बता पाऊंगा। पर इतना कह सकता हूं कि याचिका दायर की गई है।

श्री राम नाईक : वह ऐसा कैसे कह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक तथ्यात्मक सूचना है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह सभा में दिया गया वक्तव्य है।

श्री एस.बी. चव्हाण : मैं आधिकारिक तौर से कह रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस मामले को हमारे मंत्रिमंडल के सामने रखा जा रहा है। इसलिए हम मंत्रिमंडल से आशा करते हैं कि इस पर निर्णय लिया जाए। इसलिए, हम उच्चतम न्यायालय के विचार भी जानना चाहते हैं। हम दोनों के ही निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसके बाद ही सरकार स्थिति को स्पष्ट कर पाएगी।

श्री राम नाईक : महोदय, फोटो वाले परिचय पत्रों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : महोदय, सभा को यह पता है कि निर्वाचन आयोग ने निदेश दिए हैं कि सभी मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए और इस बात पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें सहमत हुई थीं कि ये फोटो परिचय पत्र हमें बनाने चाहिए। इसलिए मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र देने के मामले पर तो बिल्कुल कोई विवाद नहीं है। इस पर सहमति हो चुकी है। हमारी बात से राज्य सहमत हैं और हम भी। हम अपनी तरफ से विभिन्न राज्यों को गत वर्ष चुनावों से पहले तथा चुनावों के बाद 225 करोड़ रुपये की धनराशि दे चुके हैं। अब चुनाव आयोग ने फिर दोहराया है कि अगले लोक सभा चुनावों से पहले सभी मतदाताओं को परिचय पत्र मिल जाने चाहिएं। धन देने में हमें कोई कठिनाई नहीं है। आप देखेंगे कि हमने इन मांगों के लिए भी धन दिया है। हमने राज्यों को देने के लिए फिर से 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और फोटो पहचान पत्र के मुद्दे का समाधान जितना जल्दी सम्भव हो सके, करना पड़ेगा। इस मामले में कुछ राज्यों ने अच्छी प्रगति की है और कुछ ने बिल्कुल ही नहीं की। मेरी अद्यतन जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र देने के काम को यथासंभव तेजी से निपटाने के लिए फिर निदेश दिए हैं। हम राज्यों को अपने भरपूर सहयोग का आश्वासन देते हैं···(**व्यवधान**)

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कुमारमंगलम जी ने अनेक मुद्दे उठाए हैं और मेरा अनुरोध यह है कि आपके द्वारा उनमें से कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाए ताकि उनका समाधान हो सके। उनके द्वारा उठाया गया पहला मुद्दा खाद्यान्न राजसहायता का है। महोदय हमने, पिछले वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में इस वर्ष के बजट में खाद्यान्न राजसहायता के लिए लगभग 30 प्रतिशत अधिक धनराशि का आबंटन किया है।

मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस देश में बहुत गरीबी है और मुद्रास्फीति समाज के अन्य वर्गों के मुकाबले गरीबों को अधिक दुखदायी है इसलिए हमें गरीबों की सहायता करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि संसाधनों की कमी भी एक बड़ी कठिनाई है। आखिरकार हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कितना वितरण करते हैं ? यह हमारे देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन और कुल खपत का दस प्रतिशत से भी कम है।

यदि कोई यह समझता हो कि इस छोटी-सी धनराशि से, जो यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण है, आप गरीबों की समस्याएं सुलझा सकते हैं, तो महोदय मेरा विनम्र निवेदन यह है कि वे गलती पर हैं। हमारे देश में अनेक भागों की वास्तविक स्थिति ऐसी है कि जो वास्तव में गरीब हैं वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि उनकी क्रय शक्ति इतनी भी नहीं है कि वे सप्ताहभर का राशन खरीद सकें और इसलिए हमें सार्वजनिक वितरण

प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ-साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि यथोचित राजसहायता प्रदान की जाए। यदि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा शेष खाद्यान्न कीमत व्यवस्था के बारे में गौर नहीं करते हैं तो हम कोई आश्वासन नहीं दे सकते कि हम गरीबी की समस्या पर काबू पा सकते हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है तब से ही प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए बहुत अधिक ध्यान दिया है। इससे पहले भी हमारे यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी किन्तु उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। हमने घोर गरीबी वाले 2400 ब्लाकों का पता लगाया है। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार कर रहे हैं और इस प्रणाली को ऐसा बना रहे हैं कि सबसे गरीब इलाके के लोग और गरीब से गरीब लोग भी इसका लाभ उठा सकें। यह सब रातों रात नहीं किया जा सकता। परन्तु अपने संसाधनों से जितना भी बेहतर हम कर सकते हैं, कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि इस वर्ष 30 प्रतिशत अधिक आबंटन किया गया है। यह हमारा प्रयास है और यदि इस तरह का प्रभाव बनाने की कोई कोशिश होती है कि हमें गरीब जनता की परवाह नहीं है और यह सरकार निष्ठुर है, हमारी नीतियां गरीब विरोधी हैं, तो इस बारे में मेरा निवेदन है कि ये सब गलत जानकारी प्रचारित की जा रही है, इस स्थिति की सच्चाई का कोई आधार नहीं है।

महोदय, दूसरा मुद्दा जो माननीय सदस्य श्री रंगराजन कुमारमंगलम ने उठाया था, वह गरीबी उन्मूलन के संबंध में था। महोदय, जैसाकि मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे विश्व का काम-काज देख रहा होता, जहां संसाधनों का अभाव न हो, तो मेरे विचार से वह बढ़िया तरह से काम कर सकता तथा यदि हम थोड़ी और धनराशि खर्च कर पाते तो प्रधान मंत्री और उनके सभी केबिनेट मंत्रियों को सबसे अधिक प्रसन्नता होती। लेकिन किसी भी उत्तरदायी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को समग्र रूप में देखे। हमें रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए धन की आवश्यकता है। इन सबके बावजूद प्रधान मंत्री के निजी मार्गदर्शन के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदत्त राशि की तुलना में अभी तक कभी पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं की गई। कोई भी व्यक्ति यह दलील दे सकता है कि 7,700 करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत जैसे निर्धन देश में हमें और अधिक धनराशि खर्च करनी चाहिए। लेकिन एक-एक पैसा जुटाना होगा। अब कितना व्यय किया जा रहा है और तीन वर्ष पहले इस पर कितना व्यय किया जा रहा था ? यदि आप केवल पिछले तीन वर्षों के आबंटन को देखें तो आप पाएंगे कि इस वर्ष बजट में 148 प्रतिशत अधिक आबंटन किया गया है और आप मूल्य घटाने का कोई भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि गरीबी उन्मूलन के लिए राशि के आबंटन में काफी अधिक वृद्धि हुई है। महोदय, गरीबी उन्मूलन ग्रामीण विकास का ही मात्र एक कार्यक्रम नहीं है।

महोदय, श्री रंगराजन कुमारमंगलम ने हमारे के.वी.आई.सी. के कार्यक्रम का उल्लेख किया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने बैंक संसाधनों को जुटाने और कार्यपूंजी की व्यवस्था के लिए संसाधनों को जुटाने तथा के.वी.आई.सी. क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों को जुटाने का भारी प्रयास किया है। मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं कि 1000 करोड़ रुपये की इस धनराशि का के.वी.आई.सी. को इसलिए कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह एक ऋण है। मैंने के.वी.आई.सी. के चेयरमैन से निजी तौर पर भी बातचीत की है। उन्होंने स्वयं यह कहा है कि के.वी.आई.सी. की समस्याओं से निपटने के लिए इस प्रकार संकेंद्रित रूप में कोई प्रयास पहले कभी नहीं किया गया।

महोदय, इसके अलावा, हमने ग्रामीण आधारभूत सुविधा कोष के लिए 2000 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। वह क्या है ? एक माननीय सदस्य अधूरी सिंचाई परियोजनाओं का उल्लेख कर रहे थे। 2000 करोड़ रुपये की यह राशि जल की कमी, जल प्रबन्धन और अधूरी सिंचाई कार्य आदि की समस्याओं को निपटाते हुए गरीबी उन्मूलन में भी सहायता करेगी। हरेक व्यक्ति जो गरीबी के बारे में जानता है और जिसने गरीबी देखी है, यह जानता है कि हमारे देश के अधिकांश भागों में जल का अत्यधिक अभाव है, जोकि कई मामलों में निर्धनता का मूल कारण है। इस कार्य को करने से हमारे द्वारा प्रदान की गई 2000 करोड़ रुपये की यह राशि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को अतिरिक्त महत्व देगी। इसलिए मेरा सादर यह कहना है कि कोई सिर्फ 7700 रुपये को ही न देखे, बल्कि उसे समग्र आर्थिक कार्यक्रम को देखे। मैं सामाजिक सहायता कार्यक्रम मध्यावकाश भोजन विस्तार कार्यक्रम अथवा जीवन बीमा सुविधा का या इस बात का कि पिछले तीन वर्षों में शिक्षा संबंधी बजट बढ़कर 92 प्रतिशत हो गया है या कि स्वास्थ्य संबंधी बजट बढ़कर 122 प्रतिशत हो गया है, का उल्लेख करने नहीं जा रहा हूं। यदि आप इन सभी बातों को समग्र रूप में देखें तो मुझे डर है कि ये कठोर तथ्य इस सरकार की उस छवि को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, जो श्री कुमारमंगलम प्रस्तुत करना चाहते हैं।

महोदय, विद्युत क्षेत्र की समस्या का मोटे तौर पर उल्लेख किया गया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रुग्ण इकाईयों के पुररुद्धार के लिए बहुत कुछ किया है जैसाकि पहले कभी नहीं किया गया था। हमारा अपना रिकार्ड यह बताता है कि हम अनेक उर्वरक परियोजनाओं, राष्ट्रीय कपड़ा मिल—100 मिलों से अधिक मिलों को, औषधीय परियोजनाओं, इंजीनियरिंग परियोजनाओं, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को पुनः चालू करने जा रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं से राजकोष को काफी अधिक नुकसान पहुंचा है। लेकिन हमने उस नुकसान को स्वीकार किया है, क्योंकि हम सरकारी क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तथा प्रधानमंत्री और हमारे दल के चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार हमें यह करना होगा।

जहां तक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध है, इसके पास आर्डरों (फ्रयादेशों) का कभी भी अभाव नहीं रहेगा। हम विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश की जो बात कर रहे हैं, उसमें पांच-छह वर्षों से भी अधिक समय से 10,000 मेगावाट से अधिक की उपलब्धि नहीं है। इस देश को 40,000 से 50,000 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है। विदेशी निवेश को जो दिया जाएगा, वह उसका एक अंश है। इसीलिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को कोई खतरा नहीं है। हम निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए चाहे कुछ भी करें, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को पर्याप्त आर्डर मिलते रहेंगे। इसलिए उस संबंध में चिंता की कोई बात नहीं है।

इसलिए, महोदय, इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह विद्युत क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र के अन्य भाग हों, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक सक्षम सरकारी क्षेत्र, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उत्तरदायी सरकारी क्षेत्र हमारी आर्थिक विचारधारा का एक अनिवार्य हिस्सा है, सभी यथोचित कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। हम इस बात का समर्थन करते हैं और अभी तक हमने जो कुछ किया है, वह उन्हीं सिद्धान्तों के अनुरूप है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जिस प्रकार से मुंबई के बारे में उत्तर दिया है उससे कोई समाधान नहीं हुआ है। इसलिए मैं सदन से परित्याग करता हूं।

8.33 म.प.

तत्पश्चात श्री राम नाईक सभा-भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, यहां मुरली देवरा जी बैठे हैं। मुंबई शहर को सब कार्पोरेटर्स रिप्रेजंट करते हैं, सब कार्पोरेटर्स ने मान लिया है। 1985 में मुंबई नाम देने के लिए यूनेनिमस रेजोल्यूशन पास हुआ है। **(व्यवधान)** इससे मुरली देवरा जी भी सहमत हैं। प्रधानमंत्री जी ने राम नाईक जी और हमें भी आश्वासन दिया है कि हम इसका नाम मुंबई करेंगे, तो अब यह क्यों नहीं कर रहे हैं ? जब पेकिंग का नाम बेजिंग हो गया है। कोचीन का कोची हो गया है। त्रिवेन्द्रम का तिरुवनंतपुरम हो गया है। वाराणसी का बनारस हो गया है तो फिर ये इसमें क्यों रुकावट ला रहे हैं ? इसलिए मैं इस सदन का परित्याग करता हूं।

8.34 म.प.

(तत्पश्चात श्री मोहन रावले सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक पूरा नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा 18-5-95 को 11.00 म.पू. पर होने के लिए स्थगित होती है।

8.35 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 18 मई, 1995/28 वैशाख, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।